दशम माला, खंड 40 अंक 21

सोमवार, 29 मई 1995
8 ज्येष्ठ, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 40 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

विषय-सूची

दशम माला, खंड 41, तेरहवां सत्र 1995/1917 (शक)

अंक 37, सोमवार, 29 मई, 1995/8 ज्यैष्ठ, 1917 (शक)

विषय			कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:			1-25
*तारांकित प्रश्न संख्या:	741-743		1-17
प्रश्नों के लिखित उत्तर:			26-29
तारांकित प्रश्न संख्या:	744-760		26-54
अतारांकित प्रश्न संख्या:	7519-7730		55-289
चुनाव सुधार			292-314
		श्री शरद यादव	292-294
		श्री राजवीर सिंह	294-296
		श्री नीतीश कुमार	297-298
		श्री लाल कृष्ण आडवाणी	299-302
		श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स	302
		श्री राम विलास पासवान	303-304
		श्री लोकनाथ चौधरी	305
		श्री सूर्य नारायण यादव	306-307
		श्री सोमनाथ चटर्जी	308-309
		श्री अटल बिहारी वाजपेयी	310
		श्री सूरज मंडल	311
		श्री अब्दुल गफूर	311-313

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा है ।

विषय		कालम
	श्री राम लखन सिंह यादव	314
	श्री गुलाम नबी आजाद	314
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य		315-321
(एक)	चराए-ए-शरीफ में राहत और पुनर्निमाण	315
	श्री भुवनेश चतुर्वेदी	
(दो)	भारत की आकस्मिकता निधि में से धनराशि निकालना	321
	श्रीमती कृष्णा साही	
सभा पटल पर रखे गये पत्र		317-320
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति		320
नियम 377 के अधीन मामले		322-326
(एक)	बैंको में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर उच्च श्रेणियों में पदोन्नति दिये जाने की आवश्यकता	322
	श्रीमती संतोष चौधरी	
(दो)	पलासा और कटक के बीच वरास्ता बरहामपुर तथा भुवनेश्वर चलने वाली डी.एम.यू. रेलगाड़ी में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने और ओखा एक्सप्रेस में अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़े जाने की आवश्यकता	322
	श्री गोपीनाथ गजपति	
(तीन)	हाथरस, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता	323
	डा. लाल बहादुर रावल	
(चार)	बिहार के नवादा जिले में फुलवरिया जलाशय की मरम्मत और रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता	323
	श्री प्रेम चन्द राम	
(पांच)	आन्ध्र प्रदेश के पसारलापुडी में तेल के कुएं में आग लगने से प्रभावित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त धनराशि दिये जाने की आवश्यकता	324
	श्री जी.एम.सी. बालयोगी	
(छह)	तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में अरब सागर तट पर मत्स्यन पत्तन बनाये जाने की आवश्यकता	325
	श्री एन. डेनिस	
(सात)	उड़ीसा के राउरकेला में बेहतर रेल सुविधायें उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	325
	कुमारी फ्रिडा तोपनो	

विषय		कालम
(आठ)	मध्य प्रदेश के धार जिले में खरगौन, बडवानी और धामनोद में टेलीविजन रिले केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता	326
	श्री रामेश्वर पाटीदार	
गणपूर्ति न होने के कारण लोक सभा की बैठक को 3.15 बजे तक के लिए स्थगित किये जाने के बारे में घोषणा		327
व्यापार चिह्न विधेयक- जारी		327-352
विचार करने का प्रस्ताव		
	श्री गिरधारी लाल भार्गव	327-329
	श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	330-331
	श्रीमती कृष्णा साही	332-339
खंडवार विचार		
खंड 2 से 160 और 1		
पारित करने का प्रस्ताव		
	श्रीमती कृष्णा साही	344-352
	श्री गिरधारी लाल भार्गव	353
बैक और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक, 1994		353
विचार करने का प्रस्ताव		
	श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	354
	श्री वी. धनंजय कुमार	355
	श्री ए. चार्ल्स	356-360
	श्री सुशान्त चक्रवर्ती	361-363
	श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या	364-365
	डा. मुमताज अंसारी	366-368
	श्री गुमान मल लोढ़ा	369-372
	श्री एस.एस. आर. राजेन्द्र कुमार	373
	श्री चित्त बसु	374

लोक सभा

सोमवार, 29 मई, 1995/ 8 ज्येष्ठ, 1917 (शक)

लोक सभा 11.04 म. पू. पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

व्यापार प्रतिबन्ध

*741 **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित की गई "सार्क" सदस्य देशों के मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत ने इसमें भाग लेने वाले अन्य देशों को विकसित देशों द्वारा नये व्यापार प्रतिबन्ध लागू किये जाने की धमकी के प्रति सचेत किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य सदस्य देशों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में हुई चर्चा का क्या निष्कर्ष निकला है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (ग). नई दिल्ली में 30 अप्रैल से 1 मई, 1995 तक सार्क के मन्त्रियों की परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से अपने उद्घाटन वक्तव्य में बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के उरुग्वे दौर की समाप्ति और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के परिणामतः सामने आई नई चुनौतियों का उल्लेख किया और यह कहा कि पर्यावरण तथा अन्य व्यापार भिन्न मसलों के नाम पर नए–नए प्रतिबंध लगाकर विकासशील देशों से होने वाले निर्यातों के खिलाफ संरक्षणवाद की प्रवृत्ति बराबर बढ़ती जा रही है । सदस्य राज्यों और अन्य विकासशील देशों ने भी इन चिन्ताओं से सहमति व्यक्त की है और इनसे गुट निरपेक्ष आंदोलन तथा जी–77 की स्थितियाँ परिलक्षित होती हैं ।

2 से 4 मई, 1995 तक नई दिल्ली में आयोजित राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों के आठवें सार्क शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर जारी की गई "दिल्ली घोषणा" में भी ये चिंताएं परिलक्षित हुई हैं ।

राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने "आह्वान किया कि व्यापार प्रतिबंधों में कमी की जाए और सार्वभौम मंडियों में अधिकाधिक प्रवेश को संवर्धित किया जाए–उन्होंने देशों का आह्वान किया कि वे कामगारों के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण की आड़ लेकर व्यापार प्रतिबंध न लगाएं । उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर किसी भी प्रकार की शर्त लगाने की प्रवृत्ति पर खेद व्यक्त किया चाहे यह शर्त "सामाजिक उपबन्ध" के रूप में हो अथवा "पर्यावरण संबंधी उपबंध के रूप में हो और साथ ही उन्होंने यह बात भी दोहराई कि वे कामगारों के अधिकारों तथा पर्यावरण की संरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है ।"

[हिन्दी]

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सार्क राष्ट्रों का हाल ही में दिल्ली में सम्मेलन हुआ जिसमें व्यापक तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और उन सब की समस्याओं के बारे में चर्चा हुई । इसमें कुछ के बारे में सहमति भी हुई । उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये आपसी सहयोग और प्रयत्न करके निर्णय लिये गये । व्यापार की दृष्टि से सापता इस वर्ष तक लागू करने का निर्णय किया जोकि व्यापार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । इसके लिये 'सार्क' देशों के व्यापार विस्तार के साथ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग मिलेगा तथा विकसित देशों के व्यापार बंधन से राहत मिलेगी । अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सापता के अन्तर्गत व्यापार करने के लिये रियायतों के साथ साथ किन–किन वस्तुओं का चयन किया गया तथा भारत ने किस किस सीमा तक किन किन वस्तुओं के रियायत देने का निर्णय किया गया?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से विवरण वाणिज्य मंत्रालय देता है । वे सिद्धान्तों पर सहमत हो गये हैं ।

[हिन्दी]

श्री आर. एल. भाटिया : अभी तो सापता के तहत जनरली जो हमारे आपस में डिस्कशन्स हुये हैं उसमें यह फैसला लिया गया है कि हम 'सार्क' मुल्कों को स्पेशल टैरिफ देंगे ताकि आपस का व्यापार बढ़े और इसमें जो आईटम्स हैं, उनको कामर्स मिनिस्ट्री देख रही है कि किन किन आइटम्स में कौन–कौन देश व्यापार कर सकेगा?

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सापता देशों के मंत्रियों के सम्मेलन में सामाजिक उपबंध और पर्यावरण के किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई जिनका 'सार्क' देशों के अन्तर्गत व्यापार और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, इस संगठन को बने हुये 10 साल हो रहे हैं मगर इसके सही मकसद को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। मेरा इसमें यह मानना है कि हमारे आपसी मतभेद इसका कारण है। तो मेरा यह पूछना है कि इन मतभेदों को दूर करने के लिये जिस उद्देश्य से यह संगठन बना है, उसको आगे ले जाने के लिये आगे जो चर्चा हुई है, उसमें भारत की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री आर. एल. भाटिया : हमने आपस में जो फैसले लिये हैं उसमें एक तो यह है कि हम एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ाये। यह ठीक है कि इस संगठन को 10 साल लग गये हैं लेकिन इसके पहले की स्टेज यह है कि इन दस सालों में हम उस जगह पहुंचे हैं कि हम आपस में सापता पर मुत्तफिक हुये हैं। इस साल 8 नवम्बर तक तमाम मुल्क इसको रैटिफाइ करेंगे और उसके बाद ट्रेड का सिलसिला चालू हो जायेगा। जहां तक दूसरा सवाल है कि इंटरनैशनल और दूसरी बातें हैं कि क्या चर्चा हुई तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उसमें जनरली तौर पर इसमें चर्चा हुई कि दूसरे मुल्कों के साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज का ट्रेड है, उस पर चिन्ता व्यक्त की गयी। उसमें प्रोटेक्शन ले रहे हैं और ऐसे तरीके ले रहे हैं कि डैवलपिंग कंट्रीज के साथ ट्रेड न बढ़े। तो उस पर हमारी चर्चा हुई। जनरली ये मुद्दे एन. ए. एम. या जी.–77 के हैं लेकिन फिर भी इसमें हमने अपने विचार प्रकट किये हैं और हमारे दिल्ली डेकलेरेशन में इस पर चिन्ता को प्रकट किया गया है।

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष जी, भारत सरकार विकसित देशों के आर्थिक हितों को प्रोमोट करने के लिये दुनिया के स्तर पर काफी कार्यशील रहा है और काफी उपलब्धियां भी मिली हैं।

इसी उद्देश्य से क्षेत्रीय संगठन सार्क का निर्माण किया गया था। लेकिन व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण सार्क अपना उद्देश्य प्राप्त करने में अभी उतना सफल नहीं रहा है और इसमें भारत सरकार की बहुत जिम्मेदारी है, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन जो अभी विश्वव्यापी संगठन डब्ल्यू. टी. ओ. बना है, उसके संदर्भ में भारत सरकार विकासशील देशों के हित की रक्षा के लिए फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड में उन्नत देशों से खासकर जी–7 के देशों से क्या कठिनाई समझती है, और उनको दूर करने की दिशा में यह जो सार्क सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत सरकार ने क्या स्पेसिफिक पहल की और उसका क्या परिणाम निकला?

श्री आर. एल. भाटिया : जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये बात सार्क के ऐजेण्डा के रूप में सामने नहीं आई, लेकिन चूंकि भारत इस कॉन्फ्रेन्स का चेयरमैन था, तो हमारे विदेश मंत्री ने इन सारे मुद्दों का जिक्र अपनी स्पीच में किया। चुनांचे उस पर बहस भी हुई, आपस में मशविरा भी हुआ और यह तय किया गया कि जैसे एन. ए. एम. और जी–7 में पब्लिक ओपिनियन करते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म डैवलपिंग कण्ट्रीज़ का है उसका मुकाबला किया जाए, इसके बारे में भी चर्चा हुई और सुझाव आए। दिल्ली डेक्लेयरेशन जो निकाला गया उसमें ये सारे मुद्दे बड़े विस्तार से बताए गए।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि विकासशील देशों की हमारी 'सापता' घोषणा, जिसका आपने अपने उत्तर में उल्लेख किया है, के बारे में क्या प्रतिक्रिया है। सम्मेलन का नेता होने के नाते, भारत सरकार ने, उन कठोर प्रतिक्रियाओं को, यदि कोई है तो, दूर करने के लिये क्या भूमिका अदा की है।

श्री आर. एल. भाटिया : विकसित देशों का रवैया सर्वविदित है। अतः उनकी आपत्तियों को दूर करने के लिये हमने आपस में विचार विमर्श किया है और हमने सामान्य रुख अपनाया है। जैसा कि मैंने कहा है कि हमने जी–77 के मामले में भी सामान्य रुख अपनाया है और ऐसा ही दिल्ली में की गई घोषणा के बारे में किया गया है।

[हिन्दी]

ताप विद्युत परियोजनाओं का कार्यकरण

*742. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप विद्युत संयंत्रों के असंतोषजनक कार्यकरण के कारण विद्युत उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ताप विद्युत संयंत्रों के समुचित कार्यकरण और विद्युत उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य सुधारात्मक उपाय करने हेतु सरकार द्वारा केन्द्रीय स्तर पर क्या कार्यवाही की गई?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 1994–95 के दौरान वास्तविक उत्पादन की तुलना में ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार हैं :–

(आंकड़े मि. यू. में)

श्रेणी	1994–95		
	लक्ष्य	वास्तविक	(%)
ताप विद्युत	274700	262897	95.7
न्यूक्लीय	8300	5605	67.5
जल–विद्युत	69000	82518	119.6
जोड़ :	352000	351020	99.7

वर्ष 1994–95 के दौरान ऊर्जा उत्पादन में वास्तविक कमी लक्ष्य का 0.3% मात्र थी, जो नाममात्र की है ।

वर्ष 1994–95 के दौरान समग्र ऊर्जा उत्पादन में कमी मुख्यतः परमाणु विद्युत केन्द्रों पर दीर्घावधि के लिए कामबंदी के कारण कम न्यूक्लीय उत्पादन और कुछ ताप विद्युत केन्द्रों को अपर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति के कारण कम ताप विद्युत उत्पादन का होना है ।

(ग) देश में अधिष्ठापित क्षमता के इष्टतम समुपयोजन हेतु उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में, पुरानी यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करना, अपेक्षित मात्रा और गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति करना, उपचारात्मक अनुरक्षण कार्यक्रमों का तेजी से क्रियान्वयन करना, नई चालू की गई यूनिटों को आरंभ में ही स्थिरता प्रदान करना और प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है ।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये वज़ीरे बिजली से खास तौर से बिहार के बारे में जानना चाहता हूं कि बिहार को कम से कम आज की तारीख में कोई 2400 मेगावाट बिजली की जरूरत है और उसके पास सिर्फ 550 से 600 मेगावाट बिजली उपलब्ध है । बिहार के अंदर कई थर्मल पॉवर जनरेशन प्लाण्ट्स जो चल रहे हैं, उनमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं और साथ ही जो आज हिन्दुस्तान में प्राइवेटाइजेशन या फिर बिजली को बढ़ाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसमें बिहार को क्या हिस्सा मिलने जा रहा है या फिर बिहार में बिजली की पोजीशन को ठीक करने के लिए भारत सरकार क्या बिहार की मदद करने जा रही है, यह मैं जानना चाहता हूं । मेरे पास जो अब तक की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से बिहार के अंदर कोयला मौजूद रहने के बावजूद भी वहां पर थर्मल पॉवर जनरेशन के लिए कोई भी नयी योजना नहीं ली जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि बिहार की इस कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है ?

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : मैं कहना चाहूंगी कि बिहार में जरूर बिजली की कमी है और इसको पूरा करने के लिए जो प्लान किया गया है, इसमें 1765 मेगावाट बिजली उत्पादित करने की योजना अमल में थी।

और इस साल के अंत तक यह काम पूरा हो जाएगा । इसमें 161.60 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और 1603.50 थर्मल हैं और बाकी की बिजली सेन्ट्रल ग्रिड में से दी जाती है ।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष जी, मैं खासतौर से वजीर से जानना चाहूंगा कि पिछले दिनों हिन्दुस्तान और नेपाल के प्रधानमंत्रियों के बीच एक संधि हुई थी जिसके जरिये बिहार के बोर्डर के ऊपर डैम बनाने का एग्रीमेंट दोनों मुल्कों के बीच हुआ था । उसके तहत यह समझौता हुआ था कि जो भी नदियां निकलती हैं उन पर डैम बनाकर बिजली का जनरेशन किया जाएगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार को उसमें कोई उपलब्धि मिली और उसमें क्या कदम उठाए गए तथा कोई कार्रवाई हुई या नहीं?

[अनुवाद]

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : महोदय, इस प्रश्न के लिये मुझे अलग से नोटिस की आवश्यकता है ।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : हमें चौथी मर्तबा यह जवाब मिल रहा है कि इसका जवाब फिर देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : सवाल थर्मल का है और आप उसको हाइडल पर ले जा रहे हैं। सवाल पूरे देश का है और आप उसको बिहार तक ही ले जा रहे हैं । ऐसा नहीं है ।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : चौथी मर्तबा इस तरह का जवाब आ रहा है । आप बिहार के बारे में पूछना चाहते तो पूछ सकते थे लेकिन आप इंडिया का बनाकर फिर उसको बिहार तक नहीं ले जा सकते ।

श्री चेतन पी. एस. चौहान : अध्यक्ष जी, देश को आजादी को 50 साल हो गए लेकिन न बिजली पूरी मिली....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बोलने वाले सब समझकर बोलें।

श्री चेतन पी. एस. चौहान : डीजल नहीं मिल रहा है, उद्योगीकरण की घोषणा हो रही है, कौन-सी इण्डस्ट्री देश में आएगी ? कैसे लगाएंगे ? बिजली नहीं मिल रही है। मंत्रीजी से मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल है कि अपने देश में बिजली का शॉर्टफॉल कितना है और यह शॉर्टफॉल कब तक पूरी कर लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : गुड क्वश्चन। अब आप बैठ जाइये, इतना अच्छा क्वश्चन पूछने के बाद उसको लंबा मत कीजिए।

श्री चेतन पी. एस. चौहान : दूसरा सवाल यह है कि दुनिया का प्लांट लोड फैक्टर कितना है और अपने देश के अंदर थर्मल यूनिट्स का प्लांट लोड फैक्टर कितना है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दोनों प्रश्न अच्छे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : 1947 में 1362 मेगावाट बिजली प्रोडयूस होती थी लेकिन आज इससे 60 गुना बिजली हम उत्पन्न कर रहे हैं। आज 81, 164, 41 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसका ब्रेक-अप अगर आप जानना चाहें तो मैं बता सकती हूं। 58, 110.37 मेगावाट थर्मल, 20, 829.04 मेगावाट हाइड्रो और 2225 मेगावाट न्युक्लियर का प्रोडक्शन हो रहा है। उसका जो पी. एल. एफ. है वह इस साल 60 पर्सेंट के ऊपर चल रहा है।

श्री चेतन पी. एस. चौहान : अध्यक्ष जी, कोई जवाब नहीं आया। देश की रिक्वायरमेंट क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इनका मुख्य सवाल यह था कि हमें कितनी बिजली की जरूरत है और हम कितनी बिजली आज यहां निर्माण कर रहे हैं।

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : यह जवाब तो मैन सवाल के जवाब में दिया गया है।

श्री चेतन पी. एस. चौहान : वह तो टार्गेट ऑफ प्रोडक्शन दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बिजली की कितनी आवश्यकता है और इसकी कितनी कमी है?

श्री चेतन पी. एस. चौहान : देश की बिजली की कुल आवश्यकता कितनी है ?

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : महोदय, कमी आवश्यकता का नौ प्रतिशत है। वास्तविक आवश्यकता 351,020 मिलियन यूनिट है और 1995-96 के लिये 30,698 का लक्ष रखा गया है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, हमारे देश में विद्युत का संकट है क्योंकि पिछले 50 वर्षों में आवश्यकता के अनुसार विद्युत गृहों का निर्माण नहीं हुआ है, अब कुछ शुरूआत हो रही है, मैं आपके माध्यम में मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सन् 2000 तक, जिसको आने में अभी 5 वर्ष बाकी हैं, क्या देश में विद्युत की कमी को दूर करने के लिये सरकार ने कोई प्लान बनाया है, हमारे देश को सन् 2000 तक कितनी विद्युत की आवश्यकता होगी और उसकी पूर्ति के लिये कितने ताप विद्युत गृह, हाईडल विद्युत गृह और अणु से संबंधित विद्युत गृह बनाने की सरकार की योजना है ? क्या इस काम में विदेशी कम्पनियों को भी मदद के लिये बुलाया जा रहा है और क्या हिन्दुस्तान की निजी कम्पनियों को भी सरकार कुछ विद्युत गृह बनाने का मौका देना चाहती है ? मैं चाहता हूं कि मंत्री जी जरा विस्तार से बतायें कि विद्युत की कमी को दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि विद्युत मंत्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर दें तो अच्छा होगा।

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : मैंने इस बारे में पहले ही बताया है कि जो प्लानिंग की गयी है, अभी 81164 हजार मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है और हमारी आज जो जरूरत है, उसे पूरा करने के लिये हम प्राईवेट प्रोजैक्ट्स को एन्करेज कर रहे हैं। आज तक 196 एजेन्सीज ने अपनी इन्टैन्शन व्यक्त की है जिनमें से 123 के साथ हमारे एम. ओ. यूज. साइन भी हो चुके हैं। इसमें अपने देश की और बाहर की एजेन्सियां भी शामिल हैं।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का जवाब यह नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है और सरकार को समस्त देश को यह बताना चाहिये कि इस बारे में क्या किया जा रहा है।

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : मैं अपना भरसक प्रयत्न करूंगा।

[हिन्दी]

आपके सवाल का आधार ठीक नहीं है क्योंकि 1947 से लेकर लगातार हमरी क्षमता में वृद्धि होती गयी है। वर्ष 1947 में हम 1362 हजार मेगावाट पर थे....(**व्यवधान**)

श्री राजवीर सिंह : हमने यह नहीं कहा था। हमने कहा था कि जिस गति से विद्युत गृहों का निर्माण होना चाहिये, पिछले 50 वर्षों में वैसा नहीं हुआ है। अब आपने उसके

बारे में चिन्ता व्यक्त की है । हम जानना चाहते हैं कि आपकी चिन्ता खाली चिन्ता है या उसके लिये आप कुछ कर रहे हैं ।

श्री एन. के. पी. साल्वे : मैं वहीं पर आ रहा हूं । मैंने समझा था कि माननीय सदस्य का कहना यह है कि पिछले सालों में कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है । पिछले सालों में बहुत कुछ हुआ है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न यही है ।

श्री एन. के. पी. साल्वे : जी, हाँ । बिजली की कमी कितनी है और बिजली की कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । उन्होंने इसके लिये समय सीमा भी निर्धारित की है।

श्री एन. के. पी. साल्वे : हमने कुछ भावी योजनाएं बनाई हैं । सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में 'रिक्वारमेंट शॉरटेज' लगभग आठ से नौ प्रतिशत थी और 'पीकिंग शॉरटेज' लगभग 14 से 15 प्रतिशत थी । माननीय सदस्य श्री चौहान द्वारा पूछे गये प्रश्न का भी यही उत्तर है । यह भी विचार किया गया था कि यदि आठवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली उत्पादन की क्षमता में 42000 मेगावाट की वृद्धि हो जाती है तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम इस के सम्बन्ध में आत्म निर्भर हो जायेंगे । संसाधनों की कमी के कारण हम 20,000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन नहीं कर पायेंगे । इसके परिणामस्वरूप आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में आवश्यकता की तुलना में और कमी हो जायेगी । इस कमी को पूरा करने के लिये हम सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को निजी क्षेत्र से सहयोग लेने का भरसक प्रयास कर रहे हैं । लेकिन निजी क्षेत्र से सहयोग लेना आसान नहीं है । इसमें कुछ समय लगता है । हम कोशिश कर रहें हैं कि कम से कम समय लगे । हमें अब तक 198 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और 123 प्रस्तावों के सम्बन्ध में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं । और 76,000 मेगावाट के लिये रुचि दिखाई गई है । 'फास्ट ट्रैक्ट परियोजनाएं' और अन्य परियोजनाएं हैं जिनकी और निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का यह अनुमान है कि वर्ष 2007 तक हमें देश में बिजली की कमी को पूरा करने के लिये 1,42,000 मेगावाट और बिजली की और आवश्यकता होगी । यह अनुमानित आंकड़े हैं जिसके लिये हमने 150 से 160 बिलियन डालर की अर्थात् 5,00,000 से 6,00,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । इसका एक मात्र यही तरीका है । सार्वजनिक क्षेत्र नौवीं पंचवर्षीय योजना में 20,000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन नहीं कर सकते । नौवीं पंचवर्षीय योजना में 57,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है । अतः हमें निजी क्षेत्र से 36,000 मेगावाट बिजली लेनी होगी । हम निजी क्षेत्र को बिजली उत्पादन के लिये प्रोत्साहन देने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । अभी तक इस सम्बन्ध में प्रतिक्रिया अनुकूल है । हम इस बारे में पूरा प्रयास कर रहे हैं । सप्लाई की तुलना में मांग में भारी वृद्धि हुई है और जैसी स्थिति है, उसको देखते हुए मैं इस बारे में उज्जवल छवि पेश नहीं कर सकता । मैं तो केवल यही आश्वासन दे सकता हूं कि हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। इतना भारी निवेश न तो केन्द्र सरकार ही कर सकती है और न ही राज्य सरकारें । यह निजी क्षेत्र से नहीं आयेगा, और इसके लिये बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं ।

श्री लोकनाथ चौधरी : माननीय मंत्री ने यह बताया है कि इस समय हमारे देश में बिजली की कमी है । उन्होंने यह भी बताया है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र में 20,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकते हैं । लेकिन इसी के साथ–साथ उनके वक्तव्य के अनुसार वर्तमान बिजली की कमी लगभग उतनी ही है जितनी सार्वजनिक क्षेत्र अधिकतम उत्पादन कर सकते हैं । स्वभावतया, वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित कर रहे हैं । इन परियाजनाओं में कठिनाइयां हैं और अनेक बाधाओं को पार करना पड़ेगा ।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन समस्याओं पर विचार किया है कि यदि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां देश में आती हैं, तो क्या वे क्षमता बनाये रखने की हमारी शर्तों के अनुसार आयेंगी । मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या सरकार की कोई आकस्मिक योजना भी है, अथवा वह इस बारे में विचार कर रही है ।

श्री एन. के. पी. साल्वे : बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रही हैं ।

श्री लोकनाथ चौधरी : वे ऐसी शर्तों पर आ रही है जो हमारे लिये लाभदायक नहीं है ।

श्री एन. के. पी. साल्वे : जी, नहीं । मैं माननीय सदस्य के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हमारे हितों को ध्यान में रख कर नहीं आ रही हैं । **(व्यवधान)**

श्री लोकनाथ चौधरी : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है । मैंने कहा है कि 'ऐसी शर्तें जो हमारे लिये लाभदायक होंगी उनके लिये नहीं' ।

श्री एन. के. पी. साल्वे : यदि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आती हैं तो वे व्यापार के लिये आयेंगी । वे दान देने नहीं आ रही हैं । हमें अपने हितों की रक्षा स्वयं करनी है और हम इस बात को सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि पूंजीगत लागत और बिजली उत्पादन लागत उचित है । इस सम्बन्ध में आंकड़े मेरे पास हैं । इस तारांकित प्रश्न के तुरन्त बाद अगला प्रश्न आ रहा है और मैं तब ये आंकड़े दे दूंगा ।

आकस्मिक योजना नहीं बनाई जा सकती क्योंकि हमें बिजली उत्पादन करने के लिये धन की आवश्यकता होती है । इसमें बहुत अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है । केन्द्र के पास इस समय निवेश के लिये इतनी अधिक राशि नहीं है । अतः हमें निजी क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ेगा । जब कभी कठिनाइयां आती है, हमें समय समय पर उनसे मदद लेनी पड़ती है और ऐसा करने में समर्थ होंगे, मुझे इस बारे में कोई शंका अथवा भय नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : मान्यवर, मेरा यह प्रश्न भाग "ख" से सम्बन्धित है और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसके अंदर उत्तर दिया गया है कि विद्युत केन्द्रों को अपर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति कम होने के कारण ताप विद्युत उत्पादन

पर असर पड़ा है । मैं एक बात माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोल इंडिया यह कहता है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोयले का भंडार है और रेल विभाग यह कहता है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैगन उपलब्ध हैं, तो इन दोनों में से कौनसा ऐसा कारण है कि आपके विभाग को कोयला कम मात्रा में मिला और दूसरी बात यह बताई जाए कि ताप विद्युत गृहों को कोल इंडिया द्वारा जो कोयला मिला उसमें क्या मिट्टी और पत्थर मिला था और जिस कोयले की आपूर्ति की गई वह लो क्वालिटी का कोयला था ?

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : अध्यक्ष महोदय, जो कोयले की जरूरत थी वह 177 मिलियन टन की थी । इसके स्थान पर 162.5 मिलियन टन मिला और कोयले की कमी के कारण प्रोडक्शन की हानि उठानी पड़ी ।

हमको जो कोयला मिल रहा है, उसमें दो प्राब्लम्स हैं । सबसे पहले तो उसकी क्वालिटी की प्राब्लम है और दूसरा, जो कोयला हमें समय पर मिलना चाहिए था, वह हमें समय पर नहीं मिलता है ।

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : आप यह बताइये कि उसके कारण क्या हैं ? क्या कोल इंडिया ने वैगन न मिलने के कारण कोयला नहीं दिया ?

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : उसका कारण यह है कि कहीं–कहीं हमें समय पर कोयला नहीं मिलता है तथा वैगन न मिलने के कारण भी नहीं मिलता है ।

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : क्या दोनों कारणों से नहीं मिलता है ?

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : जी हां, दोनों कारणों से नहीं मिलता है ।

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : अच्छा ठीक है । मैं यही जानना चाहता था ।

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स : अध्यक्ष महोदय, देश में बिजली की कमी का मुख्य कारण यह है कि बिजली का पर्याप्त उत्पादन नहीं है । लेकिन जितनी भी बिजली का उत्पादन होता है उसमें भी देश में तुलनात्मक पारेषण हानि बहुत अधिक है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पारेषण हानि की कुल प्रतिशतता कितनी है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स यह अलग प्रश्न है ।

श्री ए. चार्ल्स : यह आधुनिकीकरण से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल मुख्य विषय पर केन्द्रित रहें जो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप कुछ और विषय पर पूछना चाहते हैं तो इसे फिर कभी के लिये छोड़ दें ।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं गोवा के प्रसंग में जानना चाहता हूं। अभी गोवा के बारे में एक प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया था । गोवा में यह कहते हैं कि देश में अधिष्ठापित क्षमता के इष्टतम समुपयोजन हेतु उठाये जा रहे कदमों में, पुरानी यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करना, अपेक्षित मात्रा और गुणवत्ता वाले कोयल की आपूर्ति करना, उपचारात्मक अनुरक्षण कार्यक्रमों को तेजी से क्रियान्वयन करना, नई चालू की गई यूनिटों को ....

अध्यक्ष महोदय : आप इसे पढ़ क्यों रहे हैं ?

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ नहीं रहा हूं । मैं प्वाइंट आउट करवा रहा हूं । इसमें तीन प्वाइंट दिये हैं जिसके कारण उत्पादन में तीन प्रतिशत की कमी आई । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस कारण से विद्युत में जो कमी आई है तो प्रशिक्षण के लिए, कोलियरी के लिए विभाग द्वारा कौन सी कार्यवाही की गयी है ताकि हम उत्पादन की क्षमता बढ़ा सकें ?

[अनुवाद]

श्री एन. के. पी. साल्वे : हमने तापीय बिजलीघरों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिये अनेक उपाय किये हैं इसमें और अन्य बातों के अलावा पुराने युनिटों का नवीकरण और आधुनिकीकरण; भी शामिल है । बिजली बोर्डों को संयंत्रों में सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता देना; अच्छे किस्म के कोयले की अपेक्षित मात्रा में सप्लाई; कार्यसंचालन और रखरखाव कर्मचारियों को प्रशिक्षण; विभिन्न कार्यप्रणालियों में सुधार करने सम्बन्धी योजनाओं की कार्यान्विति; और पारेषण और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना शामिल है। हम ये कुछ उपाय कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय सभा के विचारार्थ निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र का सम्बन्ध है इसकी उत्पादन दर 75 प्रतिशत रही है, जो अत्यधिक प्रशंसनीय है । राज्यों की उत्पादन दर 70 प्रतिशत रही है । राज्यों को हमारे साथ सहयोग करना होगा और इससे भी महत्त्वपूर्ण यह है कि वे स्वयं से सहयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि वे अपने कार्यकरण में सुधार लायेंगे ताकि वर्तमान उत्पादन क्षमता पर भी, उत्पादन में कमी न आने पाये ।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया है । आप इसे पढ़ लीजिये, आपको ध्यान में आ जायेगा ।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने न्युक्लियर पावर के बारे में कहा है । आप देखेंगे तो आपको पता लग जायेगा कि इसमें जो टारगेट रखा गया था, उससे 32.5 प्रतिशत बिजली कम प्राप्त हुई है । यह तो पूरी तरह से सैंटर सैक्टर में है । मैं यह जानना चाहता हूं कि अपने जो एटोमिक एनर्जी के बारे में कहा कि दीर्घावधि बंदी के कारण यह कम हुआ तो इसके दीर्घावधि तक बंद होने के क्या कारण हैं ? इस प्रकार से वे दुबारा बंद न हो जाये, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही तकनीकी प्रश्न है । हम उनसे इसका उत्तर देने की आशा नहीं करते ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री एन. के. पी. साल्वे : अध्यक्ष महोदय, सवाल तो माकूल है लेकिन हमारे मंत्रालय से इसका संबंध नहीं है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सभा में पूछा गया था और इसका सम्बन्ध मंत्रालय से सम्बन्धित मंत्री ने उचित उत्तर दिया था । अब हम यह आशा नहीं करते कि इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर ऐसे मंत्री द्वारा दिया जाये तो तापीय विद्युत से सम्बन्धित हो यहां तक कि पन–बिजली से भी सम्बन्धित न हो । यह बहुत ही तकनीकी प्रश्न है । मुझे उत्तर का पता है और मैं अपने कक्ष में आपको इसका उत्तर दे दूंगा । (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उत्तर बहुत असंमजसकारी है । यह बहुत भ्रान्ति पैदा करने वाला है । पहले मुझे बतायें कि ऐसा क्यों है ? फिर मैं इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण मांगूगा । पिछले प्रश्न के उत्तर में, 0.3 प्रतिशत की कमी बताई गई हैं । यह लक्ष्य से 0.3 प्रतिशत कम है ।

अध्यक्ष महोदय : जी, हाँ । लक्ष्य की तुलना में ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अब मंत्री महोदय ने जो आंकड़े दिये हैं उनसे पता लगता है कि विभाग ने 40,000 करोड़ मांगे हैं । उसे 35,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है । और वास्तविक कमी 20,000 करोड़ रुपये की है । कृपया मांगी गई राशि, मंजूर की गई राशि और वास्तविक राशि के बारे में कल्पना कीजिये । इसके बावजूद लक्ष्य में कमी केवल 0.3 प्रतिशत दिखाई गई है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कान्ति जी, हम यहां स्पष्ट करने के लिये हैं भ्रान्ति पैदा करने के लिये नहीं । वास्तव में, वास्तविक आवश्यकता अलग होती है लक्षित अलग, और उत्पादन अलग होता है । वह लक्षित और वास्तविक उत्पादन में अन्तर को बता रहे हैं ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं लक्ष्य के बारे में कह रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वास्तविक आवश्यकता बहुत अधिक होती है । यह वह पहले ही बता चुके हैं । जब आपने यह सब कहा तो वे भ्रमित हो गये ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : पहले उन्होंने बताया कि धन का अभाव है । अपने उत्तर के दूसरे भाग में उन्होंने कुछ पुराने ऊर्जा और तापीय विद्युत संयंत्रों आदि के नवीकरण की बात कही है । यह स्थिति इसी कारण उत्पन्न हुई है । जब अब इस प्रकार बात करते हैं....

अध्यक्ष महोदय : पन–बिजली से उन्हें बहुत मदद मिली है । उससे उन्हें आशा से अधिक मदद मिली है ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या आप हमें यह स्पष्ट करेंगे कि इन सब बातों को करने के लिये उन्हें निजी पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें जरूरत से ज्यादा आवश्यकता होगी । क्या इसका यह अभिप्राय हुआ कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमारी आवश्यकता से कम लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां । स्वभावतया ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में स्पष्टतया जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है–धन का अभाव ।

श्री एन. के. पी. साल्वे : मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कि हमें कुल कमी को पूरा करने के लिये 42,000 मैगावाट की आवश्यकता होगी । लेकिन संसाधनों की कमी के कारण योजना आयोग ने इसे घटाकर 30,000 मोगावाट कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : न केवल योजना आयोग द्वारा बल्कि सरकर द्वारा भी ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वह अपनी मांग बढ़ा–चढ़ा कर बता रहे हैं । यह बात दूर संचार क्षेत्र के लिये भी सच है ।

श्री एन. के. पी. साल्वे : मुझे बढ़ा–चढ़ा कर मांग बताने में कोई लाभ नहीं होगा। एक तरीके अथवा दूसरे तरीके से....(व्यवधान) मुझे सभा को ईमानदारी से जानकारी देनी होती है । मेरा यह कहना है कि उत्तर में लक्ष्य की तुलना में कमी से मतलब है, जो हमने 0.3 प्रतिशत बतलाई है । लेकिन वह बात कर रहे हैं....

अध्यक्ष महोदय : 'वास्तविक आवश्यकता की' ।

श्री एन. के. पी. साल्वे : मैं वास्तविक आवश्यकता और कमी के बारे में पहले ही बता चुका हूं ।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी–अभी बताया कि यहां विद्युत उत्पादन करने के लिए जो भी फौरन कम्पनियां आ रही हैं, उनमें से 123 कम्पनियों के साथ एम. ओ. यू. साइन हो गया है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसके बाद के

कार्य और फाईनैंशन अरेंजमैंट के लिए आपने क्या व्यवस्था की है ?

आपने अभी–अभी बताया....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । ऐसा नहीं है ।

श्री अन्ना जोशी : आप मेरी बात समझें ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : उन्होंने बताया कि उनमें से कई प्रोजेक्टस फर्स्ट ट्रैक पर रखे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि फर्स्ट ट्रैक का क्या मतलब है, उसके लिए क्या–क्या ज्यादा सुविधा देने वाले हैं और क्या–क्या योजना है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कृपया स्पष्ट करें कि 'फर्स्ट ट्रैक' का क्या अभिप्राय है ?

[हिन्दी]

श्री एन. के. पी. साल्वे : फर्स्ट ट्रैक प्रोजैक्ट्स वह हैं, जिनके लिए हमने काउण्टर गारण्टी दे दी है, ऐसे 8 प्रोजैक्ट्स हैं । उसके बाद और दूसरे प्रोजैक्ट्स हैं, जिन पर काफी एडवांस हो चुका है । उसमें बी. आई. बी. का क्लियरंस हो चुका है, ऐसे कुछ प्रोजैक्ट्स हैं । उसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, मैं उनको दे दूंगा ।

श्री राम नाईक : काउण्टर गारण्टीज के बारे में तो बहुत चर्चा चल रही है और काउण्टर गारण्टी के बारे में आपका मतभेद है ।....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मंत्री महोदय, आपको उत्तर देना आवश्यक नहीं ।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने थर्मल पावर स्टेशंस में पावर जैनरेशन को इम्पूव करने के लिए टैक्नोलोजीकल इम्पूवमेंट, बढ़िया कोयले की सप्लाई, इन बातों का उल्लेख किया है । लेकिन यह भी जानते हैं और यह मानते भी हैं कि फाइनेंशियल क्रंच है और स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स घाटे में चल रहे हैं । कुछ राज्य तो इस देश में हैं, जहां कृषि क्षेत्र में पावर कंजम्पशन बहुत कम है और यह 1976 में 26 से 28 प्रतिशत था, यह बहुत ज्यादा सब्सीडाइज्ड रेटस पर किसानों को देनी पड़ती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, जहां खाद्यान्नों का उत्पादन होता है और तमाम देश के नागरिकों की खाद्य की, अन्न की आवश्यकता की पूर्ति करने का कार्य करते हैं....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया विषय पर आइये । यह बिजली का सवाल है, खाद्यान का सवाल नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह चौधरी : स्टेट में जो थर्मल पावर स्टेशंस हैं, उनमें लेटैस्ट टैक्नोलोजी, अच्छा कोयला और समय पर पूरे कोयले की आपूर्ति के लिए धन की आवश्यकता है और उस धन का उपयोग किसानों को पावर सप्लाई करने के लिए करना पड़ता है, जो 60–62 प्रतिशत बहुत सब्सीडाइज्ड रेट पर देनी पड़ती है तो इस सम्बन्ध में क्या मंत्री महोदय कोई ऐसी नीति बनाऐंगे, जो सारे देश में विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता को देखते हुए हो ताकि एक विशेष प्रदेश में अधिक घाटे में इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड न चले ? जिससे कि उनके जो थर्मल पावर प्लाण्ट्स हैं, उनमें इम्पूवमेंट करने में कठिनाई हो....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपका प्रश्न क्या है ? यह तो भाषण हो रहा है ।

श्री नारायण सिंह चौधरी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी केन्द्रीय स्तर पर कोई ऐसी नीति बनाने की बात सोच रहे हैं, जिससे कि उन प्रदेशों में, जहां रोज–रोज किसानों को एजीटेशन करना पड़ता है, वहां पावर प्लाण्ट्स को कोई विशेष वित्तीय सहायता देने का विचार रखते हैं, ताकि वहां पर पूरा पावर जैनरेशन हो सके ?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । आप बैठ जाइये, मैं आपका सवाल पूछ लेता हूं ।

उनका कहना है कि एग्रीकल्चर के लिए जो विद्युत दी जाती है, उसके लिए कोई खास व्यवस्था करके उनको मदद करने वाले हैं क्या ?

श्री एन. के. पी. साल्वे : अध्यक्ष जी, 1993 में राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की एक बैठक हुई थी, उस बैठक में तय किया गया था कि कृषि के लिए न्यूनतम 50 पैसे पर किलो वाट आवर का रेट लगाया जायेगा, वह भी बहुत से राज्य नहीं लगा रहे । अगर कृषि को सब्सीडाइज करना है तो यह स्टेट्स को देखना पड़ेगा । स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को आप लगातार नुकसान में चलाते हैं तो उसका नतीजा यह होता है कि न उसका फाइनेंशियल परफोरमेंस ठीक होता है, न फिस्कल परफोरमेंस ठीक होता है । यह स्टेट्स का मामला है और यह स्टेट्स को तय करना है ।

श्री नारायण सिंह चौधरी : अनाज केन्द्रीय सरकार लेती है तो इसके लिए स्टेट क्यों सफर करे ?

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : अध्यक्ष जी, यह सवाल थर्मल पावर प्रोजैक्ट्स की फंक्शनिंग के बारे में है । भाग 'क' में सवाल पूछा गया था कि क्या ताप विद्युत संयंत्र ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और असन्तोषजनक कार्यकरण के कारण विद्युत उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है । आपके जवाब में सिर्फ थर्मल का जो टार्गेट और एक्चुअल प्रोडक्शन दिखाया है, वह 95 प्रतिशत है । आज देश में जैसा वातावरण है, उसमें अगर 95.7 प्रतिशत एफीसिऐंसी है तो यह अच्छी एफीसिऐंसी है । आपके भाग 'क' में होना चाहिए था, नो सर, कि नहीं, यह इस कारण नहीं है । आप मानते हैं कि यहां एफीसिऐंसी है। इस डाटा में कुछ घपला लगता है । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जो टार्गेट दिया है, यह टार्गेट क्या इन प्रोजैक्ट्स की रेटेड कैपेसिटी का है या यह टार्गेट, जो आपने उनकी कमियों को देखते हुए अपना टार्गेट फिक्स किया है, वह है ? आशा है, मेरा सवाल साफ हो गया होगा।

[अनुवाद]

जब आप सब तापीय विद्युत संयंत्रों की निर्धारित क्षमता की बात करते हैं, तो यह निर्धारित क्षमता होती है अथवा यह आप अथवा आपके नौकरशाहों द्वारा सब समस्याओं पर विचार करने के बाद निर्धारित लक्ष्य होता है ।

श्री एन. के. पी. साल्वे : 'निर्धारित क्षमता' से शायद आपका आशय पी. एल. एफ. से है ।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में कुछ भ्रम हैं । टार्गेट बता दीजिये ।

श्री एन. के. पी. साल्वे : लक्ष्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है । वह केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा केन्द्र और राज्यों की संयंत्रों की सीमाओं को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाता है । केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं लेकिन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का कार्य संतोषजनक नहीं है । अतः उनकी कार्यक्षमता को ध्यान में रखकर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है । अतः आप जिस बात का उल्लेख कार्यक्षमता के रूप में कर रहे हैं, वास्तव में वह 'प्लान्ट लोड फैक्टर' है, जो मेरे सहयोगी पहले ही बता चुके हैं कि यह 60 प्रतिशत है । यह केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 75 प्रतिशत है । जहां तक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का सवाल है ये राज्य से राज्य में विभिन्न है ।

विद्युत उत्पादन का गैर–सरकारीकरण

*743. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत उत्पादन के गैर–सरकारीकरण से राज्य विद्युत बोर्डों की स्थिति कमजोर हो जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विद्युत उत्पादन के गैर–सरकारीकरण से उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी हो जायेगी; और

(ग) यदि हाँ, तो गैर–सरकारीकरण को उपभोक्ताओं एवं राज्य विद्युत बोर्डों के लिए आकर्षक बनाने हेतु तैयार की जाने वाली विशिष्ट योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, नहीं । इसके विपरीत विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी से राज्य बिजली बोर्डों के लाभान्वित होने की संभावना है, इसके विभिन्न कारणों में, अन्य बातों के साथ–साथ, ये शामिल हैं :–

(1) क्षमता अभिवृद्धि के लिए राज्य बिजली बोर्डों के प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए अत्यधिक अपेक्षित संसाधन जुटाना, इस प्रकार अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों यथा पारेषण एवं वितरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण आदि के लिए निधियां मुहैया करना ।

(2) निजी क्षेत्र के उद्यमियों के प्रवेश से यह आशा है कि राज्य बिजली बोर्ड विवेकपूर्ण वित्तीय, आर्थिक और वाणिज्यिक पद्धतियों को लागू करेंगे, ताकि कड़ी भुगतान व्यवस्था की अनुपालना की जा सके ।

(3) निजी क्षेत्र को भागीदारी, से प्रचलित प्रौद्योगिकी को लागू किया जा सकेगा ।

(4) निजी क्षेत्र की भागीदारी, राज्य बिजली बोर्डों में किये जाने वाले अत्यधिक आवश्यक सुधार किए जाने की प्रक्रिया को निश्चय ही त्वरित रूप से गति प्रदान करने का निर्वाह करेगी ।

(ख) जी, नहीं । यह देखा गया है कि नई निजी विद्युत परियोजनाओं की विद्युत की लागत, सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी ही परियोजनाओं की इसी अवधि में विद्युत की लागत से तुलनीय है । इसलिए, नई विद्युत परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि, चाहे सार्वजनिक अथवा निजी किसी भी क्षेत्र की परियोजनाओं में वृद्धि हो, से राज्य बिजली बोर्ड ग्रिड की संचयी टैरिफ में सीमान्त बढ़ोतरी होने की संभावना है ।

(ग) निजी क्षेत्र परियोजनाओं की लागतों को सीमित रखने के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा लागत अनुमानों की समीक्षा किये जाने के जरिये उपयुक्त तंत्र की व्यवस्था की गई है । इसके अलावा भारत सरकार ने 18.2.1995 से प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है, जिससे प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त होगा और प्रक्रिया अधिक सुस्पष्ट होगी । विद्युत क्रय समझौते के लिये बातचीत करने और यदि आवश्यक हों, राज्य सरकारों की सहायता के लिये परामर्शदात्री सेवाएं प्राप्त करने के लिये विद्युत मंत्रालय द्वारा भी मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं, ताकि समान रूप से जोखिम उठाये जाने के लिये पी. पी. ए. की बातचीत के दौरान राज्य बिजली बोर्डों की व्यावसायिक विशेषज्ञ की सलाह की सुविधा

उपलब्ध कराई जा सके ।

श्री मनोरंजन भक्त : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में पहले ही स्पष्ट किया है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से राज्य विद्युत बोर्डों और उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा ।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी और 'कोयला—लिंकेज' व्यवस्था, जिसे सब राज्य बिजली बोर्ड प्राप्त कर रहे हैं, के सम्बन्ध में कोई नीति अथवा मानदण्ड निर्धारित किये हैं ।

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : देश की अधिस्थापित क्षमता 70,000 मेगावाट है । प्रत्येक वर्ष मांग में 8 प्रतिशत वृद्धि हो रही है । उदारीकरण के बाद यह आशा की जाती है कि इसमें 9 प्रतिशत वृद्धि होगी ।

श्री मनोरंजन भक्त : यह कोई उचित उत्तर नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना उत्तर तैयार करना चाहिये ।

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : आठवीं और नवीं योजना के लिये योजना पहले ही तैयार कर ली गई है । मुझे आपके प्रश्न का दूसरा भाग समझ में नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय : श्री भक्त, कृपया अपने प्रश्न का दूसरा भाग दोहरायें ।

श्री मनोरंजन भक्त : मेरा प्रश्न यह है कि सरकार इस बात से सहमत है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से राज्य विद्युत बोर्ड को और उपभोक्ताओं को लाभ होगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिये कोई योजना तैयार की है । और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं । क्या निजी क्षेत्र के भागीदारों को कोयले की सप्लाई की जायेगी, जैसे राज्य विद्युत बोर्डों को की जाती है ।

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : निजी क्षेत्र को अपनी ईंधन की आवश्यकताएं स्वयं पूरी करने की व्यवस्था करनी होगी ।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं । इस मामने में कोयला मंत्रालय को निर्णय लेना होगा। फिर भी, वह यह जानना चाहेंगे कि क्या आप उन्हें भी वही सुविधाएँ देंगे जो आप बिजली उत्पादन करने वाले एककों को देने जा रहे है ।

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : सर्वप्रथम, हमने एक नीति तैयार की है । वर्ष 1991 में सर्वप्रथम विद्युत अधिनियम में संशोधन किया गया और निजी उद्यमकर्त्ताओं, निजी निवेशकों को विद्युत क्षेत्र में स्वतन्त्रता के बाद भागीदारी की अनुमति दी गई । स्वतन्त्रता के बाद निजी निवेशकों के लिये विद्युत क्षेत्र बन्द था । इसे अब खोला गया है, हमने तापीय और पन बिजली दोनों में ही विभिन्न प्रोत्साहन दिये हैं । तापीय विद्युत में हमने दो भागीय शुल्क फार्मूले की व्यवस्था की है । इसके स्थान पर हमने केवल इक्विटी पर 15 प्रतिशत वापसी सुनिश्चित की है । 68.5 प्रतिशत 'प्लांटलोड फैक्टर' बिजली उत्पादन करने पर प्रोत्साहन देना सुनिश्चित किया गया है । दो भागीय टैरिफ फार्मूला में निर्धारित लागत और परिवर्तनीय लागत शामिल है । समस्त निर्धारित लागत के अन्तर्गत 68.5 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर शामिल है ।

इसी प्रकार पन बिजली संयंत्र के लिये भी हमने अनेक प्रोत्साहन दिये हैं । जहां तक कोयला सप्लाई करने का सम्बन्ध है, इसकी सप्लाई निजी क्षेत्र को भी सार्वजनिक क्षेत्र की भांति की जाती है ।

श्री मनोरंजन भक्त : सरकार निजी कम्पनियों को विद्युत पारेषण और वितरण में भागीदारी देने के बारे में विचार कर रही है । अतः निजी कम्पनियां भी बिजली का उत्पादन करेंगी और राज्य बिजली बोर्ड निर्धारित दर पर बिजली की खरीद करेंगे । सरकार गारंटी मूल्य देगी । मैं यह जानना चाहूंग । कि पद्धति, किस तंत्र के माध्यम से सरकार इस प्रयोजनार्थ मूल्य निर्धारित करेगी और इस प्रकार के कितने मूल्य निर्धारण सम्बन्धी करार किये गये हैं तथा वे किन किन कम्पनियों से किये गये हैं ।

श्री एन. के. पी. साल्वे : निजी निवेशकों द्वारा बिजली खरीदने सम्बन्धी करार बिजली उत्पादन कम्पनियों और राज्य बिजली बोर्डों से किये जाते हैं । मैं बिजली खरीदने के सम्बन्ध में हुए करारों की संख्या की निश्चित जानकरी नहीं दे पाऊंगा लेकिन काफी संख्या में बिजली खरीदने सम्बन्धी करार किये गये हैं । भारत सरकार ने केवल आठ परियोजनाओं के मामले में काउंटर गारंटी दी है । इसके अन्तर्गत भारत सरकार ऐसे मामलों में बिजली उत्पादन शुल्क का भुगतान करेगी जिनमें बिजली उत्पादन करने वाली कम्पनी के बिलों का भुगतान न किया गया हो । राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बिलों का भुगतान न करने पर भारत सरकार काउंटर गारंटी के अन्तर्गत भुगतान की गई राशि को चालू खाते में हस्तान्तरित धनराशि से वसूल करेगी ।

श्री मनोरंजन भक्त : मूल्य निर्धारित करने की क्या प्रक्रिया है ।

अध्यक्ष महोदय : राज्य और बिजली उत्पादन करने वाली कम्पनी मूल्य के बारे में निर्णय कर रहे हैं ।

श्री मनोरंजन भक्त : भारत सरकर काउंटर गारंटी दे रही है । क्या सरकार को निश्चित रूप से इसकी प्रक्रिया की जानकारी है ।

श्री श्रीकान्त जेना : यह काउंटर गारंटी समस्या का पेचीदा पहलु है । मंत्री महोदय ने बताया है कि केवल आठ परियोजनाएं ही प्रथम ट्रैक परियोजनाएं हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि दूसरी और तीसरी 'ट्रैक' परियोजनाएं क्या हैं । मैं नहीं जानता कि आप अन्य 23 समझौता ज्ञापन जिन पर आपने हस्ताक्षर किये कैसे व्याख्या करेंगे । आप पहली ट्रैक परियोजना पर हस्ताक्षर करने के लिये कैसे मजबूर हुए । आपने 30 प्रतिशत गारंटी क्यों दी, 16 प्रतिशत इक्विटी पर और 68 प्रतिशत, एक प्रतिशत प्रत्येक विकास दर पर । इसका अर्थ हुआ कि राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के संयंत्र पर भार 75 प्रतिशत है जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया । अतः सामान्यतया कोई भी नया संयंत्र ।

इसका अर्थ हुआ कि हम इन आठ परियोजनाओं के लिये 30 प्रतिशत काउंटर गारंटी

दे रहे हैं । ऐसा क्यों है ? भविष्य में आने वाली परियोजनाओं से ये भेदभाव क्यों ? आपने अन्ततः खुले टेंडर क्यों आमंत्रित किये ? उन आठ परियोजनाओं के लिये क्यों नहीं ? इन आठ परियोजनाओं के लिये करार हस्ताक्षर करने पर आप कैसे मजबूर हुए ? अन्य परियोजनाओं के लिये क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस तरह अपने प्रश्न दोहराते रहेंगे, तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा ।

श्री श्रीकान्त जेना : जब राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम 2 रुपये की दर से बिजली देता है, ये विद्युत परियोजनाएं 5 रु. की दर से बिजली दे रही हैं । यह भी अन्तर है। बिजली उत्पादन में 5 और 3 रुपये का अन्तर होने के अतिरिक्त, काउंटर गारंटी का भी लाभ है। यह तो सम्पन्नता है ऐसा विश्व में कहीं नहीं है । इस बारे में मंत्री महोदय को स्पष्ट रूप से बताना चाहिये ।

श्री एन. के. पी. साल्वे : माननीय सदस्य का यह अनुमान लगाना कि हमने काउंटर गारंटी दी है, सही नहीं है । हमने काउंटर गारंटी नहीं दी है । हमने केवल यही गारंटी दी है कि यदि बिजली उत्पादन कम्पनी के बिल का भुगतान नहीं किया जाता है तो....**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : यह 16 प्रतिशत क्या है । आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : पहले आप उनकी बात सुन लें ।

श्री एन. के. पी. साल्वे : हमने काउंटर गारंटी दी है, जो भुगतान न किये गये बिलों के बारे में हैं, यदि ऐसे बिल हैं, यदि राज्य बिजली बोर्ड अपने बिलों का नियमित रूप से भुगतान करते हैं, तो हमें उन्हें कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझ लें ।

श्री एन. के. पी. साल्वे : यदि कोई हानि होती है, यदि वे लाभ में नहीं चलते, तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा । यह हमारा व्यापार नहीं है । भारत सरकार और शेयर धारियों के बीच कोई मूल समझौता नहीं है । मूल समझौता बिजली कम्पनी और हमारे बीच और राज्यों के बीच और राज्य बिजली बोर्डों के बीच है । हमारा भुगतान करने का प्रश्न तो तभी उठता है जब राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बिजली उत्पादन कम्पनी द्वारा सप्लाई की गई बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया जाता है । भुगतान की राशि का निर्णय कम्पनी करती है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रश्न पूछने की एक बार और अनुमति दूंगा । लेकिन पहले यह अच्छी तरह समझ लें कि वह क्या कह रहे हैं ।

श्री एन. के. पी. साल्वे : मैं अनेक बार सभा में यह दोहरा चुका हूं कि हम इक्विटी पर वापसी गारंटी नहीं देते हैं । 16 प्रतिशत गारंटी हमने नहीं दी है, 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत गारंटी हमने नहीं दी है । हमने जो गारंटी दी है, वह यह है कि हम उन बिलों का भुगतान करेंगे जिन बिलों का भुगतान राज्य बिजली बोर्डों अथवा राज्यों द्वारा नहीं किया जाता है ।

दूसरे, ऐसा करना आवश्यक क्यों हुआ । ऐसा करना इसलिये आवश्यक हुआ क्योंकि पहली बार निजी निवेशकों को विद्युत क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी गई थी और निजी निवेशक एक इसके बिना देश में निवेश के इच्छुक नहीं थे । उन्होंने यहां पाया कि राज्य बिजली बोर्डों का रिकार्ड बहुत अच्छा नहीं है और उन्हें इतनी बड़ी मात्रा में धन निवेश के लिये प्रेरित नहीं करता–इस कार्य में करोड़ों डालर की पूंजी निवेश करनी थी । यहां आकर संयंत्र लगाना था जिससे बिजली का उत्पादन किया जा सके । बिजली बेचनी थी । उन्हें इसके लिये कुछ भी नहीं मिल रहा था । यह राज्य बिजली बोर्डों का रिकार्ड है । अभी भी केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम राज्य बिजली बोर्डों को बिजली सप्लाई कर रहे हैं और इसके लिये उन्हें पूरा भुगतान नहीं किया जाता है । अतः इस बात की आशंका उनके दिमाग में थी ।

भारत सरकार को यह दिखाना था कि उसका राज्य बिजली बोर्डों में विश्वास है। अतः आरम्भ में केवल आठ परियोजनाओं के लिये स्वीकृति दी गई । अतः यह विचार किया गया जब इस बारे में पर्याप्त अनुकूल प्रतिक्रिया है, तो हमने यह आवश्यक नहीं समझा कि काउंटर गारंटी जारी रखी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री जेना को एक और प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा ।

श्री श्रीकान्त जेना : 18 फरवरी, 1995 से सरकार की टैंडर आमंत्रित करने की नीति रही है । जब आपने आठ परियोजनाओं के लिये हस्ताक्षर किये तो उक्त नीति क्यों लागू नहीं रही । मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का यह अभिप्राय था ।

श्री एन. के. पी. साल्वे : समस्त विश्व में ज्ञापन-पत्र और टेंडर नीति का ही पालन होता है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार का उत्तर न दें ।

श्री एन. के. पी. साल्वे : आरम्भ में इस सम्बन्ध में प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं थी । जब कभी उन्हें मालूम होता था कि टेंडर आमंत्रित किये जा रहे है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया ।

श्री एन. के. पी. साल्वे : वर्ष 1993 में मैं जापान गया और जब मैंने पूंजी निवेशकों से बात की तो उन्होंने कहा "हमारे तीन प्रश्न" हैं, क्या हमारे निवेश सुरक्षित हैं? क्या हमें वापिस मिलने वाली राशि सुरक्षित है? क्या हमारा जीवन सुरक्षित है ?

यहां से इस बात की शुरुआत हुई । कोई बोली लगाने वाला न होने पर हम कार्य किस प्रकार आरम्भ कर सकते थे ? अब बोली लगाने वालों की संख्या पर्याप्त है और हमारे निवेश कमी होने पर पूँजी निवेश करने वालों की कमी नहीं है । 18 जून, 1995 के बाद हम उन्हें इस बात के निदेश दे रहे हैं कि कोई भी प्रस्ताव, योजना जो केन्द्रीय बिजली बोर्ड

के पास आयेगी उस पर तभी विचार किया जायेगा जब उस पर बोली लगाई जायेगी। अतः यह बात समझनी चाहिये कि क्योंकि अभी हम निजी विद्युत विकास करने की दिशा में हमें अधिक जानकारी नहीं थी हमें ज्ञापन-पत्र का सहारा लेना पड़ा। मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि जब से हमने ऐसे निवेश दिये हैं, परियोजनाओं के लिये बोली लगानी आरम्भ हो गई है और कोई भी प्रस्ताव इसके बिना प्राप्त नहीं होगा क्योंकि यदि ऐसा होता है तो राज्य सरकारें कठिनाई में पड़ जायेंगी।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, परियोजना पर 16 प्रतिशत वापसी गारंटी है। लेकिन मैं उस मुद्दे पर जोर नहीं दूंगा।

श्री एन. के. पी. साल्वे : श्रम लागत पर नहीं।

श्री जसवंत सिंह : मेरा स्पष्ट प्रश्न काउंटर गारंटी के बारे में हैं। 'सावरन काउंटर गारंटी' का प्रस्ताव रखा गया था। अतः मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या यह सच है कि भारत सरकार ने 'सावरन काउंटर गारंटी' की अनुमति वित्त मंत्रालय के आपत्ति करने के बावजूद भी दे दी थी; और ढाभोल विद्युत परियोजना के मामले में अपने काउंटर गारंटी का प्रस्ताव रखा था जबकि आरम्भ में ढाभोल ने वास्तव में काउंटर गारंटी की मांग नहीं की थी।

क्या यह सच है कि ढाभोल विद्युत कम्पनी ने आरम्भ में काउंटर गारंटी की मांग नहीं कि थी और सरकार ने दूसरा प्रस्ताव रखा था। मेरा पहला प्रश्न इस बात से उठता है। सरकार ने 'सावरन' गारंटी इन तीन 'ट्रैक' परियोजना को दी जबकि वित्त मंत्रालय ने इस बारे में आपत्ति जाहिर की थी। ऐसा क्यों किया गया?

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि क्या उनका अनुरोध किये बिना ही ऐसा किया गया और दूसरे क्या वित्त मंत्रालय द्वारा इसका विरोध करने के बावजूद ऐसा किया गया। मैं नहीं समझता कि इस प्रश्न का उत्तर वह सभा में देने में समर्थ होंगे अथवा नहीं।

श्री एन. के. पी. साल्वे : मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगा।

श्री श्रीकान्त जेना : वित्त मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय को फाइल 64 बार लौटाई है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्रालयों के बीच जो भी कुछ हुआ है, उसकी अन्तिम जानकारी सभा को दी जायेगी।

श्री श्रीकान्त जेना : फाइल सभा के सामने लाई जानी चाहिये....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कितनी बार इस प्रकार प्रश्न करेंगे ? आपने प्रश्न पूछा है और आपको उसका उत्तर मिल गया है।

12.00 मध्याह्न

श्री एन. के. पी. साल्वे : जहाँ तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, वित्त मंत्रालय ने काउंटर गारंटी की बात कही थी, विद्युत मंत्रालय ने नहीं....**(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : मुझे भी पूरा पता है कि किस मंत्रालय ने यह प्रस्ताव रखा था....**(व्यवधान)**

श्री एन. के. पी. साल्वे : केन्द्रीय.....**(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण की गारंटी....**(व्यवधान)**

श्री एन. के. पी. साल्वे : इस बीच कुछ बातचीत आरम्भ हुई....**(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, गारंटी भारत सरकार को देनी थी। वह यह कहकर प्रश्न को टालना चाह रहे हैं कि गारंटी का प्रस्ताव पहले वित्त मंत्रालय ने रखा था....

अध्यक्ष महोदय : हमे इसे समझना चाहिये।

श्री जसवन्त सिंह : मैं इसे समझ चुका हूं....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह जी आपका प्रश्न यह है कि यह गारंटी जिसे आपने 'सावरन गारंटी' की संज्ञा दी है, क्यों दी गई और यह गारंटी राज्य बिजली यूनिटों द्वारा क्यों नहीं दी गई और स्वीकृत की गई। उन्होंने बताया है कि वे राज्य बिजली बोर्डों द्वारा दिये जाने वाली गारंटी पर निर्भर रहने के लिये तैयार नहीं थे।

श्री जसवंत सिंह : मैंने माननीय मंत्री से कहा है कि मेरे प्रश्न की समीक्षा करें। मेरा प्रश्न यह था कि 'सावरन गारंटी' के मामले में विद्युत मंत्रालय की मांगों और वित्त मंत्रालय के विचारों में अन्तर था। वित्त मंत्रालय ने इसके विरुद्ध सलाह दी और इसके बावजूद 'सावरन काउंटर गारन्टी' दी गई। दूसरे, ढाभोल कम्पनी ने आरम्भ मे 'सावरन काउंटर गारंटी' की माँग नहीं की थी....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्रालय भी निवेश में बहुत सतर्क रहेगा और वे पहली बार में ही 'हाँ' नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अन्तिम निर्णय हमने लेना है न कि मंत्रालयों के बीच चर्चा द्वारा। अन्यथा कोई भी बात गोपनीय नहीं रहेगी।

(व्यवधान)

श्री एन. के. पी. साल्वे : बिल्कुल ठीक है....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि अन्तिम रूप से उन्होंने 'नहीं' कहा है और विद्युत मंत्रालय ने

उनकी राय नहीं मानी है तो विद्युत मंत्रालय जिम्मेवार होगा। लेकिन अन्ततः वित्त मंत्रालय सहमत हो जाता है....

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : क्या आप मुझे अनुमति देंगे....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमारा आशय स्पष्ट करना है भ्रम में डालना नहीं।

श्री जसवंत सिंह : मैं भ्रमित नहीं कर रहा हूं। मैं तथ्य की जानकारी मांग रहा हूं। ऊर्जा समिति ने इसी पहलू की जांच की है। समिति ने यही बात सच पाई है, जिसका मैंने उल्लेख किया है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछ रहा हूं कि वह इस बात को स्वीकार करें कि कौन सी बात सही है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उत्तर दें।

...(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : मेरे प्रश्न के दो भाग हैं....(व्यवधान)

श्री एन. के. पी. साल्वे : मैंने जवाब दे दिया है और आपने भी बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है और यदि माननीय सदस्य समझने को तैयार नहीं हैं, तो मैं मजबूर हूं (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : मेरी केवल इस बात पर आपत्ति है। मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि माननीय विद्युत मंत्री जो कानूनी मामलों में बहुत कुशाग्र बुद्धि हैं, मेरी समझने की शक्ति उनके मुकाबले में बहुत कम है। जब मैंने कोई बात कही है, तो मैंने ऊर्जा सम्बन्धी स्थायी समिति के निष्कर्षों पर आधारित और मैं इस मामले में स्पष्टीकरण चाहता हूं। वह राष्ट्रीय हित में भी है। इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि प्रस्ताव पहले विद्युत मंत्रालय ने रखा था अथवा वित्त मंत्रालय ने।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न को पूछने की अनुमति नहीं देता। अन्यथा मंत्रिमंडल की गोपनीयता क्या रही ?

श्री जसवन्त सिंह : यह अलग बात है। यदि आप अनुमति नहीं देते (व्यवधान) इस बात पर समिति में चर्चा हुई थी और इस बारे में मेरे पास लिखित साक्ष्य मौजूद है।

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह जी, जिस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती क्या उसे सभा में पूछा जा सकता है। जब इसकी अनुमती नहीं है तो इसे पूछना गलत है। यदि दो मंत्रालयों के बीच चर्चा होती है अथवा कोई विचार विमर्श होता है तो इसकी परवाह नहीं करनी चाहिये। हमें यह जानना चाहिये कि इस बारे में अन्तिम निर्णय क्या लिया गया। अन्यथा मंत्रिमंडल द्वारा गोपनीयता बनाये रखने की बात क्या हुई।

श्री जसवन्त सिंह : यह मंत्रिमंडल की गोपनीयता का मामला है। यह समिति द्वारा लिये गये निर्णयों का मामला है और यह ऐसा विषय है जिसके बारे में हम यह नहीं कह सकते कि हमे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिये। हमे सरकार द्वारा किये जा रहे कदाचारों की परवाह नहीं हैं। यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम सरकार द्वारा किये गये कदाचारों को सिद्ध करें (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमे जनता को मामले की सही जानकारी देनी चाहिये। यदि सरकार ने कोई गलती की है, तो हम निश्चित रूप से उन्हें जिम्मेवार ठहरायेंगे। लेकिन हमे इस प्रकार की कोई बात नहीं कहनी चाहिये जिससे यह बोध हो कि इस बारे में कोई गलत फहमी है।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : उनके बीच कोई गलतफहमी नहीं है। (व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी गलती है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

पासपोर्ट जारी करना

*744. **श्री महेश कनोडिया** :
श्री एस. एम. लालजान वाशा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पासपोर्ट जारी किये जाने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान पासपोर्ट जारी करने के कितने मामलों में पासपोर्ट कार्यालय-वार, दो महीने से अधिक समय लगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (ग). नया पासपोर्ट जारी करने के लिए समय-सीमा निश्चित करना सम्भव नहीं पाया गया है। पासपोर्ट को जारी करने में कई कार्य निहित होते हैं, जिसमें आवेदन पत्र तथा अपेक्षित दस्तावेज की छानबीन कार्यवाही पुलिस जाँच; और, पासपोर्ट को तैयार करना तथा जारी करना शामिल

है । किसी कार्यालय विशेष में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या का प्रभाव भी पासपोर्ट जारी करने में लगने वाले समय पर पड़ता है; और साथ ही आधारभूत संरचना की उपलब्धता जिसमें स्टाफ की संख्या भी शामिल है, का प्रभाव भी पड़ता है । गृह मंत्रालय की सहमति को देखते हुए कि यदि तीन सप्ताह के समय में पुलिस जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती तो पासपोर्ट जारी कर दिया जाए, पासपोर्ट कार्यालयों का यह प्रयत्न होता है कि लगभग एक माह की अवधि के भीतर पासपोर्ट जारी कर दिया जाए । इस समय, 23 में से 17 कार्यालय 6-8 सप्ताह में पासपोर्ट जारी कर रहे हैं । कार्यालय सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनमें पासपोर्ट कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण भी शामिल है । प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं का बराबर पुनरीक्षण किया जाता है नियमित निरीक्षण तथा अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है ।

वर्ष 1992, 1993 और 1994 के कैलेन्डर वर्षों के दौरान कुल लम्बित आवेदन पत्रों तथा एक माह से ऊपर लम्बित आवेदन पत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है । इससे यह देखा जा सकता है कि एक माह से अधिक लम्बित मामलों की संख्या जो दिसम्बर 1992 में 8.9 लाख थी 31.1.95 में घटकर 1.32 लाख हो गई है । दो वर्षों में लम्बित मामलों के सम्बन्ध में तेजी से आई कमी से यह पता चलता है कि इस अवधि के दौरान अपनाए गए तरीके अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में सहायक थे ।

विवरण

प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में लम्बित नए आवेदन पत्रों की कुल संख्या तथा एक माह से अधिक लम्बित आवेदन=पत्रों की संख्या

क्र. स.	कार्यालय	1992		1993		1994		31.1.95 की स्थिति के अनुसार	
		कुल लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	एक माह से अधिक लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	कुल लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	एक माह से अधिक लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	कुल लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	एक माह से अधिक लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	कुल लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	एक माह से अधिक लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या
1.	अहमदाबाद	40437	25406	16897	14126	13133	3256	12517	4551
2.	बंगलौर	18504	–	23730	11675	24365	15575	23147	17848
3.	बरेली	11092	7580	1793	1781	5982	3075	5560	1834
4.	भोपाल	3188	995	3345	327	2570	718	2391	860
5.	भुवनेश्वर	2978	1530	1956	245	1542	915	1385	915
6.	बम्बई	47349	20729	49827	16215	14555	1994	19782	3508
7.	कलकत्ता	23483	20011	14707	4601	10801	5479	11407	5951
8.	चण्डीगढ़	82499	74590	59912	49900	26281	20223	22976	17842
9.	कोचीन	62679	50072	8912	6225	9975	1984	8261	2078
10.	दिल्ली	34024	19564	33355	10464	21445	13656	11275	3486
11.	गोवा	2074	533	2350	97	1191	266	1563	364

क्र. स.	कार्यालय	1992		1993		1994		31.1.95 की स्थिति के अनुसार	
		कुल लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	एक माह से अधिक लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	कुल लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	एक माह से अधिक लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	कुल लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	एक माह से अधिक लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	कुल लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	एक माह से अधिक लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या
12.	गुवाहाटी	3563	3018	3071	1977	2348	1848	2225	1397
13.	हैदराबाद	37459	20901	23254	9222	13939	4204	16890	5257
14.	जयपुर	50861	40379	8988	1583	8560	3040	8535	3658
15.	जालंधर	116026	91246	75547	67032	36134	27631	33486	24169
16.	कोजीकोड.	168942	147605	24509	18077	26137	14927	23753	15077
17.	लखनऊ	87406	78588	68231	66301	21952	14481	13860	7760
18.	मद्रास	65417	40893	13376	12919	11034	2919	8932	3120
19.	नागपुर	827	80	1143	54	982	211	1094	287
20.	पटना	42993	40171	42979	36536	7322	3490	5928	2383
21.	त्रिची	157081	132772	36040	24471	9672	161	11467	628
22.	त्रिवेन्द्रम	83853	72654	12655	1161	7999	743	8279	1405
23.	जम्मू*					9940	844	8967	8270
		1142835	889309	532739	354890	287859	141640	263670	132648

*पासपोर्ट कार्यालय, जम्मू ने 31.3.1994 से कार्य करना शुरू किया।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

***745. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :**

श्री प्रेम चन्द राम :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए गये/स्वीकृत किए गए और वर्ष 1994–95 के दौरान राज्यों, विशेष रूप से बिहार में मखाना प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) क्या अब तक स्थापित किए गये खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को दूर करने के

लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) केन्द्रीय सहायता से स्थापित किए गए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपर्युक्त एककों की रोजगार क्षमता कितनी है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ङ) यह मंत्रालय राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्वयं स्थापना नहीं करता। 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार अल्कोहल पेयों के किण्वन और आसवन, पशु-वसा, लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों और चीनी को छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए सरकारी अनुमति अथवा औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। लाइसेंसमुक्त किए गए उद्योगों के इच्छुक उद्यमियों को एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन पेश करना होता है और फिर वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत करते समय एक द्वितीय ज्ञापन पेश करना होता है। उदारीकरण के बाद से लेकर अब तक सरकार को विभिन्न राज्यों में अनेक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए 3101 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 403 मामलों में द्वितीय ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिससे वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत का पता चलता है।

तथापि, शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना, औद्योगिक लाइसेंस की इच्छुक यूनिटों तथा विदेशी सहयोग/संयुक्त उद्यम वाली यूनिटों के मामलों में सरकार की मंजूरी लेनी जरूरी होती है। उदारीकरण के बाद सरकार ने ऐसे 587 प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिनमें से 69 प्रस्ताव लागू हो चुके हैं। प्राप्त और लागू किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों तथा मंजूर और लागू की गई परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है। मखाना प्रसंस्करण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

देश में इस समय बड़ी संख्या में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग चल रहे हैं फिर भी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए और यूनिटों की स्थापना करने की काफी गुंजाइश है क्योंकि जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय और निर्यात की संभावना बढ़ने के फलस्वरूप भविष्य में प्रसंस्कृत खाद्य की मांग बढने की संभावना है। मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास करने के लिए उन्हें उच्च प्राथमिकता वाला उद्योग घोषित करना, घरेलू खाद्य उत्पादों को लाइसेंसमुक्त करना, वित्तीय प्रोत्साहनों समेत अनेक प्रोत्साहन उपलब्ध कराना और संवर्धन उपाय करना शामिल है। मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए सहायता भी उपलब्ध करा रहा है और अब तक उसने 48 यूनिटों को सहायता उपलब्ध कराई है।

संगठित क्षेत्र के लिए प्राप्त औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों और मंजूर किए गए परियोजना प्रस्तावों में कुल 6.63 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार देना निहित है। इनमें से लागू की जा चुकी परियोजनाओं में अब तक 1.08 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगर मिल चुका है।

विवरण

प्राप्त और लागू किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन तथा मंजूर और लागू की गई परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन		परियोजनाएं जिनमें अनुमोदन अपेक्षित है श. प्र. यूनिट/औ. ला./स. उ./वि. स. नि	
		प्रस्तुत किए गए	लागू किए गए	मंजूर की गई	लागू की गई
1.	आंध्र प्रदेश	197	39	115	8
2.	असम	3	0	–	–
3.	बिहार	21	1	4	–
4.	गुजरात	217	58	25	3
5.	हरियाणा	352	21	39	4
6.	हिमाचल प्रदेश	36	1	12	2
7.	जम्मू तथा कश्मीर	10	1	–	–

क्र. सं.	राज्य	औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन		परियोजनाएं जिनमें अनुमोदन अपेक्षित	
		प्रस्तुत किए गए	लागू किए गए	है श. प्र. यूनिट मंजूर की गई	औ. ला./स. उ./वि. स. नि लागू की गई
8.	कर्नाटक	79	7	20	6
9.	केरल	26	1	36	5
10.	मध्य प्रदेश	268	62	15	–
11.	महाराष्ट्र	436	81	113	11
12.	मणीपुर	0	0	0	–
13.	मेघालय	1	0	0	–
14.	नागालैण्ड	1	0	0	–
15.	उड़ीसा	15	2	5	1
16.	पंजाब	261	19	14	5
17.	राजस्थान	298	18	28	2
18.	तमिलनाडु	113	20	41	2
19.	त्रिपुरा	0	0	–	–
20.	उत्तर प्रदेश	610	63	38	8
21.	पश्चिम बंगाल	74	2	10	1
22.	सिक्किम	1	0	1	–
23.	अंडमान निकोबार	1	–	3	0
24.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	–	–
25.	चण्डीगढ़	2	–	0	–
26.	द्रादर तथा नगर हवेली	11	–	0	–

क्र. सं.	राज्य	औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन		परियोजनाएं जिनमें अनुमोदन अपेक्षित	
		प्रस्तुत किए गए	लागू किए गए	है श. प्र. यूनिट मंजूर की गई	औ. ला./स. उ./वि. स. नि लागू की गई
27.	दिल्ली	42	2	2	1
28.	दमन और दिव	7	1	1	–
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	4	–
30.	मिजोरम	0	0	–	0
31.	पांडिचेरी	12	0	2	–
32.	गोवा	7	4	17	10
33.	सही स्थान का उल्लेख नहीं किया गया/ यूनिटें एक से अधिक राज्य में स्थित हैं ।	–	–	42	–
		3101	403	587	69

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में उत्पादन

***746. श्रीमती शीला गौतम : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में अनुमानतः कितना उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1993–94 और 1994–95 के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा कितने मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया गया, और देश में हुई बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त हुई; और

(ग) उक्त वर्षों के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई और वर्ष 1995–96 के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने का अनुमान है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) पिछले 2 वर्षों के दौरान "सेल" के चार एकीकृत और 2 विशेष इस्पात संयंत्रों द्वारा किया गया विक्रेय इस्पात का उत्पादन नीचे दिया गया है :–

इकाईः हजार टन

1993–94	8518
1994–95	8841

(ख) वर्ष 1993–94 और 1994–95 के दौरान "सेल" के निर्यात और घरेलू बिक्री का मूल्य नीचे दिया गया है :–

(करोड़ रुपए)

	1993–94	1994–95 (अनन्तिम)
निर्यात	561	629
घरेलू बिक्री	11,110	13,238

(ग) "सेल" द्वारा 1993–94 और 1994–95 के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा का मूल्य नीचे दिया गया है :–

(करोड़ रुपये)

1993–94	1994–95 (अनन्तिम)
564	632

इसमें इस्पात के निर्यात, अन्य निर्यात आय तथा रायल्टी आदि पर व्यावसयिक शुल्कों

आदि से अर्जित आय भी शामिल है ।

1995–96 में अनुमानित विदेशी मुद्रा अर्जन लगभग 1994–95 के समान होने की आशा है ।

[अनुवाद]

इराक को मानवीयता के आधार पर सहायता

***747. श्री राम निहोर राय** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इराक पर लगाये गये आर्थिक प्रतिबंध मानवीयता के आधार पर हटाने हेतु संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आर्थिक प्रतिबंधों के कारण पीड़ित इराक के लोगों को प्राणरक्षक दवाएं और खाद्यान्न सप्लाई किये हैं/करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(च) क्या सरकार इराक के साथ उचित स्तर पर सम्पर्क बनाये हुए है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख). भारत का बराबर यह मत रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्पों का इराक द्वारा जैसे-जैसे पालन किया जाता है वैसे-वैसे संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना चहिये ।

(ग) से (ङ). 1991 में भारत ने 3.86 करोड़ रुपए मूल्य की मानवीय मदों की आपूर्ति की है जिनमें जीवनरक्षक दवाईयां और खाद्य पदार्थ शामिल थे। इन मदों के मूल्य में परिवहन व्यय शामिल नहीं है और इस व्यय को हमने वहन किया था। लगभग 60 टन जीवन रक्षक दवाईयां इराक भेजने के लिए गैर-सरकारी भारतीय संगठन द्वारा किए जा रहे मानवीय प्रयासों को भारत सरकार सहायता दे रही है ।

(च) और (छ). भारत और इराक दोनों ही ने एक-दूसरे की राजधानी में इस समय आवासी राजदूत प्रत्यापित किए हैं । इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच अधिकारी स्तर की कई यात्राओं का भी आदान-प्रदान हुआ है ।

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नांगल एकक का उत्पादन और संयुक्त उद्यम कार्यक्रम

***748. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नागंल एकक का इस समय कितनी क्षमता का उपयोग हो रहा है, इसका कारोबार कितना है तथा इसे कितना लाभ हो रहा है;

(ख) इसमें गत तीन वर्षों के दौरान यूरिया और मैथेनोल के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वास्तव में इनका कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने सीरिया में गैस पर आधारित यूरिया संयंत्र को स्थापना हेतु उस देश की सरकार के साथ एक समझौता किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) 1994–95 के दौरान नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. के नांगल एकक की स्थापित क्षमता, वास्तविक उत्पादन क्षमता उपयोगिता, कुल बिक्री और लाभ निम्नानुसार थे :–

उत्पाद	स्थापित क्षमता (मीटरी टन)	उत्पादन (मीटरी टन)	क्षमता उपयोग (%)	सफल बिक्री (गैर आडिट) (किया गया) (रु. करोड़)	लाभ (गैर आडिट रु. करोड़)
यूरिया	3,30,000	3,75,545	113.8		
सी ए एन	3,18,160	2,06,749	65.0	367.06	20.29
औद्योगिक उत्पाद	–	27,369	–		
मैथानाल	16,500	20,312	123.1		

(1994-95 के दौरान नाइट्रोजन के रूप में समग्र क्षमता उपयोगिता 97% थी)

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान नांगल एकक में प्राप्त यूरिया और मेथनाल के लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन निम्नानुसार थे :

(आंकड़े मीटरी टन में)

उत्पाद	1992–93		1993–94		1994–95	
	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
यूरिया	3,15,000	3,54,464	3,30,000	3,51,143	3,30,000	3,75,545
मेथनाल	19,000	19,202	18,000	19,801	18,200	20,312

(ग) और (घ). एन. एफ. एल. संयुक्त उद्यम के रूप में सीरिया में गैस पर आधारित एक अमोनिया-यूरिया संयंत्र स्थापित करने की संभावना का पता लगा रहा है । तथापि, इस संबंध में सीरिया की सरकार के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान के शिष्टमंडल के साथ वार्ता

*749. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयोजित "सार्क" शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति के नेतृत्व में आए शिष्टमंडल के साथ कोई द्विपक्षीय वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस वार्ता में किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या दोनों देशों ने कश्मीर मुद्दे का शान्तिपूर्ण समाधान ढूंढने के लिये अपनी वचनबद्धता को दोहरया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आगे द्विपक्षीय वार्ता करने के लिये क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख). नई दिल्ली में सम्पन्न आठवें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 2 मई, 1995 को हमारे प्रधान मंत्री से भेंट की । यह मुलाकात बुनियादी तौर पर एक शिष्टाचार मुलाकात थी । इस मुलाकात के दौरान सार्क से सम्बद्ध मामलों पर बातचीत हुई । द्विपक्षीय मसलों पर सारगर्भित बातचीत नहीं हुई ।

(ग) पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का यह दृष्टिकोण दोहराया कि जब तक कश्मीर मसले का हल नहीं होता तब तक द्विपक्षीय सम्बन्धों में तनाव बना रहेगा । हमारे प्रधान मंत्री ने जम्मू–कश्मीर में आतंकवाद को लगातार मिल रहे समर्थन के प्रति हमारी चिन्ता से उन्हें अवगत कराया और कहा कि दोनों पक्षों को चाहिए कि वे अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से और बातचीत के जरिये दूर करें ।

(घ) सरकार पाकिस्तान के साथ सभी मतभेदों को शिमला समझौते की व्यवस्था के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से और द्विपक्षीय बातचीत की प्रक्रिया से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है । हमने पाकिस्तान को पुनः इस बात से अवगत कराया कि हम व्यापक और सार्थक बातचीत करने के लिए तैयार हैं ।

[अनुवाद]

आतंकवाद को समाप्त करने संबंधी "सार्क" कन्वेंशन

*750. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आतंकवाद को समाप्त करने हेतु वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित "सार्क" कन्वेंशन के निर्णयों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार द्वारा आवश्यक कानून बनाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : आतंकवाद के दमन से सम्बद्ध सार्क क्षेत्रीय अभिसमय के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कानून बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गये कदम इस प्रकार हैं :

सार्क अभिसमय (आतंकवाद दमन) विधेयक राज्य सभा द्वारा 26 नवम्बर, 1992 को पारित कर दिया गया था ।

लोक सभा द्वारा इस विधेयक को 30 मार्च, 1993 को पारित किया गया था ।

लोक सभा द्वारा इस विधेयक में किये गये दो संशोधनों को राज्य सभा ने 31 मार्च, 1993 को पारित कर दिया था । ये दो संशोधन इस प्रकार थे :

(i) पृष्ठ 1, पंक्ति 7 :

भारत गणराज्य के 43वें वर्ष के स्थान पर भारत गणराज्य का 44वाँ वर्ष लिखा गया;

(ii) पृष्ठ 1 पर खण्ड 1 पंक्ति 10 :

1992 के स्थान पर 1993 लिखा गया ।

उपर्युक्त दो संशोधन इसलिए करने पड़े क्योंकि राज्य सभा ने उक्त विधेयक को 26 नवम्बर, 1992 को पारित किया था जबकि लोक सभा ने इस विधेयक पर विचार करके इसे 30 मार्च, 1993 को पारित किया ।

इस विधेयक को 26 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और इसके परिणामतः यह एक अधिनियम बन गया ।

सार्क अभिसमय (आतंकवाद दमन) अधिनियम, 1993 भारत के दिनांक 26 अप्रैल, 1993 के राजपत्र सं. 36/1993 में प्रकाशित हुआ ।

आतंकवाद के दमन से सम्बद्ध सार्क क्षेत्रीय अभिसमय भी 1993 के अधिनियम 36 की अनुसूची के रूप में भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ ।

राष्ट्रीय राजमार्गों से अर्जित राजस्व

*751. **श्री के. प्रधानी :** क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों से अर्जित किये जा रहे राजस्व में से विभिन्न राज्य सरकारों को राशि आबंटित करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) राज्य-वार किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है?

जल-भूल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 100 लाख रु. से अधिक लागत के स्थायी पुलों पर लगाया गया शुल्क ही राष्ट्रीय राजमार्गों से अर्जित राजस्व का एक मात्र स्रोत है । इस प्रकार वसूल की गई राशि विभिन्न राज्यों को इस आधार पर आबंटित की जाती है कि आबंटित राशि यथासंभव संबंधित राज्य में वसूल की गई राशि के बराबर हो ।

(ख) आठवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को आबंटित की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

वर्ष 1992–93 से 1994–95 के दौरान पुल शुल्क निधि में से किए गए आबंटन

क्रम सं.	राज्य/सं. रा. क्षेत्र का नाम	आबंटित राशि (लाख रु.)
1.	आंध्र प्रदेश	878.00
2.	बिहार	401.00
3.	गोवा	99.40
4.	गुजरात	1848.00
5.	हरियाणा	150.00
6.	कर्नाटक	1086.00
7.	केरल	624.95
8.	मध्य प्रदेश	1040.89
9.	महाराष्ट्र	1218.92

क्रम सं.	राज्य/सं. रा. क्षेत्र का नाम	आबंटित राशि (लाख रु.)
10.	मणिपुर	6.93
11.	उड़ीसा	438.55
12.	पंजाब	159.80
13.	राजस्थान	798.88
14.	तमिलनाडु	300.00
15.	उत्तर प्रदेश	1720.68
	जोड़ :	10772.00

उर्वरकों के लिए राजसहायता

*752. **डा. महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक उत्पादकों को राजसहायता देने संबंधी वर्तमान प्रणाली क्या है और सरकार ने इसके लिए क्या मानदंड अपनाए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उन उर्वरक उत्पादकों को मुआवजा देने का है जिनके राजसहायता संबंधी दावे लम्बित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) प्रतिधारण मूल्य सह राजसहायता योजना (आर. पी. एस.) के अन्तर्गत प्रतिधारण मूल्य (अर्थात् उत्पादन लागत जमा सरकार द्वारा मूल्यांकित शुद्ध मूल्य पर उचित लाभ) और अधिसूचित बिक्री मूल्य घटा वितरण लाभ के बीच के अन्तर को राजसहायता के रूप में नियंत्रित उर्वरकों के स्वदेशी निर्माताओं को दिया जाता है। प्रतिधारण मूल्य लागत के विभिन्न तत्वों के संदर्भ में मानदण्डों और वास्तविकों के संयोजन के आधार पर एककवार निर्धारित किया जाता है, यह पूंजीगत लागत, प्रयोग किये गये फीड स्टांक, संयंत्र के पूरानेपन आदि के आधार पर एकक दर एकक भिन्न-भिन्न होता है।

(ख) से (घ). राज सहायता के भुगतान के लिए हर तरह से पूर्ण सभी दावे प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर निपटा दिये जाते हैं बशर्ते बजटीय आबंटनों के माध्यम से निधियाँ उपलब्ध हों। तथापि, बजटीय बाधाओं के कारण इस भुगतान समय सारणी का अनुपालन करना हमेशा संभव नहीं हुआ है और कुछ राशियां बाकी रह जाती हैं, जिन्हें अगले वर्ष के दौरान वितरित कर दिया जाता है।

इटली के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

*753. **डा. आर. मल्लू : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या हाल ही में इटली के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा के क्या उद्देश्य थे और इस शिष्टमंडल में कौन-कौन व्यक्ति शामिल थे; और

(ग) भारतीय नेताओं के साथ उनकी हुई बातचीत में कौन-कौन से द्विपक्षीय मुद्दे उठाये गये और इस यात्रा का क्या परिणाम रहा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग). इटली के राष्ट्रपति श्री ऑस्कर लुइजी स्कालफारों 9 से 12 फरवरी, 1995 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए। उनके साथ विदेश मंत्री सुसाना आग्नेली, विदेश व्यापार राज्य मंत्री मारिओ दअर्सो, वरिष्ठ अधिकारी और एक उच्च स्तरीय व्यापारी शिष्टमंडल आया। राष्ट्रपति

स्कालफारों ने राष्ट्रपति के साथ बातचीत की और वह उप राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, लोक सभा के अध्यक्ष, वाणिज्य मंत्री तथा विदेश राज्य मंत्री से भी मिले ।

यह इटली के राज्याध्यक्ष स्तर पर की गई पहली यात्रा थी और यह यात्रा भारतीय इंजीनियरिंग व्यापार मेले (आई. ई. टी. एफ) 1995 में "भागीदार देश" के रूप में इटली की भागीदारी के समय हुई जिसका उद्घाटन भारत और इटली दोनों के राष्ट्रपतियों ने मिलकर किया था ।

इस यात्रा के दौरान बातचीत का मुख्य केन्द्र बिन्दु द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सम्बन्धों का विस्तार था । इटली के राष्ट्रपति ने राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत के साथ सम्बन्धों को सुदृढ़ करने की इटली की इच्छा जाहिर की । उन्होंने रूढ़िवादिता तथा आतंकवाद से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत और इटली के बीच निकट सहयोग स्थापित करने के महत्व पर जोर दिया । इटली के विदेश मंत्री तथा हमारे विदेश राज्य मंत्री के बीच हुई वार्ता के दौरान आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ । इटली के पक्ष ने शीघ्र ही भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इटली की यात्रा में अपनी रुचि दोहराई तथा भारतीय सांस्कृतिक प्रदर्शनी और उसी दौरान भारत से एक उच्च स्तरीय यात्रा में अपनी रुचि पुनः जाहिर की, इटली के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान विदेश कार्यालयों के बीच नियमित विचार-विमर्शों से सम्बद्ध एक विज्ञप्ति पर भी हस्ताक्षर किए गए जिससे विविध क्षेत्रों में भारत-इटली सम्बन्धों को गहन करने के प्रयासों को और अधिक बल मिला है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन

*754. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए प्रोत्साहनों, कार्यक्रमों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं में शामिल किए गए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का ब्यौरा क्या है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कौन-सा राज्य अग्रणी है; और

(ग) सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत वर्ष 1990 से 1994 तक इन खाद्य प्रसंस्करण एककों द्वारा कुल कितना निर्यात किया गया?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). सरकार देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना और विस्तार के लिए प्रोत्साहन दे रही है और इसके लिए वित्तीय प्रोत्साहनों समेत अनेक नीति उपाय तथा प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं । अल्कोहल पेयों के किण्वन और आसवन, पशु-वसा और लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर अधिकांश खाद्य उत्पादों को विकास के लिए उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची में रखा गया है । इनकी सूची औद्योगिक नीति विवरण के अनुलग्नक-3 पर दी हुई है । खाद्य उद्योग के तीव्रतर विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने अनेक वित्तीय राहतें दी हैं । फल और सब्जी उत्पादों, मांस और पॉल्ट्री उत्पादों, मछली उत्पादों, सोया आधारित उत्पादों, अनाज आधारित अधिकांश उत्पादों और अधिकांश दूध उत्पादों पर उत्पाद शुल्क नहीं लगता । मंत्रालय इस क्षेत्र के विकास के लिए आठवीं योजना के दौरान विभिन्न योजना स्कीमें भी लागू कर रहा है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है । इसलिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की राज्य-वार संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। वैसे संगठित क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं ।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों द्वारा खाद्य उत्पादों का निर्यात नहीं किया गया है लेकिन वर्ष 1994-95 में इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमि., गुवाहाटी ने 5250 अमरीकी डालर मूल्य के टू पटाटो सीड का निर्यात किया है ।

[हिन्दी]

उर्वरकों पर अनुसन्धान और विकास

*755. **श्री जगमीत सिंह बरार** :
श्री नवल किशोर राय :

क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी कम्पनियां/संस्थाएं उर्वरकों पर अनुसंधान और विकास कार्य कर रही हैं;

(ख) उर्वरकों पर अनुसंधान करने के लिए दिए गये प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान उर्वरकों पर अनुसंधान और विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई और वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(घ) क्या सरकार ने उर्वरकों पर अनुसन्धान और विकास को प्रोत्साहन देने हेतु कोई विशेष योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो इस योजना को अनुमानित लागत और अन्य ब्यौरा क्या है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरक अनुसंधान में मिली सफलता का ब्यौरा क्या है;

(छ) किन-किन क्षेत्रों में इन परिणामों का व्यावहारिक उपयोग किया गया है; और

(ज) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए है कि अनुसन्धान का लाभ किसानों तक पहुँचे?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) निम्नलिखित उर्वरक

कम्पनियों ने अंतर्गृह अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का पूर्ण विकास कर लिया है :–

(i) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवेलपमेंट इंडिया लि., सिन्दरी (बिहार)

(ii) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि., उद्योग मण्डल (केरल)

(iii) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि., बम्बई (महाराष्ट्र)

(iv) गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी लि., बड़ौदा (गुजरात)

(v) सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रिज कॉर्पोरेशन लि., तुतोकोरिन (तमिलनाडु)

(vi) गुजरत नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कम्पनी लि. (भड़ौच) गुजरात और

(vii) धर्मसी मोररजी केमिकल कम्पनी लि., अम्बेरनाथ (महाराष्ट्र)

(ख) मान्यता प्राप्त अनुसंधान एंव विकास संस्थान निम्नलिखित प्रोत्साहनों के हकदार हैं :–

(i) अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों के व्यय पर आय कर की छूट,

(ii) अंतर्गृह अनुसंधान एवं विकास परिणामों के आधार पर निवशश पर 40% पहले से अधिक मूल्यह्रास भत्ता, और

(iii) उत्कृष्ट अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार ।

(ग) उर्वरक क्षेत्र के लिए बजट में अनुसंधान एवं विकास के लिए आबंटित राशि तथा 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान वास्तव में इस्तेमाल की गई राशियों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :–

(रु. करोड़ में)

1992-93		1993-94		1994-95	
बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
19.85	15.73	20.90	11.80	11.90	7.08

अनेक उर्वरक कम्पनियां बिना किसी बजटीय सहायता के ही अनुसंधान एवं विकास कार्य करती हैं ।

(घ) और (ङ). इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवेलपमेंट इंडिया लि. (पीडीआईएल) ने फसल प्रभावी नुस्खों/उत्पाद मिश्रणों और उत्प्रेरकों के विकास के लिए अनुसंधान योजनाओं का निर्माण किया है । पी.डी.आई.एल. को गत तीन वर्षों में 4 करोड़ रु. का वार्षिक अनुसंधान एवं विकास अनुदान प्रदान किया गया है ।

(च) से (ज). प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवेलपमेंट इंडिया लि. द्वारा अपने अनुसंधान एवं विकास प्रभाग में किये जा रहे अनुसंधान कार्यों से गत कुछ वर्षों के दौरान उर्वरक और संबंद्ध उद्योगों में आवश्यक सभी प्रकार के उत्प्रेरकों के विकास एवं निर्माण में प्रसंशनीय सफलता मिली है । गत तीन वर्षों दौरान उन्होंने पर्यावरणीय नियंत्रण के लिए एन्. ओ. एक्स. उपशमन उपाय के रूप में नाइट्रिक एसिड संयंत्र से अवशिष्ट गैस का प्रयोग करके सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट के निर्माण के लिए प्रक्रिया विकसित की है । इससे न केवल वायुमण्डल में एन. ओ. एक्स. (नाइट्रोजन के आक्साइडो) का उत्सर्जन प्रभावी रूप से नियंत्रित होता है बल्कि सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट जैसे मूल्य वर्द्धित उत्पादों का निर्माण भी होता है । अभी हाल में, पी.डी.आई.एल. ने उर्वरक संयंत्रों से अमोनिया जैसी तथा नाइट्रेट/नाइट्रोजन निस्सरण वाले द्रवीय वर्हिस्त्रावों के संसाधन के लिए जैविक प्रक्रिया का भी विकास किया है ।

उपरोक्त उपलब्धियों का प्रयोग के तौर पर एन. ओ. एक्स. उप शमन के लिए नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. के नांगल एकक तथा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. के सिन्दरी एकक में संयंत्र निःस्त्रावों के जैविक संसाधन के लिए इस्तेमाल किया गया है । जैविक संसाधन पद्धति को हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. के दुर्गापुर एकक में भी अपनाया गया है ।

विभिन्न अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं उत्पाद की घुलनशील में कमी करने के लिए परत चढ़ाये गये (कोट की गई) यूरिया सहित फसल प्रभावी उर्वरक उत्पादों को विकसित करने का प्रयास कर रही है । इससे इन उत्पादों की दक्षता में सुधार होगा और किसानों को लाभ होगा । तथापि, वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य उत्पादों को अभी विकास किया जाना है ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव

*756. श्री वी. धनंजय कुमार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव तथा विकास के लिए एक नयी एजेंसी गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग). संसद के एक अधिनियम, 1988 (1988 का 68) के तहत 15.6.1989 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नामक एक प्राधिकरण की स्थापना की गई है जो केन्द्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रख-रखाव और प्रबंध करता है। अध्यक्ष तथा इसके दो सदस्यों की क्रमशः दिनांक 10.2.95, 1.3.95 और 4.4.95 से नियुक्ति होने पर इस प्राधिकरण ने अब कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ।

[हिन्दी]

पेप्सी उद्योग

*757. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेप्सी उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे खाद्य पदार्थों का ब्यौरा क्या है और उससे भारतीय किसानों को क्या लाभ मिल रहा है;

(ख) क्या उक्त उद्योग आशाओं के अनुरूप कार्य कर रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) पेप्सी उद्योग द्वारा तैयार किए जा रहे खाद्य पदार्थ-टमाटर का पेस्ट, ताजा लाल मिर्च का पेस्ट, आलू के चिप्स/एक्सट्रडिड कोर्न स्नैक्स, मृदु पेय तथा मृदु पेय सांद्रण और फल पेय हैं। पंजाब के किसानों को फल तथा सब्जी की फसलों के लिए मै. पेप्सी फूड्स लिमि. द्वारा लागू किए गए बेहतर प्रयासों तथा प्रणालियों से लाभ हुआ है ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

विदेशी जेलों में बन्द भारतीय

*758. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी जेलों में देश-वार कितने भारतीय बंदी हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन भारतीयों को छुड़ाने के लिए देश-वार क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक देश-वार इनमें से कितने भारतीय बंदियों को छोड़ा गया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विवरण

30.9.94 की स्थिति के अनुसार विदेशी जेलों में 5304 भारतीय राष्ट्रिक बन्द थे। देशवार आंकड़े अनुबंध-एक पर हैं ।

भारतीय मिशन सभी मामलों की स्थानीय प्राधिकारियों के साथ उठाकर उनके पुनरीक्षण एवं शीघ्र रिहाई का प्रयत्न करते हैं । जेल प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से मिलने के अतिरिक्त जहां कहीं आवश्यक होता है सम्बन्धित विदेशी कार्यालयों के साथ भी मामलों को उठाया जाता है। तथापि, कई सरकारें न्यायालय द्वारा दी गई सजा की अवधि का पुनरीक्षण करने के लिए किए गए अनुरोध को नहीं मानती और बन्दियों को उनकी सजा की अवधि समाप्त होने पर ही रिहा किया जाता है । भारतीय मिशन इन बन्दियों को प्रभावकारी कनूनी प्रतिरक्षा उपलब्ध कराने का हर सम्भव प्रयास करते हैं ।

अनुबन्ध-एक

30.9.94 की स्थिति के अनुसार विदेश स्थित जेलों में कैद भारतीयों की संख्या

क्र. सं.	देश का नाम	भारतीय कैदियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	आस्ट्रेलिया	4
2.	आस्ट्रिया	79
3.	बहरीन	123
4.	बंगलादेश	539
5.	बेलारूस	3

क्र. सं.	देश का नाम	भारतीय कैदियों की संख्या
6.	भूटान	26
7.	कनाडा	8
8.	चीन	1
9.	चैक गणराज्य	1
10.	डेनमार्क	2
11.	मिस्त्र	13
12.	जर्मनी	18
13.	यूनान	3
14.	हांगकांग	83
15.	इंडोनेशिया	1
16.	ईरान	26
17.	इराक	1
18.	आयरलैन्ड	1
19.	इटली	38
20.	जमाईका	1
21.	जापान	2
22.	जोर्डन	1
23.	कीनिया	4
24.	कुवैत	64
25.	लेबनान	8

क्र. सं.	देश का नाम	भारतीय कैदियों की संख्या
26.	लीबिया	14
27.	मलेशिया	130
28.	मालदीव	76
29.	मारीशस	26
30.	मोरक्को	2
31.	म्यामां	18
32.	नेपाल	186
33.	नीदरलैन्डस	11
34.	सल्तनत ऑफ ओमान	35
35.	पाकिस्तान	1180
36.	फिलीपीन्स	5
37.	पुर्तगाल	1
38.	कतर	238
39.	रोमानिया	7
40.	रूसी परिसंघ	2
41.	सऊदी अरब	796
42.	सिंगापुर	305
43.	दक्षिण अफ्रीका	1
44.	स्पेन	22
45.	श्रीलंका	23

क्र. सं.	देश का नाम	भारतीय कैदियों की संख्या
47.	सीरियाई अरब गणराज्य	2
48.	थाईलैन्ड	5
49.	त्रिनिडाड एवं टोबागो	14
50.	उगान्डा	5
51.	संयुक्त अरब अमीरात	800
52.	यूनाईटिड किंगडम	293
53.	संयुक्त राज्य अमरीका	50
54.	उजबेकिस्तान	1
55.	यमन अरब गणराज्य	2
56.	जिम्बाव्वे	2
	कुल	5304

भारत–बेलिज सहयोग

***759. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बेलिज के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग हेतु सरकार ने बेलिज के साथ हाल ही में किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे;

(ख) यदि हां, तो इनकी मुख्य बातें क्या हैं और इन समझौतों को समझौता-वार कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों सहित बेलिज ने भारत की विभिन्न क्षेत्रों में कितनी सहायता की है/सहायता करने के लिए सहमत हुआ है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जून, 1994 में बेलिज के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और बेलिज के बीच (i) आर्थिक सहयोग; और (ii) सांस्कृति सहयोग के संबंध में दो करार संपन्न हुए थे।

(ख) और (ग). आर्थिक सहयोग करार में कृषि, पशुधन और मत्स्यपालन; व्यापार; उद्योग; ऊर्जा; संचार एवं परिवहन; पर्यटन; और वित्त के क्षेत्रों में सहयोग की व्यवस्था है।

सांस्कृतिक सहयोग करार में यह व्यवस्था है कि दोनों देश संस्कृति, कला शिक्षा, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित शैक्षिक क्रिया-कलाप भी शामिल हैं; जन संचार और गैर व्यावसायिक खेलों के क्षेत्रों में सहयोग को सुविधाजनक बनायें तथा उन्हें प्रोत्साहन दें।

सांस्कृतिक सहयोग करार का क्रियान्वयन शुरू हो गया है और आर्थिक सहयोग करार अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान होने का बाद प्रभावी होगा।

संयुक्त राष्ट्र का लोकतंत्रीकरण

***760. श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि::

(क) सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र के अन्य निकायों के लोकतांत्रिक ढंग से कार्यकरण और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों की समान हैसियत सुनिश्चित करने के लिए विकसित देशों और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों और संयुक्त राष्ट्र पर दबाव डालने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र ने सदस्य संख्या में वृद्धि करने और अन्य सुधारों पर विचार करने हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समान प्रतिनिधित्व के संबंध में एक कार्य दल का गठन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य दल के निदेश पद क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) भारत सरकार ने "सुरक्षा परिषद में न्यायसंगत प्रतिनिधित्व तथा उसकी सदस्यता में वृद्धि का प्रश्न" से सम्बन्धित संकल्प सह प्रायोजित किया। परिषद ने न्यायसंगत प्रतिनिधित्व तथा उसके आकार में वृद्धि, परिषद के कार्य को लोकतान्त्रिक बनाने में मदद करेगी। सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के अन्य निकायों में लोकतन्त्रीकरण के सिद्धांत तथा भागीदारी के बेहतर अवसर के विषय पर जोर दिया। भारत ने महासभा जो संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य अंग है जिसमें सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व है, को पुर्न स्फूर्त करने और उसकी भूमिका को सुदृढ़ बनाने का भी समर्थन किया।

(ख) जी हां। "सुरक्षा परिषद में न्यायसंगत प्रतिनिधित्व तथा उसकी सदस्यता में वृद्धि का प्रश्न" से सम्बन्धित संकल्प पर कार्यवाही स्वरूप संयुक्त राज्य महासभा का एक खुला कार्यदल गठित किया गया है जो सुरक्षा परिषद की सदस्यता में वृद्धि के प्रश्न तथा अन्य सम्बद्ध मसलों पर विचार करेगा।

(ग) इस कार्यदल का आदेश जिसका विस्तार कर लिया गया है, सुरक्षा परिषद की सदस्यता में वृद्धि के प्रश्न तथा अन्य संबद्ध मसलों पर विचार करना है।

महानिदेशक निर्माण कार्य के द्वारा प्राप्त शिकायतें

7519. **श्री राम नाईक** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानिदेशक निर्माण कार्य को गत तीन वर्षों के दौरान एस. एम. प्लॉट्स, एनटॉप हिल, मुंबई स्थित सरकारी कालोनी के किरायेदारों से काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ये शिकायतें किस प्रकार की हैं;

(ग) क्या महानिदेशक के कार्यालय द्वारा इन शिकायतों का उत्तर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन शिकायतों की सुनवाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) एस. एम. प्लॉट्स, एनटॉप हिल में सरकारी कालोनी के किरायेदारों से कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । तथापि, केन्द्रीय सरकार स्टाफ कालोनी कल्याण समिति, एस. एम. प्लॉट से कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ख) सी. जी. एस. सी. कल्याण समिति, एस. एम. प्लॉट, बम्बई ने रिहायशी परिसरों के दिन-प्रतिदिन के अनरक्षण, अतिरिक्त सुविधाओं और फेरीवालों, समाजविरोधी तत्वों, अतिक्रमणों और परिणामी कानून तथा व्यवस्था की समस्याओं बाबत मुद्दे उठाये हैं ।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की फील्ड यूनिटों द्वारा इन पत्रों के जवाब भेजे जा चुके हैं और उन्होंने समय-समय पर समिति के कार्यकर्ताओं के साथ भी मुद्दों पर विचार विमर्श किया है ।

(घ) उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के भीतर इन भवनों के अनुरक्षण और सेवाओं के बाबत इन शिकायतों को दूर करने के यथासंभव प्रयास किए जाते हैं ।

पाकिस्तान के साथ परमाणु हथियार के संबंध में बातचीत

7520. **डा. बसंत पंवार** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने हमारे देश से बिना शर्त परमाणु हथियारों को त्यागने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई बातचीत हुई है/शुरू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) सरकार ने 24 जनवरी 1994 को पाकिस्तान को प्रेषित छः अ-दस्तावेजों में से एक में पाकिस्तान की सरकार से यह प्रस्ताव किया था कि दोनों देशों के बीच अविश्वास को कम करने तथा विश्वास को बढ़ाने के लिए अपनी वचनबद्धता पुनः व्यक्त करते हुए भारत एक ऐसा करार करने के लिए तैयार है जिसके अनुसार दोनों देश इस बात का वचन लें कि दोनों में से कोई भी देश एक-दूसरे के खिलाफ अपनी नाभिकीय क्षमता का इस्तेमाल करने अथवा उसका इस्तेमाल करने की धमकी नहीं देगा ।

19 फरवरी, 1994 को "टिप्पणी और प्रतिप्रस्तावों" के रूप में पाकिस्तान ने जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी वह खेदजनक और अस्वीकार्य थी । 21 मार्च, 1994 को सरकार ने एक बार पुनः पाकिस्तान से यह अनुरोध किया था कि वह निष्ठापूर्वक भारतीय प्रस्तावों पर विचार करें क्योंकि यह प्रस्ताव एक व्यापक और सार्थक बातचीत का आधार बन सकते हैं । यह दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान ने बातचीत करने के लिए कई शर्तें और पूर्व शर्तें लगाई हैं । हमारा मानना है कि इस प्रकार की शर्तें और पूर्व शर्तें लगाना एक नकारात्मक रवैया है । सरकार को उम्मीद है कि पाकिस्तान बिना शर्त द्विपक्षीय वार्ता की हमारी पेशकश पर ईमानदारी से प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा ।

आई डी पी एल को अर्थक्षम बनाने संबंधी पैकेज

7521. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के हैदराबाद स्थित एकक को अनुमोदित/अर्थक्षम बनाने संबंधी पैकेज में उत्पाद बढ़ाने तथा कर्मचारियों के काम की सुरक्षा हेतु क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कर्मचारी संघों ने अभ्यावेदन/ज्ञापन दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) हैदराबाद इंकाई समेत इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. (आई. डी. पी. एल.) के लिए पुनरुद्धार योजना औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा 10 फरवरी, 1994 को मंजूर की गयी थी । पुनरुद्धार अवधि 1994–95 से शुरू होकर 10 वर्ष की है । आई डी पी एल के लिए मंजूर की गई पुनरुद्धार योजना में अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई है कि हैदराबाद इकाई में प्रमुख विटामिनों की क्षमताएं 3 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध ढंग से बढ़ाई जायेगी, यह कि इकाई के लिए एक बिजली उप-केन्द्र की स्थापना की जाएगी । इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी. आर. एस.) द्वारा जन शक्ति में कमी, फालतू परिसम्पत्तियों की बिक्री/

निपटान करने आन्तरिक स्रोत पैदा करने सहित लागत में कमी के उपायों, इस योजना में अधिक उत्पादन, बिक्री लक्ष्यों की परिकल्पना की गई है। वर्ष 1994=95 में क्षमताओं का विस्तार या बिजली उप=केन्द्र को स्थापित करने का काम प्रारम्भ नहीं किया गया है। वी. आर. एस. कंपनी में क्रियान्वयन किया जा रहा है, हैदराबाद इकाई के 679 कर्मियों ने इसका विकल्प दिया था, और उन्हें 1994-95 में कार्य–मुक्त कर दिया गया था।

(ख) और (ग). जी, हां। इन अभ्यावेदनों में कही गई मुख्य बातें हैं कार्यशील पूंजी सहायता की तत्काल आवश्यकता, आई. डी. पी. एल. के उत्पादों के लिए सभी केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों, संस्थानों से विशेष खरीद वरीयता, आई. डी. पी. एल. को स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन करना, बाजार नीतियों की पुनःरचना तथा प्रबंध में परिवर्तन, आयातित माल की उपलब्धता को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय, वेतन संशोधन, एल. टी. सी., छुट्टी नकदीकरण के आस्थगित लाभों को बहाल करना आदि।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का भण्डारण

7522. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए उद्योग स्थापित करने हेतु अपेक्षित स्थानों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार हरियाणा में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और भण्डारण के लिए कोई उद्योग स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा अधिशेष उपज विशेष रूप से सब्जियों और फलों को खराब होने से बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (च). खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसी राज्य में स्वयं खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना नहीं करता लेकिन सरकार देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना तथा विस्तार के लिए प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए वित्तीय प्रोत्साहनों समेत विभिन्न नीति उपाय किए गए हैं तथा प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा, मंत्रालय इस क्षेत्र के विकास के लिए 8वीं योजना के दौरान विभिन्न योजना स्कीमें भी कार्यान्वित कर रहा है। विकासात्मक स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना अथवा उनका विस्तार करने, किसानों के साथ बैकवर्ड लिंकेज विकसित करने, विपणन सहायता, सुअर मांस, पॉल्ट्री और अन्य मांस तथा मांस प्रसंस्करण सुविधाएँ, टूना और अन्य मछली प्रसंस्करण, कोल्डचेन स्थापित करने, खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग में अनुसंधान तथा विकास तथा कतिपय क्षेत्रों में जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकार के संगठनों/सहकारी निकायों/स्वैच्छिक संगठनों/संयुक्त क्षेत्रों आदि की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, बागवानी उत्पाद के फसलोत्तर प्रबंधन में सहायता करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के पास भी कतिपय स्कीमें हैं। इन स्कीमों के तहत हरियाणा स्थित संगठनों द्वारा व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए सहायता प्राप्त की जाती है।

विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता

7523. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता क्या है;

(ख) गुजरात में संयंत्र "लोड फैक्टर" क्या है तथा वर्ष 1993–94 के दौरान औसत राष्ट्रीय "लोड फैक्टर" क्या रहा; और

(ग) गुजरात में विद्युत उत्पादन की क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं/किए जाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) दिनाँक 31.3.95 की स्थिति के अनुसार गुजरात में विद्युत उत्पादन क्षमता की अधिष्ठापित क्षमता 4838.47 मेगावाट थी।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान, 61 प्रतिशत पर गुजरात का संयंत्र भार अनुपात (पी. एल. एफ.), राष्ट्रीय औसत के समान था।

(ग) गुजरात में विद्युत उत्पादन में अभिवृद्धि किए जाने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में विद्यमान केन्द्रों से अधिकतम विद्युत उत्पादन प्राप्त करना, चरण–2 के अंतर्गत उकई, गांधीनगर, धुवन और वानकबोरी के नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना शामिल है। गुजरात में आठवीं योजना की शेष अवधि के दौरान 273 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि किए जाने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य अपना देय हिस्सा, पश्चिमी क्षेत्र में अधिष्ठापित की जा रही केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं से भी प्राप्त करेगा।

सरकारी उपक्रमों के शेयरों की बिक्री

7524. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम लि. और हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के शेयरों को स्टाक एक्सचेंजों के माध्यम से बेचने हेतु कोई

योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). सरकार का अनिवेश प्रस्ताव के अनुक्रम में संबंधित कम्पनियों के शेयरों को बेचने का कोई तत्काल प्रस्ताव नहीं है।

राजदूतों की कश्मीर यात्रा

7525. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या हाल ही में छह देशों के राजदूतों ने कश्मीर घाटी की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उनका उद्देश्य क्या था और यात्रा के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या उन्होंने कश्मीर घाटी की वर्तमान स्थिति के संबंध में भारत सरकार को कोई सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). यह यात्रा भारत स्थित आवासी मिशनों के नेमी राजनयिक कार्य का ही एक भाग थी। चूंकि जम्मू एवं कश्मीर की यह यात्रा विदेशी राजनयिकों की हैसियत से की गई थी अतः वह किसी भी प्रकार से भारत सरकार को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने अथवा सुझाव देनें के लिए बाध्य नहीं थे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

7526. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के विरुद्ध जोनवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक शिकायत के मामले में क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) डी.डी.ए. ने बताया है कि 1.4.93 से 31.3.1995 तक की अवधि के दौरान डी. डी. ए. के सतर्कता विभाग में 1973 आम शिकायतें प्राप्त हुई थीं। डी. डी. ए. द्वारा शिकायतों के अंचल-वार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) और (ग). दिनांक 1.4.1993 से 31.3.1995 तक की अवधि के दौरान सांसदों से प्राप्त 24 शिकायतें विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा डी. डी. ए. के सतर्कता विभाग को भेजी गई। सांसदों से प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

संसद सदस्यों से प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले ब्यौरों वाला विवरण

क्र. सं.	सांसद का नाम सर्व श्री	शिकायत प्राप्त होने की तारीख	विषय	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	जी. मोदगोड़ा	23.11.93	श्री पी. एस. उत्तरवार उप निदेशक (योजना) के विरुद्ध शिकायत	25.10.1994 को मामला बंद कर दिया गया।
2.	हरी केवल प्रसाद	14.01.1994	इंजिनियरों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति में भ्रष्टाचार	मामला प्रक्रियाधीन है।

क्र. सं.	सांसद का नाम सर्व/श्री	शिकायत प्राप्त होने की तारीख	विषय	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
3.	मुकेश शर्मा/बी. एल. शर्मा	04.03.1994	श्री पी. एल. अरोड़ा का. ई. ई. डी-9 के विरुद्ध शिकायत	मामला 9.1.95 को बंद कर दिया गया।
4.	जगदीश टाईटलर	5.9.94	एन. डी-5 में किये गये कार्य में बिलों के भुगतान बाबत	मामला प्रक्रियाधीन है।
5.	जगदीश टाईटलर	12.12.94	जनता फ्लैट अधचीनी गांव के निवासियों से श्री गुलजार अहमद,कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध शिकायत	– वही–
6.	के. डी. सुल्तानपुरी	14.02.95	रोहिणी पॉकेट-3 एम. आई. जी. प्लाट सं. 87 का स्थानान्तरण	– वही –
7.	बी. एल. शर्मा	12.11.93	भीम दल समिति बाबत	– वही –
8.	डा. सुब्रमणियम स्वामी	10.9.93	श्री एच. सी. गुप्ता की शिकायत बाबत	– वही –
9.	सोम पाल	8.7.93	अनुभागीय अधिकारी (बाग.) की नियुक्ति में गड़बड़ी	–वही–
10.	सोम पाल	21.2.94	– वही –	– वही –
11.	बी. एल. शर्मा	23.2.94	श्री त्रिवेणि प्रसाद, सचिव डी. डी. ए. कर्मचारी युनियन द्वारा श्री आर. जी. गुप्ता, निदेशक (टी. वाई. ए.) के विरुद्ध शिकायत	30.11.94 को मंत्री द्वारा सांसद को जबाब भेज दिया गया है और मामला बंद हो गया।
12.	सैफुद्दीन चौधरी	27.12.93	पूर्वी जोन में 45 करोड़ रुपये का घपला	26.9.94 मंत्री द्वारा जवाब भेजा गया।

क्र. सं.	सांसद का नाम सर्व/श्री	शिकायत प्राप्त होने की तारीख	विषय	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
13.	हरी केवल प्रसाद	18.1.94	– वही –	26.9.94 को मंत्री द्वारा जवाब भेजा गया
14.	बी. एल. शर्मा प्रेम	24.1.94	– वही –	– वही –
15.	बूटा सिंह	19.7.94	सरिता विहार फ्लैट सं. के–53 के मालिक के विरुद्ध शिकायत	मामला प्रक्रियाधीन है
16.	कालका दास	10.9.93	श्री पी. के जैन जू. ई. के विरुद्ध शिकायत	मामला 9.12.93 को बन्द कर दिया गया।
17.	बलबीर सिंह	28.1.94	डी. डी. ए. स्टाफ में तथा-कथित भ्रष्टाचार	मामला 17.1.94 को बन्द कर दिया गया।
18.	एम. एल. खुराना	15.4.93	सरस्वती गार्डन में भूमि हड़पने बाबत	मामला प्रक्रियाधीन है।
19.	बी. एल. शर्मा प्रेम	17.9.93	श्री एन. के. गुप्ता जू. ई. की जाँच	– वही –
20.	राम विलास पासवान	4.10.93	डी. डी. ए. कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत	– वही –
21.	गुमान मल लोढा	23.11.93	अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार–अखबार में छपी खबर	– वही –
22.	बी. एल. शर्मा प्रेम	14.2.94	धमकी	– वही –
23.	बी. एल. शर्मा प्रेम	22.11.94	श्री वेदप्रकाश से डी. डी. ए. कर्मचारि[illegible] के विरुद्ध शिकायत	– वही –
24.	बी. एल. शर्मा प्रेम	5.12.94	डी. डी. ए. स्टाफ के विरुद्ध शिकायत	– वही –

उत्तर प्रदेश में जलापूर्ति परियोजना के लिए विदेशी सहायता

7527. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में जलापूर्ति की स्थिति में सुधार लाने के लिए विश्व बैंक तथा जापान से सहायता मांगने हेतु कोई परियोजना प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा इसकी कुल अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विश्व बैंक तथा जापान की सहायता से इस परियोजना का विस्तार करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) विश्व बैंक या जापान की सहायता से राज्य में शहरी जल आपूर्ति में सुधार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग का सर्वेक्षण

7528. **श्री पी. कुमारासामी :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें पाए गये खनिज भंडारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में खनिज भंडारों की खोज के प्रयासों को तेज करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). जी, हाँ, पिछले तीन वर्षों के दौरान, तमिलनाडु में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषणों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

लिग्नाइट :—दक्षिण अरकॉट जिले के लालपटटई सेक्टर में 80 मिलियन टन लिग्नाइट ।

स्वर्ण :—उत्तर तथा दक्षिण अरकॉट जिलों में मुदैयर, कोमन्डल व उच्चीमलाई क्षेत्रों के ग्रानुलाईट नाइस भू-भाग अट्टापेडी घाटी में ।

आधारभूत धातुएं :—पेरीयार कोयम्बटूर तथा नीलगिरी जिलों में ।

प्लेटिनम समूह की धातुएं (पी जी एम):—पेरीयार, कोयम्बटूर तथा नीलगिरी जिलों में प्राथमिक अन्वेषण 0.2 ग्राम/टन पीडी, 0.4 ग्राम/टन पीडी तथा 2 ग्राम/टन ए यू दर्शाते हैं ।

मोलिब्डेनम :— धर्मपुरी तथा उत्तरी जिलों में हरूर अलानग्यमि क्षेत्र वालयपट्टी, दक्षिण ब्लाक में 3.178% के औसत एम. ओ. तत्व सहित 4.6 मिलियन टन मोलिब्डेनम।

आयामी पत्थर :— कुनमम क्षेत्र दक्षिण अरकॉट, कृष्णागिरी धर्मपुरी तथा मदुरै जिलों में।

(ग) और (घ). जी, हाँ । आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मे धर्मपुरी जिले में हरूर—उन्तनगराई पट्टी के विस्तार क्षेत्र में मोलिब्डेनम के गवेषण के लिए योजना बनाई है । स्वर्ण के लिए कोयम्बटूर जिले के अनाइकैटी क्षेत्र, लिग्नाइट के लिए कावेरी द्रोणी, थानजापुर, पुडुकोट्टई, पासुमपोन मुथुरामलिन्गम तथा रामानाथापुरम जिले—मोलिब्डेनम तथा वेदासन्दूर तालुक दिनदुगल जिला के भागों में कापर के लिए; और तमिलनाडु के भागों में आयामी पत्थरों के लिए गवेषण की योजना बनाई है ।

विदेश स्थित मिशनों के लिए परिसर किराए पर लेना

7529. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्चायुक्त के सरकारी आवास के पट्टे के पुनर्नवीकरण हेतु लगभग 75 करोड़ रुपए खर्च किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त से इसके बराबर मूल्य वसूलने में असफल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति ने उनके मंत्रालय को भवन के किराए के खर्चे में कटौती करने और विदेशों में अपने भवनों का निर्माण करने का सुझाव दिया है; और

(च) यदि हां, तो इन सुझावों को लागू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) लंदन स्थित भारतीय हाई कमिश्नर के आवास के पट्टे का अप्रैल 1990 से 65 वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण करने के लिए 14 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग के प्रीमियम का भुगतान किया गया।

(ख) उपरोक्त प्रीमियम के लिए सहमति सम्पति का बाजार मूल्यांकन करने के पश्चात तथा सम्पति के मालिक अर्थात द क्राउन एस्टेट कमीशन के साथ बातचीत करने के बाद दी गई।

(ग) और (घ). दिल्ली स्थित ब्रिटिश हाई कमिश्नर के आवास के पट्टे के नवीकरण के मामले में बातचीत चल रही है।

(ङ) जी हां, ऐसी ही सलाह दी गई है।

(च) विदेश स्थित चांसरियों और आवासों के निर्माण तथा निर्मित सम्पति का अधिग्रहण सरकार द्वारा की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो बजट संबंधी संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित होती है।

महाराष्ट्र जलापूर्ति तथा मल व्ययन बोर्ड

7530. **श्री प्रकाश वी. पाटील :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र जलापूर्ति तथा मल व्ययन बोर्ड ने 1994-95 में केन्द्रीय सरकार को सौंपी गई मल व्ययन और पेयजल संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी देने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो इन लम्बित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक मंजूरी दे दी जायेगी ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) 1994-95 के दौरान, महाराष्ट्र जल आपूर्ति तथा मल व्ययन बोर्ड ने 8 जल आपूर्ति स्कीमें तकनीकी अनुमोदन हेतु पेश की, जिसमें से 5 का अनुमोदन किया जा चुका है और शेंदूरजना, बारामती एवं चिखाली टावर नामक बकाया 3 स्कीमें कतिपय मामलों के स्पष्टीकरण हेतु राज्य सरकार को वापस भेज दी हैं।

(ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मिलने पर, इन परियोजनाओं को अनुमोदन देने के लिए तकनीकी रूप से जांच की जाएगी।

पाकिस्तान के साथ बातचीत

7531. **श्री ए. इन्द्रकरण रेड्डी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के साथ कोई बात चीत चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर बातचीत चल रही है और अब तक हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख). पिछले एक वर्ष के दौरान, स्थायी सिन्धु आयोग तथा औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार और तस्करी को रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक तथा तकनीकी स्तर पर वार्ता के कुछ दौर हुए। सीमा सुरक्षा बल तथा पाक रेंजर्स के बीच द्विवार्षिक बैठक निरन्तर होती रहती है। इस प्रकार ये परस्पर हित के मुद्दों पर समय-समय पर किए जाने वाले परामर्शों की एक सतत् प्रक्रिया है और संगत द्विपक्षीय करारों के क्रियान्वयन का एक भाग है।

कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी

7532. **श्री वीरेन्द्र सिंह :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने द्वारका चरण-I में कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों से उन गड्ढों को भरने के संबंध में शिकायतें प्राप्त की हैं जो सोसायटियों को आबंटन से पूर्व भूखण्डों पर विद्यमान थी; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सहकारी समूह आवास समितियों को सलाह दी है कि वे अपने भवनों के नक्शे इस प्रकार बनायें ताकि गड्ढों वाली जमीन की भराई से बचा जा सके।

आयातित यूरिया के लिए राज सहायता

7533. **श्री अमल दत्त :** क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केवल आयातित यूरिया के लिए राज सहायता देती है और देश

में उत्पादित यूरिया एवं नाइट्रोजन युक्त मिश्रित उर्वरकों पर राज-सहायता नहीं देती है;

(ख) क्या इससे मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन में कमी हुई है; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार क्या कदम उठाएगी ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलोरो) : (क) चूंकि यूरिया का निकासी मूल्य निर्धारित है, अतः राज सहायता स्वदेशी और आयातित यूरिया दोनो पर उपलब्ध है । स्वदेशी कम्पलेक्स उर्वरक विशेष रियायत योजना के अन्तर्गत आते हैं जो फास्फेटिक और पोटाशिक मात्राओं से संबंद्ध राज सहायता की व्यवस्था करती है ।

(ख) और (ग). फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों के अनियंत्रण के परिणामस्वरूप, कम्प्लेक्स उर्वरकों के उत्पादन में गिरावट हुई जो उनके मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण अपेक्षाकृत निम्न उठान के कारण हुई :–

उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए उर्वरक उद्योग को निम्नलिखित राहतें/रियायतें दी गई हैं :–

(i) नयी उर्वरक परियोजनाओं तथा वर्तमान संयंत्रों के आधुनिकीकरण/पुनरूद्धार के लिए पूंजीगत माल के आयात पर सीमा शुल्क 23.9.92 से समाप्त कर दिया गया था ।

(ii) फास्फेटिक उर्वरकों के निर्माण में प्रयुक्त फास्फोरिक एसिड पर सीमा शुल्क 27.8.1992 को समाप्त कर दिया गया था ।

(iii) 1.1.1991 के अलावा उसके पश्चात् चालू किए गए नये उर्वरक संयंत्रों या पुनरूद्धार/आधुनिकीकरण परियोजनाओं के मामलें में पूंजीगत माल पर भुगतान किए गए सीमा शुल्क की वापसी तथा आवधिक ऋणों पर ब्याज दरों में 3% की रियायत के लिए 27.2.1993 को एक योजना अधिसूचित की गई थी ।

(iv) फास्फेटिक उर्वरकों तथा उनके कच्चे माल पर लगभग 150 रु. प्रति 1000 कि. मी. की दर से 5.9.92 से रेल भाड़े में कमी की गई थी ।

(v) घरेलू फास्फेटिक उर्वरक निर्माताओं को सस्ते आयातित डी. ए. पी. से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सक्षम बनाने के लिए, स्वदेशी डी. ए. पी., स्वदेशी कम्प्लेक्स उर्वरकों एवं एस. एस. पी. की बिक्री पर विशेष रियायत उपलब्ध है ।

(vi) फास्फेटिक उर्वरकों के निर्माण में स्वदेशी लौह पाइराइट्स के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आयात प्रतिस्थापन प्रोत्साहन की एक योजना कार्यान्वित की गई है ।

गोपाल पुर पत्तन

7534. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोपालपुर लघु पत्तन को एक प्रमुख पत्तन बनाने का है;

(ख) क्या आठवीं योजना अवधि के दौरान इस प्रस्ताव को कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कितनी निधि की व्यवस्था की गई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

सऊदी अरब में भारतीय स्कूल

7535. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रियाद, सऊदी अरब में भारतीय स्कूल बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्कूल को पुनः खोलने हेतु भारतीय दूतावास को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या स्कूल के छात्रों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है; और

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख). जी हां। हज की छुट्टियों के दौरान सऊदी अरब में रियाद स्थित इण्डियन स्कूल बंद कर दिया गया । सऊदी प्राधिकारियों के रियाद में भारतीय समुदाय सहित सभी प्रवासी समुदाय के स्कूलों को अपने-अपने स्कूल बंद कर देने की सलाह दी । क्योंकि उनके विचार से इन स्कूलों

का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त नहीं था ।

(ग) और (घ). जी हां । हमारे राजदूत ने यह मसला स्थानीय प्राधिकारियों के साथ उठाया जिसके सकारात्मक परिणाम रहे । यह स्कूल 21 मई 1995 को पुनः खोल दिया गया ।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठते ।

उड़ीसा में खनन पट्टे

7536. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उड़ीसा में खनन पट्टों का केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना नवीकरण किया गया था ।

(ख) यदि हां, तो पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण संबंधी मंजूरी के बिना नवीकरण किए गए पट्टों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) :(क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाएं

7537. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस विद्युत संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है; और

(घ) इस संयंत्र में विद्युत का उत्पादन कब से शुरू किये जाने की सम्भावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल). : (क) से (घ). नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी) द्वारा राजस्थान के जिला बीकानेर में 240 मेगावाट (2X20 मे. वा.) क्षमता वाले एक लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र को स्थापित करने के एक प्रस्ताव को अप्रैल, 1991 में स्वीकृति प्रदान की गई थी । संसाधनों की कमी के कारण बाद में एनएलसी द्वारा प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की गई । इस परियोजना को अब निजी क्षेत्र में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव रखा गया है । इस केन्द्र में विद्युत उत्पादन शुरू होने के समय का उल्लेख किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि इस परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी के संबंध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

रेल ट्रैक का उपयोग

7538. श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लम्बी दूरी तक ले जाने के लिए रेल ट्रैकों पर माल ट्रकों के सीधे लदान संबंधी भारत-अमरीकी संयुक्त उद्यम परियोजना को स्वीकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप क्या-क्या लाभ प्राप्त होंगे;

(ग) क्या अन्य देशों के साथ भी ऐसी परियोजनाओं के बारे में निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन

7539. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या विदेश मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सामाजिक विकास के संबंध में विश्व शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय शिष्टमंडल का अन्तिम रूप से चयन प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस शिष्टमंडल के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गये ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेष अनुरोधों के बावजूद भी इस शिष्टमंडल में श्रम और ग्रामीण विकास मंत्रालयों तथा ट्रेड यूनियनों का कोई प्रतिनिधि नहीं था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (घ). अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए भारतीय प्रतिनिधिमण्डलों का गठन निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है अर्थात् तात्कालिक विषय-वस्तु के संदर्भ में संबंधित प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य का बातचीत करने का अनुभव और विशेषज्ञता, उसकी सार्वजनिक ख्याति, तथा कार्यात्मक अपेक्षाएं । सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमण्डल की संरचना तय करते समय इस सुस्थापित प्रथा का पालन किया गया था ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक संकल्प पारित करके यह अनुरोध किया था कि राष्ट्रीय सरकारों को सामाजिक विकास विश्व शिखर-सम्मेलन के लिए भेजे जाने वाले अपने प्रतिनिधिमण्डलों में ट्रेड यूनियनों तथा नियोजकों के प्रतिनिधियों को शामिल करने पर विचार करना चाहिए । सामाजिक विकास विश्व शिखर-सम्मेलन के लिए भेजे गए भारत के सरकारी प्रतिनिधिमण्डल में ट्रेड यूनियनों के एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया था।

सामाजिक विकास विश्व शिखर-सम्मेलन के संबंध में भारत की तैयारियों की देखरेख के लिए प्रधान मंत्री ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी जिसमें संसद, गैर-सरकारी तथा स्वैच्छिक संगठनों के सदस्यों, शिक्षा शास्त्रियों और श्रम तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों सहित सामाजिक विकास से सम्बद्ध भारत सरकार के सभी विभागों के प्रतिनिधि थे । उन मंत्रालयों के अभिमत इस शिखर-सम्मेलन के लिए भेजे गए भारतीय प्रतिनिधिमण्डल को उपलब्ध थे ।

[हिन्दी]

मिसाइल कार्यक्रम के संबंध में अमरीका का रुख

7540. **श्री दत्ता मेघे :**
श्री विजय एन. पाटील :
डा. आर. मल्लू :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 मार्च, 1995 के 'जनसत्ता' में "भारत मिसाइल कार्यक्रम आगे न बढ़ाए-अमरीका" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने अमरीका को इस बारे में अपने दृष्टिकोण से अवगत करा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अमरीका की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). सरकार ने कहा है कि पृथ्वी के प्रयोग परीक्षण पूरे कर लिये गये हैं तथा उसकी तैनाती पर विचार किया जा रहा है । इसके अलावा अग्नि प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम के तीन परीक्षण किए जा चुके हैं और कुछ अतिरिक्त परीक्षणों की आवश्यकता है । अमरीका को इस बात से अवगत करा दिया है ।

पाकिस्तान का आतंकवाद में हाथ होने के संबंध में वृत्त चित्र

7541. **श्री गुमान मल लोढा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 मार्च, 1995 के 'द हिन्दू' में "पाक बिहाइंड टेरोरिज्म इन इंडिया : डाक्यूमेंट्री" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या "टेरोरिज्म इनकार्पोरेटेड" नामक डाक्यूमेंट्री का प्रसारण अमरीका में किया गया था;

(ग) यदि हां, तो उक्त वृत्त चित्र की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इन गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) बताया जाता है कि इस वृत्त चित्र में इस बात का विवरण दिया गया है कि पाकिस्तान की सरकार कश्मीर में, शेष भारत में और विश्व के कई भागों में आतंकवाद का किस तरह समर्थन करती है । रिपोर्टों से इस बात का भी संकेत मिलता है कि इस वृत्तचित्र में पूर्व अमरीकी विदेशमंत्री श्री जेम्स बेकर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के तथाकथित प्रधानमंत्री की भेंट वार्ताएं शामिल हैं और इस वृत्तचित्र का उद्देश्य यह उजागर करना है कि आतंकवाद और विध्वंस पाकिस्तान की क्षेत्रीय कूटनीति के महत्वपूर्ण घटक बन गए हैं ।

(घ) सरकार पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर काबू पाने के लिए दृढ़ कार्रवाई करने के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली के लिए बराबर प्रयास कर रही है । अन्तर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत सरकार भारत की वास्तविक स्थिति तथा पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध किए जा रहे मिथ्या और दुर्भावनापूर्ण कुप्रचार के विश्व समुदाय को अवगत कराती रही है और साथ ही विश्व समुदाय से यह अनुरोध करती रही है कि उसे चाहिए कि वह पाकिस्तान से जोर देकर यह कहे कि वह ऐसे कार्य न करे और भारत में आतंकवाद का प्रायोजन करना बंद कर दे ।

[अनुवाद]

परमाणु हथियार मुक्त विश्व

7542. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या भारत ने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित दक्षिण एशिया में परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र की स्थापना जैसी क्षेत्रीय व्यवस्था से सुरक्षा भ्रामक है;

(ख) क्या भारत ने पहले परमाणु हथियार मुक्त विश्व की स्थापना के लिए किसी कार्य योजना का प्रस्ताव किया था और अभी भी इस संबंध में पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार है;

(ग) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान इस प्रस्ताव पर सहमत हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हां ।

(ख) भारत ने 1988 में निरस्त्रीकरण से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र महासभा के तीसरे विशेष सत्र में नाभिकीय अस्त्र मुक्त विश्व के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत की थी जिसमें इस विषय पर बहुपक्षीय बातचीत की बात कही गई थी ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

पाकिस्तान के परमाणु हथियार

7543. **श्री पी. सी. थामस : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा परमाणु-अस्त्रों के निर्माण करने के प्रयास के बारे में तथ्यों के उजागर होने से परमाणु अप्रसार संधि के बारे में भारत के दृष्टिकोण को बल मिला है;

(ख) उजागर हुए तथ्यों के बारे में मुख्य-मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के दृष्टिकोण को अन्य देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख). सरकार ने नाभिकीय अप्रसार संधि पर सदा एक सी और सैद्धान्तिक नीति का अनुसरण किया है। भारत के विचार से अप्रसार संधि अपने वर्तमान स्वरूप में एक भेदभावपूर्ण संधि है क्योंकि यह नाभिकीय अस्त्र सम्पन्न राज्यों तथा नाभिकीय अस्त्र रहित राज्यों के बीच विभाजन करती है। इसके अलावा अप्रसार संधि नाभिकीय हथियारों के क्षितिजीय तथा उर्ध्वाधर प्रसार रोकने में असफल रही है । सरकार को पाकिस्तान के गुप्त नाभिकीय शस्त्रोन्मुख कार्यक्रम संबंधी प्रयासों की पूरी जानकारी है ।

(ग) और (घ). अप्रसार संधि के 178 पक्षकार राज्य हैं और इन्होंने आम राय से इस संधि को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा देने का निर्णय लिया है । यह भारत की स्थिति के विरुद्ध है ।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादन

7544. **श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकाधिक उद्योगपति धीरे-धीरे अपने उद्योगों को छोड़ कृषि-प्रसंस्करण उद्योग स्थापित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बदले हुए परिदृश्य के फलस्वरूप किसानों को लाभ होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकारों का ऐसे क्या उपाय करने का विचार है कि इसका किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी हां। कुछ उद्योग अपने उद्योगों को छोड़कर कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में आ रहे हैं ।

(ख) घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की क्षमता और विस्तार, सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों और नीति संवर्धन उपायों के फलस्वरूप इस क्षेत्र में पूँजी निवेश को बढ़ावा मिल रहा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

भारतीय इन्क्लेवों में भारतीय नागरिक

7545. **श्री अमर रायप्रधान : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार से बंगलादेश में भारतीय इन्क्लेवों में भारतीय नागरिकों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने का कोई अनुरोध किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन इन्क्लेवों में कोई शिष्टमंडल भेजा गया था;

(घ) यदि हां, तो इस शिष्टमंडल के अध्ययन निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार के पास गत तीन वर्षों के दौरान इन इन्क्लेवों में मारे गए भारतीय नागरिकों के संबंध में कुछ आंकड़े हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) हमें बंगलादेश स्थित भारतीय एनक्लेवों में भारतीय नागरिकों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु एक उच्च-स्तरीय शिष्टमंडल भेजने का किसी से कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता ।

(च) बंगलादेश के भीतर इन एनक्लेवों पर भारत सरकार का कोई प्रशासनिक नियंत्रण अथवा पहुंच नहीं है । सरकार के पास इन एनक्लेवों के निवासियों की स्थिति के सम्बन्ध में कोई विश्वस्त आंकड़े/सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

फ्लाई ऐश

7546. श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो ने भवन सामग्री में फ्लाई ऐश के इस्तेमाल के लिए कोई मानक निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मानकों को भवन संहिता में सम्मिलित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) बी. आई. एस. द्वारा उड़नराख–चूना–बालू ईंटों, पकी मिट्टी राख ईंटों, खाँचेदार कंक्रीट खण्डों और पाटयों बाबत मानक तैयार और प्रकाशित किए गए हैं ।

(ख) और (ग). भारतीय राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड, 1983 में उडनराख का भस्म (पोजुओलान) और सम्मिश्रण (एडिमिक्चर) के रूप में उपयोग" हेतु आई. एस. 3812-1981 कोटि तथा उड़राख नमुनाकरण विधि" हेतु आई. एस. 6491-1972 शामिल किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष का प्रत्यर्पण

7547. श्री मोहन रावले : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1984 में हुई भोपाल गैस दुर्घटना के संबंध में वांछित यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के पूर्व चेयरमैन वारेन एंडर्सन के प्रत्यर्पण के लिए अमरीका सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (ग). यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष के प्रत्यर्पण से सम्बद्ध मामले के विभिन्न पहलू सरकार के विचाराधीन हैं ।

खनन से संबंधित पट्टों का नवीकरण

7548. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में कुछ कम्पनियों के खनन से संबंधित पट्टों के नवीकरण को स्वीकृति नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे कितने मामले केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े हैं अथवा कितने मामलों में खनन संबंधी पट्टे नहीं दिए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन मामलों को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

बंगलादेश द्वारा शुरू किया गया अभियान

7549. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बंगलादेश की सरकार और राजनीतिक पार्टियों द्वारा बराक नदी पर बांध और दराज के निर्माण और फरक्का बराज के विरुद्ध पुनः शुरूकिए प्रचार अभियान के बारे में हाल के समाचारों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में बंगलादेश के साथ चर्चा आरम्भ की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस देश को इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) ऐसे प्रचार से निपटने के लिए वहां स्थित भारतीय उच्चायोग के माध्यम से क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हाँ।

(ख) सरकार को बंगलादेश की सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के हवाले से बंगलादेश के समाचार पत्रों में छपी उन खबरों की जानकारी है जिनमें बराक नदी पर प्रस्तावित बांध तथा बैराज बनाने, और फरक्का बैराज पर प्रतिकूल टीका-टिप्पणी की गई है।

(ग) और (घ). जी हाँ। बंगलादेश की सरकार को उन लाभों से अवगत करा दिया गया है जो बराक नदी पर प्रस्तावित बांध के निर्माण से बाढ़ नियंत्रण और नदी जल वृद्धि के रूप में बंगलादेश को मिलेंगे। यह वराज नदी के अनुप्रवाह से 95 कि. मी. पर स्थित होगा और इससे असम में और अधिक भूमि की सिंचाई हो सकेगी। फरक्का बेराज के संबंध में बंगलादेश में व्यक्त प्रतिकूल विचारों के मसले को भी बंगलादेश की सरकार, अन्य राजनीतिक दलों तथा समाचार जगत के साथ उठाया गया है।

(ङ) भारत सरकार इन मसलों के संबंध में वास्तविक स्थिति से बंगलादेश की सरकार, राजनीतिक दलों के नेताओं और समाचार जगत को हमारे हाई कमीशन तथा अन्य माध्यमों के जरिए बराबर अवगत कराती रही है ताकि इस बात का सुनिश्चय हो सके कि इन मसलों को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जा रहा है।

कश्मीर में पाकिस्तान का हाथ होने संबंधी अमरीकी रिपोर्ट

7550. **डा. एस. पी. यादव :**
श्री रवि राय :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अप्रैल, 1995 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में 'यू एस गवर्नमेंट एक्सप्रेस पाक हंड इन कश्मीर ट्रबल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार ने अमरीका के साथ कोई बातचीत की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) "पैटर्नस ऑफ ग्लोबल टैररिज्मः 1994" पर अमरीका के विदेश विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया गया है कि "कश्मीरी उग्रवादियों को पाकिस्तान की सरकार द्वारा समर्थन के संबंध में विश्वसनीय खबरें हैं।" इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि कश्मीरी उग्रवादियों द्वारा विदेशियों को अपना लक्ष्य बनाए जाने के परिणामतः 1994 में कई गणमान्य व्यक्तियों का अपहरण हुआ जिनमें अक्टूबर में ब्रिटिश और अमरीकी नागरिकों का अपहरण और जून, 1994 में श्रीनगर के समीप ब्रिटिश पर्यटकों का अपहरण भी शामिल है।

12 मार्च, 1993 को बम्बई में हुए बम विस्फोटों का जिक्र करते हुए इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह आरोप है कि "मैमन परिवार ने बम्बई पर हमला किया था" और यह कि भारत सरकार का दावा है कि याकूब मैमन के पास ऐसे दस्तावेज थे जो पाकिस्तान को दोषी ठहराते हैं।

हरकत-उल-अंसार से संबंधित एक अलग खण्ड में कहा गया है कि यह दल मुजफ्फराबाद आस्थानी है और मानवीय और यह सैन्य सहायता देकर "भारत अधिकृत कश्मीर" में मुसलमानों को सक्रिय रूप से समर्थन दे रहा है; कि हरकत-उल-अंसार के पास कई हजार सशस्त्र सदस्य हैं जो "आजाद कश्मीर" में, भारत की दक्षिणी कश्मीर घाटी में और डोडा क्षेत्रों में फैले हुए हैं; और यह कि इसके सदस्य कश्मीर, बर्मा, ताजिकिस्तान और बोस्निया में विद्रोही एवं आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेते रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार हरकत-उल-अंसार के सैन्य पोषण का स्रोत और उसकी तादाद अज्ञात है लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन्हें यह सहायता हमदर्द अरब देशों; समृद्ध पाकिस्तानियों और कश्मीरियों से मिलती है।

रिपोर्ट के पाकिस्तान से संबंधित खण्ड में यह बात दोहराई गई है कि हालांकि पाकिस्तान की सरकार इस बात को नकारती रही है फिर भी "1994 में ऐसी विश्वसनीय खबरें प्राप्त हुई थीं जिनके अनुसार पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर कश्मीरी उग्रवादियों को समर्थन दिया"।

विदेश विभाग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वर्ल्ड सिख आरगनइजेशन और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन बब्बर खालसा, आजाद खालिस्तान बब्बर खालसा फोर्स, खालिस्तान लिब्रेशन फ्रंट और खालिस्तान कमांडो फोर्स जैसे उन दलों के लिए बाह्य सहायता के स्रोत हैं जो उत्तरी भारत, पश्चिमी यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया और उत्तरी

अमरीका में कार्यरत हैं ।

(ग) से (ङ). भारत में विशेषरूप से जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद को मिलने वाले समर्थन के संबंध में भारत की चिन्ताओं के संबंध में सरकार अमरीकी सरकार से बातचीत कर रही है । इस बात को बल देकर कहा गया है कि इस बात का अकाट्य साक्ष्य मौजूद है कि पाकिस्तान शस्त्रों और उपकरणों की आपूर्ति करके, प्रशिक्षण देकर तथा घुसपैठ के जरिए भारत में सक्रिय रूप से आतंकवाद का प्रायोजन कर रहा है। अमरीकी सरकार को इस बात से भी अवगत करा दिया गया है कि अभी हाल ही में चरार-ए-शरीफ दरगाह को जलाने में भाड़े के विदेशी सिपाहियों और उग्रवादियों का हाथ था।

अमरीका की स्थिति यह है कि उनके पास जो उपलब्ध साक्ष्य हैं वे ऐसे किसी तर्क का समर्थन नहीं करते हैं कि पाकिस्तान को आतंकवादी सूची में रखा जाए ।

शांति मिशन

7551. श्री पी. सी. चाक्को : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सरकार ने भारतीय शांति सेना को संयुक्त राष्ट्र अंगोला जांच मिशन (यूनाइटेड नेशन्स अंगोला वेरिफिकेशन मिशन) में शामिल होने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मिशन में भारतीय सेना का कोई विशेष कार्य है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय सेना ने गत तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र के किसी अन्य मिशन में भाग लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या भारतीय सेना के सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र के शान्ति मिशनों में भाग लेने के लिए उपयुक्त पारितोषिक दिया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मिशनों में भाग लेने वाले भारतीय सैन्य दलों के मनोबल को बढ़ाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जायेंगे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख). जी हां। सरकार ने संयुक्त राष्ट्र अंगोला जांच मिशन (यू. एन. ए. वी. ई. एम.) के लिए एक सैन्य टुकड़ी भेजने की स्वीकृति जारी कर दी है जिसमें सभी रैंकों के 1014 कार्मिक हैं । इसके अतिरिक्त इस मिशन में तैनाती के लिए 19 सैन्य प्रेषक तथा 49 स्टाफ अधिकारी भी नामित किए गए हैं । अंगोला पहुंचने पर भारतीय सैनिक वही काम करेंगे जो उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा सौंपा जाएगा ।

(ग) और (घ). भारतीय दलों ने शान्ति स्थापना की सभी कार्यवाहियों में उच्च कोटि की भूमिका निभायी है तथा अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त उन्होंने स्थानीय कोटि की भूमिका निभायी है तथा अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त उन्होंने स्थानीय जनता को चिकित्सा, इंजीनियरी सेवाएँ और अन्य सहायता दी है; सभी लाभभोगियों और संयुक्त राष्ट्र ने इसकी अत्यधिक सराहना की है ।

(ङ) और (च). पिछले तीन वर्षों में भारतीय सैनिकों ने कोलम्बिया, मोजाम्बिक, सोमालिया, रवांडा तथा लाईबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भाग लिया है जिसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

1.	यू. एन. टी. ए. सी., कोलम्बिया	1992–94	सभी रैंकों के 1373 कार्मिक
2.	ओ. एन. वी. एम. ओ. जेड, मोजाम्बिक	1992–94	सभी रैंको के 938 कार्मिक, 20 सैन्य प्रेक्षक और 20 स्टाफ आफिसर
		1994–95	सभी रैंकों के 75 कार्मिक 18 सेन्य प्रेक्षक तथा 11 स्टाफ अधिकारी
3.	यू. एन. ओ. एस. ओ. एम, सोमालिया	1993–94	सभी रैंकों के 4976 कार्मिक 24 स्टाफ अधिकारी

4.	यू एन ए एम आई आर, रवांडा	1994	सभी रैंकों के 925 कार्मिक 20 सैन्य प्रेक्षक
5.	यू एन ओ एम आई एल, लाईबेरिया	1994	20 सैन्य प्रेक्षक
6.	यू एन आई के ओ एम, कुवैत	1991	6 सैन्य प्रेक्षक
7.	ओ एन यू एस ए एल, अल–साल्वाडोर	1991–93	7 सैन्य प्रेक्षक

(छ) भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना कार्रवाइयों में कार्य करने की अवधि के दौरान संयुक्त राष्ट्र के मानक वेतनमानों का भुगतान किया जाता है ।

(ज) संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना कार्रवाईयों में भाग लेने वाले भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उनसे मुलाकात करते हैं । सैनिकों की शिकायतों, यदि कोई हों, तो दूर करने के लिए समय–समय पर सैनिक सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाता है ।

महिलाओं पर वीजिंग सम्मेलन

7552. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री पी. सी. चाक्को :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश ने महिलाओं पर आगामी वीजिंग सम्मेलन में सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए "सार्क" अनुसचिवीय सम्मेलन बुलाने का कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या बंगलादेश ऊर्जा और दिल्ली शिखर सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी उनको शामिल करके 12 सूत्री "सार्क" कार्यसूची (एजेंडा) को बढ़ाना चाहता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख). जी हां। बंगलादेश की सरकार ने नई दिल्ली में 27 से 29 अप्रैल, 1995 तक सम्पन्न सार्क स्थायी समिति के 20वें सत्र में एक प्रस्ताव रखा था जो महिलाओं के सम्बन्ध में सितम्बर, 1995 में वीजिंग में होने वाले चतुर्थ विश्व सम्मेलन के लिए तैयारी के सिलसिले में ढाका में सार्क मंत्रीस्तरीय बैठक बुलाने से सम्बद्ध था । सभी प्रतिनिधिमंडलों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और सार्क मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन किया ।

(ग) और (घ). इस स्थायी समिति के 20 वें सत्र के दौरान बंगलादेश के प्रतिनिधिमंडल के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध सार्क तकनीकी समिति में ऊर्जा को सहयोग के एक क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियां

7553. **श्री मंजय लालः** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियां टोकियो में रेनकोजी, बौद्ध मंदिर में रखी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जापान के लोग, जिन्होंने इन अस्थियों को पांच दशक से अधिक समय तक सुरक्षित रखा है वे हमारे देश से इन अस्थियों को भारत वापस ले जाने की मांग कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार नेताजी की इन अस्थियों को वापस लाने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (च). बताया जाता है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का निधन 18 अगस्त, 1945 को ताईपे (ताइवान) में हो गया था । दो दिन के बाद उनके पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करके उनकी अस्थियों को

जापान भेज दिया गया था। तब से उनकी आस्थियां टोकियो स्थित नकानो के रेनकोजी बौद्ध मंदिर में रखी हुई हैं।

18 अगस्त, 1945 को हुई विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु के संबंध में भारत सरकार ने दो जांच आयोग नियुक्त किए थे। पहली जांच समिति का गठन 1956 में किया गया था और स्व. श्री शाह नवाज खान इसके अध्यक्ष थे तथा नेताजी के अग्रज श्री एस. सी. बोस भी इस समिति में शामिल थे। अधिकांश लोगों का विचार था कि विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई थी और रेनकोजी मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की ही हैं। बहरलाल नेताजी के भाई श्री ए. सी. बोस ने इसके विरुद्ध विचार व्यक्त किया था। 1970 में एक-सदस्यीय न्यायमूर्ति श्री जी. डी. खोसला समिति का भी यही निष्कर्ष था कि रेनकोजी मंदिर में रखे कलश में नेताजी की अस्थियां हैं। फिर से नई जांच करवाने के प्रयास भी किए जाते रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति की महत्ता के अनुरूप श्रद्धा और सम्मान सहित उनकी अस्थियों को भारत लाने के संबंध में भी प्रयास होते रहे हैं। बहरहाल बहुत से लोग जिनमें नेताजी के भतीजे भी शामिल हैं नेताजी की तथा-कथित मृत्यु की घटना पर और इस बात पर अभी भी शंका व्यक्त करते हैं कि क्या ये अस्थियां वास्तव में नेताजी की ही हैं। जापान में भी, जहां कि नेताजी की अस्थियां रखी हुई हैं, रेनकोजी मंदिर की ओर से तथा नेताजी के जापानी सहयोगियों की ओर से बार-बार नेताजी की अस्थियों को भारत लौटाने के अनुरोध मिलते रहे हैं। नेताजी की मृत्यु का प्रश्न भावनाओं से जुड़ा है और इसके संबंध में विचार वैभिन्य बना हुआ है। भारत सरकार का विचार है कि सर्वसम्मति के अभाव में नेताजी की अस्थियों को भारत लाना विभाजक सिद्ध हो सकता है और उससे तनाव पैदा होने की संभावना है।

[अनुवाद]

मंदबुद्धि वाले बच्चों के लिए स्कूल हेतु भूमि का आबंटन

7554. **श्री राम प्रसाद सिंह :**
डा. जी. एल. कनौजिया :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मंदबुद्धि वाले बच्चों के लिए स्कूल स्थापित करने के लिए कम दर पर भूमि उपलब्ध कराती है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ सोसाइटियों, जिन्हें दिल्ली में ऐसे स्कूल स्थापित करने के लिए सहायता अनुदान तथा विशेष अनुदान प्राप्त हो रहे हैं, जमीन को ऊँचे भाव पर बेच दिया है तथा पैसे बैंक में जमा कर दिए हैं तथा उन पैसों का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी सोसाइटियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही/किए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार स्कूलों को स्थापित करने के लिए दी गई जमीन को सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). जैसे ही आबंटित सम्पत्तियों के दुरुपयोग के मामले पट्टा प्रशासक प्राधिकारियों के ध्यान में आते हैं तो उन पर भूमि के स्वामित्व वाली एजेंसियों द्वारा आबंटन/पट्टे की शर्तों और निबन्धनों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। उनके उल्लंघन पर आबंटन रद्द करने/परिसरों के पुनः प्रवेश सहित प्रभारों का भुगतान करना होगा।

नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड में विस्फोट

7555. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एडं केमिकल्स लिमिटेड में एक विस्फेट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उससे इस इकाई को कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) सरकार द्वारा उत्पादन को पिछले सामान्य स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). एन एफ सी एल के संयंत्र में कोई विस्फोट नहीं हुआ था। तथापि..,कम्पनी ने बताया है कि आन्ध्र प्रदेश तट से दूर ओ एन जी सी के रिंग पर आग लगने के कारण 5 जनवरी 1995 के दौरान 5 दिन की अवधि के लिए संयंत्र में यूरिया का उत्पादन प्रभावित हुआ था, 8.50 करोड़ रु. के मूल्य के लगभग 10,000 मी. टन यूरिया के उत्पादन की हानि हुई थी। 5 दिन के पश्चात गैस की आपूर्ति पुनः चालू हुई थी। तथापि, किसानों को यूरिया की आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई थी क्योंकि कम्पनी ने पूर्व उत्पादित भण्डार से यूरिया की आपूर्ति की।

गुजरात में उर्वरक एकक

7556. **श्री हरिलाल ननजी पटेल :**
डा. खुशीराम डूंगरोमल जेस्वाणी :
श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993--94 और 1994=95 को दौरान गुजरात में उर्वरक एककों को कितनी राजसहायता प्रदान की गई;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौराम कितनी राजसहायता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में इन एककों द्वारा वर्ष-वार और एकक=वार उर्वरकों का कुल कितना उत्पादन किया गया ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान, गुजरात में स्थित विभिन्न स्वदेशी उर्वरक निर्माता एककों को राज सहायता के रूप में क्रमशः 569.23 करोड़ रुपए और 672.37 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था।

(ख) स्वदेशी उर्वरकों पर राजसहायता के भुगतान के लिए 1995-96 के बजट में 3750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से गुजरात में एककों को राजसहायता के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि वर्ष के दौरान उनके उत्पादन के स्तर पर निर्भर करेगी। बजट में राज्य-वार राजसहायता का कोई आबंटन नहीं किया जाता।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में विभिन्न एककों द्वारा उर्वरकों के उत्पादन के ब्यौरे इसके उत्तर के साथ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान गुजरात में एकक=वार नाइट्रोजन (एन) और पोटाश (पी) पोषक उर्वरकों का उत्पादन।

(000 मी. टन)

संयत्र का नाम	न्यूट्रिएन्ट	1992-93	1993-94	1994-95
(i) सहकारी क्षेत्र :				
इफको : कलोल	(एन)	155.9	164.5	189.9
काण्डला	(एन)	118.6	132.2	145.3
	(पी)	308.1	341.4	377.3
कृभको : हजीरा	(एन)	775.8	697.1	674.3
(ii) निजी क्षेत्र :				
जी एस. एफ. सी. : बड़ौदा	(एन)	311.5	264.1	268.1
	(पी)	74.5	62.9	59.6
जी. एन. एफ. सी. : भरूच	(एन)	357.6	367.4	382.0
	(पी)	30.2	26.6	29.9
जी. एस. एफ. सी. : सिक्का	(एन)	72.5	75.5	95.4
	(पी)	185.6	193.0	243.8

(000 मी. टन)

संयंत्र का नाम		न्यूट्रिएन्ट	1992=93	1993=94	1994=95
साइनाइड एण्ड कैमिकल्स : सूरत		(एन)	0.3	0.6	0.6
जी. एस. एफ. सी. : पोलीमार एकक		(एन)	1.9	1.7	1.3
सिंगल सुपर फास्फेट संयंत्र :					
1.	आदर्श कैमिकल्स	(पी)	6.2	6.8	13.7
2.	जी. एस. आई. लि.	(पी)	–	–	–
3.	ग्रोमोर	(पी)	2.7	–	–
4.	जी.एम.सी.सी. : झार	(पी)	4.1	3.9	3.9
5.	रामा फर्टिलाइजर्स	(पी)	4.5	2.2	41.5
6.	नर्मदा एग्रो	(पी)	–	4.3	0.4

ग्रामीण आवासीय योजना

7557. **श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "हुडको" द्वारा 1994-95 तक कुल कितनी ग्रामीण आवासीय योजनाओं का वित्त पोषण किया गया, इन योजनाओं के अंतर्गत निर्मित आवासों की कुल संख्या कितनी है और उन पर कुल कितनी लागत आई है;

(ख) इन आवासों की संख्या और खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये योजनाएं केन्द्रीय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वित की गई हैं; और

(घ) इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठाने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित लाभार्थियों द्वारा क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख). 31.3.95 की स्थिति के अनुसार, हुडको ने विभिन्न राज्यों 1595 ग्रामीण आवास स्कीमें स्वीकृत की हैं । 2151.72 करोड़ रुपये लागत वाली इन परियोजनाओं के लिए हुडको की ऋण वचनबद्धता 1164.36 करोड़ रुपये है । ये परियोजना पूरी होने पर 2846695 रिहायशी एकक मुहैया करायेंगी । स्वीकृत ऋण और एककों का राज्यवार विवरण संलग्न है ।

(ग) ग्रामीण आवास योजनाएँ, राज्य सरकार द्वारा नामित एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित हो जाती हैं ।

(घ) हुडको व्यक्तिगतों को सीधे ही धन मुहैया नहीं कराता । सभी स्कीमें राज्य एजेंसियों, सहकारी समितियों, गैर सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं ।

विवरण

क्र. सं.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	स्वीकृत ऋण (रु. करोड़ में)	स्वीकृत रिहायती एकक
1.	आन्ध्र प्रदेश	189.97	537767
2.	आसाम	5.84	7630
3.	बिहार	31.65	63798
4.	गुजरात	91.94	315161
5.	हिमाचल प्रदेश	2.44	3108
6.	हरियाणा	9.50	19774
7.	जम्मू तथा कश्मीर	2.05	4430
8.	केरल	172.46	329970
9.	कर्नाटक	162.37	549246
10.	मेघालय	5.79	2475
11.	महाराष्ट्र	35.75	110526
12.	मणिपुर	1.00	416
13.	मध्य प्रदेश	7.37	31364
14.	उड़ीसा	71.97	73392
15.	पंजाब	26.00	66508
16.	राजस्थान	19.43	43545
17.	सिक्किम	1.17	500
18.	तमिलनाडु	166.64	335064
19.	त्रिपुरा	1.45	964
20.	उत्तर प्रदेश	128.60	325005
21.	पश्चिम बंगाल	30.96	26045

लोहा और इस्पात के मूल्य में वृद्धि

7558. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत साढ़े तीन वर्षों के दौरान लोहा और इस्पात के मूल्यों में वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके लिए कौन-कौन से कारक जिम्मेदार हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). दिनांक 16.1.1992 से लोहे तथा इस्पात के मूल्यों और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त कर दिये जाने के पश्चात् मुख्य इस्पात उत्पादन अपनी आदान लागतों, उत्पाद-शुल्क दर में परिवर्तनों एवम् विद्यमान बाजार संबंधी दशाओं को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादों का मूल्य-निर्धारण स्वयं करते हैं। गौण उत्पादक अपने मूल्यों का निर्धारण करने के लिए इस तिथि के पहले से ही स्वतंत्र थे। पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान देश में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि. द्वारा उत्पादित लोहे तथा इस्पात सामग्री के कारखाना बाह्य मूल्यों में संशोधन (उत्पाद-शुल्क-दर और भाड़ा में परिवर्तन से प्रभावित मूल्य-वृद्धि को छोड़कर) और मूल्य वृद्धि के कारण निम्नानुसार दिए गए हैं:–

तिथि	वृद्धि की मात्रा	वृद्धि के कारण
19.5.1992	आधार/कारखाना–बाह्य मूल्यों में औसतन 15%।	आदान लागतों की आंशिक भरपाई के लिए सामान्य मूल्य वृद्धि
3.2.1992	आधार/कारखाना–बाह्य मूल्यों में औसतन 2.3%	मूल्य ढांचे को युक्तिसंगत बनाने एवम् मध्यवर्ती काल में आदान लागतो की आंशिक भरपाई हेतु।
1.1.1994	आधार/कारखाना–बाह्य मूल्यों में 5%	आदान लागतों में वृद्धि की आंशिक भरपाई हेतु सामान्य औसतन मूल्य वृद्धि।
3.6.1994	आधार/कारखाना–बाह्य मूल्यों में औसतन 3.5%।	आदान लागतों में वृद्धि की आंशिक भरपाई हेतु सामान्य वृद्धि।
1.11.1994	आधार/कारखाना–बाह्य मूल्यों में औसतन 3% (केवल कुछ खास मदों के लिए)।	कुछ चयनित मदों के संदर्भ में प्रतिस्पर्धी बाजार परिदृश्य अन्य स्वदेशी उत्पादकों के मूल्यों तथा आयात उतराई की लागत के कारण मूल्य समायोजन।
1.1.1995	आधार/कारखाना–बाह्य मूल्यों में औसतन 5%।	प्रतिस्पर्धी बाजार परिदृश्य तथा अन्य स्वदेशी उत्पादकों के मूल्यों व आयात उतराई तक की लागत के कारण मूल्य समायोजन।

माल भाड़े की अधिकतम सीमा

7559. **श्री दत्तात्रेय बंडारू:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार माल भाड़े की अधिकतम सीमा को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो मूल सूचकांक पर इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या इसे समाप्त किये जाने से पिछड़े क्षेत्रों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात कम्पनियों द्वारा विशाखापट्टनम तथा मद्रास स्टाक यार्डों से की जाने वाली इस्पात की बिक्री के सम्बन्ध में किन्हीं निश्चित सिद्धान्तों का पालन नहीं किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ). इस्पात के मूल्यन और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त किए जाने के पश्चात प्रमुख उत्पादक स्टाकयार्ड तक का वास्तविक भाड़ा अथवा पहले की भाड़ा समकरण योजना के तहत बने भाड़ा घटक, इनमें से जो भी कम हो, वसूल कर रहे हैं। इस संबंध में पड़ने वाला अतिरिक्त भार प्रमुख उत्पादकों द्वारा स्वयं वहन किया जा रहा है। प्रमुख इस्पात उत्पादकों ने बताया है कि इस्पात आयात पर शुल्कों में की गई कमी और घरेलू उत्पादकों की प्रतिस्पर्द्धा में हुई वृद्धि के साथ केवल प्रमुख उत्पादकों पर लगाई जाने वाली भाड़ा निर्धारित सीमा उन्हें बाधा में डालती है। इसलिए उन्होंने आग्रह किया है कि प्रमुख उत्पादकों को वास्तविक भाड़ा वसूल किए जाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। मामले की जांच की जा रही है।

(ङ) और (च). सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक इस्पात कम्पनी की विपणन नीति उनके सभी शाखा विक्रय कार्यालयों, जिसमें विशाखापट्टनम और मद्रास स्थित शाखा विक्रय कार्यालय भी शामिल हैं, में अपनाई जाती है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं

7560. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहयोग से अथवा उसके बिना राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अप्रैल-मई, 1995 के दौरान अमरीका में बसे अनिवासी भारतीय कुछ परियोजनाओं के ठेके प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का चक्कर लगा रहे थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या इनके लिये अन्तर्राष्ट्रीय निविदा आमंत्रित की गई थी तथा क्या यह निविदा पत्र केवल दो या तीन देशों के लिए ही जारी किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इन प्रस्तावित परियोजनाओं की लागत का ब्यौरा क्या है तथा किन देशों को ये निविदा पत्र जारी किए गए थे और स्वदेशी या विदेशी प्रौद्योगिकियों में से उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चयन करने हेतु राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा कोई जांच की गई है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) नेशनल मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (एन. एम. डी. सी.) द्वारा पिछले 5 वर्षों (1990 से) के दौरान चालू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

	लौह अयस्क	चालू करने का वर्ष
1.	टर्शियरी क्रसिंग प्लान्ट, बैलाडिला निक्षेप नं. 5, जिला बस्तर, मध्य प्रदेश	1990
2.	विशाखापट्टणम, आन्ध्र प्रदेश, में स्क्रीनिंग प्लान्ट	1991
3.	केन्द्रीय कर्मशाला, जिलस्बस्तर, मध्य प्रदेश :	1993

	लौह अयस्क	चालू करने का वर्ष
4.	बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना, निक्षेप-14, जिला बस्तर, मध्य प्रदेश	1994
5.	बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना, निक्षेप 11-सी, जिला बस्तर, मध्य प्रदेश-द्वितीय चरण	
	चूना पत्थर	1994
	चूना पत्थर	
6.	चावण्डिया चूना-पत्थर परियोजना जिला नागौर, राजस्थान	1994

उपरोक्त परियोजनाएं किसी भी विदेशी सहयोग के अन्तर्गत नहीं हैं।

(ख) और (ग). एन. एम. डी. सी. बैलाडिला खानों से अपनी नीली धूलि (उच्च शुद्धता युक्त चूर्ण रूप में लोह अयस्क) का उपयोग करके अति शुद्ध फैरिक आक्साइड का उत्पादन करने के लिए संयंत्र स्थापित कर रहा है। एन. एम. डी. सी. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मैसर्स इन्टरनेशनल स्टील सर्विसेज इंक (आई. एस. एस. आई.), अमरीका जिन्होंने भी निविदा के लिए दर सूची दी थी, के प्रतिनिधियों के साथ अप्रैल-मई, 1995 में परियोजना के संबंध में तकनीकी और वाणिज्यिक बातचीत हुई थी।

(घ) और (ङ). एन. एम. डी. सी. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उपयुक्त प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और यू. एन. डी. पी. समर्थित कार्यक्रमों के अधीन किए गए अध्ययनों की पर्याप्त जांच करने के बाद तीन पार्टियों संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रिया और रूस प्रत्येक से चुनी गई एक-एक पार्टी से अन्तर्राष्ट्रीय सीमित निविदाएं आमन्त्रित की गई थीं। इस प्रकार की प्रौद्योगिकी का प्रस्ताव देने योग्य कोई भारतीय कम्पनी नहीं पाई गई। एन. एम. डी. सी. द्वारा यथा अनुमोदित परियोजना लागत 45.97 करोड़ रुपए है।

खाड़ी देशों में भारतीय नौकरानियां

7561. श्री राम कापसे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाड़ी देशों में गयी भारतीय नौकरानियों के साथ धोखा किया जा रहा है और उन्हें वहां से चले जाने को कहा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन नौकरानियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) सरकार को समय-समय पर शिकायतें मिलती रहती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ मजदूरी की अदायगी न किए जाने अथवा उसमें विलम्ब होने, पर्याप्त प्रतिपूर्ति के बिना लम्बे तथा श्रमसाध्य कार्यसमय, भारत आने के लिए छुट्टी न दिए जाने और हवाई यात्रा की सुविधा न दिए जाने, प्रायोजकों/नियोजकों द्वारा कामगारों के यात्रा-दस्तावेज अपने पास रख लिए जाने, संविदात्मक दायित्वों का निर्वाह न करने तथा सामान्य दुर्व्यवहार से संबंधित शिकायतें भी होती हैं।

अधिकांश नौकरानियाँ अनपढ़ होती हैं इसलिए उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती। उन्हें भर्ती एजेन्ट धोखा देकर उनसे ऐसी संविदाओं पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं जो उनके हितों के खिलाफ होती हैं। ऐसे भी मामले हुए हैं जिनमें नौकरानियां विदेशों में गैर=कानूनी ढंग से प्रवेश करने में सफल हो जाती हैं और इसलिए नियोजकों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। सरकार के पास उपलब्ध सूचना से इस बात का संकेत नहीं मिलता है कि खाड़ी में कार्यरत भारतीय नौकरानियों को वहां से चले जाने के लिए कहा जा रहा है।

(ख) और (ग). भारत सरकार संबंधित देशों में भारतीय कामगारों के हित कल्याण का सुनिश्चय करने तथा उनकी स्थितियों को बेहरत बनाने के उद्देश्य से विदेश स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से विदेशी सरकारों के साथ नियमित सम्पर्क बनाए रखती है। भारतीय मिशनों का सर्वप्रथम प्रयास यह रहता है कि व्यथित कामगार तथा नियोजक के बीच मतभेद सुलझ जाए और इनका परस्पर स्वीकार्य हल निकल आए। जहां कहीं आवश्यक होता है मामलों को विदेशी सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है ताकि ये नियोजकों को भारतीय कामगारों की शिकायतें दूर करने के लिए राजी करें। जिन मामलों में वैकल्पिक रोजगार अथवा मिशन के भरसक प्रयासों के बावजूद कोई हल नहीं निकल पाता उनमें व्यथित कामगारों के स्वदेश प्रत्यावर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी प्रकार की सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को नौकरी

7562. **श्री राजवीर सिंह :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989 में शुरू की गई नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत दस लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य को अब तक प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग). नेहरू रोजगार योजना की शहरी लघु उद्यम स्कीम (सुमे) के तहत बेरोजगार शहरी गरीबों को 10 लाख रोजगार देने का कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, 1994-95 तक किए गए नियतनों को देखते हुए, इस स्कीम के तहत् लघु उद्यम स्थापित करने में कुल 6.06 लाख लाभार्थियों की सहायता की जानी थी। जिसकी तुलना में, 31.3.95 की स्थिति के अनुसार, 6.55 लाख लाभार्थियों की सहायता की जा चुकी है। इस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	74,933
2.	बिहार	7,738
3.	गुजरात	12,514
4.	हरियाणा	13,600
5.	कर्नाटक	44,230
6.	केरल	21,445
7.	मध्य प्रदेश	84,004
8.	महाराष्ट्र	57,826
9.	उड़ीसा	12,165
10.	पंजाब	16,449
11.	राजस्थान	30,874
12.	तमिलनाडु	73,025
13.	उत्तर प्रदेश	1,45,113

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लाभार्थियों की संख्या
14.	पश्चिम बंगाल	29,809
15.	गोवा	440
16.	अरूणाचल प्रदेश	40
17.	असम	17,568
18.	हिमाचल प्रदेश	1,276
19.	जम्मू और कश्मीर	1,786
20.	मणिपुर	5,186
21.	मेघालय	400
22.	मिजोरम	700
23.	नागालैण्ड	–
24.	सिक्किम	532
25.	त्रिपुरा	434
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	478
27.	चण्डीगढ़	199
28.	दादर व नगर हवेली	110
29.	दमन व द्वीव	–
30.	पाण्डिचेरी	1,499
31.	दिल्ली	1,412
	योग	6,55,494

अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग का सर्वेक्षण

7563. श्री लाईता उम्ब्रे : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने गत तीन वर्षों के दौरान देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सोने तथा हीरे के भंडारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वोवेरान से नियंत्रण हटाना

7564. श्री मोहन सिंह (देवरिया): क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में डिक्लोफैनैक सोडियम आधारित फार्मूलेशन के वोवेरान ब्रांड नियंत्रण हटाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इससे वोवेरान के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस औषधि पर पुनः नियंत्रण लगाने का है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री रामलखन सिंह यादव) : (क) और (ख). डिक्लोफेनेक सोडियम जो वोवेरन ब्रॉंड के सूत्रयोगों में प्रयोग की जाती है, सहित मूल्य नियंत्रण से प्रपुंज औषधों को बाहर रखना/शामिल करना, कारोबार, एकाधिकार की स्थिति और बाजार प्रतियोगिता के मानदण्डों के आधार पर किया गया है जैसाकि "औषध नीति 1986 के संशोधनों" के पैरा 22.7 में निर्धारित किया गया हैं।

(ग) और (घ). डिक्लोफेनेक सोडियम पर आधारित सूत्रयोगों का उत्पादन देश में बहुत सी इकाइयों द्वारा किया जाता है और वोवेरन के ब्रॉंड नाम के अधीन बेचे जाने वाले सूत्रयोगों सहित सभी सूत्रयोग-निर्माताओं द्वारा वसूल की गई कीमतें लगभग समान हैं।

भारतीय विदेश सेवा (ख)

7565. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा भारतीय विदेश सेवा (ख) की भर्ती बंद कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हाँ।

(ख) यह संवर्ग प्रबन्ध कार्य के अंग के रूप में अस्थायी उपाय है।

[हिन्दी]

"हाउसिंग एवं सैल्टर इम्प्रूवमेंट स्कीम"

7566. श्री कुंजी लाल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाऊसिंग एवं शैल्टर इम्प्रूवमेंट स्कीम की उपलब्धि असंतोषजनक रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान योजना को सफल बनाने के लिए राज्यवार क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान हुडको द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई तथा कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के थुंगन) : (क) और (ख). नेहरू रोजगार योजना की आवास तथा आश्रय सुधार योजना (शासु) के तहत प्रगति संतोषजनक नहीं रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य अपनी स्वीकृत योजनाओं बाबत अपने शहरी स्थानीय निकायों की ओर से हुडको को, हुडको ऋण की वसूली न हो पाने के भय के बारे में आनुपातिक गारंटी (ब्लाक गारंटी) नहीं दे रहे थे। यह मामला राज्यों के साथ पुनरीक्षण बैठकों तथा उच्च स्तरीय पत्राचार द्वारा जोरों से उठाया गया। फलतः अब अनेक राज्यों ने योजना में शहरी गरीबों के लिये अभिप्रेत लाभों का समझकर उसे स्वीकार कर लिया है। दूसरी बात यह है कि पहले यह योजना एक लाख से 20 लाख तक की आबादी वाले शहरी क्षेत्रों तक सीमित थी। हाल ही में, कई राज्यों के अनुरोध पर आबादी मानक में छूट दी गई है और एक लाख से कम आबादी वाले कस्बों में भी इसे चलाने की अनुमति दे दी गई है। यह आशा है कि अब राज्य अधिक योजनाएं तैयार करेंगे और केन्द्रीय इमदाद व कर्ज लेने के लिए हुड़को को पेश करेंगे।

(ग) हुडको द्वारा गत तीन वर्षों अर्थात 1992-93 से 1994-95 तक के दौरान स्वीकृत योजनाओं और उनमें शामिल मकान की संख्या बाबत ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(घ) गत तीन वर्षों अर्थात 1992–93 से 1994–95 तक की अवधि हेतु हुडको के पास 38.56 करोड़ रु. की केन्द्रीय राशि रखी गई थी। इस अवधि में हुडको ने राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को 25.97 करोड़ रु. की राशि जारी की है। अतः शेष रिलीज हेतु हुडको के पास 12.59 करोड़ रु. की राशि देने के लिए बकाया है।

विवरण

नेहरू रोजगार योजना

आवास तथा आश्रय सुधार योजना

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	1992-93 से 1994-95 के दौरान हुडको द्वारा स्वीकृत योजनाओं की संख्या	स्वीकृत योजनाओं में शामिल रिहायशी एककों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	15	49,333
2.	बिहार	5	43,046
3.	गुजरात	1	1,000
4.	हरियाणा	2	5,616
5.	कर्नाटक	–	–
6.	केरल	2	1,300
7.	मध्य प्रदेश	–	–
8.	महाराष्ट्र	11	22,033
9.	उड़ीसा	3	2,501
10.	पंजाब	–	–
11.	राजस्थान	1	27
12.	तमिलनाडु	22	9,726
13.	उत्तर प्रदेश	–	–
14.	पश्चिम बंगाल	8	25,500
15.	गोवा	–	–

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	1992=93 से 1994=95 के दौरान हुडको द्वारा स्वीकृत योजनाओं की सं.	स्वीकृत योजनाओं में शामिल रिहायशी एककों की संख्या
16.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
17.	असम	3	8,241
18.	हिमाचल प्रदेश	12	992
19.	जम्मू और कश्मीर	1	1,396
20.	मणिपुर	1	1,000
21.	मेघालय	–	–
22.	मिजोरम	3	1,583
23.	नागालैण्ड	–	–
24.	सिक्किम	1	1,000
25.	त्रिपुरा	3	1,583
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	500
27.	चण्डीगढ़	–	–
28.	दादर व नगर हवेली	–	45
29.	दमन व द्वीव	–	–
30.	पाण्डिचेरी	–	–
31.	दिल्ली	–	–
	योग	96	1,76,614

[अनुवाद]

सड़कों पर खर्च

7567. **श्री तारा सिंह :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जनवरी, 1995 के "स्टेट्समैन" में "डिसप्रोपोर्शनेट स्पेन्डिंग ऑन रोड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). यह मंत्रालय मुख्यतः केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में यह सत्य है कि सड़क परिवहन से अर्जित राजस्व राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव पर पूर्णतः व्यय नहीं किया जाता है। इस प्रकार अर्जित राजस्व भारतीय समेकित निधि का हिस्सा होता है। सरकार, विभिन्न क्षेत्रों के लिए विकास और रख-रखाव कार्यों हेतु निधियों का आबंटन निधियों की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता एवं निधियों की कुल उपलब्धता आदि को ध्यान में रख कर करती है।

[हिन्दी]

"इफ्को का विस्तार"

7568. **श्री राम पूजन पटेल :** क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इफ्को" के बोर्ड ने फूलपुर एकक के विस्तार के लिए अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक चालू किया जाएगा ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हाँ। इफ्को द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, सरकार ने उनके फूलपुर उर्वरक एकक की विस्तार परियोजना को अनुमोदित किया है।

(ख) फूलपुर उर्वरक संयंत्र की उत्पादन क्षमता 993.60 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 900 टन प्रतिदिन से बढ़कर 2250 टन प्रतिदिन अमोनिया और 1500 टन प्रतिदिन से बढ़कर 3700 टन प्रतिदिन यूरिया हो जाएगी।

(ग) परियोजना के शून्य तारीख, अर्थात् 20 अप्रैल 1995, से 33 माह की अवधि के अन्दर पूर्ण होने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

गुजरात में खनन परियोजनायें

7569. **श्री दिलीप भाई संघाणी :**
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कुछ खनन परियोजनाओं की ठीक ढंग से निगरानी न करने के कारण इनकी लागत और पूरा होने के समय में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कार्य तेजी से कराने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) खान मंत्रालय से प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की गुजरात में कोई खनन परियोजना नहीं है। अतः अक्षम देखरेख से लागत और समयावधि अधिक होने का प्रश्न नहीं उठता

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

यंत्र द्वारा पढ़े जा सकने वाले पासपोर्ट

7570. **श्री अनन्तराव देशमुख :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार "यंत्र द्वारा पढ़े जा सकने वाले" पासपोर्ट शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस नई प्रक्रिया के क्या लाभ हैं;

(ग) क्या ऐसे पासपोर्ट आरम्भ हो जाने की वजह से पासपोर्ट शुल्क में वृद्धि किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (घ). मशीन पठनीय पासपोर्टों को आरम्भ करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । इसकी जांच करने के उद्देश्य से बनाई गई एक कार्यान्वयन समिति ने मशीन पठनीय पासपोर्टों को शुरू करने के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है और उसकी रूपरेखा भी अनुमोदित हो गई है । भारतीय सुरक्षा प्रैस, नासिक को, जो पासपोर्ट पुस्तिकाओं की सप्लाई करता है, संशोधित मशीन पठनीय पासपोर्ट की रूपरेखा में पासपोर्ट मुद्रित करने के लिए कहा गया है । मशीन पठनीयता में पासपोर्टों पर लिखने के लिए कम्प्यूटर लेखन को प्रारम्भ करने और उत्प्रवासन जांच होती केन्द्रों पर मशीन पठनीयता के लिए आवश्यक सोफ्टवेयर की भी आवश्यकता है। पासपोर्ट की मशीन पठनीयता से शीघ्र उत्प्रवासन जांच सुविधाजनक होती है और इस प्रकार यात्रियों की उत्प्रवासन निकासी शीघ्र होती है । मशीन पठनीय पासपोर्ट में कम्प्यूटर और सोफ्टवेयर में खर्च अपेक्षित होगा । मशीन पठनीय पासपोर्टों के आरम्भ करने के पश्चात् शुल्क में संशोधन, यदि कोई होगा तो उस पर उपयुक्त समय पर मशीन पठनीय पासपोर्टों के आरम्भ करने की लागत को ध्यान में रखकर ही विचार किया जाएगा ।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर

7571. **श्री लाल बाबू राय :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर नहीं दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1994-95 और चालू वर्ष के दौरान अब तक दिल्ली विकास प्राधिकरण को संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए हैं, कितने पत्रों का उत्तर दिया गया और ऐसे कितने पत्र हैं जिनका अंतिम उत्तर अब तक नहीं भेजा गया है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी नहीं ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि 1.1.94 से 31.3.95 की अवधि में दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के नाम में सांसदों से 607 पत्र प्राप्त हुए । इनमें से 419 पत्रों की पावती भेजी गई । इसी अवधि में सांसदों द्वारा उप राज्यपाल दिल्ली को लिखे 260 पत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्राप्त हुए । 46 मामलों में अभी तक जबाव नहीं भेजे हैं, ये सभी मामले प्रक्रियाधीन हैं ।

(घ) से (च). सांसदों से प्राप्त पत्रों पर अत्यधिक महत्व देकर प्राथमिकता से निपटाया जाता है । विभागों के प्रमुखों तथा उपाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी की जाती है कि इन पत्रों पर शीघ्र कार्यवाही की जाए । दिल्ली विकास प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी द्वारा सांसदों से प्राप्त पत्रों को निपटानें में नाजायज विलम्ब नहीं हुआ है ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा बनाना

7572. **श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर तथा तुमकुर के बीच तुमकुर-नेलामंगला सेक्शन पर राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां ।

(ख) आठवीं पंच वर्षीय योजना (1992–97) में बंगलौर तुमकुर खंड में 30–75 कि. मी. तक मौजूदा दो लेन वाली सड़क को सुदृढ़ बनाने और 4 लेन का बनाने के लिए 60.00 करोड़ रु. तथा वार्षिक योजना 1995–96 में भी भूमि अधिग्रहण के लिए 3.00 करोड़ रु. का प्रावधान है । राज्य से प्राक्कलन प्राप्त होने के बाद संस्वीकृति के लिए कार्रवाई की जाएगी जो निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बीयर प्रसंस्करण इकाइयाँ

7573. **डा. साक्षीजी :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बीयर प्रसंस्करण इकाइयां चल रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार और अधिक बीयर प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) सरकार बीयर निर्माण इकाइयों की स्थापना नहीं करती है ।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

उत्तर प्रदेश में चल रही बीयर प्रसंस्करण इकाइयाँ

	नाम	स्थान
1.	मोहन मिकिन्स ब्रेवरीज लिमि.	गाजियाबाद
2.	मोहन गोल्ड वाटर ब्रेवरीज लिमि.	लखनऊ
3.	सेन्ट्रल डिस्टिलरी एडं ब्रेवरीज लिमि.	मेरठ कैन्ट
4.	नारंग ब्रेवरीज	गोंडा

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों को विश्व बैंक ऋण

7574. **श्री जे. चोक्का राव** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विश्व बैंक के प्रबन्ध निदेशक ने अप्रैल, 1995 के पहले सप्ताह में अपनी भारत यात्रा के दौरान यह घोषणा की थी कि देश में राज्य विद्युत बोर्डों के कार्य निष्पादन को देखते हुए विश्व बैंक द्वारा उनकी विद्युत परियोजनाओं में पूँजी निवेश नहीं किया जा सकता है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य विद्युत बोर्डों में क्या कमियां हैं और उनके कार्य-निष्पादन [illegible] सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) विश्व बैंक द्वारा परियोजना हेतु सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग). विश्व बैंक विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार किए जाने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय सुझाता रहा है, इनमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों की टैरिफ संरचना को युक्ति संगत बनाना शामिल है । केन्द्रीय सरकार भी इसके बारे में चिंतित है और विद्युत राज्य मंत्रियों के सम्मेलन सहित विभिन्न मंचों पर इस पर विचार विमर्श भी किया गया है ।

मध्य प्रदेश को सहायता

7575. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के उर्वरक क्षेत्र के एककों की रियायती दरों पर किन-किन सामग्रियों की आपूर्ति की गई; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और इस वर्ष आज की तारीख तक मध्य प्रदेश को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) उर्वरकों के विनिर्माण में प्राकृतिक गैस को छोड़कर इस्तेमाल पेट्रोलियम उत्पादों की देश भर में रियायती दरों पर आपूर्ति की जाती है ।

(ख) 1993-94 और 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश में स्थित उर्वरक एककों को राजसहायता के रूप में भुगतान की गयी राशि क्रमशः 197.07 करोड़ रुपए और 157.01 करोड़ रुपए थी । इसके अतिरिक्त, कृषि और सहकारिता विभाग ने स्वदेशी फास्फेटिक उर्वरकों की बिक्री और आयातित म्यूरिएट आफ पोटाश (एम ओ पी) पर विशेष रियायत के रूप में मध्य प्रदेश सरकार को 1993-94 के दौरान 31.92 करोड़ रुपए की राशि की छूट दी । 1994-95 के दौरान उस विभाग ने मध्य प्रदेश में इन उर्वरकों की बिक्री के संबंध में विशेष रियायत के रूप में फास्फेटिक उर्वरकों के निर्माताओं को तथा म्यूरिएट आफ पोटाश (एम. ओ. पी.) के आयातकों को भी लगभग 26.42 करोड़ रुपए का भुगतान किया ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का मुनाफा

7576. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना मुनाफा हुआ;

(ख) इस अवधि के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के एककों के उत्पादन का तुलनात्मक विवरण क्या है; और

(ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के विभिन्न एककों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष लगायी गयी मानवशक्ति का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) "सेल" का पिछले 3 वर्षों में (1993-94 तक) का लाभ नीचे दर्शाया गया है :–

(लाभ करोड़ रुपये)

1991–92	367.30
1992–93	423.40
1993–94	545.33

(वर्ष 1994-95 के लिए लेखाओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है)

(ख) उक्त अवधि के लिए "सेल" के एकीकृत इस्पात संयंत्रों और विशेष इस्पात संयंत्रों द्वारा विक्रेय इस्पात का उत्पादन निम्नानुसार है :–

(इकाईः हजार टन)

मद	1991–92	1992–93	1993–94
भिलाई इस्पात संयंत्र	3104	3118	3335
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	681	641	642
राउरकेला इस्पात संयंत्र	1125	1179	1130
बोकारो इस्पात लिमिटेड	2730	2999	3205
एलॉए इस्पात संयंत्र	160	163	160
सेलम स्टील प्लांट	42	36	46
कुल :	7842	8136	8518

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान "सेल" की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत जनशक्ति का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है :–

संयंत्र/इकाई	31.2.92 की स्थिति के अनुसार	31.3.93 की स्थिति के अनुसार	31.3.94 की स्थिति के अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)
(क) भिलाई इस्पात संयंत्र	57613	55975	54663

संयंत्र/इकाई	31.2.92 की स्थिति के अनुसार	31.3.93 की स्थिति के अनुसार	31.3.94 की स्थिति के अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)
बोकारो इस्पात संयंत्र	48341	48228	48075
एलॉए इस्पात संयंत्र	6779	6888	6775
सेलम इस्पात संयंत्र	1365	1344	1381
कुल	174026	172711	171203
(ख) निगमित कार्यालय	721	750	674
सी ई टी	351	359	371
सी एम ओ	4301	4160	4141
अनुसंधान और विकास	1021	1004	976
आर. एम. डी.	10070	10210	10034
विकास प्रभाग	45	49	105
एम. टी. आई.	124	125	127
सी. सी. एस. ओ.	263	262	263
सेल निगमित इकाइयां	7	6	6
कुल :	16902	16925	16697
(ग) कुल (क) + (ख)	190928	189636	187900

भाग "क", "ख" और "ग" के आंकड़ों में "सेल" की सहायक कंपनियों अर्थात इस्को इत्यादि शामिल नहीं हैं।

कैटामारैन सेवाएं

7577. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटस्वरलु :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में अंतर्राष्ट्रीय कैटामारैन सेवाएं चालू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कितने नए बैड़ा मार्ग चल रहे हैं;

(घ) देशी तथा विदेशी दोनों स्रोतों से इन सेवाओं को वित्तपोषित करने का क्या तरीका है; और

(ङ) इन सेवाओं से कितना लाभ होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ). फिलहाल कैटामारैन सेवा का प्रचालन घरेलू क्षेत्र में केवल बम्बई-गोवा मार्ग पर ही किया जा रहा है । इसके वित्त पोषण की विधि के बारे में निर्णय उद्यमी द्वारा लिया जाना है । तथापि, यदि वित्त पोषण विदेशी व्यावसायिक ऋणों से किया जाता है तो यह सरकार के अर्थात् वित्त मंत्रालय के मार्ग-निर्देशों पर निर्भर करता है । सड़क यात्रा की तुलना में यात्रा समय में कमी तथा हवाई यात्रा के मुकाबले सस्ता किराया इस सेवा के लाभ हैं ।

[हिन्दी]

कोरबा एकक को पुनः चालू करना

7578. **श्री भवानी लाल वर्मा** : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय उर्वरक निगम के कोरबा एकक को गैस पाइप लाइन की सहायता से पुनः चालू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस योजना को कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ. सी. आई.) के रामागुण्डम तथा तालचर स्थित अन्य दो कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के लगातार घटिया निष्पादन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फरवरी, 1990 में कोरबा स्थित कोयले पर आधारित उर्वरक परियोजना को छोड़ने का निर्णय लिया था । औद्योगिक और वित्तीय पुनर्सरचना बोर्ड द्वारा एफ. सी. आई. को रुग्ण कम्पनी घोषित किया गया है। चूंकि इसके पास नए संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई संसाधन नहीं है, इसलिए गैस पर आधारित नए संयंत्र स्थापित करके कोरबा उर्वरक परियोजना को पुनः चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इसके अलावा इस समय उस क्षेत्र में किसी नए उर्वरक संयंत्र के लिए कोई फालतू गैस उपलब्ध नहीं है ।

[अनुवाद]

डी. डी. ए. द्वारा बाकीदारों के विरुद्ध कार्यवाही

7579. **श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी. डी. ए. का विचार उन बाकीदारों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का है जिन्होंने आवंटी की ओर बकाया किश्तों और अन्य धनराशि की अदायगी नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डी. डी. ए. द्वारा पिछले दस वर्षों से अपना पैसा वसूल न कर पाने के क्या कारण हैं;

(ग) अपनी बकाया धनराशि वसूल करने के लिये डी. डी. ए. का अधिसंख्य बाकीदारों को दी जाने वाली रियायत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या डी. डी. ए. ऐसे बाकीदारों के मामलों पर विचार कर रहा है जो किश्तें देने को तैयार हैं परन्तु भारी ब्याज देने की स्थिति में नहीं हैं;

(ङ) क्या अधिकांश बाकीदारों ने अपने फ्लैट भी बेच दिये हैं; और

(च) डी. डी. ए. द्वारा अपनी देयराशि की किस प्रकार वसूली की जायेगी ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) डी. डी. ए. ने बताया है कि उन्होंने दोषी आबंटियों के विरुद्ध पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1987 और पी. पी. अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की है । इसके अवाला डी. डी. ए. 86000 दोषी आबंटियों को प्रेस विज्ञप्तियां, नोटिस आदि भी जारी करता रहा है जिनमें उनसे बकाया मासिक किश्तों का भुगतान करने का आग्रह किया गया है ताकि उन पर कानूनी कार्रवाई न करनी पड़े ।

(ग) और (घ). फिलहाल किसी आम छूट पर विचार नहीं किया गया है । तथापि, प्रत्येक मामले की मेरिट के आधार पर आंशिक अथवा पूरे जुर्माने को माफ करने का अधिकार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पास है ।

(ङ) सम्पत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन की योजना के प्रति उत्तर में प्राप्त आवेदनों से पता चलता है कि कुछ मामलों में फ्लैटों की खरीद फरोख्त हुई है ।

(च) डी. डी. ए. ने फ्लैटों के दोषी आबंटियों से बकाया राशि की वसूली करने के लिए कई कदम उठाये हैं यथा बकायादारी नोटिस जारी करना, पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1987 तथा पी. पी. अधिनियम के तहत गैर वसूली प्रमाण पत्र जारी करना, टी. वी./प्रेस विज्ञप्तियां जारी करना, टी. वी. नेटवर्क के जरिए बाध्य करना और चेतावनी तथा पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1987 और पी. पी. अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्रवाई करना जैसे गिरफ्तारी वारण्ट जारी करना, फ्लैटों को सील करना आदि ।

[हिन्दी]

सरकारी आवास का बिना बारी के आबंटन

7580. **श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 तक विशिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी के अंतर्गत बिना बारी के आधार पर सरकारी आवासों के आबंटन के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित थे;

(ख) इन लम्बित आवेदन पत्रों में से अधिकारियों और संसद–सदस्यों के आवेदन पत्रों की संख्या कितनी–कितनी हैं;

(ग) क्या इस संबंध में संसद सदस्यों को प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) लम्बित आवेदन पत्रों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) बिना बारी के आधार पर सरकारी आवासों के आवंटन हेतु विशिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी नाम से ज्ञात कोई श्रेणी नहीं है ।

(ख) बिना बारी के आधार पर आबंटन बाबत ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जा रहे।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) बिना बारी के आधार पर आवंटन हेतु आवेदनों पर अपेक्षित ब्यौरे/दस्तावेज प्रस्तुत करने की शर्त पर कार्यवाही की जाती है और यह एक सतत् प्रक्रिया है ।

रासायनिक कीटनाशक

7581. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या रयासन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक कीटनाशक के उपयोग से देश के फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार निम्नलिखित योजनाएं लागू कर रही है:–

1. नियंत्रण मुक्त फास्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों की बिक्री पर रियायत ।

2. उर्वरकों की संतुलित और एकीकृत प्रयोग ।

3. जैव–उर्वरकों के विकास और प्रयोग से संबंधित राष्ट्रीय परियोजना ।

4. कम खपत वाले वर्षा आश्रित क्षेत्रों में उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाने से संबंधित राष्ट्रीय परियोजना ।

सीवर लाइनों इत्यादि के लिए नई तकनीक

7582. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**
श्री रामपाल सिंह :
श्री बलराज पासी :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिना सड़क इत्यादि को खोदे नई सीवर, पानी तथा टेलीफोन लाइनों को बिछाने और इन लाइनों की मरम्मत करने के संबंध में एक नई तकनीक पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में उक्त नई तकनीक को अपनाने के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख). अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड की अध्यक्षता में

अप्रैल, 95 में ट्रेन्चलेस "प्रौद्योगिकी" पर 6 माह की अवधि के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है। यह आशा है कि समिति इस प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं जैसे भू-तकनीकी जांच, प्रौद्योगिकी चयन, सामग्री, उप नियमों आदि और भारत में इस प्रौद्योगिकी को कार्यान्वित करने की व्यवहार्यता की जांच करेगी।

(ग) अभी कोई निश्चित समय का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

"दक्षेस" सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ताएं

7583. डा. मुमताज अंसारी :
श्री शरद दिघे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयोजित "दक्षेस" देशों के सम्मेलन के दौरान "दक्षेस" के अन्य सदस्य देशों के साथ कोई द्विपक्षीय वार्ताएं हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बातचीत के देश-वार क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) :

नेपाल

नेपाल प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय बैठकें की गई थी। चर्चा में सार्क से सम्बद्ध मामले, अन्तर्राष्ट्रीय मसले तथा क्षेत्र की स्थिति शामिल थी। द्विपक्षीय मसलों के सम्बन्ध में, दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच निकट तथा मैत्री के सम्बन्धों पर सन्तोष व्यक्त किया और इन सम्बन्धों को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य करने पर सहमत हुए।

भूटान

भूटान के प्रतिनिधिमण्डल के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने भारत-भूटान आर्थिक सहयोग के अन्तर्गत चल रही परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर सन्तोष जाहिर किया और वे विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से पन बिजली के क्षेत्र में सहयोग को और सघन करने पर सहमत हुए।

श्रीलंका

श्रीलंका की राष्ट्रपति तथा हमारे प्रधान मंत्री के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत के दौरान, श्रीलंका की राष्ट्रपति ने अति आवश्यक घरेलू पूर्व-व्यस्तताओं के कारण शिखर सम्मेलन के अन्त तक ठहरने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। प्रधान मंत्री ने इस असमर्थता को समझा और श्रीलंका में शांति की प्रक्रिया भंग होने पर अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए इस प्रक्रिया की बहाली की कामना की।

बंगलादेश

बंगलादेश की प्रधान मंत्री बेगम खालिदा जिया और हमारे प्रधान मंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान, आपसी हित के द्विपक्षीय मसले जैसे कि नदी जल बंटवारे, भारत के लिए पारगमन सुविधाएं, चकमा शरणार्थियों के स्वदेश प्रत्यावर्तन, विद्रोह संबंधी समस्याओं, आर्थिक तथा वाणिज्यिक सहयोग तथा सार्क से सम्बन्धित मसलों पर चर्चा हुई।

मालदीव

राष्ट्रपति श्री गयूम और हमारे प्रधान मंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान, मुख्यतः सार्क की कार्यसूची से सम्बद्ध बहुपक्षीय मसलों पर चर्चा हुई। इनमें साप्टा को शीघ्र कार्यात्मक बनाना, प्राकृतिक विपदाओं के कारण और परिणाम तथा हरित गृह प्रभाव शामिल थे। राष्ट्रपति श्री गयूम ने इस बात का संकेत दिया कि मालदीव अगले सार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उन्होंने 15 अप्रैल, 1995 की प्रधान मंत्री की मालदीव यात्रा का भी स्मरण किया और कहा कि इन्दिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है। उन्होंने इस बात का संकेत दिया और उम्मीद व्यक्त की कि उनका देश इस अस्पताल के लिए कार्मिकों के संदर्भ में शीघ्र ही आत्म निर्भर हो जायेगा।

पाकिस्तान

नई दिल्ली में आठवें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान, पाकिस्तान के राष्ट्रपति 2 मई, 1995 को प्रधान मंत्री से मिले। यह बैठक मूलतः शिष्टाचार मुलाकात थी। बातचीत सार्क से सम्बद्ध मसलों पर केन्द्रित रही। द्विपक्षीय मसलों पर सारगर्भित बातचीत नहीं हुई।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के इस दृष्टिकोण को पुनः दोहराया कि जब तक कश्मीर का मामला नहीं सुलझेगा, द्विपक्षीय सम्बन्धों में तनाव बना रहेगा। प्रधान मंत्री ने जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद को लगातार समर्थन दिए जाने के सम्बन्ध में हमारी चिन्ता व्यक्त की और कहा कि दोनों पक्षों को अपने मतभेदों को बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए।

[अनुवाद]

दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौते का चालू किया जाना

7584. श्री एम. जी. रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता (सॉफ्टा) लागू करने हेतु औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए इस्लामाबाद में प्रारम्भिक बैठक आयोजित करने के संबंध में पाकिस्तान की पूर्व सहमति में कोई बदलाव आया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख). पाकिस्तान सरकार ने सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था (साप्टा) के अन्तर्गत व्यापार उदारीकरण से सम्बद्ध अन्तर-सरकारी दल (आई. जी. जी.) की पांचवी बैठक 26-27 मार्च, 1995 को इस्लामाबाद में आयोजित की। शुल्क संबंधी रियायतों की अपनी-अपनी अनुसूचियों को अन्तिम रूप देने की दृष्टि से सदस्य देशों के शिष्टमंडलों के बीच द्विपक्षीय/बहुपक्षीय स्तर के गहन विचार-विमर्श हुए। यह निर्णय लिया गया था कि बातचीत को अन्तिम रूप देने के लिए अन्तर सरकारी दल की एक और बैठक होनी आवश्यक होगी।

तदनुसार, अन्तर-सरकारी दल की 20–21 अप्रैल, 1995 को काठमान्डू में सार्क सचिवालय में बैठक हुई और सदस्य राज्यों के प्रतिनिधिमण्डल शुल्क रियायतों की अनुसूची को अन्तिम रूप दे पाये।

जम्बो पारपत्र पुस्तिका

7585. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई जम्बो पारपत्र पुस्तिका प्रकाशित की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और पुस्तिका का मूल्य क्या है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि उक्त पुस्तिका का मूल्य बहुत अधिक है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का मूल्य कम करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ). जम्बो पासपोर्ट पुस्तिका इस समय प्रयोग में लाई जा रही सामान्य पासपोर्ट पुस्तिका जैसी ही है अन्तर केवल इतना है कि इसमें 60 पृष्ठ हैं जबकि सामान्य पासपोर्ट पुस्तिका में 36 पृष्ठ होते हैं। जम्बो पासपोर्ट पुस्तिका के प्रकाशन, इसे जारी करने तथा उस पर सेवायें देने पर होने वाले खर्च को ध्यान में रखकर इसका शुल्क 500 रुपये तय किया गया है। 36 पृष्ठ वाली सामान्य पासपोर्ट पुस्तिका के लिए 300/– रुपए के शुल्क को देखते हुए जम्बो पासपोर्ट पुस्तिका के लिए निर्धारित उक्त शुल्क युक्तिसंगत है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

7586. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1992 से लेकर आज की तिथि तक मध्य प्रदेश में किन–किन राजमार्गों पर चौड़ीकरण, विस्तार और मरम्मत कार्य आरम्भ किया गया है और मध्य प्रदेश से गुजरने वाले शेष राष्ट्रीय राजमार्गों पर यह कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(ख) इस संबंध में अनुमानित व्यय का ब्यौरा क्या है और इन पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख–रखाव एक सतत् प्रक्रिया है तथा विकास कार्य पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जनवरी, 1992 से अब तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3, 6,12,25 और 26 पर चौड़ा करने और सुदृढ़ बनाने से संबंधित विभिन्न कार्य किए गए हैं। आबंटन और व्यय के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:–

(लाख रू)

वर्ष	विकास		रख–रखाव	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1991–92	1850.00	2012.36	1195.69	1618.69
1992–93	1915.00	2504.84	1213.25	1534.03
1993–94	1850.00	2094.79	1316.28	1718.06
1994–95	2347.39	2090.72	1696.01	2137.05

[अनुवाद]

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

7587. श्री बी. एल. शर्मा प्रेम : क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं से हताहत लोगों की संख्या कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास में होने वाली दुर्घटनाओं के हताहतों की कुल संख्या से भी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग). जी हां। ऐसा इसलिए है कि दिल्ली में समग्र परिवहन स्थितियां अन्य तीन महानगरों से भिन्न हैं। दिल्ली में वाहनों की संख्या तीनों महानगरों की कुल वाहन संख्या से अधिक है। दिल्ली में बसें ही सार्वजनिक परिवहन का एकमात्र साधन हैं जबकि दूसरे नगरों में परिवहन के रेल जैसे वैकल्पिक साधन भी उपलब्ध हैं। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की अपर्याप्तता के फलस्वरूप निजी वाहनों विशेषतः दुपहिया वाहनों (और साइकिलें भी) की संख्या में वृद्धि हुई है जिनसे अधिक दुर्घटनाएं होती हैं।

सेतु समुद्रम परियोजना

7588. श्री एन. डेनिस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र पर सेतु समुद्रम परियोजना का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 8वीं पंचवर्षीय योजना में सेतु–समुद्रम परियोजना के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री को पाक का निमंत्रण

7589. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रधान मंत्री को पाकिस्तान की यात्रा का निमंत्रण भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय नौवहन निगम द्वारा जलपोतों की खरीद

7590. श्री प्रमथेश मुखर्जी : क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने अपने बेड़े में वृद्धि करने के लिए पोत खरीदने हेतु मंजूरी दिए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नौवहन निगम के पास वर्तमान में उपलब्ध बेड़े, प्रत्येक पोत की खरीद की तिथि, इनकी वर्तमान स्थिति और प्रत्येक पोत के संचालन परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि भारतीय नौवहन निगम द्वारा पोत एक विशिष्ट देश से ही हासिल किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां। भारतीय नौवहन निगम अपने बेड़े के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए जलयानों की खरीद हेतु समय–समय पर सरकार का अनुमोदन मांगता रहा है।

(ख) इस समय भारतीय नौवहन निगम के पास सकल रजिस्ट्रीकृत टनेज में कुल 3.23 मिलियन के 122 जलयानों का बेड़ा है। प्रत्येक जलयान की खरीद की तारीख दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। भारतीय नौवहन निगम के ये सभी जहाज भिन्न–भिन्न प्रभागों अर्थात बल्क और टैंकर प्रभाग, लाइनर प्रभाग और तटीय, यात्री एवं अपतटीय प्रभागों में बांटे गए हैं और उनका कार्य–निष्पादन बहुत अच्छा रहा है। वर्ष 1993–94 के दौरान कर अदा करने के बाद कंपनी द्वारा घोषित लाभ 167.58 करोड़ रुपए है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिनांक 1.5.1995 की स्थिति के अनुसार भारतीय नौवहन निगम के बेड़े की स्थिति

क्रम संख्या	जलयान का प्रकार	संख्या	जी आर टी
क.	शुष्क कार्गो जलयान	29	354,591
ख.	कंटेनर जलयान	4	81,609
ग.	बल्क कैरियर्स	26	701,795
घ.	कंबीनेशन कैरियर्स	2	133,852
ङ	क्रूड टैंकर्स (2 वी एल सी सी सहित)	28	1,548,301
च.	उत्पाद टैंकर्स	15	287,369
छ.	फास्फोरिक/रसायन कैरियर्स	3	63.105
ज.	एल पी जी/अमोनिया कैरियर्स	2	35,556
झ.	यात्री–व–कार्गो जलयान	2	9,694
ञ.	टिम्बर कैरियर्स	1	4,356
ट.	अपतटीय आपूर्ति जलयान	10	13,100
	जलयानों की कुल संख्या	122	3,233,328

क्रम संख्या	जलयानों का प्रकार	भा. नौ. नि. द्वारा खरीद की तारीख	जी आर टी
"क"	शुष्क कार्गो–जलयान		
1.	विश्व विक्रम	12.09.70	8,910
2.	विश्व करूणा	02.03.73	9,795
3.	विश्व यश	18.05.73	9,795
4.	विश्व बंधन	04.03.74	9,707

क्रम संख्या	जलयानों का प्रकार	भा. नौ. नि. द्वारा खरीद की तारीख	जी आर टी
5.	मिजोरम	26.10.76	11,873
6.	अरुणाचल प्रदेश	08.12.76	11,873
7.	आंध्र प्रदेश	30.11.77	14,166
8.	मणिपुर राज्य	31.01.78	14,166
9.	नागालैण्ड राज्य	28.02.78	14,166
10.	त्रिपुरा राज्य	25.07.78	14,166
11.	विश्वनंदिनी	22.12.78	11,001
12.	त्र्यम्बकेश्वर	30.03.94	13,505
13.	रविदास	21.11.79	13,691
14.	विश्व पंकज	10.04.80	12,648
15.	रामदास	03.05.80	13,691
16.	विश्व कौमुदी	05.06.80	11,001
17.	विश्व पारिजात	05.06.80	12,640
18.	कबीरदास	27.06.80	13,691
19.	विश्व पल्लव	01.09.80	12,648
20.	विश्व पराग	31.10.80	12,648
21.	चण्डीदास	10.11.80	13,691
22.	विश्व परिमल	20.12.80	12,648
23.	वीर सावरकर	30.03.94	13,505
24.	भारतेंदु	17.02.81	11,439

क्रम संख्या	जलयानों का प्रकार	भा. नौ. नि. द्वारा खरीद की तारीख	जी आर टी
25.	विश्व प्रफुल्ल	25.02.81	12,648
26.	विश्वभूति	25.03.81	11,439
27.	हरियाणा राज्य	16.06.83	11,144
28.	गुजरात राज्य	12.12.84	11,144
29.	उड़ीसा राज्य	08.07.86	11,144
		योग "क"	354,591
"ख"	कंटेनर जलयान		
1.	तुलसीदास	03.05.80	15,720
2.	ला. ब. शास्त्री	23.12.93	21,963
3.	इंदिरा गांधी	29.12.93	21,963
4.	राजीव गांधी	28.01.94	21,963
		योग "ख"	81,609
"ग"	बल्क कैरियर्स		
1.	सम्राट अशोक	24.05.74	72,559
2.	कस्तूरबा	18.12.75	42,141
3.	हरगोबिंद	23.06.77	23,340
4.	हरकिशन	15.07.78	23,340
5.	लोक क्रांति	06.04.92	19,211
6.	लोक कीर्ति	06.04.92	19,211
7.	रानी पद्मिनी	24.07.81	42,010

क्रम संख्या	जलयानों का प्रकार	भा. नौ. नि. द्वारा खरीद की तारीख	जी आर टी
8.	लोक प्रीति	–	15,638
9.	लोक प्रगति	–	16,040
10.	कानपुर	21.08.86	28,739
11.	अलकनंदा	28.09.86	28,739
12.	मंदाकिनी	31.10.86	28,739
13.	उत्तर काशी	25.11.86	28,739
14.	देव प्रयाग	05.12.86	28,739
15.	ऋषिकेश	18.12.86	28,739
16.	हरिद्वार	31.12.86	28,739
17.	लोक माहेश्वरी	09.09.88	16,816
18.	वाराणसी	20.01.87	28,739
19.	पाटलिपुत्र	05.02.87	28,739
20.	मुर्शिदाबाद	04.03.87	28,739
21.	दक्षिणेश्वर	24.03.87	28,739
22.	गंगा सागर	31.03.87	28,739
23.	लोक राजेश्वरी	27.10.88	16,816
24.	लोक प्रतिमा	27.01.89	15,952
25.	लोक प्रकाश	12.04.89	16,835
26.	लोक प्रेम	23.02.90	16,818

क्रम संख्या	जलयानों का प्रकार	भा. नौ. नि. द्वारा खरीद की तारीख	जी आर टी
"घ"	**कंबीनेशन कैरियर्स**		
1.	महर्षि कर्वे	08.08.78	66,926
2.	महर्षि दयानंद	05.09.78	66,926
		योग "घ"	133,852
"ङ"	**क्रूड टैंकर्स**		
1.	कंचन जंगा	13.09.75	139,820
2.	कोयली	15.02.76	139,820
3.	एन. एस. बोस	30.11.73	51,526
4.	विवेकानंद	31.01.74	51,717
5.	छत्रपति शिवाजी	12.04.74	51,718
6.	भीमराव अंबेडकर	29.05.74	51,718
7.	राजेन्द्र प्रसाद	13.01.75	63,460
8.	सत्यमूर्ति	31.03.75	51,533
9.	लोकमान्य तिलक	17.10.75	51,535
10.	सी. वी. रमन	12.08.81	27,484
11.	होमी भाभा	31.05.82	27,489
12.	मेज. एस. शर्मा पी वी सी	11.06.84	37,855
13.	एल. एन. के. सिंह पी वी सी	30.07.84	37,855
14.	ले. आर. आर. राने पी वी सी	08.08.84	37,855
15.	एन. जदुनाथ सिंह पी वी सी	21.09.84	37,855

क्रम संख्या	जलयानों का प्रकार	भा. नौ. नि. द्वारा खरीद की तारीख	जी आर टी
16.	हवल. मेज. पीरू सिंह पी वी सी	12.10.84	37,855
17.	कै. जी. एस. सलारिया पी वी सी	26.10.84	37,855
18.	मेज. डी. एस. थापा पी वी सी	13.11.84	37,855
19.	सूबे. जोगिंदर सिंह पी वी सी	10.12.84	37,855
20.	मेज. शैतान सिंह पी वी सी	14.06.85	37,855
21.	हवल. अब्दुल हमीद पी वी सी	29.07.85	37,855
22.	कर्नल ए. तारापुर पी वी सी	04.09.85	37,855
23.	मोतीलाल नेहरू	06.10.90	51,778
24.	जवाहरलाल नेहरू	29.10.92	51,778
25.	अंकलेश्वर	31.08.94	80,130
26.	गांधार	30.09.94	80,130
27.	महाराजा अग्रसेन	25.10.95	80,130
28.	गुरू गोबिंद सिंह	03.05.95	80,130
		योग "ङ"	1,548,301
"च"	**उत्पाद टैंकर्स**		
1.	विश्वेश्वर्य	06.01.74	11,094
2.	भगत सिंह	18.12.74	10,759
3.	रफी अहमद किदवई	25.06.75	15,035
4.	सरोजिनी नायडू	15.10.75	10,759
5.	जयनारायण व्यास	31.12.75	15,035

क्रम संख्या	जलयानों का प्रकार	भा. नौ. नि. द्वारा खरीद की तारीख	जी आर टी
6.	कलोड़िया	24.06.76	15,045
7.	अरविन्द	11.12.76	15,045
8.	दादाभाई नौरोजी	12.10.77	15,045
9.	निर्मलजीत एस. सेखों पी वी सी	25.01.85	28,704
10.	ले. अरुण खेत्रपाल	04.03.85	28,704
11.	मेज. होशियार सिंह पी वी सी	26.04.85	28,704
12.	लान्सनायक ए. एक्का पी वी सी	28.05.85	28,704
13.	रवीन्द्रनाथ टैगोर	27.09.93	26,481
14.	वी. सी. चटर्जी	01.02.94	26,474
15.	झूलेलाल	14.03.95	11,781
		योग "च"	287,369
"छ"	फासफोरिक/रसायन कैरियर्स		
1.	तिरुमलै	24.10.91	21,035
2.	शबरीमल	25.03.92	21,035
3.	पलानीमलै	10.06.92	21,035
		योग "छ"	63,105
"ज"	एल पी जी/अमोनिया कैरियर्स		
1.	नंगा पर्वत	30.01.91	17,778
2.	अन्नपूर्णा	03.04.91	17,778
		योग "ज"	35,556

क्रम संख्या	जलयानों का प्रकार	भा. नौ. नि. द्वारा खरीद की तारीख	जी आर टी
"झ"	**यात्री–कार्गो जलयान**		
1.	हर्षवर्धन	08.12.74	8,871
2.	रामानुजम	23.11.87	823
		योग "झ"	9,694
"ञ"	**टिम्बर कैरियर**		
1.	दिगलीपुर	26.05.77	4,356
"ट"अपतटीय आपूर्ति जलयान			
1.	फिरोज गांधी	21.09.84	1,310
2.	सी. पी. श्रीवास्तव	12.10.84	1,310
3.	भा. नौ. नि. 01	02.11.84	1,310
4.	भा. नौ. नि. 02	10.11.84	1,310
5.	भा. नौ. नि. 03	27.11.84	1,310
6.	भा. नौ. नि. 04	10.12.84	1,310
7.	भा. नौ. नि. 05	17.12.84	1,310
8.	भा. नौ. नि. 06	02.01.85	1,310
9.	कै. एफ. एम. जुवाले	14.01.85	1,310
10.	डॉ. नगेन्द्र सिंह	28.01.85	1,310
		योग "ट"	13,100

मध्य प्रदेश में खनन कार्य

7591. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री चित्त बसु:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी के साथ मध्य प्रदेश में हीरों का खनन करने के संबंध में कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में हीरों के खनन के संबंध में किन्ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति देने के पूर्व फैसले पर पुनर्विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). 1993 में घोषित राष्ट्रीय खनिज नीति को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

औषधि उत्पादन में संलग्न बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

7592. **डा. असीम बाला :** क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पाद पेटेंटों के लिए विशिष्ट बाजार अधिकार घरेलू बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की तुलना में औषधि उत्पादकों के लिए अलाभप्रद साबित होंगे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) :- (क) और (ख). एकमात्र विपणन अधिकार (ई एम आर) का प्रभाव और ट्रिप्स समझौते के अन्य प्रावधान विद्यमान औषधों चाहे वे पेटेन्ट की गई हों या नहीं, को प्रभावित नहीं करेंगे। 01.01.1995 के बाद पेटेन्ट की गई औषधों के संबंध में यह प्रभाव अनेक बातों पर निर्भर करेगा जैसे बाजार में उपचारात्मक समतुल्य पेटेन्ट न की गई औषधों की उपलब्धता, पेटेन्ट धारकों द्वारा अपनायी गई लाइसेंस और विपणन नीतियों, जिनमें स्थानीय निर्माण संबंधी विकल्प और सामान्य स्थिति जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित होगी।

[हिन्दी]

अनानास उत्पाद

7593. **श्रीमती शीला गौतम :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी, असम (भारत सरकार का उपक्रम के विभिन्न उत्पादों के वार्षिक उत्पादन का क्रमवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त नामधारी कम्पनी अपनी कुल अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी उत्पादन–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस कम्पनी की कुल वार्षिक हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमि. के अनानास रस सांद्रण संयंत्र तथा काजू प्रसंस्करण यूनिट में निम्नलिखित वार्षिक उत्पादन हुआ :–

अनानास रस सांद्रण	74.00 मी. टन
काजू	4.03 मी. टन

(ख) जी नहीं।

(ग) अनानास रस सांद्रण संयत्र की स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग न कर पाने के निम्नलिखित कारण हैं :–

(1) गर्मी के मौसम के दौरान 60/70 दिन और सर्दी के मौसम के दौरान 30/40 दिन अनानास उपलब्ध होनाल।

(2) बढ़िया किस्म का अनानास उपलब्ध न हो पाना।

जहां तक काजू प्रसंस्करण यूनिट का संबंध है उसे 1994-95 के दौरान शुरू किया गया और अभी वहां केवल परीक्षण के तौर पर उत्पादन किया गया है।

(घ) 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार 143.77 लाख रु. के अनन्तिम कुल वार्षिक हानि समेत 1134.83 लाख रु. की कुल हानि हुई है।

(ड) हानि के निम्नलिखित कारण हैं:–

(i) अनानास रस सांद्रण संयंत्र में कम उत्पादन ।

(ii) क्षमता का पूरा उपयोग न कर पाने के फलस्वरूप उत्पादन की अधिक लागत ।

(iii) मूल्य ह्रास और ब्याज अधिक होना ।

[अनुवाद]

एनरॉन की समीक्षा

7594. **श्री चित्त बसु :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने "दाबोल" स्थित एनरॉन विद्युत परियोजना की समीक्षा किए जाने की अपनी इच्छा से हाल ही में केन्द्र सरकार को अवगत करा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दाबोल, विद्युत परियोजना सम्बन्धी समझौते की समीक्षा किए जाने से भारतीय परियोजनाओं विशेषकर संयुक्त उद्यम वाली परियोजनाओं का मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का नजरिया क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

7595. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :** क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए उर्वरक उद्योग को खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति वक्तव्य के तहत उर्वरक उद्योग को औद्योगिक लाइसेंसीकरण से छूट दी गयी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत पर्यावरणात्मक मंजूरी के अध्यधीन उद्यमी भारत में कहीं भी उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं । आवश्यक सरकारी अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात उर्वरक उद्योग में विदेशी साम्य सहभागिता स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन

7596. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन से भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित लोगों को दिए जा रहे मुआवजे संबंधी कार्य में तेजी लाने तथा इसकी मात्रा में वृद्धि किए जाने के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री रामलखन सिंह यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) ज्ञापन में अन्य बातों के साथ–साथ कुछ मांगे शामिल थी। यह मामला न्यायाधीन है क्योंकि भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन ने भी मांगों को उठाते हुए उच्चतम न्यायालय में आवदेन दिया है।

[हिन्दी]

इस्पात की मांग

7597. **श्री सोमजीभाई डामोर :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में इस्पात की मांग, राज्य–वार, कितनी होने का अनुमान है;

(ख) क्या सरकार ने इस मांग को पूरा करने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) इस्पात की मांग का अनुमान अखिल भारतीय स्तर पर लगाया जाता है, न कि राज्य-वार अथवा अलग-

अलग राज्यों पर। देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना (1996–97) के अन्त तक परिसज्जित इस्पात की अनुमानित स्वदेशी मांग 207.4 लाख टन है।

(ख) से (घ). इस्पात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने देश में इस्पात के उत्पादन में वृद्धि हेतु कई कदम उठाए हैं। सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य शुरू किया गया है। निजी क्षेत्र में इस्पात के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमताएं सृजित करने की सुविधा के लिए और उसे प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने विभिन्न नीतिगत उपाय भी किए हैं ।

इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

(1) लोहा और इस्पात को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है;

(2) लोहा और इस्पात उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट दे दी गई है;

(3) लोहा और इस्पात को विदेशी निवेश के उद्देश्य से उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है;

(4) लोहा और इस्पात के मूल्य निर्धारण और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है;

(5) पूंजीगत सामान के आयात पर शुल्क में कमी की गई है;

(6) आयात और निर्यात नीति को उदार बनाया गया है।

[अनुवाद]

शहरी आवास कार्यक्रम

7589. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि, सीमेंट और इस्पात के मूल्यों में समय–समय पर अत्यधिक वृद्धि होने के कारण शहरी आवास कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो गत चार वर्षों के दौरान इन मुख्य मदों के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई और इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) आठवीं योजना के दौरान शहरी आवास हेतु कितना वित्तीय प्रावधान किया जायेगा;

(घ) शहरी क्षेत्रों में मकानों की कमी के संबंध में ब्यौरा क्या है और शहरी आवास समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) इस संबंध में विदेशी निवेश की स्वीकृति का ब्यौरा क्या है और बाहरी क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराने हेतु विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख). मुद्रा स्फीति की वजह से समग्र कीमतों में वृद्धि के कारण सीमेन्ट तथा लोहे सहित भवन निर्माण सामग्रियों की कीमतों में कुछ वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा संकलित आकंड़ों के अनुसार, 1991–94 की अवधि से सीमेन्ट की कीमतों में दिल्ली में 13% से लेकर बैंगलोर में 50% तक वृद्धि हुई है। इसी प्रकार इन बड़े शहरों में इसी अवधि के दौरान लोहे की कीमतों में 25% से 27% तक वृद्धि हुई है। चूंकि कीमतों में भी कुछ वृद्धि हुई है परन्तु विभिन्न शहरी क्षेत्रों के बारे में इससे संबंधित निर्धारित तिथि की जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) 8वीं योजना के दौरान केन्द्रीय सेक्टर के शहरी आवास कार्यक्रमों के लिए परिव्यय 1341.35 करोड़ रुपये है। इस अवधि के दौरान शहरी तथा ग्रामीण आवास दोनों के लिए राज्य सेक्टर का परिव्यय 3581.67 करोड़ रुपये है ।

(घ) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा तैयार किये गये आंकलनों के अनुसार 1.3.95 तक शहरी क्षेत्रों में मकानों की कमी 11.3 मिलियन रिहायशी मकान हैं। देश में मकानों की कमी को पूरा करने के लिए मकान निर्माण की गति में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय आवास नीति में विभिन्न उपाय दिये गये हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) सार्वजनिक सेक्टर के आवास वित्त संस्थानों द्वारा आवास वित्त के स्तर में वृद्धि और आवास कार्यकलापों के लिए अतिरिक्त घरेलू बचत जुटाना;

(ii) आवास के लिए भूमि तथा अवस्थापनाओं की आपूर्ति में वृद्धि के लिए कानूनी/नियंत्रक प्रतिबन्धों को हटाना;

(iii) कम लागत की तथा पर्यावरण अनुकूल भवन निर्माण सामग्री का संवर्धन तथा व्यापक उपयोग करना और आवास निर्माण की लागत में कमी लाने के लिए किफायती प्रौद्योगिकी को अपनाना;

(iv) आवास कार्यक्रमों में सहकारी समितियों, निजी क्षेत्र तथा गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी ;

(v) अपशिष्ट पदार्थों के उपयोग से किफायती तथा पर्यावरण अनुकूल भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन एवं उपयोग के लिए उत्पाद–शुल्क तथा सीमा–शुल्क में छूट के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान ।

(ङ) विभिन्न आवास कार्यक्रमों के लिए वचनबद्ध विदेशी सहायता के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

(i) विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदत्त तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना और आश्रय घटक :

(क) स्थल तथा सेवाएं – 242.44 करोड़ रुपये

(ख) स्लम सुधार – 45.65 करोड़ रुपये

(ii) विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदत्त उत्तर प्रदेश शहरी विकास कार्यक्रम और आश्रय घटक :–

(क) स्थल तथा सेवाएं – 31.34 करोड़ रुपये

(ख) स्लम सुधार – 23.53 करोड़ रुपये

(iii) एच. डी. एफ. सी. को आवास निर्माण के लिए विश्व बैंक का ऋण – 250 मिलियन अमरीकी डालर

(iv) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा यू एस कैपिटल से उधार – 100 मिलियन अमेरीकी डालर यू एस ऐड द्वारा बाजार गारण्टी

(v) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा ओ. ई. सी. एफ. से उधार (अनुमोदन होने पर) – 2.970 बिलियन येन

(vi) हुडको को के. एफ. डब्लयू. ऋण – 50 मिलियन डेनिस मार्क

(vii) हुडको को के. एफ. डब्लयू. अनुदान – 30 मिलियन डेनिस मार्क

(viii) एच. डी. एफ. सी. को के. एफ. डब्ल्यू. ऋण – 25 मिलियन डेनिस मार्क

(ix) एच डी एफ सी को के. एफ. डब्ल्यू. अनुदान – 30 मिलियन डेनिस मार्क

(x) महाराष्ट्र सरकार को लातूर/ ओसमानाबाद के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में मकानों के पुनर्निमार्ण के लिए विश्व बैंक का ऋण – 246 मिलियन अमेरीकी डालर

उड़ीसा में पेय जलापूर्ति योजनाएं

7599. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजी गई विभिन्न कस्बों और शहरों के लिए पेय जलापूर्ति योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(घ) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के लिए केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत उड़ीसा राज्य सरकार ने पेय जल आपूर्ति के लिए निम्नलिखित 5 कस्बों की स्कीम भेजी थी।

1. बाली मेला
2. पीपली
3. काशीनगर
4. चन्दाबाली
5. पांमपोश

(ख) तथा (ग). जी, नहीं। तीन स्कीमों को वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित किया गया था और राज्य सरकार को वर्ष 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान क्रमशः 50.23 लाख रुपये तथा 51.13 लाख रुपये केन्द्र अंश के रूप में रिलीज किए गए थे।

(घ) राज्य सरकार की सूचना के अनुसार चन्दाबाली और पामपोश के कस्बों में सामग्री खरीद ली गई है, बालीमेला में पाइप लाइन बिछा दी गई है और कार्यान्वयन प्रगति पर है और पीपली तथा काशीनगर में भी कार्य अच्छा चल रहा है।

गैर–सरकारी क्षेत्र द्वारा विद्युत परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

7600. कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री गुरदास कामत :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रत्येक राज्य में विद्यमान ताप विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल)) : (क) और (ख). वर्तमान नीति विद्युत परियोजनाओं के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बाधित नहीं करती है। तथापि, सरकार ताप विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के वास्ते मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने के लिए कार्रवाई कर रही है।

तूतीकोरिन पत्तन का पुनः नामकरण

7601. **डा. पी. वल्लल पेरुमान :** क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार को तूतीकोरिन पत्तन के पुनः नामकरण के लिए हाल ही में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यहि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

क्षेत्रीय व्यवस्था विषयक बैठक

7602. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने कोर ग्रुप देशों के बीच क्षेत्रीय व्यवस्था कायम करने के संबंध में मारीशस में हुई/होने वाली इन देशों की पहली बैठक में भाग लिया था अथवा भाग लेगा;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इसमें हिन्द महासागर के व्यापक संदर्भ में इन देशों के सामान्य हालातों का कहां तक ध्यान रखा गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हां। भारत ने हिन्द महासागर के सात तटीय देशों (आस्ट्रेलिया, भारत, कीनिया, मॉरीस ओमान, सिंगापुर तथा दक्षिण अफ्रीका) के विशेषज्ञों की 29–31 मार्च, 1995 को पोर्ट लुईस, मॉरीशस में हुई बैठक में भाग लिया।

(ख) इस बैठक में व्यापार, निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन तथा मानव संसाधन विकास में सहयोग संवर्धित करने के लिए इन सात देशों से शुरू करके हिन्द महासागर तटीय राष्ट्र पहल के भावी कार्य योजना के सिद्धान्तों, उद्देश्यों तथा दिशा के संबंध में सहमति हुई।

अमरीकी कांग्रेस के सदस्यों का कश्मीर दौरा

7603. **डां. वसंत पवार :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1994 के अंत में अमरीकी कांग्रेस के सदस्यों के कश्मीर दौरे के निष्कर्ष क्या रहे हैं;

(ख) क्या इस द्विपक्षीय मुद्दे को हल करने हेतु उन्होंने कोई सकारात्मक सुझाव दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कांग्रेस के इन सदस्यों ने पाकिस्तान पर घाटी में चल रही आतंकवादी गतिविधियों से अलग रहने के लिए कोई दबाव डाला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (ग). अमरीकी कांग्रेस के सदस्य श्री गेरी एल. अकरमैन और अमरीकी कांग्रेस की सदस्या सुश्री बारबरा-रोज कोलिंस ने 16 से 17 नवम्बर, 1994 तक श्रीनगर और जम्मू की यात्रा की थी। जम्मू-कश्मीर की अपनी यात्रा के परिणामतः अमरीकी कांग्रेस के इन सदस्यों ने भारत में आतंकवाद को पाकिस्तान के प्रायोजन से उत्पन्न स्थिति को तथा जम्मू–कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने और वहां चुनाव करवाने की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को बेहतर ढंग से समझा। अमरीकी कांग्रेस के इस शिष्टमंडल का यह मत था कि संबंधित पक्षों को कश्मीर मसले पर विचार-विमर्श करके उसे हल करना होगा। यह कि जब तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहेगी और अन्तर्राष्ट्रीय संचार माध्यम उसका पर्यवेक्षण कर सकेंगे और इस संबंध में जानकारी दे सकेंगे तब तक यह मांग कोई महत्वपूर्ण मसला नहीं होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय अथवा संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों को इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

(घ) और (ङ). अपनी इस यात्रा के परिप्रेक्ष्य में अमरीकी कांग्रेस के इस शिष्टमंडल ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के प्रायोजन के संबंध में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की थी। तथापि, अभी हाल ही में 9 मार्च, 1995 को अमरीकी कांग्रेस के सदस्य श्री अकरमैन ने अमरीकी कांग्रेस के रिकार्ड में एक वक्तव्य शामिल किया जिसमें अमरीका के विदेश मंत्री से यह अनुरोध किया गया है कि वे इस बात की समीक्षा करें कि पाकिस्तान में आतंकवादी प्रशिक्षण केन्द्रों की मौजूदगी को देखते हुए पाकिस्तान को क्यों न अमरीका की उस सूची

में रखा जाए जो आतंकवाद का प्रायोजन करने वाले राज्यों से सम्बद्ध है। इससे पूर्व 7 मार्च, 1995 को अमरीकी कांग्रेस के सदस्य श्री अकरमैन ने अमरीका के विदेश मंत्री को लिखा था कि वे इस बात की जांच करें कि 26 जनवरी, 1995 को जम्मू में आतंकवादी हमले की जिम्मेवारी जिन ग्रुपों ने ली थी उन ग्रुपों को ऐसे अन्य विदेशी आतंकवादी ग्रुपों के समान क्यों नहीं माना जा रहा है जिनकी अमरीका में स्थित वित्तीय परिसम्पत्तियों का राष्ट्रपति के आदेश द्वारा कीलन कर दिया गया है।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पट्टे पर खानें देना

7604. **श्री एन. जे. राठवा :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने हीरों की खानें और मैंगनीज की खानें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पट्टे पर दे दी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार से इसकी अनुमति मांगी थी; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

लीज होल्ड को फ्रीहोल्ड में बदलना

7605. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री 20 मार्च, 1995 के अतारांकित प्रश्न सं. 872 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को इस मामले में कब निर्देश जारी किया था;

(ख) न्यायालय के अनुदेशानुसार सरकार को इस निर्देश का कब तक पालन करना था;

(ग) इस निर्देश का अब तक पालन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) लीज परिवर्तन संबंधी योजना में संशोधन करने के निर्णय की कब तक घोषणा कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (घ). दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.5.94 के आदेश द्वारा योजना को 30 सितम्बर, 1994 तक संशोधित करने का निदेश दिया था, ऐसा न किये जाने पर योजना को बन्द और अप्रवर्तनीय घोषित किया जाना था।

न्यायालय के निर्णय तथा योजना में संशोधन बाबत प्राप्त अभ्यावेदनों के अनुसरण में केबिनेट नोट मसौदा को संबंधित पक्षों को टिप्पणी के लिए भेजा गया। प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, संशोधित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और वह शीघ्र मंत्रीमण्डल को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

आवासीय एजेंसियों को ऋण

7606. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री कुंजी लाल :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों की आवासीय एजेंसियों को हुडको द्वारा दिए जा रहे ऋण में हर वर्ष कमी होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हुडको द्वारा राज्यों में विभिन्न आवासीय एजेंसियों को अलग-अलग वर्ष-वार तथा राज्यवार ऋण की कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और वितरित की गई;

(घ) क्या हुडको का विचार राज्यों की विभिन्न एजेंसियों को दिए जाने वाले ऋण की राशि बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के थुंगन) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड को हानि

7607. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड लगातार घाटे में चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और 1991–95 के दौरान कितनी हानि हुई तथा इसे लाभप्रद बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) और (ख). जी हां। कार्यबल के अधिक होने के कारण एच. एस. सी. एल. को 1978–79 से हानि हो रही है। कम्पनी की श्रमशक्ति 1970 से 1974 के बीच अचानक 4100 से बढ़कर 22000 हो जाने पर कम्पनी को वहन करने को कहा गया है। कम्पनी स्थापना लागत के इस भारी बोझ से नहीं उबर पाई। इसके अतिरिक्त नये कार्य के आर्डरों के लिए निजी क्षेत्र की निर्माण कम्पनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा, लीबिया में प्रचालन से हुई भारी हानि, कम लाभ आदि से कम्पनी की स्थिति और अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।

1994–95 के लिए अनन्तिम निवल हानि 95 करोड़ रुपये है। अधिक श्रमशक्ति को कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी. आर. एस.) को कार्यान्वित करने हेतु सरकार योजनागत तथा योजना–भिन्न ऋणों तथा अनुदान के रूप में एच. एस. सी. एल. की वित्तीय सहायता कर रही है और इस्पात तथा गैर–इस्पात क्षेत्रों में और अधिक निर्माण कार्य प्राप्त करने में कम्पनी के प्रयासों में कम्पनी की सहायता कर रही है।

[अनुवाद]

उर्वरकों का मूल्य

7608. **श्री अमल दत्तः** क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष यूरिया, डी. अमोनियम फास्फेट (डी. ए. पी.) तथा म्युरियेट आफ पोटाश (एम. ओ. पी.) के मूल्य क्या थे तथा इसकी कितनी खपत हुई;

(ख) क्या पी. एण्ड के न्यूट्रियन्ट के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण इसकी खपत में गिरावट आई है; और

(ग) यूरिया के अत्यधिक प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरकता में होने वाले ह्रास को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) वांछित सूचना नीचे दी गयी है:–

वर्ष	खपत (लाख टनों में)			सांविधिक मूल्य रु./टन		
	यूरिया	डीएपी	एमओपी	यूरिया	डीएपी	एमओपी
1992–93	149.06	40.52	9.74	2760	4680	1700
1993–94	158.10	34.80	10.52	2760	X	X
1994–95	172.80	36.86	13.20	*3320	X	X

X 25.8.92 से अनियंत्रित।
*10.6.94 से।

(ख) उनके अनियंत्रण के परिणामस्वरूप 1992–93 में आरम्भिक गिरावट के पश्चात् फासफेटिक और पोटेसिक उर्वरकों की खपत में सुधार हुआ है। तथापि, खपत स्तर, नियंत्रण पूर्व स्तर से अभी तक भी नीचे है।

(ग) उर्वरकों के सन्तुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किये गये उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) फासफेटिक और पोटेसिक उर्वरकों की बिक्री पर विशेष रियायत के लिए योजना।

(ii) बायो–उर्वरकों के उपयोग और विकास पर राष्ट्रीय परियोजना।

(iii) निम्न खपत वर्षा पोषित क्षेत्रों में उर्वरक उपयोग के विकास पर राष्ट्रीय परियोजना।

(iv) उर्वरकों के सन्तुलित और समेकित उपयोग के लिए योजना।

इस्पात संयंत्रों का विस्तार

7609. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के कतिपय समन्वित इस्पात संयंत्रों का विस्तार

करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र भी इनमें से एक है; और

(घ) यदि हां, तो इस्पात संयंत्रों के विस्तार के संबंध में क्या योजना तैयार की गई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ). जी, नहीं। यद्यपि स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) ने दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो स्थित अपने तीन एकीकृत इस्पात संयंत्रों जिनका आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में चल रहा है, के पुनरुद्धार और प्रौद्योगिकीय उन्नयन (आधुनिकीकरण) कार्यक्रम शुरू किए हैं। इससे अन्य लाभों के अलावा इन संयंत्रों की इस्पात निर्माण क्षमता में सीमान्त रूप से वृद्धि होगी। राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के अन्तर्गत योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के अन्तर्गत योजनाएं

चरण – I

1. कच्चा माल सम्भाल में आमापित अयस्क चूरे, फलेक्सेज आदि के लिए यंत्रीकृत भण्डार और ब्लैंडिंग यार्ड ।
2. कोयला एवरेजिंग और अन्य कोयला सम्भाल सुविधाएं ।
3. सिन्टर स्क्रीनिंग धमन भट्टियों में बी एफ कन्वेयराइजेशन सुविधाएं।
4. बी एफ–4 में कास्ट हाउस स्लैग ग्रेनुलेशन सुविधाओं की स्थापना।
5. नया 180 टन प्रति दिवस आक्सीजन संयंत्र ।
6. डोलोमाइट ब्रिक प्लान्ट का संशोधन ।
7. विद्यमान एल. डी. कन्वर्टर 4 तथा 5 में कम्बाइण्ड ब्लोविंग सुविधाएं।
8. विद्युत वितरण प्रणाली ।

चरण : II

1. कच्चा माल सम्भाल के अन्तर्गत नए सिन्टर संयंत्र के लिए बेस मिक्स और बैडिंग तथा ब्लैंडिंग यार्ड ।
2. नया सिन्टर संयंत्र (192 वर्ग मीटर)
3. कम्बाइंड ब्लोविंग सहित 2X150 टन एल. डी. कन्वर्टरों की स्थापना ।
4. विद्यमान एस एम एस–1 में एक सिंगल स्ट्रेण्ड स्लैब कास्टर और नई एस एम एस में दो सिंगल स्ट्रैण्ड स्लैब कास्टर ।
5. 180 टन प्रति दिवस क्षमता के एक नए आक्सीजन संयंत्र की स्थापना।
6. 250 टन प्रति दिवस क्षमता के नए चूना–पत्थर कैल्शिनेशन संयंत्रों की स्थापना ।
7. प्लेट मिल तथा हॉट स्ट्रिप मिल के संशोधन ।
8. प्लेट मिल में एक पुनर्तापन भट्टी और एच. एस. एम. में दो पुरानी भट्टियों के स्थान पर अधिक क्षमता की दो पुनर्तापन भट्टियों की स्थापना ।
9. कोल चार्ज प्लान्ट की आंशिक ब्रिक्वेटिंग की स्थापना ।
10. लैडल रिपेयर शॉप की स्थापना ।
11. विद्युत वितरण प्रणाली ।
12. स्तना में साइजिंग प्लान्ट की स्थापना ।
13. आवश्यक सेवा सुविधाओं का संवर्धन ।

तमिलनाडु में नये पासपोर्ट कार्यालय

7610. श्री पी. कुमारासामी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994–95 के दौरान देश में नये पासपोर्ट कार्यालय किन–किन स्थानों पर खोले गये;

(ख) नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या तमिलनाडु में नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने की कोई मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख). 1994–95 के दौरान जो एकमात्र नया पासपोर्ट कार्यालय खोला गया, वह मार्च, 1994 में जम्मू में खोला गया है। नए पासपोर्ट कार्यालयों का खोला जाना कुछ मानदंडों पर आधारित होता है जिनमें कार्य की मात्रा और वित्तीय संसाधन शामिल हैं। विदेश मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय स्थायी समिति ने, अन्य बातों के साथ–साथ यह सिफारिश की है कि कोई भी पासपोर्ट कार्यालय उन परस्पर सटे हुए ब्लाकों/वार्डों/जिलों/राज्यों में यथासम्भव किसी केन्द्रीय स्थान पर स्थित होना चाहिए जिनसे प्रतिवर्ष औसतन 50,000 आवेदन प्राप्त होते हों।

तमिलनाडु भारत के उन पांच राज्यों में से एक है जिनमें एक से अधिक पासपोर्ट कार्यालय हैं। इस राज्य के दोनों वर्तमान पासपोर्ट कार्यालय प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं। सरकार ने पासपोर्ट कार्यालयों को पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराकर उनके कार्य संचालन को सरल और कारगर बनाने के लिए कदम उठाए हैं, इन सुविधाओं में पासपोर्ट कार्यालयों को अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल और खुले परिसरों में स्थानान्तरित करना, उनका कम्प्यूटरीकरण करना और आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करना शामिल है।

(ग) और (घ). तमिलनाडु राज्य में नए पासपोर्ट कार्यालय खोलने के संबंध में कुछ संगठनों तथा संसद सदस्यों से समय–समय पर सुझाव प्राप्त होते रहे हैं। बहरहाल, उपर्युक्त को देखते हुये तमिलनाडु में नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम की संयुक्त उद्यम वाली परियोजनाएं

7611. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एन. बी. सी. सी.) ने बड़ी विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर भारत तथा बाहर के देशों में बड़े मूल्य वाली कुछ कूलिंग टावर परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के कार्य को शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन. बी. सी. सी. ने जर्मन कंपनी ब्लैक डर कूलिंग टावर्स लिमिटेड के साथ हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किया है;

(घ) यदि हां, तो समझौता ज्ञापन की शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान एन. बी. सी. सी. द्वारा भारत में जिन–जिन कूलिंग टावर परियोजनाओं का कार्य किया गया उनका ब्यौरा क्या है तथा उन परियोजनाओं की लागत कितनी थी, वे कहां–कहां स्थित हैं तथा उन्हें पूरा करने इत्यादि में कितना समय लगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) देश में निकट भविष्य में कई विद्युत संयंत्र और रासायनिक संयंत्र स्थापित किये जाने की संभावना है जिसके लिए अत्याधुनिक कूलिंग टावरों का निर्माण करना होगा। एन. बी. सी. सी. को विदेशी कम्पनी के सहयोग से भारत तथा विदेश दोनों जगह कूलिंग टावर का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. और मैसर्स बाल्के दूर कूलिंग टावर्स एनी, रेटिंजेन पश्चिम जर्मनी की एक सहयोगी कम्पनी मैसर्स बाल्के दूर कूलिंग टावर्स लिमिटेड, मद्रास के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में मोटे तौर पर निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर दायित्वों और कार्यकलापों के विभाजन का प्रावधान है :–

(1) एन. बी. सी. सी. तथा बी. डी. सी. टी. के बीच कार्य प्रणाली का निर्माण परियोजना-दर-परियोजना आधार पर किया जायेगा।

(2) मैसर्स बी. डी. सी. टी. तथा उनकी सहयोगी कम्पनी (मैसर्स डी. बी. आर. कूलिंग टावर्स प्राइवेट लि.) निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी:–

(क) सभी विस्तृत अभियांत्रिकी, खरीदी गई मुद्दों के लिए समुचित विक्रेताओं की पहचान सहित सिविल तथा हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग सेवाएं/बी.डी.सी.टी. को कूलिंग टावर के कार्य निष्पादन की गारण्टी देनी होगी। इन सेवाओं के लिए शुल्क इस प्रकार होगा:–

(i) प्राकृतिक अकाल कूलिंग टावर की निविदा लागत का 4%

(ii) यांत्रिकी कूलिंग टावर की निविदा लागत का 5%

(ख) मैसर्स बी. डी. सी. टी. अपनी डिजायनों के अनुसार पी. वी. सी. फिल सामग्री तथा सभी यांत्रिकी तथा विद्युत मुद्दों की आपूर्ति करेगा। वे इन मुद्दों के लिए सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरें नोट करेंगी।

(3) एन. बी. सी. सी. 2 (क) (ii) में उल्लिखित सामग्री के अलावा सभी सामग्रियों की खरीद सहित पूरे निर्माण कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी होगी।

(ङ) (i) एन. बी. सी. सी. लि. आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के लिए मुद्दानु

रायलसीमा में 1099 लाख रुपये की लागत के दो प्राकृतिक अकाल हाइड्रोलिक कूलिंग टावरों (30,000 सी. यू. एम. प्रति घण्टा कूलिंग क्षमता) के निर्माण की परियोजना चला रही है। इसके जून, 1995 तक पूर्ण होने की संभावना है ।

(ii) इसने जनवरी, 1995 के दौरान भटिण्डा (पंजाब) में गुरु नानक देव थर्मल पावर संयंत्र के लिए 2,17700 लाख रुपये की लागत से दो प्राकृतिक अकाल कूलिंग टावर्स के निर्माण के लिए दूसरा ठेका भी प्राप्त कर लिया है, जिसके पूरा होने की अवधि 30 माह है।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र में चोरी

7612. **श्री ललित उरांव :**
श्री सूरज भानु सोलंकी :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने जनवरी, 1995 में बोकारो इस्पात संयंत्र के माकंडप क्षेत्र से चोरी का स्क्रैप और लौह ले जाते हुऐ तीन ट्रक पकड़े थे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस तरह की चोरी की कितनी घटनाएं हुईऔर इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) बोकारो इस्पात संयंत्र में चोरी की घटनाएं रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी. आई. एस. एफ.) द्वारा तीन ट्रकों सहित मौके पर तीन व्यक्ति पकड़े गए थे और सेक्टर–IV के थाने को सौंप दिये गये थे तथा उक्त थाने में एफ. आर. आई. भी दर्ज कराई गई थी।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(घ) इस प्रकार की चोरी को रोकने/पता लगाने के लिए सी. आई. एस. एफ. द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(1) सी. आई. एस. एफ. द्वारा मलवे के ढेर और स्लैग के ढेर के समीपवर्ती क्षेत्रों में गश्त बढाई गई है ।

(2) सी. आई. एस. एफ. द्वारा घात लगाकर बैठना/तलाशी अभियान बार–बार आयोजित किए जा रहे हैं जिनके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।

(3) स्थानीय पुलिस/प्रशासन की सहायता से मलवे के ढेर से क्षेत्रों के आस–पास संयुक्त रूप से छापे मारे जाते हैं ।

(4) और अधिक सतर्कता बनाए रखने के लिए मलवे के ढेरों के क्षेत्र में हैड कान्स्टेबल के स्थान पर सहायक उप निरीक्षक के स्तर के अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है।

(5) निकटवर्ती क्षेत्र में और उसके आस–पास अधिक सर्तकता/निगरानी रखने के लिए सी. आई. एस. एफ. के अपराध और आसूचना स्कंध को उचित ढंग से तैयार किया गया है ।

विवरण

क्रम स.	घटना की तारीख	घटना का स्थान	जब्त माल का विवरण	जब्त माल की मात्रा	जब्त माल की कीमत	पुलिस स्टेशन	मामले की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1992							
1.	7.5.92	मलबे के ढेर के क्षेत्र के समीप	इस्पात स्क्रैप	19 एम. टी.	50,464 रु.	सेक्टर–4 पी. एस.	न्यायालय मे विचाराधीन
2.	30.5.92	बसन्ती मोड़ के समीप	इस्पात	06 एम. टी.	16,000 रु.	हारला	–वही–

क्रम स.	घटना की तारीख	घटना का स्थान	जब्त माल का विवरण	जब्त माल की मात्रा	जब्त माल की कीमत	पुलिस स्टेशन	मामले की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	13.7.92	बसन्ती मोड़ के समीप	इस्पात स्क्रैप	10 एम. टी.	26,000 रु.	हारला पी. एस.	–वही–
4.	27.8.92	गांधी चौक के समीप	इस्पात स्क्रैप	11 एम. टी.	28,600 रु.	सेक्टर–4 पी. एस.	–वही–
5.	24.4.92	एस. जी. पी. क्षेत्र के समीप	कच्चा लोहा पुराने पाइप	04 एम. टी.	04,000 रु.	बालडीह पी.एस.	–वही–
6.	01.10.92	टप काह बस्ती के समीप	लोहा स्क्रैप	08 एम. टी	20,000 रु.	जरीडीह	–वही–
1993							
1.	07.10.93	स्लैग ढेर क्षेत्र के समीप	लोहा स्क्रैप	150 कि. ग्रा.	450 रु.	बालडीह	–वही–
2.	31.3.93	कैम्प–II के सामने	लोहा स्क्रैप	10 एम. टी.	26,000 रु.	बी. एस. सिटी पी. एस.	आरोप पत्र शून्य
3.	31.3.93	बसन्ती मोड़ के समीप	लोहा स्क्रैप	200 कि. ग्रा. पी. एस.	400 रु. विचाराधीन	हारला	न्यायालय में विचाराधीन
4.	23.8.93	गोरा बाली बस्ती	लोहा स्क्रैप	12 एम. टी.	20,000 रु.	बालडीह पी. एस.	अभियुक्त फरार हो गया अज मानतीय वारंट जारी किया कर दिया गया।
5.	17.12.93	एस. जी. पी. क्षेत्र के समीप	लोहा स्क्रैप	10 एम. टी.	41,912 रु.	बालडीह पी. एस.	न्यायालय में विचाराधीन
6.	23.12.93	गोरा बाली बस्ती के समीप	लोहा स्क्रैप	08 एम. टी.	33,529 रु.	–वही–	–वही–
1994							
1.	6.1.94	एस. जी. पी. क्षेत्र के समीप	लोहा स्क्रैप	02 एम. टी.	07,000 रु.	बालडीह पी. एस.	न्यायालय में विचाराधीन

क्रम स.	घटना की तारीख	घटना का स्थान	जब्त माल का विवरण	जब्त माल की मात्रा	जब्त माल की कीमत	पुलिस स्टेशन	मामले की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	20.2.94	सेक्टर–9 के समीप	लोहा स्क्रैप	16 एम. टी.	68,000 रु.	हारला पी. एस.	न्यायालय में विचाराधीन
3.	05.4.94	राम मन्दिर के समीप	इस्पात स्क्रैप	700 कि. ग्रा.	08,000 रु.	बी. एस. सिटी पी. एस.	–वही–
4.	15.4.94	एस. जी. पी. क्षेत्र के समीप	इस्पात स्क्रैप	02 एम. टी.	08,000 रु.	बालडोह पी. एस.	–वही–
5.	4.5.94	मुख्य गेट के समीप	फैरस स्क्रैप	700 कि. ग्रा.	03,000 रु. पाई गई। न्यायालय में	बी. एस. सिटी	अन्तिम रिपोर्ट सच पाई गई है। न्यायालय में विचाराधीन है।
6.	5.6.94	सेक्टर–9 के समीप	फैरस स्क्रैप	05 एम. टी.	26,000 रु.	हालरा पी. एस.	न्यायालय में विचाराधीन
7.	2.7.94	सेक्टर–9 पम्प हाउस	फैरस स्क्रैप	08 एम. टी.	42,000 रु.	हारला पी. एस.	–वही–
8.	3.10.94	एस. जी. पी. क्षेत्र के समीप	लोहा स्क्रैप	05 एम. टी.	20,000 रु.	बालडीह पी. एस.	न्यायालय में विचाराधीन
9.	20.10.94	बसन्ती मोड़ के समीप	फैरस स्क्रैप	15 एम. टी.	75,000 रू	हारला पी. एस.	न्यायालय में विचाराधीन

पी. एस. — पुलिस स्टेशन
एस. जी. पी. — स्लैग गेनुलेटिड प्लान्ट
बी. एस. सिटी — बोकारो स्टील सिटी

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के टिनेसी वैली अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन

7613. **श्री अनंतराव देशमुख :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने टिनेसी वैली अथॉरिटी के साथ कोई ऐसा संयुक्त उपक्रम शुरू करने का समझौता–ज्ञापन किया है जिसके अन्तर्गत नवीकरण एवं सुधरी सेवाओं की प्रौद्योगिकी सहित कोयला आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग). उक्त निगम द्वारा अन्य विदेशी कम्पनियों के साथ उपरोक्त प्रकार के संयंत्रों की स्थापना हेतु किए गए समझौता–ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) कोयला आधारित विद्युत संयंत्र ओवरहाल की अधिष्ठापना हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) द्वारा विदेशी कंपनियों के साथ अब तक किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

सरकारी क्वार्टरों में कार्य

7614. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढांचे में परिवर्तन किये बगैर निर्माण प्रभार के 10 प्रतिशत की अदायगी करके सरकारी आवासों में निर्माण कार्य कराया जा सकता है;

(ख) क्या सरकार द्वारा 10 प्रतिशत प्रभार अदायगी व्यवस्था के अंतर्गत शुरू किये जाने वाले कार्यों के संबंध में सूची नहीं बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सरकार ने उन कार्यों की विस्तृत सूची निर्धारित की है जिन्हें 10 प्रतिशत प्रभारों की अदायगी पर शुरू किया जा सकता है। (विवरण संलग्न) तथापि विद्युत कार्यों की कोई विशिष्ट सूची नहीं है।

विवरण

10 प्रतिशत प्रभारों की अदायगी पर शुरू किए जाने वाले कार्यों की सूची

1. ड्रांइग बोर्ड और वेस्ट पाइप सहित किचन सिंक ।
2. दरवाजे तथा खिड़की के लिए वायर गॉज शटर ।
3. वेस्ट पाइप सहित वाश बेसिन लगाना ।
4. शीशा ।
5. शीशे की शेल्फ ।
6. प्लेन जाफरी देना तथा लगाना ।
7. शौचालय का पुनः उद्धार ।
8. बरामदे में शीशे लगाना ।
9. भूमिगत टैंक तथा पम्प ।
10. ऊपरी–टैंक (पी. वी. सी.) ।

खनिजों का निर्यात

7615. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हमारे देश में समृद्ध खनिज संसाधनों का उपयोग करने और कच्ची सामग्री के स्थान पर केवल मूल्य वर्धित तैयार सामग्री का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग). राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के अनुसार सरकार की नीति यह है कि निर्यात खनिजों के मूल्य वर्धित स्वरूप को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। निर्यात नीति में खनिज सूची स्थिति तथा देश की दीर्घ-कालीन आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाएगा ।

[हिन्दी]

कश्मीर चुनावों में पाकिस्तान द्वारा रुकावट

7616. **श्री बलराज पासी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया में रुकावट डालने के हर सम्भव प्रयास किए जाएंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त रिपोर्टों की ओर विश्व शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) सरकार को यह मालूम है कि पाकिस्तान जम्मू एवं कश्मीर में विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने की रणनीति

पर चल रहा है ताकि आतंकवाद का माहौल पैदा हो सके और चुनाव कराने सहित राजनीतिक प्रक्रिया में बाधा डाली जा सके।

(ख) जी हां।

(ग) जम्मू एवं कश्मीर में चुनाव कराये जाने सहित राजनीतिक प्रक्रिया अपनाने के संबंध में भारत की स्थिति की अन्तर्राष्ट्रीय रूप से सराहना की जा रही है।

सरकारी आवास को किराये पर देना

7617. श्री अंकुशराव टोपे :
श्री पंकज चौधरी :
श्री ब्रजभूषण शरण सिंह :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी आवास में भारी संख्या में लोग अवैध रूप से रह रहें हैं जिससे सरकारी आवास के हकदार सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास प्राप्त करने के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा कितने मकान खाली किए गए; और

(घ) आबंटन के नियमों के अनुसार दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है / किए जाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) उपकिरायेदारी की शिकायतें समय-समय पर मिलती रहती हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1994-95 की सूचना इस प्रकार है :-

	क्वार्टरों की संख्या
(i) जिनका निरीक्षण किया गया	1000 से अधिक
(ii) जिन्हें किराए पर दिया पाया गया	450
(iii) उपकिरायेदारी के दोषी पाए गए आवंटी	191
(iv) खाली/बेदखल किए गए	74

(घ) आबंटित आवास रद्द करके, पांच वर्ष की अवधि के लिए आबंटन रोक कर तथा प्रशासनिक अधिकारियों को सम्बद्ध आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का परामर्श देकर उप करायेदारी के लिए दोषी पाए गए आबंटियों को दण्ड दिया जाता है।

[अनुवाद]

पाकिस्तानियों को आपातकालीन वीजा

7618. डा. आर. मल्लू :
श्री एम. जी. रेड्डी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पाकिस्तानियों को किसी पूर्व सत्यापन के प्राथमिकता के आधार पर आपातकालीन वीजा जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इसका देश की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

रसोई गैस वितरकों के लिए भूमि का आबंटन

7619. **श्री श्रवण कुमार पेटल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में रसोई गैस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने से पहले सुरक्षा नियमों के अनुसार रसोई गैस के भण्डारण डिपुओं के स्थान निर्धारित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे लोगों को भी शोरूम और गोदामों के लिए अब तक भूमि प्रदान नहीं की गई है जिन्हें जनवरी, 1994 तक इंडियन

आयल कारपोरेशन द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान करने के आशय पत्र जारी कर दिए गए हैं तथा इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) किसी क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता का आश्वासन देने और इसे निर्धारित करने के बाद शोरूम और गोदामों के लिए भूमि के आबंटन के लिए क्या प्रक्रिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में रसोई गैस (एल. पी. जी.) की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए आवेदन तेल कंपनियों द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं, जो आवेदन आमंत्रित करने से पूर्व स्थलों की उपलब्धता बाबत डी. डी. ए. से परामर्श नहीं करती है।

(ख) जी, हां। स्थलों की अनुपलब्धता की वजह से देरी होती है।

(ग) पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा नामित आशय पत्र धारकों को, उन मामलों को छोड़कर, जो विशेष सहानुभूति के हकदार हैं, वरीयता के अनुसार स्थलों का आबंटन किया जाता है। आयल सलैक्शन बोर्ड (ओ. एस. बी.) नामजद व्यक्तियों को विशिष्ट स्थानों पर स्थल उपलब्ध होने पर आबंटन किए जाते हैं।

विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड

7620. **श्री के. जी. शिवप्पा** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड का अधिग्रहण किया था;

(ख) यदि हां, तो कब किया था और इसके क्या उद्देश्य थे;

(ग) क्या इस उद्योग को वर्ष दर वर्ष घाटा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). स्टील अॅथारिटी ऑफ इण्डिया लि. ने विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लि. (वी. आई. एस. एल.) के पुनरुद्धार और उसकी व्यवहार्यता में सुधार के प्रमुख उद्देश्य से इसके 60 प्रतिशत से अधिक शेयरों का अधिग्रहण किया है।

(ग) से (ङ). जी हां। वी.आई.एस.एल. को वर्ष 1993-94 में 8.39 करोड़ रुपये का निवल घाटा हुआ जबकि कम्पनी को वर्ष 1992-93 में 17.08 करोड़ रुपये की हानि हुई।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए कम्पनी के वित्तीय लेखाओं की जांच की जा रही है तथा हानि का सही विवरण अंकेक्षण-कार्य की पूर्णता पर ज्ञात हो सकेगा। सामान्यतः हानि के कारण निम्न रहे हैं:-

(i) मिश्र धातु इस्पात की मांग में गिरावट,

(ii) विद्युत की उच्च दरें, तथा

(iii) कतिपय क्षेत्रों में पुरानी व अप्रचलित तकनीक।

संयंत्र की स्थिति में सुधार के लिए "सेल" ने वर्ष 1994-95 में विभिन्न पूंजीगत योजनाओं जिनका क्रियान्वयन हो रहा है, में 38.92 करोड़ रुपये का विनियोग किया है।

[हिन्दी]

नर्मदा जल विद्युत परियोजनाएं

7621. **श्री फूलचंद वर्मा** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नर्मदा नदी पर अन्य दो बड़ी बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय परियोजनाओं का दर्जा देने के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है तथा इन पर अब तक कितना व्यय हुआ है; और

(घ) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कितनी धनराशि की सहायता दी गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) जहां तक सम्बद्ध विद्युत परियोजनाओं का प्रश्न है योजना आयोग द्वारा नर्मदा सागर (इंदिरा सागर) ओंकारेश्वर और महेश्वर जल विद्युत परियोजनाओं को राज्य क्षेत्र में क्रियान्वित किए जाने हेतु निवेश संबंधी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। राज्य को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और ब्लॉक अनुदानों के रूप में दी जाती है तथा इस प्रकार की सहायता अलग-अलग परियोजनाओं को प्रदान नहीं की जाती है।

जहां तक सम्बद्ध सिंचाई परियोजनाओं का संबंध है, सिंचाई राज्य का एक विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की जांच निर्माण, क्रियान्वयन तथा व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्यों की होती है।

(ग) अद्यतन लागत अनुमानों तथा अभी तक किए गये व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	नवीनतम लागत	3/95 तक किया गया व्यय (अनंतिम)
1.	इंदिरा सागर (8 X125 मे. वा.)	2825.70 (3/93)	460.24
2.	ओंकारेश्वर (8 X 65 मे. वा.)	958.82 (3/93)	21.95
3.	महेश्वर* (10 X40 मे. वा.)	465.63 (अनुमोदित लागत)	

*परियोजना अब निजी क्षेत्र की भागीदारी से शुरू की गई है।

(घ) राज्य सरकार सामान्यतः राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदन प्राप्त फार्मूले के अनुसार राज्यों को उनकी योजनाओं के लिए ब्लॉक योजना सहायता प्रदान करती रही है। कुछ विशेष क्षेत्रों/परियोजनाओं/स्कीमों को सामान्यतः यह सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

सरकारी आवासों का आबंटन

7622. **श्री अमर रायप्रधान : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों ने 1994 तथा 1995 में यह मांग की थी कि सरकारी आवासों को किराये पर देने संबंधी मामलों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से करायी जाए तथा सरकारी आवास आवंटन नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा संसद सदस्यों की इन मांगों पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सी. बी. आई. द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, नहीं। इस मंत्रालय को ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). उपर्युक्त भाग "ग" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राजीव गांधी की हत्या में लिट्टे का हाथ

7623. **श्री पी. सी. थामस : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा की गई इस घोषणा की जानकारी है कि राजीव गांधी की हत्या के लिए लिट्टे प्रमुख जिम्मेदार है;

(ख) क्या श्रीलंका की सरकार द्वारा यह बात पहली बार स्वीकार की गई है;

(ग) प्रभाकरण के प्रत्यर्पण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का इस संबंध में अपने प्रयासों में तेजी लाने का विचार है जिससे यह प्रत्यर्पण बिना किसी विलम्ब के हो सके; और

(ङ) इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) सरकार ने श्रीलंका की राष्ट्रपति द्वारा "इंडिया टुडे" को दिया गया साक्षात्कार देखा है जिसमें उन्होंने कथित रूप से लिट्टे प्रमुख को श्री राजीव गांधी की हत्या के लिए जिम्मेवार ठहराया है ।

(ख) यह पहली बार है कि श्रीलंका के किसी राज्याध्यक्ष द्वारा कथित रूप से ऐसी टिप्पणी की गई है।

(ग) और (घ). श्रीलंका की सरकार से प्रभाकरण के प्रत्यर्पण से संबंधित सभी संगत पहलू भारत सरकार की सम्बद्ध एजेन्सियों के विचाराधीन है।

(ङ) भारत की सरकार ने प्रभाकरन की गिरफ्तारी से सम्बद्ध भारतीय कानून की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के संबंध में कार्रवाई की है। फरवरी 1992 में मद्रास से नामित न्यायालय में, जहां राजीव गांधी की हत्या से संबंधित मुकदमा चल रहा है, टाडा की धारा 8 (3) (क) के तहत प्रभाकरन के विरुद्ध गिरफ्तारी के वारंट तथा उद्घोषणाएं जारी की। श्रीलंका की सरकार के अनुमोदन से इन्हें 1992 में श्रीलंका के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया गया उद्घोषणाओं के अनुसार प्रभाकरन को 28.2.92 को अथवा उससे पहले नामित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया था और अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए बिना इस तारीख के निकल जाने पर इस मामले में आगे कानूनी कार्रवाही की जा रही है। मई, 1992 में एस. आई. टी. ने मद्रास के नामित न्यायालय में मुख्य अभियुक्त प्रभाकरण के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया अप्रैल, 94 में प्रभाकरण की गिरफ्तारी का अनुरोध करते हुए एक "रैड कार्नर नोटिस" इन्टरपोल के माध्यम से परिचालित किया ।

घटिया किस्म के तांबे का व्यापार

7624. **श्री विजय एन. पाटिल** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अप्रैल, 1995 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में पूअर कापर फ्लडस मार्किट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में घटिया किस्म के तांबे और तांबे की वाइंडिंग वाली तार का व्यापार हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध मे क्या कदम उठाए गए हैं ।

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच. सी. एल.) देश की एकमात्र प्राथमिक ताम्र उत्पादक कंपनी है। जो अपने उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म का तांबा उपलब्ध कराती है और कंपनी को उनके द्वारा उत्पादित तांबे की गुणवत्ता से संबंधित कोई बड़ी शिकायत नहीं मिली है। संगठित सेक्टर की इकाइयों ने भी तांबा वाइंडिग तारों की किसी घटिया किस्म की सूचना नहीं दी है। वर्तमान आयात नीति के तहत तांबा स्वतंत्र रूप से आयात योग्य है।

[हिन्दी]

टमाटर का उत्पादन

7625. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पलामू तथा चातरा जिलों में टमाटरों का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है और क्या टमाटर के मौसम के दौरान लगभग 100 ट्रक टमाटर प्रतिदिन इन जिलों से बाहर सप्लाई किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सुदूरवर्ती गांवों में टमाटरों का मूल्य घट कर कभी–कभी पच्चीस पैसे किलो ही रह जाता है;

(ग) क्या सरकार ने इन दो जिलों में टमाटर पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के प्रयास कभी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). इन जिलों में टमाटर का उत्पादन किया जाता है लेनिक प्रतिदिन इन जिलों से बाहर सप्लाई किए जाने वाले टमाटरों तथा उनके मूल्य में अन्तर के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ). खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना नहीं करता है लेकिन पिछड़े क्षेत्रों समेत देश में फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए लागू की जा रही विभिन्न योजना स्कीमों के तहत सहायता देता है ।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में इस्पात का उत्पादन

7626. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 1994–95 के दौरान उत्तर प्रदेश में विभिन्न इस्पात उद्योगों द्वारा कुल कितना उत्पादन किया गया है;

(ख) राज्य में कितने इस्पात उद्योग रुग्ण घोषित किए गए हैं; और

(ग) 1994–95 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कितने इस्पात उद्योगों को वित्तीय सहायता दी गई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) 1994–95 के दौरान इस्पात उत्पादक, पुनर्बेलन, जस्तीकृत, शीत बेल्लित और तार खींचने की इकाइयों द्वारा उत्तर प्रदेश में किया गया इस्पात का समग्र उत्पादन 4.36 लाख टन (अनन्तिम) बताया गया है।

(ख) समय-समय पर यथासंशोधित रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की शर्तों के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई. एफ. आर.) द्वारा 1994 में उत्तर प्रदेश में एक इकाई रुग्ण घोषित की गई है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

"माइनर" खनिज

7627. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या क्वार्ट्ज और फेल्सपार जैसे कम मूल्य वाले खनिज भी खनिज रियायत मूल्य (1960) खनिज संरक्षण और विकास नियम तथा खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1994 द्वारा नियंत्रित होते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन खनिजों को उक्त नियमों के अधिकार क्षेत्र से मुक्त करने का है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 3 (ङ) में परिभाषित गौण खनिजों पर खनिज रियायत नियमावली, 1960 और खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। क्वार्टज और फैल्सपर को गौण खनिजों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।

(ग) कम कीमत वाले खनिजों को इन नियमों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक

7628. **श्री राम निहोर राय** : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के वित्तीय वर्षों के दौरान राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक (आर. सी. एफ.) को कितना घाटा हुआ;

(ख) इसके लिए कौन–कौन से कारक जिम्मेदार हैं;

(ग) आर. सी. एफ. को लाभ अर्जित करने वाला उद्यम बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या घाटे की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने हेतु जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैरीलो) : (क) से (ग) 1992–93, 1993–94 और 1994–95 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आर. सी. एफ.) की शुद्ध लाभ/हानि निम्नानुसार थीः–

वर्ष	(–) हानि/ लाभ (+)
1992–93	(–) 26.58
1993–94	(–) 12.08
1994–95	(+) 191.76 (अनंतिम)

आर. सी. एफ. को 1992–93 और 1993–94 के दौरान मुख्यतः विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के कारण कुवैती दीनार ऋण पर बढ़े हुए ब्याज तथा मूल राशि के दायित्व के कारण घाटा हुआ। इसके अलावा, फास्फेटिक उर्वरकों के अनियंत्रण का भी प्रभाव पड़ा जिसे उर्वरक मूल्य निर्धारण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसार अगस्त 1992 में लागू किया गया था। सरकार ने आर. सी. एफ. को कुवैती दीनार ऋण पर विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के कारण कम्पनी द्वारा उठाए गये घाटे के प्रभाव को निष्प्रभावित करने के लिए वर्ष 1994–95 के दौरान 150.88 करोड़ रु. का मुआवजा प्रदान किया।

(घ) से (च). ऊपर स्पष्ट की गयी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कोई जांच पड़ताल करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जर्मन कम्पनियों से प्राप्त शिकायतें

7629. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक जर्मन कम्पनी तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विकास निगम लिमिटेड के साथ उनके दावों निर्धारण संबंधी मामलों को निपटाने के लिए विचार–विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बॉन में भारतीय दूतावास में वर्षों से शिकायतें आ रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में सुधारात्मक कार्यवाही की है/करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरे क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). बॉन स्थित हमारे मिशन को मैसर्ज गैरहार्ट एण्ड बक गम्म द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के विरुद्ध वाणिज्यिक शिकायत किए जाने की जानकारी है। जर्मनी की कम्पनी का यह कहना है कि हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने अप्रैल 1987 में किए गए संयुक्त उद्यम के प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं की और संविदा-भंग की । हमारे मिशन ने इस पर सक्रिय रूप से कार्यवाही की है। हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने यह सूचित किया है कि जर्मन कम्पनी के साथ कोई करार सम्पन्न नहीं किया गया था और उन्होंने कोई संविदा–भंग नहीं की। जर्मन कम्पनी को यह जनवरी 1991 में बता दिया गया था और इसके बाद पत्रों के उत्तर में दिए गए जवाबों में भी यह बात दोहरायी गई है। जर्मन कम्पनी का दावा एक सम्पन्न करार पर निर्भर करता है जिसे वे प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं ।

(घ) और (ङ). वाणिज्यिक स्वरूप की शिकायतों का निपटान आमतौर पर सम्बद्ध पक्षों द्वारा आपस में किया जाना चाहिए। जहां आवश्यक होता है सरकार ऐसे मतभेदों को पूरा करने के लिए यथासंभव प्रयास करती है ।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सुधार

7630. **डा. महादीपक सिंह शाक्यः**
श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अप्रैल, 1995 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में "स्टडी अर्जेज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रिफार्म" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ ठेका खेती के माध्यम से किसान प्रसंस्करणकर्त्ता के बीच संपर्क को बढ़ावा देना, उद्योग द्वारा सक्रिय वित्तीय तथा प्रशासनिक सहभागिता के जरिये प्रशीतित ढुलाई तथा कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाना, प्रसंस्करण उद्योग की जरूरत के सर्वाधिक अनुरूप कृषि–सब्जी को उन्नत करने के लिए अनुसंधान कार्यक्रमों पर जोर देना, फल तथा सब्जी के उत्पादन तथा प्रसंस्करण के प्रति अनिवार्य रवैया अपनाना, पैकेजिंग पदार्थों पर उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कम करना तथा बाजार आसूचना के माध्यम से निर्यातकों के बीच सूचना–आधार में वृद्धि करना, खाद्य बाजार में सरकार के हस्तक्षेप की मात्रा कम करना, अपेक्षित आधारभूत सुविधा की स्थापना के लिए निजी उद्यमियों को जमीन पट्टे पर देना, पर्यावरण सन्तुलन के अनुरूप पैकेजिंग सामग्री का इस्तेमाल करने के लिए अनुसंधान तथा उद्योग को निदेश देना आदि शामिल है। कुछ सुझावों पर विचार करने की जरूरत है लेकिन सरकार विभिन्न योजना स्कीमें लागू कर रही है जिनमें ठेका खेती का संवंधन, प्रशीतित ढुलाई तथा कोल्ड स्टोरेज का विकास, अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों का संवर्धन, निर्यात के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सहायता देना तथा पैकेजिंग सामग्री पर उत्पाद शुल्क और सीमा–शुल्क में कमी करना जैसे वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध करना शामिल हैं।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली

7631. **श्री तारा सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली में पिछले चार महीनों में प्रत्येक माह के दौरान पासपोर्ट हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये तथा कितने पासपोर्ट जारी किए गए;

(ख) अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्रों के लम्बित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पासपोर्ट शीघ्र जारी करने तथा पुराने मामलों को निपटाने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) पिछले चार महीनों के दौरान प्रत्येक महीने प्राप्त पासपोर्ट आवेदन पत्रों की संख्या और जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) हरियाणा के चार जिलों तथा उत्तर प्रदेश के दो जिलों के शामिल होने के फलस्वरूप कार्यभार बढ़ जाना तथा अधूरे दस्तावेज लम्बित मामलों के मुख्य कारणों में से कुछेक कारण हैं।

(ग) और (घ). निरीक्षण तथा मॉनीटरिंग के माध्यम से पासपोर्ट कार्यालय की दक्षता में सुधार करके बकाया काम को निपटवाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि पासपोर्ट पुनः 4-6 सप्ताह की स्वीकार्य समयावधि के अन्तर्गत जारी किए जा सकें ।

विवरण

		प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या	जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या
जनवरी, 95	–	8799	10111
फरवरी, 95	–	10169	7395
मार्च, 95	–	13960	8202
अप्रैल, 95	–	9675	4371
कुल		42603	30082

[हिन्दी]

प्रमुख पत्तनों की क्षमता

7632. **डा. चिंता मोहन** :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **जल–भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रमुख पत्तनों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए विदेशी पूंजीगत निवेश की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल– भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). जी हां । प्रमुख पत्तनों की क्षमता को 169 मिलियन टन (लगभग) से बढ़ाकर 237 मिलियन टन (लगभग) करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 2984 करोड़ रू के परिव्यय (946 करोड़ रू की विदेशी सहायता सहित) की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, पत्तन क्षेत्र में पूंजी भागीदारी के लिए निजी उद्यमियों (विदेशी फर्मों सहित) से भी पेशकश आमंत्रित की गई है।

[अनुवाद]

ताप विद्युत परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

7633. **श्री जगमीत सिंह बरार** :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अप्रैल, 1995 के दैनिक "आब्जर्वर" में प्रकाशित "फण्ड क्रंच हिट्स थर्मल पावर यूनिट्स अपहेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). विद्यमान ताप विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर. एण्ड. एम.) कार्यक्रम (चरण–2) की 1991–92 में शुरू आत की गई थी और इसमें 47 ताप विद्युत संयंत्रों को शामिल किया गया था। 46 स्वीकृत आर. एण्ड एम. स्कीमों की अद्यतन अनुमोदित लागत 2514 करोड़ रु. है। एक स्कीम के बारे में प्रस्ताव संबंधित राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त नहीं हुआ है। विद्युत वित्त निगम 22 विद्युत केन्द्रों की आर. एण्ड एम. स्कीमों का आंशिक रूप से वित्तपोषण कर रहा है, इसमें आन्ध्र प्रदेश की स्कीमें भी शामिल हैं। इनमें से 9 स्कीमों का आंशिक रूप से वित्तपोषण विश्व बैंक द्वारा किया गया है और 5 स्कीमों का वित्तपोषण परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से किया गया है। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड दामोदर घाटी निगम दुर्गापुर परियोजना लि., बिहार राज्य बिजली बोर्ड और असम राज्य बिजली बोर्ड, से संबंधित शेष 19 आर. एण्ड एम. स्कीमों के कार्य की प्रगति की गति अधिकाशंतः विधि संबंधी बाधाओं तथा अन्य विभिन्न घटकों के कारण धीमी रही है। आर. एण्ड एम. कार्यक्रम चरण–1 की शुरूआत 1984 में की गई थी और यह पूरा होने की अग्रिम अवस्था में है। राज्य योजना में शामिल गैर–प्रमुख क्षेत्र संबंधी क्रियाकलापों को प्रारम्भ में छोड़ दिया गया है, इनको 1995–96 में पूरा किए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

ताप विद्युत परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति

7634. श्री नीतीश कुमारः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चल रही ताप विद्युत परियोजनाओं को वार्षिक आवश्यकता के अनुसार कोयले की आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ख) वर्ष 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के दौरान इन परियोजनाओं की कोयले की वार्षिक मांग कितनी–कितनी रही;

(ग) इस अवधि के दौरान वास्तव में कुल कितनी मात्रा में कोयले की आपूर्ति की गई;

(घ) क्या ये परियोजनाएं कोयले की कम आपूर्ति के कारण अपनी क्षमता के अनुरूप विद्युत का उत्पादन नहीं कर सकीं;

(ङ) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान देश में प्रतिवर्ष अधिष्ठापित क्षमता से कितनी किलोवाट कम विद्युत उत्पादन हुआ; और

(च) विद्युत के कम उत्पादन के कारण प्रतिवर्ष कितनी हानि हुई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) ताप विद्युत केन्द्रों हेतु कोयले की मांग का के. वि. प्रा. द्वारा संबंधित बिजली बोर्डों/यूटिलिटियों के साथ उत्पादन लक्ष्यों पर विचार–विमर्श के पश्चात् आकलन किया जाता है। के. वि. प्रा./विद्युत मंत्रालय की वर्ष 1995–96 के लिए अनुमानित मांग, 254 बिलियन यूनिट के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में 195 मिलियन टन कोयला है, जिसकी तुलना में कोयला मंत्रालय का प्रस्ताव 184.2 मिलियन टन का है।

(ख) से (घ). गत तीन वर्षों के लिए कोयले की मांग/प्राप्ति, उत्पादन लक्ष्य/वास्तविक उत्पादन के आंकड़े और अन्य ब्यौरा निम्नवत् हैः–

विवरण	1992–93	1993–94	1994–95
1. के. वि. प्रा. द्वारा प्रक्षेपित मांग	153.00	167.00	177.00
2. कोयला मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कोयले की मांग	150.00	160.00	177.00
3. कोयला कंपनियों द्वारा दर्ज कोयले की आपूर्ति	149.30	165.20	169.50
4. ताप–विद्युत केन्द्रों द्वारा वास्तविक प्राप्ति	142.62	158.35	162.46
5. उत्पादन के लक्ष्य (बि. यू. में)	199.13	217.50	234.85
6. वास्तविक उत्पादन (बि. यू. में)	192.95	214.70	222.83
7. लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन के मध्य अंतर (बि. यू. में)	(–) 6.18	(–) 2.80	(–) 11.42
8. कोयले की समय पर प्राप्ति न होने के कारण उत्पादन की हानि (बि. यू. में)	4.44	2.19	4.67

(ङ) और (च). कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण ऊर्जा की हानि होती है अर्थात मिलियन यूनिट में हानि होती है। वर्ष 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के दौरान मिलियन यूनिट में यह हानि क्रमशः 4441, 2186 और 4671 है ।

[अनुवाद]

मंगलौर में पेट्रो–रसायन संयंत्र

7635. **श्री वी. धनंजय कुमार :** क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मंगलौर में एक नई पेट्रो–रसायन संयंत्र लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में मंगलौर रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड से कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है; और

(घ) यहि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). जी, नहीं। तथापि, मैं. ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि. को मंगलौर में एक एरोमेटिक काम्पलेक्स स्थापित करने के लिए 1992 में एक आशय-पत्र जारी किया गया था। नवंबर, 1994 में, उत्पाद श्रेणी में संशोधन करते हुए सरकार ने एक नया आशय-पत्र जारी किया।

राज्यों के लिए समझौता–ज्ञापन हेतु केन्द्र के दिशा निर्देश

7636. **श्री जे. चोक्का राव :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गैर–सरकारी एजेंसियों द्वारा विद्युत परियोजनाएं लगाने के बारे में पूर्व शर्त के रूप में विद्युत मूल्य समझौता करने हेतु राज्यों को कोई दिश निर्देश जारी किए हैं;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कुछ विद्युत परियोजनाओं को चालू करने के लिए समझौता ज्ञापन प्राप्त करने हेतु उन दिशानिर्देशों को जारी किया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग). दिनांक 18.1.95 की एक प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को ये निर्देश दिए हैं कि वे निजी क्षेत्र को विद्युत परियोजनाएं प्रदान करने के वास्ते प्रतिस्पर्धात्मक बोली पद्धति को अपनाएं। इस निर्णय की मनीटरिंग करने हेतु भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिनांक 18.2.95 तक निजी विद्युत विकासकर्ताओं के साथ निष्पन्न किए गए समझौता ज्ञापनों (एम ओ यू) का ब्यौरा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने यह सूचित किया है कि उन्होंने अपने राज्य में विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापना हेतु दिनांक 18.2.95 को 23 एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए हैं। चूंकि, एम ओ यू पर निर्धारित तारीख के भीतर हस्ताक्षर किए गए हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है।

सड़क दुर्घटनाओं के लिए बीमा योजना

7637. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में कोई बीमा योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). सड़क प्रयोक्ता की यदि किसी मोटर वाहन से दुर्घटना होती है तो वह मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 146 के अनुसार बीमा पॉलिसी के अंतर्गत आता है। बीमा रक्षण के अंतर्गत देयता की कोई सीमा नहीं होती परन्तु मुआवजे की मात्रा के बारे में निर्णय मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा गुणावगुण के आधार पर किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य–निष्पादन

7638. **श्रीमती वसुंधरा राजे :** क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक एकक के कार्य–निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से किसी एकक में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना के संबंध में प्रत्येक एकक की प्रतिक्रिया क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री रामलखन सिंह यादव) : (क) रसायन एवं उर्वरक

मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 17 उपक्रम हैं।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है ।

(ग) और (घ). 31.3.95 तक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अधीन सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों की संख्या संबंधी जानकारी संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण–I

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	लाभ (+) हानि (–) (रु. करोड़ में)		
		1992–93	1993–94	1994–95
1.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि.	(–) 349.44	(–) 366.73	(–) 408.06
2.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	(–) 26.50	(–) 12.08	(+)191.76
3.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	(+) 12.13	(–) 58.49	(+) 4.91
4.	प्रदीप फास्फेट् लि.	(–) 80.94	(+) 47.35	(+) 27.33
5.	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.	(+) 2.85	(+) 12.41	(+) 72.16
6.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	(+) 111.47	(+) 389.11	(+) 131.31
7.	पायराइट्स, फास्फेट्स एंड केमिकल्स लि.	(–) 8.29	(–) 15.52	(–) 8.51
8.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	(–) 225.98	(–) 268.87	(–) 345.87
9.	प्रोजैक्ट्स एंड डेवलेपमेंट इंडिया लि.	(–) 13.66	(–) 19.85	(–) 9.23
10.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	(–) 83.00	(–) 70.00	(–) 59.00
11.	हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि.	(+) 1.99	(–) 12.68	(–) 18.00
12.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	(–) 12.74	(–) 11.91	(–) 2.85
13.	बंगाल इम्युनिटी लि.	(–) 7.26	(–) 8.16	(–) 5.08
14.	स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्मा. लि.	(–) 6.64	(–) 7.72	(–) 4.40
15.	हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.	(+) 20.04	(+) 21.67	(+) 28.00
16.	हिंदुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि.	(+) 0.44	(+) 2.00	(+) 2.50
17.	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि.	(+) 131.06	(+) 89.17	(+) 502.00

विवरण-II

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	वी. आर. एस. के अधीन 31.3.95 तक सेवानिवृत्त व्यक्तियों की संख्या
1.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	1290
2.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन	1487
3.	पायराइट्स, फास्फेट्स एवं केमिकल्स लि.	461
4.	प्रोजैक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लि.	362
5.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	3060
6.	बंगाल इम्युनिटी लि.	275
7.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	437
8.	स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि.	280
9.	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि.	163
10.	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि.	40

पासपोर्ट एजेन्ट

7639. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर पासपोर्ट कार्यालय ने पासपोर्ट संबंधी मामलों से निपटने के लिए एजेन्टों को मान्यता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में ऐसे कितने एजेन्टों की नियुक्ति की गई है और इनमें से बंगलौर में कितने एजेन्ट कार्य कर रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार जनता की मदद करने के विचार से पासपोर्ट मामलों से निपटने हेतु कुछ और अधिक एजेन्टों की नियुक्ति करने का है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) सरकार ने 24 जुलाई 1992 से यात्रा एजेंटों को मान्यता देने की प्रणाली समाप्त कर दी है। बहरहाल, यात्रा एजेंट पासपोर्ट कार्यालयों के साथ कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पासपोर्ट संबंधी कार्य करने के लिए यात्रा एजेंटों को नियुक्त करने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बिना मूल सुविधाओं वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैटों का आबंटन

7640. श्री मोहन रावले : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत लोगों को पानी, बिजली और मलजल निकास जैसी मूल सुविधाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किए बिना फ्लैटों का आबंटन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न

योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत लोगों को वर्षवार ऐसे कितने फ्लैट आबंटित किए गए;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मूल सुविधाओं के बिना फ्लैटों का आबंटन किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ग). डी. डी. ए. ने बताया है कि फ्लैटों का आबंटन इस ढंग से किया जाता है कि जब तक संबंधित आबंटियों द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं और भुगतान किया जाता है, तब तक बुनियादी सुविधाएं तैयार हो जाती हैं। हालांकि पानी तथा जल वयन का प्रावधान अनिवार्यतः डी. डी. ए. द्वारा किया जाता है परन्तु बिजली के लिए डेसू पर निर्भर रहना पड़ता है ।

(ख) जिन फ्लैटों में ड्रा की तिथि से सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी उनके आबंटन के ब्यौरे इस प्रकार हैः–

1992–93	–	1094
1993–94	–	14492
1994–95	–	7534

1993–94 के आंकड़ों में लगभग 8000 विस्तार योग्य फ्लैट/मकानों का आबंटन शामिल है जिन्हें बाद में वैकल्पिक बनाया गया और जिनकी विस्तार योग्य आवास योजना 1995 नामक नई योजना के तहत पेशकश की गई ।

(घ) बिजली जल्दी दिलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर नियमित समन्वय बैठकें बुलायी जाती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डेसू द्वारा बिजली यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाये ।

चितरंजन पार्क में बाजारों का निर्माण

7641. **श्री बी. एल. शर्मा प्रेम** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाजार संख्या-एक और दो के निर्माण के लिए चितरंजन पार्क (पूर्वकालिक ई. पी. डी. पी. कालोनी) नई दिल्ली की अभिन्यास योजना में कोई स्थल निर्धारित किए गए थे;

(ख) क्या दुकानों के आवंटन के लिए अर्ह आवेदकों की सूची को अंतिम रूप से दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त बाजारों के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) कार्य के पूरा होने की लक्ष्य तिथि क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). इस कार्यालय की ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ है क्योंकि निर्माण कार्य में, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली नगर परिषद, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ई. पी. डी. पी. एशोसियेशन आदि सहित विभिन्न सरकारी निकायों से परस्पर विचार–विमर्श शामिल है। इस कार्य का पूरा होना उक्त निकायों से प्रशासनिक तथा तकनीकी अनुमोदन होने पर भी निर्भर करेगा में घाटा । अतः इस कार्य के पूरा किए जाने की लक्षित अवधि का उल्लेख नहीं किया जा सकता ।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के एककों में घाटा

7642. **श्री नवल किशोर राय** :
श्री गुमान मल लोढा :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के घाटे में चल रहे एककों में अतिरिक्त पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1992–93 से मार्च, 1995 तक इन एककों में कितना अतिरिक्त पूंजी निवेश किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक एकक में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले 3 वर्षों अर्थात अप्रैल, 1992 से मार्च, 1995 तक के दौरान "सेल" के दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और मिश्र इस्पात संयंत्र में सकल निर्धारित परिसम्पत्तियों (चल रहे पूंजीगत कार्यों सहित) पर अतिरिक्त व्यय नीचे दर्शाया गया हैः–

		अतिरिक्त व्यय (अनन्तिम) (करोड़ रुपये)
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	–	2,175.79
मिश्र इस्पात संयंत्र	–	26.25

(ग) दिनांक 31.3.95 की स्थिति के अनुसार "सेल" के इन संयंत्रों में चल रहे

पूंजीगत कार्य सहित सकल निर्धारित परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य निम्नानुसार है:–

(करोड़ रुपये अनन्तिम)

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	–	6097.75
मिश्र इस्पात संयंत्र	–	311.66

[अनुवाद]

दक्षेस संसद

7643. श्री पी. सी. चाको : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान बंगलादेश के विदेश कार्यालय को सुझाए गए प्रस्तावों से सम्बन्धित कुछ रिपोर्टों की ओर गया है जिसमें यह कहा गया है कि यूरोपीय संसद की भांति दक्षेस देशों की भी एक संसद होनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इन प्रस्तावों में औरतों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए दक्षेस सम्मेलन बुलाया जाना भी शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी नहीं। बंगलादेश सरकार ने उनके विदेश कार्यालय को दिए गए किसी ऐसे प्रस्ताव की चर्चा नहीं की थी कि सार्क देशों की यूरोपीय संसद जैसी एक संसद होनी चाहिए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बंगलादेश के प्रतिनिधिमंडल ने महिलाओं तथा बच्चों के अवैध–व्यापार से सम्बद्ध एक सार्क अभिसमय तैयार करने की आवश्यकता का प्रस्ताव किया तथापि इसे बाद में उनके द्वारा वापिस ले लिया गया था।

(घ) कोई विस्तृत प्रस्ताव नहीं दिया गया था।

[हिन्दी]

पाकिस्तानी कारागारों में भारतीय मछुआरे

7644. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सांसदों, गुजरात सरकार, मछुआरों की यूनियनों और संघों तथा उनके परिवारजनों से पाकिस्तानी कारागारों में बंद पड़े भारतीय मछुआरों के विषय में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो 30 अप्रैल, 1995 तक गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और पाकिस्तानी कारागारों में बंद मछुआरों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई और उसका क्या परिणाम रहा; और

(घ) पाकिस्तानी कारागारों से इन व्यक्तियों को छुड़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं और उनके क्या परिणाम रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख). पाकिस्तानी जेलों में बन्द भारतीय मछुआरों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक निकायों, राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्त्ताओं से कई लिखित तथा मौखिक अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय 191 भारतीय मछेरे पाकिस्तान की जेलों मे बंद हैं।

(ग) सरकार पाकिस्तान के प्राधिकारियों द्वारा भारतीय मच्छेरों को पकड़े जाने के सभी मामले पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाती रही है और इस बात की मांग करती रही है कि इन नजरबंद व्यक्तियों और इनकी मत्स्य नौकाएं छोड़ी जाएं तथा इन लोगों को और इनकी नौकाओं को भारत वापस भेजा जाए।

(घ) सरकार इस समय पाकिस्तानी हिरासत में बन्द 191 मछेरों को रिहा करवाने के लिए बराबर प्रयास कर रही है। इन प्रयासों के परिणामतः पिछले तीन वर्षों के दौरान 171 मछेरे पाकिस्तानी जेलों से रिहा करवा कर भारत प्रत्यावर्तित किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

विद्युत की कमी

7645. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 मई, 1995 के "पायनियर" में "वर्स्ट एवर पावर क्राइसिस पासिबल दिस समर, सेज सर्वे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). हालांकि, ऊर्जा की अधिक खपत के कारण गर्मी के महीनों में विद्युत की सामान्य कमी होती है, के. वि. प्रा. ने अप्रैल, 95 से जून, 95 तक की विद्युत आपूर्ति की स्थिति का अनुमान लगाया है, जोकि अनुबंध में दी गई है और जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 8.4% की विद्युत की कमी की तुलना में इस अवधि के दौरान 6.3% की विद्युत की कमी को दर्शाया गया है।

(ग) विद्युत की मांग और उपलब्धता के बीच के अंतर को समाप्त करने के वास्ते विद्युत उत्पादन को बढ़ाने, विद्युत की कटौती लागू करने, उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों पर रोक लगाने, मांग पक्ष प्रबंधन करने, अधिशेष विद्युत वाले क्षेत्रों से कम विद्युत वाले क्षेत्रों को विद्युत का अंतरण करने आदि का सहारा लिया गया है ।

किए जा रहे विभिन्न उपायों में, नई उत्पादन क्षमता को शीघ्रता से चालू करना, अल्पकालीन निर्माण अवधि वाली परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना, मौजूदा विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, बेहतर मांग प्रबंधन और ऊर्जा संवर्धन उपायों का क्रियान्वयन करना, अधिशेष ऊर्जा वाले क्षेत्रों को ऊर्जा का अंतरण करना और विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश को बढ़ावा देने की व्यवस्था करना शामिल है ।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त के अलावा आठवीं योजना के दौरान 20729.7 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि करने की परिकल्पना की गई है । अब तक, 13715.27 मे. वा. के आनुपातिक लक्ष्य की तुलना में, 12574.52 मेगावाट (92.4%) की क्षमता अभिवृद्धि की गई है । वर्ष 1994–95 के दौरान कुल क्षमता अभिवृद्धि 4598.50 मेगावाट थी ।

विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश के लिए जलापूर्ति योजनाएं

7646. श्री एस. एम. लालजान वाशा : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हुडको" आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा की जलापूर्ति योजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु सहमत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनको "हुडको" नई सहायता देगा अथवा इस समय दे रहा है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख). जी, हां । विजयवाड़ा के लिए जल आपूर्ति संवर्धन स्कीम स्वीकृति हेतु हुडको में विचाराधीन है । 524.77 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत की तुलना में मांगी गयी ऋण सहायता 286.00 लाख रुपये है।

(ग) पहले से ही सहायता प्राप्त कर रही स्कीमें संलग्न विवरण–I में दी गई हैं और हुडको में विचार प्रक्रियाधीन स्कीमें संलग्न विवरण –II में दी गई हैं।

विवरण–I

राज्य : आंध्र प्रदेश

हुडको द्वारा स्वीकृत जलापूर्ति स्कीमें

क्रमसंख्या	स्कीम का नाम
1	हैदराबाद जल आपूर्ति और मलजल निकास सुधार स्कीम
2.	नेल्लूर में जल आपूर्ति संवर्धन स्कीम
3.	विजयनगर में जल आपूर्ति संवर्धन स्कीम
4.	मंचेरियल में जल आपूर्ति संवर्धन स्कीम
5.	मचिलीपट्टनम में जल आपूर्ति संवर्धन स्कीम
6.	तिरूपति में जल आपूर्ति संवर्धन स्कीम
7.	कुरनूल में जल आपूर्ति संवर्धन स्कीम
8.	कुड्डापट्ट में जल आपूर्ति संवर्धन स्कीम
9.	निजामाबाद में जल आपूर्ति संवर्धन स्कीम
10.	खम्माम में जल आपूर्ति संवर्धन स्कीम
11.	चिराला में जल आपूर्ति संवर्धन स्कीम
12.	नुजविड में जल आपूर्ति संवर्धन स्कीम
13.	मदनापल्लै में जल आपूर्ति संवर्धन स्कीम
14.	जलवंछा में जल आपूर्ति संवर्धन स्कीम
15.	चित्तूर में जल आपूर्ति संवर्धन स्कीम

विवरण–II

राज्य : आंध्र प्रदेश

विचाराधीन जलापूर्ति स्कीमें

क्रम संख्या	स्कीम का नाम
1	विजयवाड़ा में जल आपूर्ति संवर्धन स्कीम
2.	राझामुंद्री में जल आपूर्ति संवर्धन स्कीम
3.	नांदियाल में जल आपूर्ति संवर्धन स्कीम
4.	मल्काजगिरि में जल आपूर्ति संवर्धन स्कीम
5.	जहीराबाद में जल आपूर्ति संवर्धन स्कीम
6.	कपरा में जल आपूर्ति संवर्धन स्कीम
7.	कुकटपल्ली में जल आपूर्ति संवर्धन स्कीम
8.	एल. वी. नगर में जल आपूर्ति संवर्धन स्कीम
9.	अनन्तपुर में जल आपूर्ति संवर्धन स्कीम

[हिन्दी]

जल योजनाओं के लिए महाराष्ट्र को ऋण

7647. श्री दत्ता मेघे : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न शहरों में प्रदूषित जल के परिष्करण के लिए "हुडको" से ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1994–95 के दौरान इसके लिए हुडको द्वारा कितना ऋण प्रदान किया गया?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख). जी, हां। हुडको ने महाराष्ट्र में अभी तक 36454.45 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत और 16963.10 लाख रुपये की ऋण सहायता की 7 कस्बा/शहरी जल आपूर्ति स्कीमें अनुमोदित की हैं। उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) हुडको ने 4 चालू जल आपूर्ति स्कीमों के प्रति 1994–95 के दौरान 3565.76 लाख रुपये की ऋण किस्तें रिलीज की हैं।

विवरण

महाराष्ट्र में स्वीकृत जल आपूर्ति स्कीमें (31.3.1995 की स्थिति के अनुसार)

क्रमांक	स्कीम का नाम	एजेंसी	परियोजना लागत	ऋण राशि
				(लाख रुपये में)
1.	नई बम्बई के लिए सिटी लेवल वाटर सप्लाई कन्वेयंस लाइंस (चरण–I)	सिडको	1764.41	819.66
2.	शोलापुर के लिए जल आपूर्ति स्कीम का संवर्धन	एस. एम. सी.	9164.00	4970.00
3.	नागपुर में जल आपूर्ति स्कीम	एन. एम. सी.	6534.00	2000.00
4.	हेटवाणे नई बम्बई में जल आपूर्ति स्कीम	सिडको	10059.63	5343.44
5.	पुणे जल आपूर्ति परियोजना	पी. एम. सी.	1463.76	840.00

(लाख रुपये में)

क्रमांक	स्कीम का नाम	एजेंसी	परियोजना लागत	ऋण राशि
6.	वालुज, नया औरंगाबाद में जल आपूर्ति स्कीम	सिडको	3338.41	1000.00
7.	नया कोल्हापुर जल आपूर्ति स्कीम (चरण–I)	के. एम. सी.	4130.24	2000.00
		योग	36454.45	16973.10

[अनुवाद]

गुट–निरपेक्ष देशों का सम्मेलन

7648. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गुट–निरपेक्ष देशों का एक सम्मेलन आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन की तिथि और अवधि क्या है और विचार–विमर्श के लिए कार्यसूची में क्या सम्भावित विषय शामिल किया जाएगा;

(ग) क्या पूर्व सोवियत यूनियन के राज्य गुट–निरपेक्ष देशों के इस सम्मेलन में भाग लेने को सहमत हैं; और

(घ) यदि हां, तो देशों के नाम सहित गुट–निरपेक्ष समूह की इस समय कुल सदस्य संख्या कितनी है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख). ग्यारहवां नाम शिखर सम्मेलन 18 से 20 अक्तूबर, 1995 तक कोर्टेगेना, कोलम्बिया में होगा और उसमें अन्तरराष्ट्रीय महत्व के राजनीतिक तथा आर्थिक मामलों पर चर्चा होगी।

(ग) उजबेकिस्तान, जो भूतपूर्व सोवियत संघ का हिस्सा था, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में शामिल हो गया है।

(घ) गुट–निरपेक्ष आन्दोलन की वर्तमान सदस्यता 112 है। "नाम" के सदस्य देशों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य देश

1. अफगानिस्तान
2. अल्जीरिया
3. अंगोला
4. बहामास
5. बहरीन
6. बंगलादेश
7. बारबाडोस
8. बेलिज
9. बेनिन
10. भूटान
11. बोलीविया
12. बोत्सवाना
13. ब्रूनी
14. बुर्किना फासो

15. बुरूण्डी
16. कम्बोडिया
17. कैमरून
18. कैप वर्डे
19. मध्य अफ्रीकी गणराज्य
20. चाड
21. चिली
22. कोलम्बिया
23. कोमरोस
24. कांगो
25. कोत दिवुआर
26. क्यूबा
27. साइप्रस
28. जिबूती
29. इक्वाडोर
30. मिस्र
31. इक्वाटोरियल गिनी
32. एरित्रिया
33. इथोपिया
34. गैबोन
35. गाम्बिया
36. घाना
37. ग्रेनाडा
38. ग्वाटेमाला
39. गिनी
40. गिनी बिसाऊ
41. ग्याना
42. होंडुरस
43. भारत
44. इंडोनेशिया
45. ईरान
46. इराक
47. जमाइका
48. जोर्डन
49. कीनिया
50. कोरिया (लोक जन गणराज्य)
51. कुवैत
52. लाओ (लोक जन गणराज्य)
53. लेबनान
54. लेसोथो
55. लाइबेरिया
56. लीबिया
57. मैडागास्कर
58. मलावी
59. मलेशिया
60. मालदीव
61. माली
62. माल्टा
63. मारितानिया
64. मारीशस

65.	मंगोलिया
66.	मोरक्को
67.	मोजाम्बिक
68.	म्यांमार
69.	नामीबिया
70.	नेपाल
71.	निकारागुआ
72.	नाइजर
73.	नाइजीरिया
74.	ओमान
75.	पाकिस्तान
76.	फिलीस्तीन
77.	पनामा
78.	पपुआ न्यू गिनी
79.	पेरू
80.	फिलीपीन्स
81.	कतर
82.	रवान्डा
83.	सेन्ट लूसिका
84.	साओ तोम एन्ड प्रिन्सीप
85.	सऊदी अरब
86.	सेनेगल
87.	सेशेल्स
88.	सिअरा लिओन
89.	सिंगापुर
90.	सोमालिया
91.	दक्षिण अफ्रीका
92.	श्रीलंका
93.	सूडान
94.	सूरीनाम
95.	स्वाजीलैण्ड
96.	सीरिया
97.	तंजानिया
98.	थाईलैण्ड
99.	टोगो
100.	त्रिनिडाड एवं टोबागो
101.	ट्यूनिसिया
102.	उगांडा
103.	संयुक्त अरब अमीरात
104.	उजबेकिस्तान
105.	तानुआतू
106.	वेनेजुएला
107.	वियतनाम
108.	यमन
109.	यूगोस्लाविया (सदस्यता संदिग्ध है)
110.	जाईरे
111.	जाम्बिया
112.	जिम्बाव्वे

नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को आबंटन

7649. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993–94 और 1994–95 के दौरान नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) 1995–96 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की जायेगी ;

(ग) क्या नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य को आबंटित पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत आबंटित पूरी धनराशि व्यय नहीं की है बल्कि यह राशि राज्य के अन्य कार्यों पर खर्च कर दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) वर्ष 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान नेहरू रोजगार योजना के तहत आन्ध्र प्रदेश को किया गया नियतन क्रमशः रुपये 679.53 लाख तथा रुपये 608.90 लाख है ।

(ख) 558.40 लाख रुपये की निधियां आन्ध्र प्रदेश को 1995–96 में रिलीज की जानी है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) इस राशि को अन्य कार्यों पर खर्च किए जाने का कोई मामला मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

भवन निर्माण के लिए आन्ध्र प्रदेश को सहायता

7650. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास मध्यम वर्ग तथा निम्न मध्य वर्ग के लिए 995 के दौरान आज की तारीख तक भवन निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है;

(ग) इस संबंध में 1995–96 के दौरान राज्य सरकार को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है;

(घ) क्या पिछली बार आन्ध्र प्रदेश राज्य को मंजूर की गई धनराशि का पूरी तरह उपयोग नहीं हो पाया था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत योजनाएं

7651. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर आंध्र प्रदेश सरकार ने 1989–90 से 1994–95 तक छह वर्षों की अवधि के लिए एक कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले कार्यों की सूची बनायी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने केवल छह कार्यों की स्वीकृति दी थी;

(ग) क्या केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 19 योजनाओं के लिए धनराशि जारी करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार केन्द्रीय सड़क निधि में सम्मिलित किए जाने के लिए 1989–90 और 1994–95 के मध्य समय–समय पर स्कीमें भेजती रही है ।

(ख) सरकार ने 1989–90 और 1994–95 के मध्य केन्द्रीय सड़क निधि के तहत 9 स्कीमें संस्वीकृत की हैं ।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निधियां केवल संस्वीकृत स्कीमों के लिए उपलब्ध बजट गत प्रावधानों के आधार पर समय–समय पर जारी की जाती हैं।

इस्पात उद्योग का निजीकरण

7652. **श्री प्रेम चन्द राम :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात उद्योग का निजीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). इस्पात उद्योग तथा इस प्रकार के उद्योगों का निजीकरण करने के लिए भारत सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, "इस्को" का शीघ्र आधुनिकीकरण कराने के उद्देश्य से इस्कों के प्रबन्धन एवम् ईक्विटी में निजी भागीदारी को अनुमति देने के लिए सरकार ने पूर्ववर्ती अवधि में निर्णय लिया था।

इसी बीच रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 (फरवरी, 1994 में यथासंशोधित) की शर्तों के अनुसार इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड (इस्को) एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी बन गई। तदनुसार इस्को के निदेशक मंडल ने अधिनियम की धारा-15 के तहत अपेक्षितानुसार कंपनी के संबंध में अपनाए जाने वाले उपायों को निर्धारित करने के लिए जून, 1994 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेज दिया।

अधिनियम की धारा 15 के अनुसार मामले को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमार्ण बोर्ड के पास दर्ज किया जा चुका है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास दर्ज रुग्ण कंपनियां केवल बी. आई. एफ. आर. की मंजूरी/अनुमोदन से ही पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण योजनाएं आरम्भ कर सकती हैं।

इस्पात क्षेत्र में पूंजी निवेश

7653. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्रों के प्रमुख इस्पात संयंत्रों में राज्य-वार और परियोजना-वार पूंजी निवेश की निति और निर्धारित सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में इस्पात की खपत का वर्तमान स्तर और अनुमानित उत्पादन कितना-कितना है;

(ग) अगले तीन वर्षों के दौरान इस्पात का कितना आयात/निर्यात होने का अनुमान है;

(घ) अद्यतन प्रौद्योगिकियों से सरकारी इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण का ब्यौरा क्या है और कार्याधीन/परिपूर्ण हो रही प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) सहकारी क्षेत्र में इस्पात एककों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान देश में परिसज्जित इस्पात की प्रत्यक्ष खपत लगभग 174.4 लाख टन थी। वर्ष 1995-96 के दौरान देश में परिसज्जित इस्पात का उत्पादन लगभग 207.9 लाख टन होने का अनुमान है।

(ग) विद्यानमान आयात-निर्यात निति में सभी श्रेणियों के इस्पात का स्वतंत्र रूप से आयात और निर्यात करने की अनुमति है। इस्पात का निर्यात और आयात विभिन्न कारकों जैसे मांग, उपलब्धता, अन्तर्राष्ट्रीय तथा स्वदेशी मूल्यों और मात्रा तथा गुणवत्ता दोनों की दृष्टि से उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं आदि पर निर्भर करता है।

(घ) दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो स्थित सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में शुरू की गई आधुनिकीकरण परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी. एस. पी.)

आधुनिकीकरण कार्य 16 टर्नकी पैकेजों के जरिए निष्पादित किया जा रहा है। 10 पैकेज पूर्ण रूप से पूरे/चालू कर दिए गए हैं। तीन पैकेज आंशिक रूप से चालू कर दिए गए हैं और शेष पैकेजों का कार्य प्रगति पर है।

आधुनिकीकरण परियोजना के मार्च, 1996 तक पूरा किए जाने की सम्भावना है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर. एस. पी.)

आधुनिकीकरण कार्य दो चरणों अर्थात चरण-I (9 स्वदेशी टर्नकी पैकेज) और चरण-II (15 स्वदेशी और 5 अन्तर्राष्ट्रीय टर्नकी पैकेज) में निष्पादित किया जा रहा है। चरण-I के लिए प्रमुख उत्पादन सुविधाओं से संबंधित कार्य मार्च, 1994 में पूरा कर लिया गया। चरण-I के 6 स्वदेशी पैकेज पहले ही पूरे कर लिए गए हैं। चरण-II के शेष पैकेजों का कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

आधुनिकीकरण परियोजना के अगस्त, 1996 तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है।

बोकारो इस्पात संयंत्र (बी. एस. पी.)

आधुनिकीकरण कार्य 4 प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजों और 31 स्वदेशी पैकेजों के जरिये कार्यान्वित किया जा रहा है। इनका कार्यक्षेत्र प्रयोज्यताओं और सेवाओं से संबंधित है।

सभी अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं। प्रारम्भिक स्थल-कार्य पूरे कर लिये गए हैं और सिविल तथा संरचनात्मक कार्य और उपस्करों तथा रिफ्रैक्ट्रीज के लिये आर्डर देने का कार्य इस समय प्रगति पर है।

स्वदेशी पैकेजों के लिए आर्डर देने का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के जुलाई, 1977 तक पूरा किए जाने की समय-अनुसूची है ।

(ङ) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण की परियोजना जिसके मार्च, 1993 में पूरी होने की समय-अनुसूची थी, के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैः-

(i) संरचनात्मकों और उपस्करों की सप्लाई में विलम्ब ।

(ii) विशेषतः धमन भट्टी और सिन्टर संयंत्र पैकेजों के सिविल तथा संरचनात्मक कार्यों के संबंध में कार्य मात्रा में वृद्धि ।

(iii) कार्य-स्थल पर अपर्याप्त संसाधन जुटाना ।

(iv) परियोजना की स्थापना के दौरान तत्कालीन यू. एस. एस. आर. में अस्थिरता की स्थिति जिसके फलस्वरूप कामनवेल्थ ऑफ इन्डीपन्डेन्ट स्टेट्स (सी. आई. एस.) के देशों से आयातित सप्लाई में रुकावट ।

विद्युत संयंत्र लोड फैक्टर का औसत

7654. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस समय विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के अधिकतर विद्युत केन्द्र कितने औसत विद्युत संयंत्र लोड फैक्टर पर चलाए जाते हैं;

(ख) निम्न परिचालन दर के क्या कारण हैं;

(ग) ये बिजलीघर कब से कम दर पर चल रहे हैं; और

(घ) इस प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) वर्ष 1994-95 के दौरान देश में ताप-विद्युत केन्द्रों का औसत संयंत्र भारत अनुपात (पी एल एफ) 60% था, जबकि इस अवधि के दौरान बिजली बोर्डों के ताप-विद्युत केन्द्रों का औसत संयंत्रभार अनुपात 55.0% था ।

(ख) केन्द्रों के निम्न संयंत्र भार अनुपात के प्रमुख कारण, यूनिटों का पुराना होना, कुछ बोर्डों के पास धन की कमी होना, कोयले की खराब गुणवत्ता और अपर्याप्त मात्रा होना इत्यादि है ।

(ग) जिस अवधि से ये केन्द्र 50% से कम के संयंत्र भार अनुपात पर प्रचालन कर रहे हैं, वह अवधि संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(घ) अधिष्ठापित क्षमता के ईष्टतम समुपयोजन हेतु उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में, पुरानी यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करना, केन्द्रों के दक्ष एवं मितव्ययी कार्य-निष्पादन हेतु प्रशंसा पुरस्कार स्कीम लागू करना, उपयुक्त उपचारात्मक अनुरक्षण कार्यक्रमों और वार्षिक/पूँजीगत मरम्मतों का अनुपालन करना, अपेक्षित गुणवत्ता और मात्रा वाले कोयले की आपूर्ति करना, प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना इत्यादि शामिल हैं ।

विवरण

50% से कम पी एल एफ पर प्रचालन करने वाले विद्युत केन्द्र निम्नलिखित हैं।

रा.बि.बो/केन्द्र	1994-95 के दौरान पी एल एफ	50% पी एल एफ से कम पर प्रचालन आरंभ करने की अवधि
1.	2.	3.
डेसू		
आई.पी. स्टेशन	45.9	1993-94
एच. एस. ई. बी.		
पानीपत	42.3	1980-81

रा.बि.बो/केन्द्र	1994–95 के दौरान पी एल एफ	50% पी एल एफ से कम पर प्रचालन आरंभ करने की अवधि
1.	2.	3.
यू.पी.एस.ई.बी.		
ओबरा	33.9	1994–95
पंकी	29.2	1989–90
हरदुआगंज बी व सी	22.3	1980–81
परिच्छा	16.7	1990–91
टांडा	25.6	प्रारंभ से
जी.ई.बी.		
कच्छ लिग्नाइट	39.1	1994–95
ए. ई. कम्पनी		
ए. ई. कं. (पुरानी)	20.2	1991–92
एम. एस. ई. बी.		
पारस	39.0	1993–94
ए.पी.एस.ई.बी.		
नैल्लोर	35.4	1990–91
बी.एस.ई.बी.		
पातरातू	20.3	1980–81
बरौनी	20.7	1990–91
मुजफ्फरपुर	18.2	प्रारंभ से

रा.बि.बी/केन्द्र	1994–95 के दौरान पी एल एफ	50% पी एल एफ से कम पर प्रचालन आरंभ करने की अवधि
1.	2.	3.
ओ.एस.ई.बी.		
तलचेर	29.0	1980–81
डब्ल्यू.बी.एस.ई.बी.		
संथालडीह	31.3	1980–81
डी.पी.एल.	26.6	1980–81
डी.वी.सी.		
चन्द्रपुर	26.0	1985–86
बोकारो	40.4	1989–90
ए.एस.ई.बी.		
चन्द्रपुर	29.9	1990–91
नामरूप	32.0	1982–83
बोंगईगांव	20.3	प्रारंभ से

लम्बित विद्युत परियोजनाएं

7655. **श्री एन. डेनिसः** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मार्च, 1995 तक सरकार के पास विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित थे; और

(ख) सरकार द्वारा इन आवेदन पत्रों को एक निर्धारित समय के अन्दर निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल)ः (क) राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु 50 परियोजनाएं निर्दिष्ट की गई हैं।

(ख) सी. ई. ए. के पास तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी कई विद्युत परियोजनाओं के संबंध में, परियोजना प्राधिकरणों से अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण प्राप्त किए जा रहे हैं। अन्य कई प्रस्तावों के लिए, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, परियोजना प्राधिकरणों द्वारा सी. ई. ए. तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति के अलावा, केन्द्र और राज्यों की अनुमोदन एजेंसियों से अपेक्षित सांविधिक और अन्य स्वीकृतियां प्राप्त की जानी आवश्यक हो जाती हैं। विभिन्न परियोजनाओं के अनुमोदन में तेजी लाने के लिए, लंबित प्रस्तावों पर विद्युत मंत्रालय/के. वि. प्रा. द्वारा अन्य मंत्रालयों/एजेंसियों के साथ कार्रवाई की जा रही है।

गुरुदास कामत समिति की रिपोर्ट

7656. श्री राम कापसेः क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को 1993 में ठाणे जिले में शहाद (कल्याण) स्थित सेन्चुरी रेयान कारपोरेशन फैक्टरी में हुई दुर्घटना के बारे में गुरुदास कामत समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री रामलखन सिंह यादव)ः (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में धनराशि का उपयोग

7657. डा. कृपासिन्धु भाईः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली की राज्य सरकार दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में सुधार के लिए निहित 394 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस धनराशि का उपयोग किए जाने में असफल रहने के क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को इस संबंध में भविष्य के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल)ः (क) संशोधित वार्षिक योजना के अनुसार 3418.15 करोड़ रुपए की राशि 31.3.95 से पूर्व दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को किस्तों में जारी की गई थी। इसलिए ऐसी कोई शेष राशि नहीं थी जिसका सदुपयोग न किया गया हो। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि आबंटित निधि में से अधिकांश राशि का 1994-95 में सदुपयोग कर लिया गया है तथा शेष अल्प राशि को चालू वर्ष में चल रही स्कीमों के लिए समुपयोजन किए जाने हेतु आगे ले जाया गया है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण

7658. श्री सनत कुमार मंडलः क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अप्रैल, 1995 के "वाशिंगटन पोस्ट" की उस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत ने अमरीकी दबाव में आकर संयुक्त राष्ट्र में वह संकल्प वापस ले लिया है जिसमें पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग की गई थी, हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस संकल्प के संबंध में अमरीकी राष्ट्रपति की वचनबद्धता हासिल कर ली थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया)ः (क) और (ख). जी हां। भारत ने 1993 के संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिवेशन में "नाभिकीय अस्त्र उन्मूलन संधि" पर एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर विचार किया था। तथापि, अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय परामर्शों से इस बात के संकेत मिले कि अमरीका सहित अनेक नाभिकीय अस्त्र सम्पन्न राज्य इस प्रस्ताव के विरुद्ध थे चूंकि इस प्रस्ताव पर आम राय कायम नहीं हो पाती। अतः सरकार ने इसको पेश न करने का निर्णय लिया।

नए खनिज भंडार

7659. डा. वसंत पवारः क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में खनिज भंडारों की खोज के लिए कोई नया सर्वेक्षण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सर्वेक्षण के लिए किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है, और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार किन-किन स्थानों पर खनिज के भण्डारों की खोज की गई है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)ः (क) और (ख). जी, हां। देश में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं खनिज भंडारों के गवेषण की प्रक्रिया निरन्तर जारी है। पूर्वगामी सर्वेक्षणों द्वारा रेखांकित क्षेत्रों के आधार पर प्रतिवर्ष नया सर्वेक्षण किया जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का वार्षिक कार्यक्रम सभी राज्य सरकारों के भूविज्ञान एवं खान निदेशालय के प्रतिनिधियों सहित केन्द्रीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम बोर्ड (सी. जी. पी. बी.) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में अवस्थित/अन्वेषित विभिन्न खनिज भंडारों का ब्यौरा इस प्रकार हैः-

कोयलाः

आंध्र प्रदेशः रामपुरा एवं कृष्णावरम–चस्कुपल्ली क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्रों के अनसेट्टीपल्ली क्षेत्र के पश्चिम;

बिहारः दक्षिण करनपुरा कोयला क्षेत्र के पेटराटु दक्षिण भाग, औरंगा कोल फील्ड के बमहारडी तथा लेथट भाग, चिरुदीह सेक्टर का पचवारा कोयला क्षेत्र तथा महुगरी द्रोणी के राजमहल कोयला क्षेत्र का केयाडाह सेक्टर।

मध्य प्रदेशः मंड–रायगढ़ कोयला क्षेत्र के फुथामुरा भाग, बंतुरा क्षेत्र, सोहगपुर कोयला क्षेत्र के कनचनपुर भाग के पश्चिमी विस्तार तथा केलमनीआमिथोरी।

पश्चिमी बंगालः बीरभूम कोयला क्षेत्र के ढोलक या गरिमा भाग ।

लिग्नाइटः तमिलनाडु के लालपेटई क्षेत्र तथा गुजरात में भरूच जिले के राजपारदी में ।

सीसा जस्ता अयस्कः राजस्थान के उदयपुर तथा भीलवाड़ा ।

तांबा अयस्कः चित्तोड़गढ़ जिला, राजस्थान ।

स्वर्ण अयस्कः कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश ।

हीराः रायपुर जिला, मध्य प्रदेश ।

मैंगनीज अयस्कः कोरापुट जिला, उड़ीसा ।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा विभिन्न राज्यों में पूर्व वर्षों के संभावित अभिज्ञात खनिजों के लिए गवेषण जारी है ।

[हिन्दी]

भोपाल गैस पीड़ितों को राहत

7660. श्री सुशील चन्द्र वर्माः क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार और गैर–सरकारी संगठनों से सारे भोपाल शहर को प्रभावित घोषित करने तथा भोपाल में सभी वार्डों को अंतरिम राहत उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यूनियन कार्बाइड की ओर से उच्चतम न्यायालय में कितनी धनराशि जमा की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष गैस पीड़ितों को मुआवजा देने में कितनी धनराशि खर्च हुई है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री रामलखन सिंह यादव): (क) और (ख). जी, हां। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अंतरिम राहत दी जा रही है।

(ग) लगभग 715 करोड़ रू ।

(घ) 31.3.1995 तक मुआवजे के रूप में लगभग 500 करोड़ रु. दिए गए हैं। वर्षवार किया गया वास्तविक वितरण निम्न प्रकार हैः–

(रु. करोड़ में)

1992–93	3.80
1993–94	48.01
1994–95	320.90

[अनुवाद]

रेड लाइन योजना

7661. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अप्रैल, 1995 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "इम्पलीमेंटेशन ऑफ रेड लाइन स्कीम कम्स अन्डर फायर इन सी.ए.जी. रिपोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित सभी मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मुद्दे पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) कितने मार्गों पर अभी भी दिल्ली परिवहन निगम अथवा रेड लाइन अथवा ब्ल्यू लाइन की बसें समुचित और पर्याप्त संख्या में नहीं चलाई गई हैं;

(ङ) दैनिक यात्रियों की कठिनाई को दूर करने के लिए इन मार्गों पर पर्याप्त संख्या में बसें चलाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या बस मार्गों में समरूपता लाने हेतु इनका पुनर्निर्धारण करने तथा इनके ठीक समय पर चलने पर निगरानी रखने के लिए इन्हें दिल्ली परिवहन निगम के समय पाबंदी ब्यूरों के नियन्त्रण में लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी हां।

(ख) सी. एण्ड ए. जी. की रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ मुद्दे इस प्रकार हैं:–

1. ऐसे 498 आवेदकों की जमानत राशि को जब्त करने के लिए अभी कार्रवाई की जानी है जो 2 वर्ष के बाद भी अपनी बसें नहीं चला सके।

2. यह सुनिश्चित किए बगैर कि पुनः मार्ग निर्धारण के लिए निर्धारित शर्तें पूरी की गई हैं, 974 परमिट धारकों को मार्ग विस्तार/मार्ग परिवर्तन प्रदान किया गया।

3. किसी सुव्यवस्थित जांच के अभाव में एस. टी. ए. यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि रेड लाइन बसें समय सूची और निर्धारित ट्रिपों की संख्या का पालन कर रही हैं।

4. अनेक मामलों में एक ही चालक (ड्राइवर) प्रतिदिन 8 घन्टे से अधिक समय के लिए बसें चला रहे थे जिससे उन पर भारी दबाव पड़ा और अनेक सड़क दुर्घटनाएं हुई।

15 अक्तूबर, 1992 से 31 अक्तूबर, 1994 की अवधि के दौरान रेडलाइन बसों ने 1518 दुर्घटनाएं की, 1376 व्यक्ति घायल हुए और 372 व्यक्ति मारे गए। 1993–94 के दौरान यातायात उल्लंघनों के लिए रेड लाइन बसों के 1.80 लाख अभियोजन किए गए।

5. एस. टी. ए. ने प्रचालकों से जमानत राशि के रूप में प्राप्त 49.20 लाख रु. दो वर्ष से अधिक समय तक सरकारी खाते से बाहर रखे।

(ग) से (छ). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार का परिवहन विभाग सी. ए. जी. रिपोर्ट की जांच कर रहा है।

एम. एस. शूज ईस्ट लिमिटेड को पट्टे पर भूमि

7662. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हुडको ने एम. एस. शूज ईस्ट लिमिटेड के साथ हाल ही में दिल्ली में जमीन पट्टे पर देने के लिए कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है, और इसके वित्तीय प्रभाव क्या हैं तथा किस उद्देश्य के लिए जमीन को पट्टे पर दिया गया?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) जी, नहीं।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

हुडको द्वारा एन्ड्रूजगंज, नई दिल्ली में विभिन्न सम्पत्तियों के विकास तथा विक्रय की प्रक्रिया में 15.7.94 को आफर खोला गया था तथा एम. एस. शूज ईस्ट लिमिटेड को सबसे ऊंची बोली के आधार पर निम्नलिखित सम्पत्तियां आबंटित की गई थीं:–

क्रमांक	सम्पत्ति का नाम	बोली का मूल्य (करोड़ों में)	*भुगतान के लिए नियत समय	अभ्युक्तियां
1.	होटल स्थल	64.10	(क) आबंटन की तारीख से 4 सप्ताह के अंदर अर्थात 28.11.94 से पूर्व 40%	भुगतान किया गया।
			(ख) एक वर्ष समाप्त होने से पूर्व अर्थात 31.10.95 तक 30%	–
			(ग) 31.10.96 से पहले 30%	–

क्रमांक	सम्पत्ति का नाम	बोली का मूल्य (करोड़ों में)	*भुगतान के लिए नियम	अभ्युक्तियां
2.	कार पार्किंग स्थल (लगभग 415 कारों के लिए)	14.00	(क) 28.11.94 से पहले 10%	भुगतान किया गया।
			(ख) एक वर्ष से पहले अर्थात 31.10.95 तक 40%	–
			(ग) सेवाएं सौंपी जाने के लिए तैयार हैं, यह सूचना मिलने के 4 सप्ताह के अंदर 50%	–
3.	गेस्ट हाऊस ब्लाक (9) गेस्ट हाउस ब्लाक में रेस्टोरेंट/किचन (9) गेस्ट हाउस ब्लाक में दुकानें (25)	99.01	(क) आवंटन की तारीख से 4 सप्ताह के अन्दर अर्थात 28.11.94 तक 40%	भुगतान किया गया।
			(ख) आबंटन की तारीख से 3 महीने के अन्दर अर्थात 31.1.95 से पहले 40%	इस राशि का भुगतान समय पर नहीं किया गया था तथा एम. एस. शूज द्वारा भुगतान करने की अवधि बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया था जिसे हुडको ने स्वीकार नहीं किया। इस बीच एम. एस. शूज ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया जिसके अन्तर्गत हुडको को आबंटन रदद् करने और उस तारीख तक जमा कराई गई राशि को जब्त करने से रोका गया। यह मामला अभी न्यायाधीन है।
			(ग) कब्जा देने के समय 20%	

*आबंटन पत्र में यह व्यवस्था है कि यदि भुगतान निर्धारित तारीख के पश्चात किया जाता है तो बकाया राशि पर 3 महीने के लिए 16% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा। इसके अलावा, 3 महीने के लिए देय ब्याज पर 3% प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त जुर्माना ब्याज भी लिया जाएगा।

दक्षिण ग्रिड की अक्षमता

7663. **श्री मनोरंजन भक्तः** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि आठवीं योजना अवधि के दौरान विद्युत की क्षमता वृद्धि को लेकर दक्षिणी ग्रिड का कार्य निष्पादन अत्यंत धीमा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे और अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल)ः (क) से (ग). दक्षिणी क्षेत्र में 1994–95 के दौरान विद्युत की मांग एवं आपूर्ति के बीच लगभग 2795 मेगावाट

की क्षमता का अन्तर था। केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन से कुछेक भागीदारों द्वारा अधिक विद्युत प्राप्त किए जाने के कारण दक्षिणी ग्रिड निम्न वोल्टता एवं आवर्तिता संबंधी परिस्थितियों का सामना करता रहा है। 8वीं योजना के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में 4428.6 मे.वा. की क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना की गई है, जिसमें से 2224.92 मेगावाट की क्षमता पहले ही चालू की जा चुकी है तथा शेष क्षमता जोड़े जाने का कार्य प्रगति पर है। यह आशा है कि इस क्षमता को चालू किए जाने पर और अन्तः क्षेत्रीय एच.वी.डी.सी. पारेषण नेटवर्क का क्रियान्वयन हो जाने पर दक्षिणी ग्रिड की स्थिति में काफी सुधार होगा। भागीदार राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे विद्युत की उपलब्धता के अनुरूप अपने भार प्रबंध की व्यवस्था करें और ग्रिड मानदण्डों की अनुपालना करें।

अमरीका–ईरान व्यापारिक संबंध

7664. श्री राम विहोर राय: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका ने ईरान के साथ अपने व्यापार संबंधों का विच्छेद कर दिया है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ईरान ने तनावग्रस्त संबंधों में कमी लाने के संबंध में सहायता हेतु कदम उठाने के लिए भारत से सम्पर्क किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) अमरीकी प्रशासन ने हाल ही में ईरान के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाने का निर्णय लिया है।

(ख) हम ईरान के विरुद्ध किसी प्रकार के प्रतिबंध का समर्थन नहीं करते। ईरान के साथ परस्पर लाभ के आर्थिक सहयोग से संबंध अनेक प्रस्तावों पर हम सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मलेशिया से भारतीयों का निर्वासन

7665. डा. आर. मल्लू :
श्री एम. जी. रेड्डी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 फरवरी, 1995 के "द हिन्दु" में "81 इंडियन्स डिपोर्टेड फ्रॉम मलेशिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त व्यक्तियों को मलेशिया के अधिकारियों ने वीसा जारी किया था;

(ग) यदि हां, तो उनके निर्वासन के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि निर्वासन से पूर्व इन व्यक्तियों के साथ कठोर व्यवहार किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो मलेशिया में भारतीय उच्चायोग ने भविष्य में एसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया): (क) जी हां।

(ख) और (ग). यात्रियों को मलेशिया में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई थी क्योंकि उनके पास वैध वीसा नहीं थे।

(घ) हमारे मिशन और एअर इण्डिया के कार्मिक कुआलाम्पुर में रुके इन असहाय यात्रियों के साथ बराबर सम्पर्क करते रहे। दुर्व्यवहार अथवा प्रताड़ित किए जाने के बारे में उन दोनों से ही कोई शिकायत नहीं की गई।

(ङ) सम्बद्ध भारतीय प्राधिकारियों को विदेश जाने वाले यात्रियों के दस्तावेजों की सतर्कता से छानबीन करने की सलाह दी गई है ताकि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

यमुना पार क्षेत्र में सेवा केन्द्र

7666. श्री श्रवण कुमार पटेल: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में सेवा केन्द्रों के लिए मास्टर प्लान (एम.पी.डी. 2001) में नौ स्थान निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्थानों पर कब्जा कर लिया गया है और इसका मछली तालाबों आदि के रूप में अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन स्थानों पर सेवा केन्द्रों के निर्माण का प्रस्ताव सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस चरण पर है और ये सेवा केन्द्र कब तक स्थापित किए जाएंगे?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) दिल्ली

के यमुना-पार क्षेत्र में सेवा केन्द्रों के लिए मास्टर प्लान दिल्ली-2001 में नौ स्थलों को निर्दिष्ट किया गया है ।

(ख) मास्टर प्लान दिल्ली-2001 में नौ सेवा केन्द्र स्थलों में से, पांच पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से अतिक्रमित हैं या उन पर अवैध रूप से निर्माण किया गया है लेकिन वे मछली पालने वाले तालाबों के रूप में उपयोग में नहीं लाये जा रहे हैं।

(ग) और (घ). जी, नहीं । ऐसी कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वैकल्पिक स्थलों के सम्बन्ध में भू-उपयोग परिवर्तन के अनुमोदन हेतु कार्यवाही के लिए सरकार को चार प्रस्ताव भेजे गए हैं। इन चार प्रस्तावों में से सरकार ने दो मामलों में स्वीकृति दे दी है और शेष दो प्रस्ताव आवश्यक तथ्यों और ब्यौरों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को वापस भेजे गये हैं। सरकार द्वारा अनुमोदित दो प्रस्तावों में से एक में भू-उपयोग परिवर्तन अधिसूचित किया गया है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार चारों स्थलों के सेवा केन्द्रों की अधिकतर दुकानों की, जो अतिक्रमण से मुक्त हैं, की 1995 के अन्त तक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिक्री कर दी जायेगी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

7667. श्री फूलचन्द वर्माः क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के लिए उनके मंत्रालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कितने पद आरक्षित हैं;

(ख) इनमें से कितने आरक्षित पद खाली पड़े हैं;

(ग) ये पद कब से खाली हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

दक्षेस चार्टर

7668. श्री तारा सिंह :
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री प्रमथेश मुखर्जी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 मई, 1995 के "हिन्दुस्तान" में "दक्षेस चार्टर में संशोधन संबंधी सुझाव नामंजूर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ग) क्या पाकिस्तान दक्षेस चार्टर में कुछ मूलभूत परिवर्तन करने के लिए सभी सदस्य देशों से अनुरोध करता रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की तथा अन्य सदस्य देशों की देश-वार प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया): (क) जी हां ।

(ख) से (घ). नई दिल्ली में सम्पन्न सार्क के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों की आठवीं शिखर बैठक के उद्घाटन सत्र में 2 मई, 1995 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने वक्तव्य में सार्क चार्टर की समीक्षा की मांग की थी ताकि विवादास्पद राजनीतिक मसलों पर सार्क मंच पर विचार-विमर्श किया जा सके। नेपाल के प्रधान मंत्री ने उद्घाटन सत्र में अपने वक्तव्य में यह कहा था कि सार्क को चाहिए कि वह द्विपक्षीय और राजनीतिक मसलों पर भी विचार-विमर्श करने के अवसर उपलब्ध कराये। अन्य किसी सार्क राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष ने आठवीं सार्क शिखर बैठक में दिए गए अपने वक्तव्यों में सार्क चार्टर की समीक्षा की मांग नहीं की अथवा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया कि विवादास्पद राजनीतिक मसलों पर सार्क मंच पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए ।

जिस समय सार्क चार्टर तैयार किया गया था और सार्क देशों के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों द्वारा उसका अनुमोदन किया गया था तब इन मसलों पर विचार-विमर्श हुआ था और इस आशय का एक सुविचारित निर्णय लिया गया था कि द्विपक्षीय तथा विवादास्पद राजनीतिक मसलों को सार्क मंच से बाहर रखा जाना चाहिए। सार्क चार्टर में स्पष्ट शब्दों में यह उल्लेख है कि "द्विपक्षीय और विवास्पद मसलों पर विचार-विमर्श नहीं किया जाएगा।" सार्क चार्टर में यह भी उल्लेख है कि "सभी स्तरों पर निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिये जाएंगे ।"

[हिन्दी]

ताप विद्युत निगम का रख-रखाव

7669. श्री नीतीश कुमारः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में विभिन्न ताप विद्युत निगमों का समुचित रख-रखाव न होने के कारण प्रतिवर्ष विद्युत की काफी बर्बादी होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान घटिया रख-रखाव के कारण विद्युत की कितनी मात्रा में बर्बादी हुई;

(ग) ताप विद्युत केन्द्रों का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित करने हेतु सरकार को कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) और (ख). बड़े ताप विद्युत केन्द्रों में अनुरक्षण प्रक्रिया के आधुनिकीकरण से संबंधित श्री निवासन समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के अनुसार योजनाबद्ध अनुरक्षण और जबरन काम बंदी कर क्रमशः 12% और 6 से 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त समिति की सिफारिश की तुलना में पिछले दो वर्षों के दौरान वास्तविक योजनाबद्ध अनुरक्षण और जबरन काम बंदी दर और दोनों में अंतर होने के कारण अनुमानित हानि निम्नलिखित है:–

वर्ष	ताप विद्युत उत्पादन	श्री निवासन समिति की रिपोर्ट के अनुसार			वास्तविक			अंतर हानि	
	मि.यू.	पी.एम.%	एफ.ओ.%	जोड़	पी.एम.%	एफ.ओ.%	जोड़	%	मि.यू.
1993-94	247757	12.0	7.0	19.0	8.8	13.2	22.0	3.0	7432
1994-95	262868	12.0	7.0	19.0	8.1	14.7	22.8	3.8	9989

(ग) पुराने ताप विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने हेतु 1984 में नवीकरण एवं आधुनिकीकरण संबंधी एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया गया था। कार्यक्रम में शामिल स्कीम की नवीनतम अनुमोदित लागत 1190.08 करोड़ रुपए है, जिसमें केन्द्रीय ऋण सहायता (सी. एल. एस.) के अंतर्गत 428.52 करोड़ रुपए और राज्य योजना/स्वंय के संसाधनों के अंतर्गत 763.53 करोड़ रुपए शामिल है।

(घ) देश में अधिष्ठापित क्षमता के इष्टतम समुपयोजना हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में, पुरानी यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करना, कोयले की अपेक्षित मात्रा और गुणवत्ता में आपूर्ति करना, प्रचालन के निरोधात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम का तेजी से क्रियान्वयन करना, प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्मिकों का प्रशिक्षण करना शामिल है।

[अनुवाद]

गोदावरी और बकिंघम नहर का विकास

7670. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोदावरी नदी में काकिनाडा से विजयवाड़ा तक और बकिंघम नहर में विजयवाड़ा से मद्रास तक माल की दुलाई की सम्भावना के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इसकी जांच करने वाली एजेंसी का नाम क्या है; और

(ग) अंतर्देशीय जल परिवहन और उपरोक्त दोनों नहरों में माल दुलाई के विकास के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (ग). भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा परामर्शदाता अर्थात राइट्स के माध्यम से काकीनाडा और मद्रास को जोड़ने वाली सम्पूर्ण नहर प्रणाली पर जिसमें काकीनाडा, इलूरू, कमासरू और बकिंघम नहर शामिल हैं, अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है। क्षेत्र-अध्ययन पहले ही पूरा कर लिया गया था और परामर्शदाता ने रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत कर दिया है।

इस नहर प्रणाली के विकास से संबंधित निर्णय, इस अध्ययन के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा।

आन्ध्र प्रदेश में सी. आर. एफ. के अंतर्गत योजनाएं

7671. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटे स्वरलु: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों के दौरान तथा मार्च, 1995 तक आन्ध्र प्रदेश के लिए सी.आर.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत एवं लम्बित पड़ी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): आंध्र प्रदेश में गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के तहत अनुमोदित स्कीमों के वर्ष वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। फिलहाल सरकार के विचारार्थ कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

विवरण

क्रम सं.	वर्ष		स्वीकृत योजनाओं का नाम	अनुमोदित राशि (करोड़ रु.)
1.	1990−91	(i)	नेल्लौर जिले में तुपिलीपलेम एवं पेदगोविन्दपाली के पत्तपूपलेम के मध्य सड़क का उन्नयन और स्वर्णमुखी नदी चल्लाकल्व पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	2.00
		(ii)	पेरन्ताला कन्वा (अनापदुवकोलेटी) कोटा सड़क के 4/2 कि.मी. में कोलेरा लेक)	1.00
2.	1991−92	(i)	नेल्लौर जिले में वैंकटगिरि से कुड्डापा जिले में कोडूर तक सड़क का निर्माण।	2.809
		(ii)	नेल्लौर जिले में उदयगिरी में उदयगिरी हिल स्टेशन के लिए सड़क।	2.005
		(iii)	महादेवपुर-मुकनूर-कंकनपुर और करीम नगर जिले में कटराम के मध्य सड़क का विकास (आंध्र प्रदेश)।	2.00
3.	1992−93		कोई नहीं	−
4.	1993−94		कोई नहीं	
5.	1994−95	(i)	ईपिलागुन्ता के मरीपादु सड़क (0/0 से 16/0 कि.मी.)।	0.50
		(ii)	कुर्रापल्ली से कृष्णापुरम इन्दिरा नगर वाया कोदाबंदा।	0.50
		(iii)	पड्डीरेड्डीपल्ली से पामुरु वाया ल्वुरु 0/0 से 18/0 कि.मी.।	0.50
		(ib)	विन्जामुरु से चकलीकोन्डा तिमारेड्डीपल्ली सड़क 0/0 से 43/4 कि.मी.।	0.50

आंध्र प्रदेश की जुराला जल विद्युत परियोजना

7672. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्सः** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने आन्ध्र प्रदेश में जुराला-जल-विद्युत परियोजना को शुरू करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) से (ग). केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्कीम को मार्च, 1992 में निम्नलिखित शर्तों के तहत तकनीकी-आर्थिक रूप से स्वीकृत कर दिया गया थाः–

1. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा परियोजना की (क) पर्यावरणीय दृष्टिकोण और (ख) वन्य संरक्षण अधिनियम दृष्टिकोण से स्वीकृति।
2. कर्नाटक सरकार की, दोनों राज्यों के मध्य 4.8.78 को हुए समझौते के अनुसार, परियोजना की लागत और उसके लाभों के समान रूप से भागीदारी करने पर सहमति।
3. अगर कर्नाटक सरकार परियोजना की लागतों और लाभों की भागीदारी पर सहमत नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में आंध्र प्रदेश द्वारा स्वयं ही परियोजना का निष्पादन किया जाएगा; और
4. जुराला सिंचाई के प्रमुख कार्यों की लागत का कोई भी हिस्सा प्रियदर्शिनी जुराला जल-विद्युत परियोजना द्वारा नहीं दिया जाएगा।

हालांकि इस परियोजना को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, परंतु योजना आयोग द्वारा परियोजना हेतु निवेश अनुमोदन दिए जाने से पहले, आंध्र प्रदेश सरकार को अन्य शर्तों की अनुपालना करनी होगी।

रिफा-एस. का आयात

7673. **श्री मोहन रावलेः** क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को रिफा-एस. के आयात को नेगेटिव लिस्ट से हटाने तथा इसे खुले सामान्य लाइसेन्स (ओ.सी.आई.) श्रेणी के अन्तर्गत रखने के लिए फार्मास्यूटिकल कम्पनियों द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (ग). आयात और निर्यात नीति की समीक्षा एक हमेशा चलते रहने वाली प्रक्रिया है और इस सम्बन्ध में विभिन्न सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

निर्यात और आयात नीति (1992-97) से, जैसाकि 31 मार्च, 1995 में घोषणा की गई थी, रीफा-एस. में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अमरीकी नौसेना द्वारा पोत रोका जाना

7674. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसादः** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हजारों टन छुआरे से लदे एक पोत को, जो भारत आ रहा था और जिसके चालक दल के सभी सदस्य भारतीय थे, अमरीकी नौसेना द्वारा खाड़ी क्षेत्र में रोक लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस मामले को अमरीकी प्राधिकारियों के ध्यान में लाई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है तथा इस विवाद के समाधान हेतु सरकार द्वारा और क्या प्रयास किए गये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया): (क) जी हां।

(ख) "गल्फ स्प्लेंडर" नामक जहाज को अमरीकी नौसेना ने 18–1–1995 को बहरीन से दूर रोका था क्योंकि उसने संयुक्त राष्ट्र प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया है, और अमरीकी नौसेना उसे अपने मार्गरक्षण में पोर्ट ऑफ उम–अल–कुवैन संयुक्त अमीरात ले गई थी।

(ग) और (घ). सरकार ने इस मामले को अमरीका तथा संयुक्त अरब अमीरात के प्राधिकारियों के साथ उठाया था। तत्पश्चात संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अब इस जहाज को छोड़ दिया गया है।

विद्युत वित्त निगम

7675. **श्री एस. एम. लालजान बाशाः** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत वित्त निगम ने ऋण की ब्याज दरें नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने ऋण की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं; और

(घ) विद्युत वित्त निगम द्वारा ऋण पर ब्याज दरें कम रखने के क्या कारण है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) वित्तीय संस्थानों को अपनी वित्तपोषण की लागत और अन्य महत्वपूर्ण घटकों के अनुकूल, अपने ऋण पर ब्याज की दरों का निर्धारण करने की छूट है।

(घ) विद्युत वित्त निगम द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की दरों में विभिन्न स्रोतों से और बाजार की विद्यमान दरों पर उधार ली गई निधियों की लागत को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में विद्युत की मांग और आपूर्ति

7676. **श्री दत्ता मेघे**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र में विद्युत की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो इस अंतर को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड और केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा इनसे वास्तव में कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की जा रही है; और की जाने वाली नई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है

(ङ) इन विद्युत परियोजनाओं के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) वर्ष 1994-95 के दौरान, महाराष्ट्र में ऊर्जा की आवश्यकता 49525 मिलियन यूनिट (एमयू) की जिसकी तुलना में उपलब्धता 48558 मि.यू. थी, जो कि 2% की कमी को दर्शाता है।

(ख) मांग और उपलब्धता के बीच के अन्तर को समाप्त करने हेतु किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं-नई उत्पादन क्षमता को शीघ्रता से चालू करना, उत्पकालीन निर्माण अवधि वाली परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना, मौजूदा विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाना, आर. एण्ड एम. कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, बेहतर मांग प्रबंधन और संवर्धन उपायों का क्रियान्वयन करना, और पड़ोसी राज्यो/प्रणालियों से विद्युत का अंतरण करना। इसके अतिरिक्त, राज्य, पश्चिमी क्षेत्र के केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों से अपना उचित हिस्सा भी प्राप्त करेगा।

(ग) 31.3.95 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड की कुल अधिष्ठापित क्षमता 7731.22 मे.वा. थी, जिसकी तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान वास्तविक की उत्पादन 37988 मिलियन यूनिट था। महाराष्ट्र राज्य में तारापुर में 320 मे.वा. की अधिष्ठापित क्षमता वाली केवल एक केन्द्रीय परियोजना है जिसका वर्ष 1994-95 के दौरान वास्तविक उत्पादन 1517 मिलियन यूनिट था।

(घ) आठवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र में क्षमता अभिवद्धि का परियोजना वार ब्यौरा (20729.7 मे..वा. की क्षमता अभिवृद्धि पर आधारित) निम्नलिखित हैः

परियोजना का नाम	प्रकार	स्थिति (एस-स्वीकृति)	कुल अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	लाभ 19-92-97 (मे.वा.)
भण्डारद्रारा	(एच)	एस	34.0	34.0
भीरा पी.एस.एस.	(एच)	एस	150.0	150.0
डिम्भे	(एच)	एस	5.0	5.0
दुधगंगा	(एच)	एस	24.0	24.0
कोयना चरण-5	(एच)	एस	1000.0	250.0

परियोजना का नाम	प्रकार	स्थिति (एस–स्वीकृति)	कुल अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	लाभ 92–97 (मे.वा.)
मनीकदोह	(एच)	एस	6.0	6.0
सरदार सरोवर (27% भागीदारी)	(एच)	एस	67.5	67.5
सूर्या	(एच)	एस	6.0	6.0
उज्जैनी	(एच)	एस	12.0	12.0
वरना	(एच)	एस	16.0	16.0
उरान डब्ल्यू.एच. यू–1	(जी)	एस	120.0	120.0
उरान डब्ल्यू. एच.यू–2	(जी)	एस	120.0	120.0
ट्रॉम्बे सी.सी.जी.टी.	(जी)	एस	120.0	120.0
ट्राम्बे सी.सी.एस.टी.	(जी)	एस	60.0	60.0
बी.एस.ई.एस.	(टी)	निर्माणाधीन	500.0	500.0
कुल जोड़			2240.5	1490.5

(ङ) और (च). आठवीं योजना से संबंधित दस्तावेज महाराष्ट्र राज्य में 4572.64 करोड रुपये का परिव्यय दर्शाता है। विद्युत परियोजना की अधिष्ठापना हेतु महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

कनाडा का विद्युत क्षेत्र संबंधी प्रस्ताव

7677. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कनाडा ने भारत में विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्यों में जल विद्युत क्षमता का पूरा उपयोग करने तथा उसे और विकसित करने संबंधी प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसे प्रस्तावों पर पहले ही विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

7678. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव:** क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड ने इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. रुग्णता के कारणों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख). इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. के लिए प्रबंधक वर्ग द्वारा पुनरुद्धारा योजना तैयार की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई. डी. बी. आई.), बम्बई से इस योजना की जांच और विश्लेषण करवाया गया था। कंपनी को हानियां, जिनका योजना में पता लगाया गया था, होने के मुख्य कारण हैं, डिजायन में त्रुटियां, प्रोडक्ट मिक्स में लोच का आभाव और बिजली की सप्लाई में रुकावट तथा घट-बढ स्थान संबंधी असुविधाएं आई.डी.पी.एल. के उत्पादों की अलाभकारी कीमतें, जो मुख्य रूप से औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश (डी.पी.सी.ओ.) के अधीन हैं, सस्ती दरों पर आयातित प्रपुंज औषधों की उपलब्धता जिसके परिणामस्वरूप क्षमता का कम उपयोग, अधिक जनशक्ति, फलस्वरूप अधिक रोजगार लागत, अपर्याप्त विपणन और बिक्री नीति, अधिक ब्याज भार और विगत वर्षों में बजट सहायता में कमी, आदि।

कंपनी के लिए पुनरुद्धारा योजना औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) द्वारा 10 फरवरी, 1994 को स्वीकृत कर दी गई है। यह पुनरुद्धार अवधि 1994–95 से शुरू होकर 10 वर्ष के लिए है।

[हिन्दी]

बिहार में बिजली उत्पादन

7679. **श्री प्रेमचन्द रामः** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार में स्थित विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित कितनी प्रतिशत बिजली बिहार को आबंटित की जा रही है;

(ख) बिहार में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा नियंत्रित विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित कितनी प्रतिशत बिजली बिहार को आबंटित की जा रही है;

(ग) क्या इन विद्युत संयंत्रों द्वारा उनकी क्षमता के अनुपात में बिजली का उत्पादन होता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) बिहार राज्य बिजली बोर्ड के अधीन केन्द्रों से उत्पादित विद्युत पूर्णतः बी. एस. ई. बी. ग्रिड को प्रदान की जाती है और इसका सम्पुयोजन राज्य द्वारा स्वयं किया जाता है।

(ख) कहलगांव एस. टी. पी. एस. ही केन्द्रीय क्षेत्र का एक ऐसा विद्युत केन्द्र है, जो एन. टी. पी. सी. के नियन्त्रण में बिहार में प्रचालन कार्य कर रही है। उपर्युक्त केन्द्र से विद्युत का आबंटन निम्नवत हैः–

	आबंटन	
	मे.वा.	प्रतिशत
कहलगांव एस. टी. पी. एस. (4X210 मेगावाट)*	285	33.9

* वर्तमान में केवल 210 मे.वा. वाली 3 यूनिटें चालू की गई हैं।

(ग) और (घ). वर्ष 1994-95 के दौरान 5262 मि.यू. के विद्युत उत्पादन लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उत्पादन 3286 मि.यू. था, जो लक्ष्य का 62.4% है। बिहार में कम विद्युत उत्पादन सुनियोजित अनुरक्षण (26.8%) की उच्च दर, जबरन कामबंदी (33.7%) और कम भार अनुपात (19.4%) समेत आंशिक अनुपलब्धता के कारण है।

[अनुवाद]

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, त्रावणकोर

7680. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्याः** क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड से इसके इक्विटी आधार के पुनर्गठन के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इस प्रस्ताव को लागू कर दिया जायेगा?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. (एफ. ए. सी. टी.) के पूंजी पुनर्संरचना प्रस्ताव में 200 करोड़ रु. मूल्य के सरकारी साम्य को 8 वर्ष की अवधि में विमोच्य 7% गैर-संचयी अधिमानी शेयरों में परिवर्तित करना परिकल्पित है। इस स्तर पर, पूर्वोक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए किसी समय सीमा का संकेत नहीं किया जा सकता।

उड़ीसा में क्रोमाइट की खानें

7681. श्री गोपीनाथ गजपति: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में क्रोमाइट की कुल कितनी खानें हैं;

(ख) क्या सरकार का उड़ीसा में देश के क्रोमाइट संबंधी भारी उत्पादन वाले संयंत्र की स्थापना करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस संयंत्र हेतु किस स्थान का चयन किया गया है;

(घ) इस संयंत्र पर कितनी लागत आने का अनुमान है और इसकी क्षमता कितनी होगी;

(ङ) क्या इस संयंत्र की स्थापना संयुक्त क्षेत्र में की जाएगी;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है;

(छ) इस संयंत्र में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा;

(ज) क्या सरकार ने उड़ीसा में क्रोमाइट खानों को गैर-सरकारी क्षेत्र को पट्टे पर देने का निर्णय लिया है; और

(झ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) उड़ीसा सरकार की सूचना के अनुसार राज्य में 15 क्रोमाइट खानें हैं।

(ख) से (छ). उड़ीसा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी उड़ीसा खनन निगम जो एक राज्य सरकार का उद्यम है, फेरोक्रोम संयंत्र स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र की कम्पनियों से बातचीत कर रहा है। अभी यह बातचीत आरंभिक दौर में ही है।

(ज) से (झ). राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के अनुसार प्राईवेट सेक्टर को क्रोमाइट के लिए खनन पट्टे दिए जा सकते हैं इसलिए उड़ीसा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस संबंध में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

7682. श्री सनत कुमार मंडल: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 24 अप्रैल, 1995 को विशाखापत्तनम में "गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संबंध में" हुए अखिल भारतीय सम्मेलन ने भारतीय समुद्री क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए स्वतंत्र अथवा संयुक्त रूप से कार्यरत विदेशी कंपनियों के सभी लाइसेंस रद्द करने के लिए सरकार से आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने इस विषय से संधित नीति की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव, श्री पी. मुरारी की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की है। यह भी निर्णय लिया गया है कि जब तक समीक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक गहन समुद्री मत्स्यन-परियोजनाएं स्थापित करने के लिए और नए आवेदन पत्रों पर कार्रवाई न की जाए।

[हिन्दी]

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी का विदेशी मुद्रा अर्जन

7683. श्री सुशील चन्द्र वर्मा: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1993-94 के दौरान नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी (नाल्को) द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा में कोई कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नाल्को को एल्यूमिना का निर्यात करने की बजाए एल्यूमिना को एल्यूमिनियम धातु में बदलने से कम्पनी को अधिक फायदा होगा; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में एल्यूमिनियम का आयात किया गया और इसके लिए कितना भुगतान किया गया?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1993-94 में विदेशी मुद्रा अर्जन में गिरावट का कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी था जिसके फलस्वरूप लन्दन मेटल एक्सचेंज के मूल्यों में, वर्ष 1992-93 के मुकाबले, काफी गिरावट आ गई थी।

(ग) नाल्को ने 8.00 लाख टन एल्यूमिना का उत्पादन करने की योजना बनाई है जिसका लगभग 4.25 लाख टन भाग एल्यूमिनियम के उत्पादन की कैप्टिव खपत के लिए है और शेष 3.75 लाख टन निर्यात के लिए है।

(घ) पिछले तीन वर्षों में, देश में आयातित एल्यूमिनियम और उसके पदार्थों की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	मात्रा (मिटी टन)	मूल्य (रु./लाख)
1992–93	4448	8750
1993–94	73994	25154
1994–95 (अप्रैल-दिसंबर, 94)	75237	36042

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ओर बकाया राशि

7684. **डा. वसंत पवार:** क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषध मूल्यों को समान रखे जाने संबंधी मद के अंतर्गत विदेशी बहुराष्ट्रीय औषध निर्माता कंपनि..ों की ओर कुछ राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो कंपनीवार कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ग) इस बकाया राशि को वसूलने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव): (क) से (ग). देयताओं की राशियों के मामले की उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति द्वारा जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

7685. **श्री राम निहोर राय:** क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिश्रित उर्वरकों पर नियंत्रण के कारण 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को कुल कितना घाटा हुआ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): 1993-94 के दौरान, राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. आर सी एफ) को 12.08 करोड़ रुपए की शुद्ध हानि हुई थी। यद्यपि यह हानि मुख्यतः विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण कुवैती दीनार ऋण की मूल राशि और ब्याज भार में बढ़े हुए दायित्व के कारण थी, मिश्रित उर्वरकों के विनियंत्रण के कारणवर्ष के दौरान 1.96 करोड़ रुपए की अनुमानित शुद्ध हानि हुई थी।

डी. डी. ए. द्वारा भूमि अधिग्रहण

7686. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री डी.डी.ए. और दिल्ली प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण के संबंध में 21 नवम्बर, 91 के अतारांकित प्रश्न संख्या 155 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में हलका पटवारी वर्ष में कितनी बार खसरा गिरदावरी भरता है तथा क्या विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए इस खसरा गिरदावरी की और बारीकी से जांच करता है कि इसमें कोई अनियमितता न हो;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष हलका पटवारियों को कृषि भूमि मालिकों द्वारा दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 81 और 86-क का उल्लंघन किए जाने के बारे में हलकावार और खसरावार कितने मामलों की सूचना मिली; और

(घ) हलका पटवारी ने ग्रामवार, खसरावार और वर्षवार उपरोक्त (ग) भाग में उल्लिखित मामलों में से कितने मामलों में कार्यवाही की?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) वर्ष में दो बार इलाका कानूनगो तथा नायब तहसीलदार द्वारा इसकी जांच की जाती है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अलांग शिपयार्ड की मूलभूत ढांचागत समस्याएं

7687. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या गुजरात के भावनगर जिले में अलांग शिपब्रेकिंग यार्ड को पूरे साल मूलभूत ढांचागत समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिससे इसके जहाज निर्माण कार्य और पूरी क्षमता का उपयोग प्रभावित होता है;

(ख) यदि हां, तो अलांग शिपयार्ड की समस्याओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिपयार्ड द्वारा विश्व शिपब्रेकिंग व्यापार का मुकाबला न कर पाने के लिए यहां आधुनिक मूलभूत ढांचागत सुविधाओं का न होना आंशिक रूप से जिम्मेवार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को अलांग शिपब्रेकिंग यार्ड के समक्ष मूलभूत ढांचागत और अन्य

समस्याओं के बारे में दिल्ली आई. टी. आई. और रोजेक्स यूनिवर्सिटी आफ नेदरलैंडस एवं अहमदाबाद स्थित संस्थान सेन्ट्रल डेवलपमेंट प्लानिगं सेंटर के छात्रों के एक दल द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया कोई आकलन/रिपोर्ट हाल ही में उपलब्ध कराया गया है;

(च) यदि हां, तो इस दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा शिपयार्ड को आधुनिक मूलभूत ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (घ). गुजरात मेरीटाइम बोर्ड (जी.एम.बी.), गुजरात सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय तथा गुजरात में पत्तन के विकास से लगी एजेंसी ने बताया है कि उसने अलांग स्थित शिपब्रेकिंग यार्ड में आधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने हेतु एक मास्टर प्लान तैयार किया है तथा इसे आधुनिक यार्ड बनाए जाने के लिए गुजरात सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। जी.एम.बी. ने यह भी बताया है कि अलांग में शिपब्रेकिंग व्यवसाय बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, जो पिछले तीन वर्षों के लिए नीचे दिए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है:–

वर्ष	जहाजों की संख्या	एल. डी. टी.*
1992–93	175	9,42,601
1993–94	177	12,56,083
1994–95	301	21,73,249

* लाईट डिसप्लेसमेंट टन

(ङ) और (च). जैसा कि जी. एम. बी. द्वारा बताया गया है कि इस प्रश्न के भाग (ङ) में उल्लिखित रिपोर्ट संस्थान द्वारा तैयार की गयी है। रिपोर्ट में जल आपूर्ति, विद्युत इत्यादि से संबंधित कुछ समस्याओं का उल्लेख किया गया है इसमें यह भी बताया गया है कि स्थायी श्रमिकों की बस्तियों के लिए सुविधाएं उपल्बध नहीं हैं।

(छ) जी. एम. बी. ने बताया है कि अलांग स्थित शिपब्रेकिंग उद्योग के लिए सभी आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करने हेतु कदम उठाएं जा रहे हैं।

परमाणु आक्रमण न करना

7688. **श्री श्रवण कुमार पटेलः** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अप्रैल, 1995 को वाशिंगटन में अमरीकी राष्ट्रपति और यात्रा पर आए मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कतिपय राष्ट्रों के संबंध में की गई इस कथित घोषणा की ओर दिलाया गया है कि परमाणु क्लब के पांच सदस्यों में से तीन सदस्य देश अमरीका, इंग्लैंड और फ्रांस इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वे उन देशों पर परमाणु आक्रमण नहीं करेंगे जिनके पास परमाणु बम नहीं हैं और जो ऐसे बम प्राप्त न करने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिया है कि इस प्रस्ताव में भारत और पाकिस्तान जैसे उन देशों जो कि परमाणु अप्रसार संधि में शामिल नहीं हैं को परमाणु क्लब का समर्थन नहीं मिलेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया): (क) जी हां।

(ख) से (घ). भारत का मानना है कि नाभिकीय अस्त्र सम्पन्न राज्यों द्वारा दी गई सुरक्षा संबंधी गारन्टियां तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक कि वे बिना शर्त के और विधिक रूप से बाध्यकर न हों। अतः सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 984 की आलोचना की है जिसमें अप्रसार संधि के उन पक्षकार राज्यों के लिए जो नाभिकीय अस्त्र रहित है, नकारात्मक सुरक्षा आश्वासन निहित हैं क्योंकि यह सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच भेदभाव करती है और विधिक रूप से बाध्यकर नहीं है।

इस्पात विकास निधि की वसूली

7689. **श्री फूलचन्द वर्माः** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात विकास निधि के लिए लेबी की वसूली बंद किए जाने के कारण इस क्षेत्र में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अर्जित लाभ में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयले के मूल्य में वृद्धि होने के कारण इस्पात के उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस्पात की उत्पादन लागत में लगभग कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(ङ) इस्पात के उत्पादन को लाभप्रद बनाने के लिए क्या उपाए किये जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख). इस्पात विकास निधि लेवी बिक्री मूल्य का एक अंश था और यह उपभोक्ताओं से वसूल किया जाता था तथा नामजद प्राधिकारी के पास जमा कराया जाता था। नियन्त्रण समाप्त करने के बाद मुख्य उत्पादक अपने मूल्य स्वंय निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस्पात विकास निधि

लेवी को समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप मुख्य उत्पादकों ने अपने विभिन्न इस्पात उत्पादों के आधार मूल्यों को उपयुक्त रूप से समायोजित किया है । सरकारी क्षेत्र के और अन्य इस्पात संयंत्रों जिनके जरिये एस.डी.एफ. लेवी वसूली जाती थी, के लाभ पर लेवी समाप्त करने का प्रभाव विभिन्न घटकों जैसे हुई बिक्री की मात्रा, आदान लागतों में वृद्धि आदि पर निर्भर करेगा ।

(ग) और (घ). जी, हां। कोयले के मूल्य और कोयले पर रायल्टी में वृद्धि के कारण सेल द्वारा उत्पादित विक्रेय इस्पात की लागत में 1994-95 के दौरान लगभग 2% की वृद्धि हुई ।

(ङ) इस्पात के उत्पादन को लाभकारी बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों ने सतत् आधार पर निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. क्षमता उपयोग में वृद्धि करना ।
2. उत्पादकता में सुधार करना ।
3. ऊर्जा संरक्षण उपाय शुरू करना ।
4. दक्ष अनुरक्षण के जरिए उपस्करों की उपलब्धता में सुधार करना।
5. उत्पाद मिश्र में सुधार करना, मूल्य वर्धित मदें बनाना और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करना ।
6. खपत अर्थात् कोक दर, भण्डार और अतिरिक्त पुर्जों आदि में कमी करना।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोतों का आयात

7690. श्री भोपनाद्रीश्वर राव वाड्डे: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ नौवहन कम्पनियों को जापान, दक्षिण कोरिया, सोवियत रूस आदि से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोतों के आयात की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के पोतों का आयात किए जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) और (ख). जापान, उत्तरी कोरिया और भूतपूर्व सोवियत संघ से संयुक्त उद्यम के मार्फत गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों के आयात के लिए जिन कंपनियों को अनुमति दी गई है उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) गहन समुद्री मत्स्यन जलयान आयात करने की अनुमति निम्नलिखित कारणों से दी जाती है:

(1) गैर-श्रिम्प संसाधनों के दोहन के लिए संसाधन विशिष्ट जलयानों की शुरूआत करना क्योंकि इन जलयानों का निर्माण स्वदेशी शिपयार्डों में नहीं होता ।

(2) संयुक्त उद्यम परियोजनाओं से मत्स्यन, मात्स्यिकी उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन की प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होता है ।

विवरण

उन कंपनियों की सूची जिन्हें संयुक्त उद्यम के तहत जापान, उत्तरी कोरिया तथा भूतपूर्व सोवियत संघ से गहन समुद्री मत्स्यन जलयान आयात करने की अनुमति दी गई है

क्रम सं.	कंपनी का नाम	जलयानों की संख्या तथा किस्म	मूल देश
1.	ओरियन्टल हाई सीफिशरीज लि., विशाखापत्तनम	1 फैक्टरी ट्रालर	जापान
2.	फारचून ओसियनिक प्रोडक्ट्स लि., नई दिल्ली	3 स्टर्न ट्रालर	एस्टोनिया
3.	लियों सुजिन्द फिशरीज लि., नई दिल्ली	5 स्टर्न ट्रालर	उत्तरी कोरिया
4.	ग्रीनवेव मैरीन हार्वेस्ट लि., हैदराबाद	1 स्टर्न ट्रालर	युक्रेन
5.	सर्व कोन्सुलेट मैरीन प्रोडक्ट्स (प्रा.) लि., नई दिल्ली	5 स्टर्न ट्रालर	युक्रेन

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इस्पात का उत्पादन

7691. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु: क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने गत दो वर्षों में बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो 1993–94 तथा 1994–95 में बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ग) क्या ऐसे इस्पात की उत्पादन लागत में काफी ज्यादा वृद्धि हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के संयंत्रों द्वारा इस्पात की उत्पादन लागत में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) और (ख). जी, हां। "सेल" के संयंत्रों ने वर्ष 1993-94 और 1994–95 के दौरान विक्रेय इस्पात का उत्पादन बढ़ाया है। विवरण निम्नानुसार हैः–

(इकाई हजार टन)

वर्ष	विक्रेय इस्पात	प्रतिशत वृद्धि
1993–94	8645	3.7
1994–95	8962	3.7

(ग) विगत दो वर्षों में "सेल" द्वारा उत्पादित विक्रेय इस्पात की लागत में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है। स्थिर मूल्यों पर विक्रेय इस्पात की प्रति टन उत्पादन लागत वास्तव में कम हुई है।

(घ) उत्पादन लागत को नियंत्रित/कम करने के लिये प्रोद्योगिकीय उन्नयन, क्षमता उपयोगिता में वृद्धि, उत्पादन व तकनीकी आर्थिक क्षेत्रों में सुधार, उर्जा संरक्षण के उपाय तथा उपस्करों को बेहतर ढंग से लगाना और अनुरक्षण जैसे कदम उठाये गये हैं।

सड़क दुर्घटनाएं

7692. **श्री मोहन रावलेः क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मोटर वाहन अधिनियम में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु स्वचलित डिपर लगाये जाने के संबंध में प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान इस प्रावधान के उल्लंघन के फलस्वरूप कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(ग) मोटर वाहन अधिनियम के इस प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी हां। तथापि, ऑटो डिपर से संबंधित केन्द्रीय मोटर यान नियम 125 का प्रावधान भारी माल वाहनों और भारी यात्री वाहनों के लिए दिनांक 26.3.96 से तथा मोटर साइकिल एवं तिपहिया वाहनों से भिन्न प्रत्येक मोटर वाहन के लिए दिनांक 26.3.97 से प्रवृत्त होगा।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

खुले मुहाने की खानें

7693. **श्री एस. एम. लालजान बाशाः क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में खुले मुहाने की खानों पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खुले मुहाने की खानों वाले क्षेत्रों के विस्थापित लोगों के लिए पुनर्वास योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

शहरी मूलभूत ढांचा

7694. **श्री डी. वेंकटेश्वर रावः क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 1 फरवरी, 1995 को नई दिल्ली में "इंटीग्रेटेड अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट" पर एक अंतर्राष्ट्रीय विचारगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो विचार-गोष्ठी किन प्रमुख मुद्दों पर हुई;

(ग) क्या यह निर्णय लिया गया था कि शहरी मूलभूत ढांचे का नियोजन और प्रबंधन शहरी निवासियों की आवश्यकताओं के और अधिक अनुकूल होना चाहिए;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस सुझाव दिए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने विचागोष्ठी के निष्कर्षों और सिफारिशों की जांच कर ली है; और

(च) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) जी, हां। एशिया रीजन पर विशेष बल देते हुए स्वीकृत शहरी अवस्थापना विकास पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार भारतीय मानक बस्ती कार्यक्रम (आई. एच. एस. पी.) के तत्वाधान में 1-4 फरवरी 1995 तक नई दिल्ली में हुआ था।

(ख) इस सेमिनार में निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर जोर देते हुये एकीकृत अवस्थापन आयोजना नीति पर विचार-विमर्श किया गया थाः–

– अवस्थापन सेवाओं के प्रावधान में बढ़ोतरी

– स्थानीय निकायों की राजस्व स्थिति में सुधार

– स्थानीय निकायों की संस्थानिक योग्यताओं में सुधार

– पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव में कमी

– निर्धनों को शहरी सेवाओं की सुलभता ।

(ग) यह सुझाव दिया गया था कि शहरी निवासियों की आवश्यकताओं का समुचित ध्यान रखते हुये अवस्थापन आयोजना तथा कार्यक्रम के प्रति एक एकीकृत नीति सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु अनिवार्य है।

(घ) बहु-क्षेत्रीय निवेश आयोजना, शहरी निर्धन हेतु सेवाओं, पालिका वित्त और संसाधन, पूंजी बाजार, पर्यावरण तथा भूमि और निजी-सार्वजनिक भागीदारी के सम्बन्ध में इस सेमिनार में कई सिफारिशें की गई थी ।

(ङ) और (च). यह सिफारिशें, राष्ट्रीय आवास नीति में निर्धारित शहरी अवस्थापन सुविधाओं के विस्तार से जुड़े विभिन्न मुद्दों के निवारण में सहायक होगीं ।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों द्वारा पासपोर्ट प्रार्थना-पत्रों का सत्यापान

7695. **श्री प्रेम चन्द रामः** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार पासपोर्ट प्रार्थना-पत्रों को सत्यापित-प्रमाणित करने हेतु संसद सदस्यों को शक्तियां प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया): (क) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) संसद सदस्यों को पासपोर्ट आवेदन प्रपत्रों पर सत्यापन प्रमाणपत्र देने के लिए 16 अगस्त, 1977 से प्राधिकृत किया गया था। सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने की पद्धति 1984 में आपरेशन ब्लू स्टार के पश्चात समाप्त कर दी गई थी। इस पद्धति को 1989 में दोबारा आरम्भ किया गया लेकिन सत्यापन प्रमाणपत्र को जारी करने का प्राधिकार संसद -सदस्यों को नहीं दिया गया क्योंकि सदस्यों की सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने में रुचि नहीं थी ।

[अनुवाद]

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी

7696. **श्री सनत कुमार मंडलः** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा अपनी इक्विटी को ऋण में बदलकर अपने पुनर्गठन हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

इस्पात का उत्पादन

7697. **श्री सुशील चन्द्र वर्माः** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात के पर्याप्त उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए लौह अयस्क के निर्यात को प्रतिवर्धित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव)ः (ख) और (ख). स्वदेशी उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है।

अनुवाद]

दूषित जल की सप्लाई

7698. **डा. वसंत पवारः** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दूषित जल की सप्लाई के कारण दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन)ः (क) दिल्ली में दूषित पानी की सप्लाई के कारण महामारी फैलने का कोई खतरा नहीं है। दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान द्वारा सप्लाई किया जा रहा पानी पेय, स्वास्थ्यकर तथा भारत सरकार और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

सोने का खनन

7699. **श्री फूलचन्द वर्माः** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में जिन-जिन स्थानों पर सोने की खान हैं उनका तथा अन्य संबंधित बातों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन खानों द्वारा अर्जित लाभों तथा इनमें हुए घाटों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में सोने की खपत विश्व में सर्वाधिक है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में कितने सोने की खपत हुई;

(ङ) क्या सरकार देश में सोने की वर्तमान मांग को पूरा करने में असमर्थ है; और

(च) यदि हां, तो सोने के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)ः (क) भारत गोल्ड माइंस लि. (बी. जी. एम. एल.) और गोल्ड हट्टी माइंस लि. एच. जी. एम. एल. कर्नाटक राज्य सरकार का एक उपक्रम) की स्वर्ण खानों की स्थान-स्थिति निम्न अनुसार हैः-

स्थान जिला	राज्य	मालिक/ खानें
बी. जी. एम. एल.		
अनन्तपुर	आंध्र प्रदेश	येप्पामाना
चित्तूर	-वही-	चिगारगुंटा फेज–1
-वही-	-वही-	चिगारगुंटा फेज–2
-वही-	-वही-	ओल्ड बिसनाथम
कोलार	कर्नाटक	मैसर चैम्पियन अमलगमेटिड
-वही-	-वही-	नन्दी दुर्ग
एच.जी.एम.एल.		
रायचूर	कर्नाटक	हट्टी
गुलबर्गा	वही	मंगलूर

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत गोल्ड माइंस लि. (बीजीएमएल) द्वारा उठाई गई हानि निम्नानुसार हैः–

वर्ष		(रु./करोड़ः हानि) बी.जी.एम.एल. द्वारा उठाई गई हानि
1992–93	–	34.40
1993–94	–	42.14
1994–95 (अनंतिम)	–	34. 86

(ग) भारत विश्व के उन देशों की श्रेणी में है जहां स्वर्ण खपत का स्तर ऊंचा है।

(घ) भारत में स्वर्ण खपत के सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मौटे तौर पर अनुमानों से यह पता लगता है कि भारत में कुल स्वर्ण की मांग लगभग 600 टन प्रति वर्ष है ।

(ङ) जी नहीं । स्वर्ण की मांग को मुख्य रूप से रिसाइकल्ड गोल्ड और आयातित स्वर्ण से पूरा किया जाता है।

(च) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा स्वर्ण की नई उपस्थितियों का पता लगाया गया है और स्वर्ण का गवेषण और विदोहन अब निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है।

नौवहन विकास कोष समिति

7000. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलुः** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पूर्व नौबहन विकास निधि समिति को पुनः स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)ः (क) से (ग). जी नहीं । भूतपूर्व नौवहन विकास निधि समिति को पुनः स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

पत्तनों से लाभ

7701. **श्री संतोष कुमार गंगवारः** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पत्तनों से कितना लाभ हुआ और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह लाभ अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)ः (क) प्रमुख पत्तनों के घाटे अथवा लाभ को परिचालन अधिशेष/घाटे में आंका जाता है न कि निवल अधिशेष/घाटे के रूप में प्रमुख पत्तनों में पिछले 3 वर्षों के परिचालन अधिशेष/निवल अधिशेष के आंकड़ों का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

वर्ष	परिचालन अधिशेष	(करोड़ रु.) निवल अधिशेष
1992-93	511.44	510.27
1993-94	668.82	620.08
1994-95*	651.11	549.11

* आंकड़े अनंतिम हैं ।

(ख) इस संबंध में कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं निर्धारित किए गए हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा उठाई गई बातें

7702. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवारः**
श्री राजेन्द्र कुमार शर्माः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने लखनऊ में हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति के स्वागत भाषण में कतिपय ऐसी बातों का उल्लेख किया जो राष्ट्रीय गरिमा के अनुरूप नहीं थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुख्य मंत्री ने भारत से साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिये ईरान से सहायता की याचना की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया): (क) से (घ). उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री ने 18 अप्रैल, 1995 को एक सार्वजनिक समारोह में ईरान के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान की भूमिका की प्रशंसा की और इस संबंध में ईरान के सकारात्मक योगदान की सराहना की।

(ङ) हमारा यह मानना है कि हाल ही की अवधि में भारत-ईरान सहयोग अत्यधिक पारस्परिक समझ-बूझ पर आधारित है और यह इस क्षेत्र में शांति और स्थायित्व का एक घटक है।

[अनुवाद]

फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण

7703. **डा. डी. वेंकटेश्वर रावः**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्याः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या समसामयिक अध्ययन संबंधी राजीव गांधी संस्थान ने फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण के संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस अध्ययन रिपोर्ट की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) से (घ). जी हां। रिपोर्ट में सरकार की योजना स्कीमों में कुछ संशोधन के सुझाव दिए गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार कर रहा है और इस योजना को तैयार करते समय रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर भी विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

शीतल पेय बनाने वाली कंपनियां

7704. **श्री प्रेम चंद रामः** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बाजार में नए शीतल पेय का विक्रय आरंभ करने की अनुमति किन-किन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को दी गई है और शीतल पेय बनाने वाली भारतीय कंपनियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) और (ख). मै. पेप्सी फूडस लि., मै. ब्रिटको फूडस कंपनी लि. और कैडबरी शिविप्स को मृदु पेय सान्द्रण/पेय आसव तथा क्षारक का निर्माण तथा सुगन्धित सान्द्रण की सप्लाई करने की अनुमति दी गई है। आशा है कि नए ब्राण्ड शुरू करने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बाजार का विस्तार होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा कम मूल्यों के कारण उपभोक्ताओं को होने वाले लाभ में वृद्धि होगी।

एल्यूमिनियम का उत्पादन

7705. **कुमारी उमा भारतीः** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार देश में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की तुलना में एल्यूमिनियम का कितना उत्पादन हुआ और इसकी मांग कितनी थी?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्राथमिक एल्यूमिनियम धातु के लक्ष्य, उत्पादन और मांग को नीचे दर्शाया गया हैः—

इकाईः टन

वर्ष	लक्ष्य	उत्पादन	घरेलू*मांग
1992–93	5,16,673	4,84,913	3,70,000
1993–94	4,73,720	4,64,718	4,10,000
1994–95	4,97,125	4,80,262 (अनन्तिम)	4,71,000 (अनन्तिम)

* मांग में 15% की वृद्धि मानते हुए।

[अनुवाद]

विश्व बैंक की सहायताप्राप्त पारेषण परियोजना

7706. श्री उद्धव बर्मनः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया ने पूर्वोत्तर राज्यों में सरकार द्वारा प्रायोजित विद्युत उत्पादन केन्द्र से बिजली निकालने के लिये विश्व बैंक से ऋण लेकर भारी पारेषण परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस नेटवर्क द्वारा कितनी विद्युत के पारेषण का कार्य संभालने की संभावना है और सन् 2000 ईस्वी तक पूर्वोत्तर राज्यों को इसका कितना हिस्सा मिलेगा;

(ग) क्या 220 के.वी. सिस्टम पूर्वोत्तर राज्यों के लिये बिजली निकालने संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या नेटवर्क पूर्वोत्तर राज्यों पर अनावश्यक बोझ नहीं डालेगा और इस परियोजना की पूरी लागत पारेषण शुल्क के रूप में वसूल की जायेगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, नहीं। उत्तर-पूर्वी राज्यों में पावर ग्रिड द्वारा पहले से हाथ में ली गई पारेषण परियोजनाओं का विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषण नहीं किया जा रहा है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों की पारेषण प्रणाली में 220 के.वी., 132 के.वी. आदि शामिल हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पारेषण नेटवर्क को सशक्त बनाने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने दक्षिण असम, मिजोरम और त्रिपुरा (132 के.वी.) पारेषण प्रणाली का विस्तार करने के लिए हाल ही में एक स्कीम अनुमोदित की है।

(घ) संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों/टैरिफ अधिसूचनाओं के अनुसार पावर ग्रिड द्वारा वसूल किए जाने वाले पारेषण प्रभारों के संबंध में पारेषण प्रभारों में हिस्सेदारी के संबंध में लाभग्राही राज्यों की सहमति अनिवार्यतः प्राप्त की जाती है।

सरकारी आवास आबंटियों को मकान किराया भत्ता

7707. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्रीः क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ऐसा कोई नियम/अनुदेश है जिसके अन्तर्गत अपने पिता, ससुर आदि को आवंटित सरकारी आवास में साथ रहने पर उनके पुत्र, पुत्री पुत्रवधु को मकान किराए भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जब यह आवास विशेष रूप से पुत्रवधु के नाम नियमित ही नहीं किया जा सकता तो ऐसे नियम/अनुदेश को लागू करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन नियमों/ अनुदेशों में संशोधन करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय ने कोई विनिमेय दिया है कि ऐसी अवस्था में आवास को नियमित नहीं किया जा सकता; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

रसोई गैस खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा पेट्रोल पम्पों के लिए भूमि का आबंटन

7708. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुलः क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री 15 मई, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5620 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1993, 1994 तथा 1995 के दौरान दिल्ली में रसोई गैस डीलरशीप के लिए जिन-जिन पार्टियों को आशय-पत्र जारी किये गए थे तथा जिनके लिए शोरूम और गोदामों को खोलने हेतु भूमि आबंटन की मांग की गई थी और उसे उपलब्ध कराया गया था उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न क्षेत्रों के आवेदकों, जिन्हे डीलरशीप के ऐसे आश्य-पत्र जारी दिए गए हैं उनकी अन्तर्वरीयता किस प्रकार निर्धारित की जाती है;

(ग) क्या विभिन्न क्षेत्रों में भूमि का आवंटन इसकी उपलब्धता के एकमात्र आधार पर किया है और यदि किसी क्षेत्र विशेष में भूमि उपलब्ध है तो उसे समय के दृष्टिकोण से परीक्षण सूची में ऊपर रहने वाले आवेदकों को आबंटित करने तक इंताजार करने के बजाए ऐसे आवेदक, जिन्हें उस क्षेत्र की डिस्ट्रीब्यूटरशीप का आशय-पत्र जारी किया गया हो, को आबंटित कर दिया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में (राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) उन पार्टियों के ब्यौरे, जिन्हें वर्ष 1993, 1994 और 1995 के दौरान आशय पत्र जारी किए गए हैं और स्थल आबंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण में जिनकी दरख्वास्तें पुहंच चुकी हैं तथा उन पार्टियों के ब्यौरे, जिन्हें वर्ष 1993, 1994 और 1995 के दौरान भूमि का आबंटन कर दिया गया है, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण–I और II में दिए गए हैं।

(ख) आश्य पत्र जारी करने की तारीख वरीयता की प्रभावी तारीख है।

(ग) और (घ). आबंटन आमतौर पर वरीयता के आधार पर किया जाता है। अत्यन्त सहानुभूति वाले मामलों में, इन्सानियत के नाते आबंटन बिना बारी के किया जाता है।

विवरण-I

उन पार्टियों के ब्यौरे जिन्हें आशय पत्र जारी कर दिये गये हैं और भूमि आबंटन हेतु डी. डी. ए. में जिनके आवेदन प्राप्त हो गये हैं

क्र. सं.	डीलर का नाम	तेल की कंपनी का नाम	स्थान
	गैस गोदाम 1993 मामले		
1.	श्रीमती रूप कौर	आई. ओ. सी.	जमुना पार क्षेत्र
2.	मैसर्स जय जवान गैस सेवा	आई. ओ. सी.	पपनकलां
3.	श्री राजेश महत्ता	बी. पी. सी.	खानपुर
4.	श्री पदनाथ शालीह	एच. पी. सी.	शक्करपुर लक्ष्मी नगर
5.	श्रीमती रेनु जोशी	एच. पी. सी.	दिलशाद गार्डन
6.	श्री अनुज प्रसाद	आई. ओ. सी.	वसंत कुंज
7.	श्री आर. सप्रा	आई ओ सी	जी टी रोड शाहदरा दिल्ली
8.	श्रीमती विमला त्यागी	एच पी सी	पटेल नगर
9.	श्रीमती सुधा मल्लाह	एच पी सी	जमुना विहार
10.	ए आई आर सीडीआर के एस राव	बी पी सी	उत्तम नगर
11.	श्रीमती रचना पुशकरना	बी पी सी	प्रीत विहार
12.	श्रीमती निरमा देवी	बी पी सी	नजफगढ़
13.	श्रीमती भागवती देवी	एच पी सी	जमुनापार क्षेत्र
14.	श्रीमती सरोज जैन	आई ओ सी	दिल्ली (उत्तम नगर)
15.	श्रीमती महबूबा सैय्यद	एच पी सी	गुलाबी बाग/ अशोक विहार
16.	श्रीमती नीलम मिश्रा	आई ओ सी	दिल्ली
17.	श्रीमती नर्गिस नौवीं	बी पी सी	मयूर विहार
18.	श्री वी पी खरि	बी पी सी	रोहिणी

गैस गोदाम 1993 मामले

क्र. सं.	डीलर का नाम	तेल की कंपनी का नाम	स्थान
ऑयल सलेक्शन बोर्ड			
19.	श्री राज बहादुर सिंह	एच पी सी	पालम विहार
		गैस सेलक्शन बोर्ड 1994	
ऑयल सलेक्शन बोर्ड			
1.	दिनेश वर्मा	एच पी सी	इन्द/टोडापुर/पश्चिम जोन
2.	हिम्मत सिंह	आई ओ सी	रोहिणी
3.	दत्तात्रिया प्रसाद	आई ओ सी	पंखा रोड/ विकास पुरी
4.	कृष्णकुमार बंसल	आई ओ सी	जमुना विहार टी वाई ए
5.	श्रीमती अमृतजीत कौर	एच पी सी	नरेला
6.	राम किशन	आई ओ सी	करावल नगर (टी वाई ए) की सीमा में
7.	श्रीमती अंजु गुप्ता	आई ओ सी	कृष्णा नगर
8.	मनोज कुमार वर्मा	आई ओ सी	भोलानाथ नगर (टी वाई ए) की सीमा में
9.	बशीर शैत	बी पी सी	दिल्ली तुर्कमान गेट,नरेला अलीपुर ब्लौक, खानपुर मिठासपुर/जैतपुर, दिलशाद गार्डन, पटपड़गंज खानपुर, टिग्री, मिट्ठापुर/ जैत पुर, दिलशाद गार्डन, कटपल गंज
10.	गिरधारी लाल	आई ओ सी	जहागीपुरी की सीमा में
11.	राजीव सागर	आई ओ सी	नांगलोई की सीमा में
12.	मधुसूदन राय	आई ओ सी	पटपड़गंज मयूर बिहार (टी वाई ए) की सीमा में
13.	राजेन्द्र पाल शेरावत	आई ओ सी	संगम विहार की सीमा में
14.	श्रीमती मीना शर्मा	आई ओ सी	सागरपुर की सीमा में
15.	श्रीमती वीणा मलिक	आई ओ सी	गीता कालीनी झील (टी वाई ए) की सीमा में

गैस गोदाम 1993 मामले

क्र. सं.	डीलर का नाम	तेल की कंपनी का नाम	स्थान
16.	अनिल कुमार	आई ओ सी	गांधी नगर/कैलाश नगर (टी वाई ए)
17.	अनिल कुमार	आई ओ सी	गुलाबी बाग/शास्त्री नगर की सीमा में
18.	अजीत कुमार	आई ओ सी	संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की सीमा में
19.	राकेश झा	आई ओ सी	जी.टी रोड शाहदरा
20.	श्रीमती लक्ष्मी मेहरा	आई ओ सी	लोधी रोड़/प्रगति विहार की सीमा में
21.	श्रीमती सुशीला राठी	आई ओ सी	अशोक विहार की सीमा में
22.	जगदीश चन्द्र और श्रीमती सुचीलता	आई ओ सी	राजा गार्डन/ टैगोर गार्डन की सीमा में
23.	कुमारी पुनम महेश्वरी	आई ओ सी	सर्व प्रिय विहार/सर्वोदय एंक्लेव
		गैस गोदाम 1994 के मामले	
मंत्रालय का प्रतिनिधि			
24.	धीरेन्द्र प्रताप	एच पी सी	वेस्ट पेटल नगर
25.	राजेन्द्र पाल चोपड़ा बाग/ त्रिनगर	आई ओ सी	लारेंस रोड/शकूर बस्ती/रानी बाग/त्रिनगर
26.	सुश्री प्रिया दास	बी पी सी	दिल्ली
27.	श्रीमती रजनी नायक	आई ओ सी	विकासपुरी की सीमा में
28.	लेफ्टीनेंट कर्नलः आर सी जेतली	आई ओ सी	न्यू फ्रेन्डस कालोनी/ सुखदेव विहार
29.	श्रीमती गीता आर. चोपड़ा	बी पी सी	दिल्ली
		गैस गोदाम 1995 के मामले	
मंत्रालय का प्रतिनिधि			
1.	टी.एन. धर	बी पी सी	दिल्ली

क्र. सं.	डीलर का नाम	गैस गोदाम 1993 मामले तेल की कंपनी का नाम	स्थान
तेल चयन बोर्ड			
2.	मनमोहन सिंह	आई ओ सी	सुल्तानपुरी दिल्ली
3.	गजराज सोनी	आई ओ सी	खानपुर खादर/जसोला दिल्ली

विवरण–II

किये ये आबंटनों के ब्यौरे

क्र.सं.	डीलर का नाम	स्थान	मामला वर्ष
		1993 में किए गए आबंटन (गैस गोदाम)	
1.	श्री सुनील कुमार	साइट न. 4 पालम गांव	1990
2.	श्री सिद्धार्थ म्रिदुल	साइट न.कउ मंगोलपुरी	1985
3.	श्रीमती कस्तुरादेवी जैन	साइट नं. 3, रिठाला गांव	1992
4.	श्रीमती नीरा शास्त्री	वसन्त कुंज	1990
5.	श्रीमती रूप कौर	साइट न.4 कोण्डली	1990
6.	श्री जय जवान गैस सर्विस	साइट नं.1 द्वारका सेक्ट. 20	1991
7.	श्री राजेश मेहता	साइट नं.2 द्वारका सेक्ट. 20	1992
8.	श्री पदननाथ शैलेह	साइट नं. 2 रोहिणी सेक्ट. 5	1992
9.	श्री वी. पी. खासी	साइट न. 3 रोहिणी सेक्ट. 5	1993
10.	श्रीमती नरगिस नगवी	साइट न. 1 रोहिणी	1993
11.	आर. सपरा	साइट नं. 1 कोण्डली	1993
12.	महावीर गैस एजेंसी	पश्चिमी मारिजनल बांध तथा दक्षिणी वजीराबाद	1991

क्र.सं.	डालर का नाम	स्थान	मामला वर्ष
		1994 में किये गये आवंटन (गैस गोदाम)	
1.	श्रीमती रेणु जोशी	साइट नं. 2 विकासपुरी	प्रतिबन्ध (1992 में हटाया जायेगा।)
2.	श्री अर्जू प्रसाद	साइनट नं. 1 विकासपुरी	1993
3.	श्रीमती विमला त्यागी	साइट नं. 4 विकासपुरी	1993
		1995 में दिये गये आवंटन (गैस गोदाम)	
1.	एयर कमांडर के. एस. राव	साइट नं. 3 द्वारका सेक्ट. 9	1993
2.	दत्तात्रेय प्रसाद तिवारी (अन्य पिछड़े वर्ग का मामला)	साइट नं. 3 विकासपुरी	1994

धलेश्वरी पन बिजली परियोजना

7709. **श्री उद्धव बर्मनः क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या धलेश्वरी पन-बिजली परियोजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना को क्रियान्वित करने वाली एजेंसी का क्या नाम है:

(घ) क्या क्रियान्वित करने वाली एजेन्सी परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए तैयार नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होतावल।

(ग) से (ङ). परियोजना को, अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यावरणीय एवं वन तथा निवेश की दृष्टि से स्वीकृति मिलने के बाद ही क्रियान्वित किए जाने का प्रश्न उत्पन्न होगा।

कर्नाटक में ताप विद्युत संयंत्र

7710. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्सः क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक में मैसूर जिले में चामराजनगर में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा 500 मेगावाट क्षमता वाले ताप संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु किसी स्थान की पहचान कर ली गई है; और

(घ) यह परियोजना कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) जी, नहीं। कर्नाटक के जिले मैसूर में स्थित चामराजनगर में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन टी पी सी) द्वारा 500 मेगावाट क्षमता वाले ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ). उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

लिंक हाऊस की भूमि

7711. **श्री इन्द्रजीत गुप्तः क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नई दिल्ली के इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में जिस भूमि पर लिंक हाउस का निर्माण किया गया है वह भूमि "पैट्रीयोट" तथा "लिंक" पत्रिकाओं को जगह प्रदान करने के लिए डा. ए. वी. बालिगा फाउंडेशन के नाम से आबंटित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके आबंटन की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि क्या पूरे देश में डा. ए. वी. बालिगा फाउंडेशन की जो सम्पत्तियां हैं उन्हें फाउंडेशन के शक्तिशाली निर्देशकों के मित्रों और संबंधियों को बेची जा रही है अंतरित की जा रही है;

(घ) क्या फाउंडेशन की सम्पति की बिक्री और अंतरण फाउंडेशन के लिए आबंटित भूमि की निर्धारित शर्तों के अनुसार स्वीकार्य है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) जी, नहीं। यह भूमि युनाइटेड इंडिया पीरीओडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को आबंटित की गई थी।

(ख) से (ङ). उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकारों की भूमि उपयोग संबंधी नीतियां

7712. श्री रविरायः क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में वास्तविक रुकावट को दूर करने के लिए राज्य सरकारों से भूमि उपयोग संबंधी नीतियों में मौलिक परिवर्तन करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) और (ख). ब्यौरों की जानकारी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दिए जायेंगे।

पनबिजली द्वारा विद्युत उत्पादन का प्रतिशत

7713. श्री उद्धव बर्मनः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विद्युत उत्पादन में पन-बिजली मिक्स का वर्तमान दर क्या है;

(ख) क्या इस प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी हो रही है;

(ग) इस समय कुल कितनी कोयला आधारित विद्युत क्षमता मेगावाट में है और कुल विद्युत क्षमता के उपयोग के लिए प्रतिवर्ष कुल कितने कोयले की आवश्यकता होती है;

(घ) क्या इस बात का कोई आकलन कराया गया है कि कोयला खपत का वर्तमान अनुदान कितने समय के लिए पर्याप्त रहेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) 31.3.95 की स्थिति के अनुसार विद्युत उत्पादन हेतु अखिल भारतीय अधिष्ठापित क्षमता के जल विद्युत-ताप विद्युत मिश्रण का अनुपात 25.66:71.60 था और शेष 2.74% न्यूक्लीय विद्युत थी।

(ख) देश में समग्र विद्युत उत्पादन क्षमता का हिस्सा, जो कि स्वतंत्रता के समय 37.31% था बढ़कर 1963 में 50.62% हो गया। तत्पश्चात, जल विद्युत हिस्सा घटकर 25.66% के वर्तमान स्तर पर पहुंच गया है।

(ग) 30.4.95 की स्थिति के अनुसार कोयला आधारित (लिग्नाइट समेत) ताप विद्युत केन्द्रों, की कुल अखिल भारतीय अधिष्ठापित क्षमता 52139.48 मे.वा. है। वर्ष 1995-96 के लिए अनुमानित कोयले की कुल मांग 195 मिलियन टन है।

(घ) और (ङ). देश में कोयला खानों से निकाले गए लगभग 0.80 मिलियन टन औसत कोयले की वर्तमान दर से, संचित कोयले के अगले 100 वर्षों तक चलने की संभावना है।

रासायनिक उर्वरक का उत्पादन और आयात

7714. श्री संदीपन भगवान थोरातः क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किसानों को चालू वर्ष के दौरान उर्वरक की भारी कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान उर्वरक की राज्यवार अनुमानतः कितनी आवश्यकता है और वास्तव में इसकी कितनी आपूर्ति की गई;

(ग) उर्वरक की समय से और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं,

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान रासायनिक उर्वरक का घरेलू उत्पादन कितना था और कितना आयात किया गया तथा उर्वरक की क्षमता में कितनी वृद्धि की गई। स्थापित की गई एवं बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त घरेलू उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उर्वरक क्षेत्र में चालू की जाने वाली/हाल ही में स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस समय वे किस चरण में हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव): (क) से (ग). वर्तमान मांग के संदर्भ में चालू खरीफ मौसम के दौरान देश में उर्वरकों की उपलब्धता संतोषजनक है। इस समय यूरिया ही एकमात्र उर्वरक है जो मूल्य वितरण और संचलन नियंत्रणों के अधीन है। खरीफ 1995 के दौरान यूरिया के लिए राज्यों की अनुमानित मांग 87.67 लाख टन है। उपलब्ध फील्ड भण्डारों, स्वदेशी उत्पादन और आयातों से इस मांग को पूरा करने के

लिए आवश्यक उपाय किये गये हैं।

अनियंत्रित उर्वरकों की मांग और आपूर्ति बाजार शक्तियों पर निर्भर करती है।

(घ) और (ङ). 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान देश में उर्वरक पोषकों (नाइट्रेजन+फास्फेट) का उत्पादन क्रमशः 97.36 लाख टन, 90.47 लाख टन और 104.37 लाख टन था। वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य भण्डार के अभाव में पोटाश का स्वदेशी उत्पादन नहीं हुआ।

संबंधित वर्षों के दौरान उर्वरक पोषको (नाइट्रोजन+फास्फेट+पोटाश) के आयात क्रमशः 29.76, 31.67 और 29.56 लाख टन थे।

गत तन वर्षों के दौरान देश में सृजित उत्पादन क्षमता (नाइट्रोजन फास्फेट) क्रमशः 3.52 लाख टन और 3.41लाख टन था।

उर्वरक पोषकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, अनेक नई विस्तर परियोजनायें कार्यान्वयन के लिए हाथ में ली गई हैं। इस समय कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की स्थापित क्षमता 17 लाख टन नाइट्रोजन और 0.31 लाख टन फास्फेट है। इसमें 3.34 लाख टन नाइट्रोजन प्रतिवर्ष की स्थापित क्षमता के साथ शाहजहांपुर (उ.प्र.) में निजी क्षेत्र में लगाया जा रहा गैस पर आधारित यूरिया संयंत्र भी शामिल है। इस संयंत्र द्वारा 1995 के अंतिम तिमाही में उत्पादन आरम्भ किये जाने की आशा है। अन्य सभी परियोजनाएं समय सारणी के मुताबिक संतोषजनक ढंग से चल रही हैं।

राजस्थान को बिजली सप्लाई

7715. **श्री गिरधारी लाल भार्गवः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) केन्द्रीय बिजली घरों से प्रत्येक राज्य को बिजली आबंटित करने का विद्यमान सूत्र क्या है;

(ख) क्या राजस्थान को केन्द्रीय बिजली घरों से कम बिजली मिलने के कारण, इसकी किल्लत महसूस हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो राजस्थान को बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों से प्रत्येक राज्य को विद्युत आबंटन किये जाने का फार्मूला संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1994–95 के दौरान राजस्थान की 17,000 मिलियन यूनिट ऊर्जा की आवश्यकता थी, इसकी अपेक्षा 16080 मिलियन यूनिट ऊर्जा उपलब्ध थी। यह 5.4% कमी का द्योतक है। 1994–95 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों से वस्तुतः प्राप्त की गई विद्युत के साथ=साथ इसके हिस्से की विद्युत का ब्यौरा निम्नवत हैः–

	1994–95
पात्रता (मि.यू.)	5857.9
वस्तुतः प्राप्त की गई (मि.यू)	7076.9
(%)	120.8

(ग) राजस्थान में विद्युत की उपलब्धता में सुधार किये जाने के लिए किये जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं, विद्यमान क्षमता से इष्टतम विद्युत उत्पादन करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों की मात्रा को कम करना, प्रभावी भार प्रबंध तथा ऊर्जा संवर्धन उपाय एवं पड़ोसी राज्य/प्रणालियों से सहायता की व्यवस्था करना।

विवरण

केन्द्रीय पूल (केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्र) से राज्यों को विद्युत सप्लाई किए जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई नीति

क. **केन्द्रीय क्षेत्र के ताप विद्युत/परमाणु विद्युत केन्द्रों से राज्यों को विद्युत आबंटन किये जाने संबंधी मानदण्डः**

1. प्रत्येक राज्य की समय-समय पर आपातिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 15% विद्युत अनाबंटित के रूप में केन्द्र द्वारा अपने पास रखी जाती है।

2. 10% विद्युत उस राज्य को आबंटित की जाती है जिस राज्य में विद्युत केन्द्र अवस्थित है; और

3. शेष 75% विद्युत क्षेत्र के राज्यों (जिस राज्य में परियोजना स्थित है समेत) राज्यों में ऊर्जा के समुपयोजन, और गत पांच वर्षों के दौरान राज्यों को प्रदान की गई केन्द्रीय योजना सहायता के अनुसार आबंटित की जाती है। संघ शासित क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति समुचित आबंटन के द्वारा की जाती है।

ख. **केन्द्रीय क्षेत्र के जल विद्युत केन्द्रों से राज्यों को विद्युत आबंटन किये जाने के लिये वर्तमान मानदण्डः**

1. 15% विद्युत उत्पादन क्षमता को समग्र आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए क्षेत्र के अन्दर अथवा क्षेत्र से बाहर आबंटित किये जाने के लिये केन्द्र

सरकार द्वारा अपने पास अनाबंटित रूप में रखी जाती है।

2. विद्युत केन्द्र से उत्पादित 12% विद्युत को क्षेत्र के उन राज्यों (जिस राज्य में जल विद्युत परियोजना अवस्थित है समेत) जिसमें किसी विशेष स्थल पर परियोजना आधिष्ठापित किये जाने के कारण अनेक आपदाओं यथा, जल मग्नता, आबादी के विस्थापन की स्थिति बनी है, विद्युत का आबंटन इन आपदाओं के परिमाण के अनुरूप निशुल्क किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु "विद्युत उत्पादन" की गणना बस-वार स्तर पर की जाएगी अर्थात् इसमें आनुषंगिक खपत की गणना नहीं की जाएगी और पारेषण लाइन की हानियों को भी हिसाब में नहीं लिया जाएगा। 12% निशुल्क विद्युत सप्लाई किये जाने के प्रयोजन हेतु इस प्रकार की आपदा के परिमाण का अनुमान संबंधित राज्यों के परामर्श से के.वि.प्रा. द्वारा लगाया जाएगा।

3. शेष (73%) विद्युत को क्षेत्र के राज्यों के बीच क्षेत्र के विभिन्न राज्यों द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा तथा केन्द्रीय योजना सहायता के अनुरूप आबंटित किया जाएगा, दोनों घटकों को समान अधिमान्यता प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स

7716. **श्री राम निहोर रायः क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, बाम्बे के कुछ अधिकारियों के विरूद्ध कथित कदाचार के मामलों की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"सेल" के अधिकारियों द्वारा विदेश यात्राएं

7717. **श्री इन्द्रजीत गुप्तः क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या "सेल" अपने वरिष्ठ अधिकारियों की बारम्बार विदेश यात्राओं पर भारी खर्च कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई दिशा निर्देश निर्धारित हैं;

(घ) क्या "सेल" के वरिष्ठ कर्मचारियों की बार-बार की अनुपस्थिति से संगठन के सुचारु कार्य निष्पादन में बाधा आ रही है;

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख). यह सच नहीं है कि "सेल" अपने वरिष्ठ अधिकारियों की विदेश यात्रा पर अधिक खर्च कर रहा है। वर्ष 1993–94 के दौरान जहां कुल बिक्री 11670 करोड़ रुपये तथा शुद्ध लाभ 545.33 करोड़ रूपये था वहीं विदेश यात्राओं पर व्यय 9.82 करोड़ रूपये हैं।

(ग) विभिन्न कारणों ने विदेशयात्राओं की अनिवार्य बना दिया। "सेल" ने अपने इस्पात संयंत्रों का समग्र आधुनिकीकरण करने का बीड़ा उठाया है जिसके लिए तकनीक व उपकरण विभिन्न विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से मंगाये जा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को विदेशी संभरकों से विचार-विमर्श हेतु विदेशों में प्रतिनियुक्त किया जाना आवश्यक है। नये उपकरणों का रख-रखाव तथा प्रचालन सीखने के लिए तथा श्रेष्ठ प्रचालनात्मक प्रक्रियाओं को अपनाने के उद्देश्य से कर्मचारियों को भी विभिन्न विदेशी प्रदायकों के कारखानों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। "सेल" के उत्पादों के लिए निर्यात बाजार को स्थिर व विकसित करने के लिए वाणिज्यिक यात्राओं की भी आवश्यकता है।

समस्त विदेशी यात्राएं "सेल" के चेयरमैन के पूर्वानुमोदन के साथ की जाती है। चेयरमैन की यात्रा हेतु सरकार का अनुमोदन आवश्यक होता है। अनुमोदन से पूर्व सभी प्रस्तावों की, अनिवार्यता के दृष्टिकोण से सावधानीपूर्वक संवीक्षा की जाती है।

(घ) यह सही नहीं है कि वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति से "सेल" का कार्य निष्पादन/कार्य प्रभावित हो रहा है। कार्य के सुचारू रूप से चलते रहने को सुनिश्चित करने के लिए विदेश यात्राओं को पूर्व नियोजन व वैकल्पिक व्यवस्था के साथ निर्धारित किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत परियोजनायें स्थापित करना

7718. **श्री एस. एम. लालजान वाशाः क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 29 अप्रैल, 1995 को उड़ीसा में विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को सहायत, प्रदान करने का कोई आश्वासन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात टारेंट एनर्जी कॉरपोरेशन

7719. **श्रीमती भावना चिखलिया:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार द्वारा संयुक्त क्षेत्र की गान्धार पावर प्रोजेक्ट कंपनी (गुजरात टारेंट एनर्जी कॉरपोरेशन) के लिए स्टार्ट-अप डाउन भुगतान रोक लिया गया है क्योंकि उनके विरूद्ध कतिपय अनियमितताओं की जॉच चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनियमितताओं का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या कथित अनियमितताओं की जांच पहले ही शुरू की जा चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मंत्रालय में भ्रष्टाचार

7720. **श्री हरि केवल प्रसाद:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संगठनों में भ्रष्टाचार की रिपोर्टें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है और कितने अधिकारी सेवा से निलम्बित किए गए हैं;

(ग) क्या भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार के मामलों में संलिप्त अधिकारियों का मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण ही किया जाता है; और

(घ) भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया): (क) विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में समय-समय पर रिपोर्टें प्राप्त होती रही हैं।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान 31 मामलों में या तो विभागीय स्तर पर या सुरक्षा अभिकरणों द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है। ये मामले जंाच, अनुशासनात्मक कार्रवाइयां शुरू करने के विभिन्न चरणों अथवा दण्ड देने से सम्बद्ध निर्णय लेने के अन्तिम दौर में है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के 14 कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है। दो कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं।

(ग) और (घ). यदि यह पाया जाता है कि किसी कार्यालय विशेष में किसी कर्मचारी की तैनाती से जांच प्रक्रिया प्रभावित होती है या उसकी वहां तैनाती सार्वजनिक हित में नहीं है तो ऐसे मामलों में स्थानान्तरण किए जाते हैं। जिन मामलों में भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप हैं और जिन मामलों में प्रथम दृष्टवा इस बात के साक्ष्य हैं कि किसी कर्मचारी का इनमें हाथ है, उन सभी मामलों की विधिवत जांच की जाती है और निर्धारित क्रियाविधियों के अनुसार विभाग द्वारा अथवा सुरक्षा अभिकरणों द्वारा सक्रिय रूप से और गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही की जाती है। जिन मामलों में यह साबित हो जाता है कि पासपोर्ट जारी करने में अनियमितता बरतने के लिए कोई कर्मचारी दोषी है अथवा उसके बारे में यह पाया जाता है कि उसने गैर कानूनी पारितोषण प्राप्त किया है, तो दोषी कर्मचारी को नियमों में यथानिर्धारित दण्ड दिया जाता है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक से विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता

7721. **डा. कृपासिंधु भोई:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक देश में कुछ विद्युत परियोजनाओं के गैर सरकारीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में किन विद्युत परियोजनाओं का गैर-सरकारीकरण किये जाने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) से (घ). अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक का एक घटक, ने कुछ निजी विद्युत परियोजनाओं जैसे आंध्र प्रदेश की जेगरूपाड जी.बी.पी.पी. (2535 मेगावाट), पश्चिम बंगाल की बालागढ़ ताप विद्युत केन्द्र (2X250 मेगावाट) नेवेली (250 मेगावाट) में जीरो यूनिट ताप विद्युत केन्द्र एवं तमिलनाडु की पिल्लईपेरमल्लूर (300 मेगावाट) में निवेश करने/उधार देने में रूचि लेने की परिकल्पना की है। निवेश/उधार देने का सही ब्यौरा इन परियोजनाओं द्वारा वित्तीय समापन प्राप्त कर लेने के पश्चात ही ज्ञात होगा। अभी तक इन परियोजनाओं में से किसी भी परियोजना ने वित्तीय समापन प्राप्त नहीं किया है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम

7722. **डा. कृपासिन्धु भोई:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और ये प्रत्येक राज्य में कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इन विद्युत संयंत्रों को किस-किस वर्ष में स्थापित किया गया था और प्रत्येक राज्य में इस उद्देश्य हेतु कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया था;

(ग) इन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना से राज्य-वार कितने व्यक्ति प्रभावित हुए;

(घ) विस्थापित लोगों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी राज्य=वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) और (ख). राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन. टी. पी .सी.) की विद्युत परियोजनाओं, उनके स्थल तथा उनके लिए अधिगृहित भूमि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण–I सलंग्न है।

(ग) इन विद्युत परियोजनाओं को चालू करने के कारण प्रभावित हुए परिवारों की संख्या दर्शाने वाला राज्यवार विवरण-II संलम्तन है

(घ) और (ङ) विस्थापित/प्रभावित लोगों का पुनर्वास करने के लिए एन. टी. पी .सी. ने अनेक कदम उठाये हैं। विस्थापित लोगों को सभी ढांचागत सुविधाओं वाली पूर्ण रूप से विकसित पुनर्वास कालोनियों में मुफ्त प्लाटों का आबंटन किया जाता है। सभी परियोजनाओं में प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए एन. टी. पी. सी. रिट्रोफिट सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करती है, जिसके आधार पर उपचारात्मक कार्य योजना तैयार की जाती है, इस योजना के पुर्नवास कालोनियों में उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं में सुधार किया जाता है और इससे प्रभावित लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने में सक्षम बनाने तथा उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए उन के कौशल में वृद्धि करने के वास्ते उन्हें प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण भी सहायता मिलती है। नई/भावी परियोजनाओं में प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए परियोजना के सभी प्रभावित लोगों, जिनका जीवकोपार्जन उनकी भूमि काअधिग्रहण किए जाने के कारण प्रभावित है, को अभिज्ञात करने के वास्ते एक विस्तृत सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है। प्रभावित लोगों, उनके प्रतिनिधियों तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श पर एक व्यापक पुनर्वास कार्य योजना तैयार की जाती है। नीतिगत ढांचा की समग्र सीमाओं के भीतर विभिन्न पुनर्वास विकल्पों के बारे में भी प्रभावित लोगों की वरीयताओं पर विचार किया जाता है। इसमें एन टी पी सी से आवश्यक वित्तीय, तकनीकी तथा प्रशासनिक सहायता समेत भूमि के बदले में भूमि का विकल्प, विभिन्न स्वरोजगार/आय बढ़ाने वाली स्कीमें, दुकानों का आवंटन आदि शामिल हैं।

विवरण

एन. टी. पी. सी. की परियोजनाओं का ब्यौरा

पूरी की गई परियोजना	क्षमता (मे.वा.)	स्थल	चालू करने का वर्ष	कुल अधिष्ठापित भूमि (एकड़)
1.	2.	3.	4.	5.
सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन	2000	जिला सोनभद्र उ.प्र.	1987–88	4753
कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन	2100	जिला बिलासपुर म.प्र.	1988–89	5142.4
रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टे.	2100	जि. करीमगनगर आं.प्र.	1989–90	10327
फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टे. चरण–1 एवं 2	1600	जि. मुर्शिदाबाद प. बंगाल	1993–94	4330
विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टे. चरण–1	1260	जि. सीधी म.प्र.	1990–91	6264
रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टे. चरण–1	1000	जि. सोनभद्र उ. प्र.	1989–90	4680
नैशनल कैपिटल पावर परियोजना	840	दादरी, जि. गाजियाबाद उ.प्र.	1993–94	2464.6
अंता गैस पावर प्रोजैक्ट	413	जि. बरन राजस्थान	1989–90	390
औरैया गैस पावर प्रोजैक्ट	652	जि. इटावा उ.प्र.	1990–91	511.24

पूरी की गई परियोजना	क्षमता (मे.वा.)	स्थल	चालू करने का वर्ष	कुल अधिष्ठापित भूमि (एकड़)
1.	2.	3.	4.	5.
दादरी गैस संयुक्त साइकिल पावर परियोजना	817	दादरी, जि. गाजियाबाद उ.प्र	1993–94	*
झनोर–गंधार गैस पावर परियोजना	657	जि. भरूच गुजरात	1994–95	474
कवास गैस विद्युत परियोजना	656	जि. सूरत, गुजरात	1992–93	568
फिरोज गांधी ऊंचाहार टी. पी. एस.	420	जि. रायबरेली उ.प्र.	एन. टी. पी. सी. द्वारा 91–92 में अधिग्रहित	1953

* एन. सी. टी. पी. पी. दादरी (कोयला आधारित) के साथ अधिग्रहीत की गई।

विवरण–II

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के कारण प्रभावित परिवारों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	परियोजना	प्रभावित परिवारों की कुल संख्या	विस्थापित परिवारों की संख्या
उत्तर प्रदेश	औरैया	287	4
	एन सी पी पी, दादरी	2291	–
	रिहन्द	1807	678
	सिंगरौली	1752	721
	ऊंचाहार	1207	–
		7344	1403
मध्य प्रदेश	कोरबा	1057	560
	विंध्याचल	2515	1684
		3572	2244

राज्य	परियोजना	प्रभावित परिवारों की कुल संख्या	विस्थापित परिवारों की संख्या
आंध्र प्रदेश	रामगुंडम	3685	782
प. बंगाल	फरक्का	6910	–
बिहार	कहलगांव	3587	170
उड़ीसा	तलचेर	1025	114
राजस्थान	अन्ता	152	–
गुजरात	कवास	51	–
	झनोर-गंधार	58	–
		209	–

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

7723. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंहः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्रामीण विकास में ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 27 जनवरी, 1995 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमेरिका भी नेशनल रूरल इलैक्ट्रिक कोऑपरेटिव एसोशिएन ने भी इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) जी, हां। एन. सी. यू. आई. (अखिल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ) और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा संयुक्त रूप से 27-28 जनवरी, 1995 को "ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारिता-राष्ट्रीय सहयोग के जरिए सुदृढ़ीकरण" पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। (ख) कार्यशाला की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:–

(1) देश में ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में वैद्युत सहकारिताओं की सीमाओं का विस्तार करना।

(2) ग्रामीण वैद्युत सहकारिताओं का सम्पूर्ण पुनः अभिविन्यास, ताकि नई आर्थिक नीति और निजीकरण प्रोत्साहनों को देखते हुए उन्हें चुनौतियों का सामना करने हेतु समर्थ बनाया जा सके।

(3) एक राष्ट्रीय स्तर के परिसंघ का गठन करना जो, तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता सेवाएं प्रदान करने और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में वैद्युत सहकारिताओं का संवर्धन करने के अलावा ग्रामीण वैद्युत सहकारिताओं की तरफ से प्रवक्ता के रूप में कार्य कर सके।

(ग) अमरीका की नैशनल रूरल इलैक्ट्रिक को आपरेटिव एसोसिएशन ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया था।

(घ) एन.आर.ई.सी.ए. द्वारा कार्यशाला की सिफारिशों, विशेष तौर पर भारत में एक राष्ट्रीय स्तर के परिसंघ की स्थापना से संबंधित सिफारिशों का समर्थन किया गया।

हरियाणा में विद्युत परियोजनायें

7724. **श्री नारायण सिंह चौधरीः** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हरियाणा सरकार ने राज्य में ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) परियोजनाओं का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

(ङ) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) और (ख). राज्य में ताप विद्युत परियोजना की अधिष्ठापना हेतु हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी प्रस्ताव पर इस समय विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) और (घ). योजना आयोग द्वारा राज्य क्षेत्र में क्रियान्वयन किए जाने हेतु जुलाई, 1989 में पानीपत ताप विद्युत परियोजना, चरण–4 यूनिट–6 (210 मेगावाट) को अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस परियोजना के संबंध में निर्माण कार्य को 1996–97 में पूरा करने की योजना बनाई गई थी, परंतु राज्य के पास निधियों की कमी होने के कारण स्थल पर कार्य की प्रगति धीमी है।

(ङ) और (च). हरियाणा राज्य में ताप विद्युत परियोजना के अधिष्ठापन हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का दौरा

7725. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्तिः**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसीः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने मई, 1995 के प्रथम सप्ताह में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके इस दौरे का क्या प्रयोजन था;

(ग) क्या उन्होंने जम्मू और कश्मीर का भी दौरा किया और वहां पर इसने राज्य सरकार, हुरियत कांफ्रेंस के नेताओं तथा अन्य राजनीतिक नेताओं से विचार विमर्श किया था तथा जम्मू में प्रवासी कैम्प का दौरा भी किया था;

(घ) यदि हां, तो उनके सामने प्रस्तुत दृष्टिकोणों का सार सहित ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री, अन्य विशिष्ट व्यक्तियों और नेताओं आदि से भेंट की थी;

(च) यदि हां, तो इन भेटों में जिन मामलों पर चर्चा हुई, उनका सार क्या है;

(छ) क्या उच्चायुक्त ने देश के अन्य स्थानों का भी दौरा किया था;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इस दौरे के क्या निष्कर्ष रहे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया): (क) से (घ). भारत सरकार के निमंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त श्री जोस अयला लासो 30 अप्रैल से 6 मई, 1995 तक भारत की यात्रा पर आए थे। इस यात्रा का प्रयोजन उच्चायुक्त को प्राप्त प्रादेश के अनुसार भारत सरकार के साथ बातचीत करना था।

उच्चायुक्त ने जम्मू और कश्मीर की यात्रा की तथा उन्होंने इस राज्य के राज्यपाल, हुर्रियत सम्मेलन के नेताओं, परंपरागत राजनीतिक दलों के नेताओं और वरिष्ठ असैनिक तथा सैनिक अधिकारियों से बातचीत की। वे जम्मू में दो प्रवासी कैम्पों में भी गए। अधिकारियों तथा परम्परागत राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें इस बात से अवगत कराया कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन दे रहा है जिससे निर्दोष नागरिकों के मानवाधिकारों का घोर हनन हुआ है। हुर्रियत नेताओं ने सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकारों के तथाकथित उल्लंघन का मसला उठाया।

(ङ) और (च). उच्चायुक्त ने प्रधानमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भेंट की। दिल्ली में बातचीत के दौरान उच्चायुक्त को मानवाधिकारों की संरक्षा और संवर्धन से भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त रक्षोपायों से अवगत कराया गया। उन्हें इस बात से अवगत कराया गया कि पाकिस्तान कश्मीर घाटी में आतंकवाद का समर्थन कर रहा है और उसके परिणामस्वरूप असैनिक जनसंख्या के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। एक साफ और स्पष्ट तरीके से मानवाधिकारों की संरक्षा करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला गया।

(छ) और (ज). संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने चंडीगढ़ की भी यात्रा की। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने पंजाब के मुख्य मंत्री, राज्य सरकार के अधिकारियों, मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं, गैर सरकारी संगठनों, समाचार तंत्र और लोगों से बातचीत की।

(झ) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त की इस यात्रा से उन्हें भारत में मानवाधिकारों

की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। उच्चायुक्त ने मानवाधिकारों के संवर्धन तथा संरक्षण के लिए भारत की पारदर्शी और खुली नीति की सराहना की।

अमरीकी कामर्स सेक्रेटरी की प्रेस कांफ्रेंस

7726. **श्री प्रकाश वी. पाटील:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी कामर्स सेक्रेटरी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सामने अपनी प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अनुमति प्रदान की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया): (क) से (घ). अमरीका के वाणिज्य मंत्री रॉन ब्रॉउन अपनी भारत यात्रा के दौरान 17 जनवरी, 1995 को साउथ ब्लाक में बैठक के बाद राष्ट्रपति भवन के सामने कुछ संवाददाताओं से मिले, संवाददाताओं से यह भेंट उनके कार्यक्रम में नहीं थी। इस प्रकार अनुमति देने का प्रश्न नहीं उठा।

(ङ) भारत सरकार संवाददाताओं के साथ कहीं भी इस प्रकार की तात्कालिक बातचीत पर तब तक आपत्ति नहीं कर सकती जब तक कि किसी विनियम का उल्लंघन नहीं हुआ हो और भारत यात्रा पर आए गणमान्य व्यक्ति ने इसके लिए इच्छा व्यक्ति की हो।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा की गयी यात्राएं

7727. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के उच्चाधिकारियों द्वारा तीन वर्षों के दौरान देश के अन्दर अपने विमानों में की गयी यात्राओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसका प्रयोजन क्या है, उपरोक्त यात्राओं पर गये अधिकारियों और उनके साथ गये गैर-सरकारी व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रत्येक यात्रा पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) फिजूलखर्ची को रोकने के अथवा कम करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अदृश्य सोना

7728. **डा. कृपा सिन्धु भोई:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में अदृश्य सोना पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में अदृश्य सोने का लगभग कितना भंडार है;

(ग) क्या इस स्वर्ण भंडार का दोहन अर्थक्षम होगा;

(घ) यदि हां, तो अदृश्य सोने के इस भंडार को निकालने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) "अदृश्य स्वर्ण" के लिए कर्नाटक या देश के किसी भाग में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। निक्षेप स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) अरसानोपाइराइट के साथ स्वर्ण का साहचर्य भली-भांति ज्ञात है तथा इस साहचर्य को "फ्री गोल्ड" की स्थिति पता करने के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में प्रयोग किया गया था। कोलार गोल्ड फील्ड में खनन गतिविधि फिलहाल "फ्री गोल्ड" तक ही सीमित है। भारत गोल्ड माइन्स लि. गदाग गोल्ड फील्ड में "अदृश्य स्वर्ण" के बारे में किये गये कार्य का ब्यौरा जानने के लिए भूविज्ञान विभाग, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ के वैज्ञानिकों से संपर्क बनाए हुए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकण के इंजीनियरों द्वारा घोटाला

7729. **श्री मोहन रावले:**
श्री गुरुदास कामत:
कुमारी सुशीला तिरिया:
श्री प्रमथेस मुखर्जी:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ी आवासीय कालोनी रोहिणी में समुचित नागरिक सेवाओं के अभाव की जांच करने के लिए गठित की गई एक समिति ने एक बड़े घोटाले का पता लगाया है जिसमें 1980-94 के बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ इंजीनियरों द्वारा 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का घपला किया गया था, जैसाकि

4 मई, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस घोटाले में कौन-कौन इंजीनियर शामिल थे;

(घ) उक्त घोटाले के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है; और

(ङ) भविष्य में इस तरह के घोटालों की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए सरकार क्या निरोधक कदम उठाएगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) और (ख). जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि रोहिणी फैज-I और II में सड़कों की खस्ता हालत के कुछ पहलुओं की जांच करने के लिए डी. डी. ए. के उपाध्यक्ष ने 2/3 अगस्त, 1993 को डी.डी.ए. के तत्कालीन प्रधान आयुक्त डा. एच. एस. आनन्द की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में, रोहिणी, फैज-I और II में निर्माण कार्यों बाबत समग्र प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति में व्यापक धांधलियों का उल्लेख किया है जिनके लिए सभी मामलों में संशोधित अनुमोदन नहीं लिया गया था। अन्य मुद्दों के अतिरिक्त समिति ने निर्माण कार्यों में भारी रद्दोबदल का भी उल्लेख किया है। रोहिणी से सम्बन्धित सतर्कता मामलों की जांच-पड़ताल करने के लिए आयुक्त की देख-रेख में विभाग में दो सतर्कता यूनिट बनाये गये हैं।

(ग) और (घ). डी.डी.ए. ने बताया है कि मामले में लिप्त डी.डी.ए. इंजीनियरों के नामों का पता इस प्रयोजनार्थ स्थापित यूनिटों द्वारा जांच पड़ताल पूरी करने के बाद ही चल सकेगा। दोषी पाये गये डी.डी.ए. अधिकारियों के विरूद्ध दिल्ली विकास प्राधिकरण (वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्त) विनियमन 1961 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

(ङ) इसी प्रकार चूक न हों, इसके लिए डी.डी.ए. के सभी मुख्य इंजीनियरों को 28.9.1994 को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये है।

हुर्रीयत कांफ्रेंस के प्रतिनिधिमंडल की पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ भेंट

7730. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी:**
श्री चन्द्रेश पटेल:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सर्वदलीय हुर्रीयत कांफ्रेंस के एक चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी अध्यक्ष के नेतृत्व में पाकिस्तान के राष्ट्रपति से उनके हाल के भारत के दौरे के दौरान भेंट की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनकी भेंट के दौरान किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ;

(ग) क्या सरकार ने हुर्रीयत कांफ्रेंस के नेताओं को पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भेंट करने की अनुमति दी थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस बात को पाकिस्तान के साथ उठाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया): (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार आल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस के कुछ नेता नई दिल्ली में 4 मई, 1995 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिले थे। बताया जाता है कि हुर्रियत नेताओं ने पाकिस्तान उच्चायोग के परिसर में आयोजित 90 मिनट की बैठक के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर की स्थिति के बारे में अपने विचारों से अवगत कराया।

(ग) और (घ). हुर्रियत नेताओं ने पाकिस्तान का निमंत्रण व्यक्तिगत हैसियत से स्वीकार कर लिया।

(ङ) से (छ). पाकिस्तान ने आठवें सार्क शिखर सम्मेलन (2–4 मई, 1995) में भाग लेने के लिए भारत आए अपने राष्ट्रपति की भारत यात्रा का इस प्रकार की दुष्प्रचार गतिविधियों के लिए दुरुपयोग किया।

हमारा मानना है कि इस प्रकार की किसी कार्यवाही से जम्मू-कश्मीर की स्थिति से संबंधित उन वास्तविक तथ्यों में किसी भी तरह कोई परिवर्तन नहीं होता जिनका संबंध इस बात से है कि पाकिस्तान आतंकवाद और विध्वंस को सहायता दे रहा है तथा दुष्प्रेरित कर रहा है और ऐसी गतिविधियों में पाकिस्तान का हाथ है जिनसे राज्यों के बीच परस्पर व्यवहार के बुनियादी मानदण्डों का उल्लघंन होता है।

12.04 3/4 म.प.

[हिन्दी]

*प्रो. रीता वर्मा (धनबाद): अध्यक्ष महोदय, आज आपकी अनुमति से मैं सदन विशेषाधिकार हनन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला प्रस्तुत करना चाहती हूं। यह न सिर्फ सदन की अवमानना का मामला है, बल्कि देश के जो कानून हैं, उनकी भी अवमानना की गई है। और एक सांसद को अपना कर्तव्य पालन करने में जानबूझकर अवरोध खड़े किये गये हैं। पिछले साल आपने बड़ी दूरदर्शिता और सदाशयता के साथ सांसदों को अपने क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए लोकल एरिया डवलपमेंट स्कीम के तहत एक-एक

करोड़ रुपया मंजूर कराकर इस योजना की शुरूआत कराई थी। लेकिन यह पैसा विकास कार्य में खर्च नहीं हो~~, इसके लिए जानबूझ~~कर अवरोध खड़े किये जा रहे हैं। यही नहीं, उस रकम को मिसएप्रोप्रिएट किया गया, उसको गलत ढंग से खर्च किया गया। इस तरह यह मामला विशेषाधिकार का और साथ ही कंटेम्प्ट का भी बनता है। मैं सदन को आपके जरिये बताना चाहती हूं:

अध्यक्ष महोदयः उसकी जरूरत नहीं है। अगर ब्रीच आफ प्रिवीलेज कमेटी को भेजना है तो आप यह सिर्फ कह दें। मैंने इस बारे में निर्णय कर लिया है। सारी बातों को विस्तार से कहने की जरूरत नहीं हैं। आप तो केवल ब्रीफली कह दें।

[अनुवाद]

अन्यथा बहुत भ्रम हो जायेगा। यह जरूरी नहीं कि आप जो चाहें उसे प्राप्त कर लें, लेकिन यदि आप उन सब बातों का उल्लेख करें, अनेक ऐसी बातें हैं जिनकी आपको जानकारी है, जिन्हें दूसरी ओर वालों को बताना है।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्माः मैं इसलिए कहना चाहती हूं कि मेरा विचार है.........

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आपने यह मांग की है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये । मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्माः जी हां, ठीक है। मैं इतना कहना चाहती हूं कि ब्रीच आफ प्रिवीलेज का यह मामला धनबाद के डीडीसी के विरूद्ध लाया गया है। और भी बहुत सारे सांसद हैं, उनके साथ भी ऐसे अनुभव से गुजरे हैं.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइये। मैंने इसको बड़े गौर से देखा है। जो भी शिकायत या आरोप लगाये गये थे अधिकारी के खिलाफ, उसके बारे में उनको अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया, उसके बाद भी उन्होंने जवाब देने की कोशिश नहीं की। जितना समय दिया गया था, उससे भी ज्यादा हो गया, लेकिन जवाब नहीं दिया। इसलिए मैं इसे प्रिवीलेजज़ कमेटी को रेफर कर रहा हूं। कमेटी देखेगी कि इस पर क्या अमल करना चाहिए। क्योंकि ऐसा ही होता रहा तो यह योजना अच्छी तरह से अमल में नहीं लाई जा सकेगी।

[अनुवाद]

श्री एम. जी. रेड्डी (चित्तूर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 222 के अन्तर्गत विशेषाधिकार की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदयः मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आप यह मामला यहां नहीं उठा सकते। आापने कल भी इसे उठाया, मैंने तब समय दिया था, उसके बाद आज फिर उठा रहे हैं।

श्री एम.जी. रेड्डीः मैं इस मामले में आपका विनिर्णय चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः मेरी रूलिंग यह है कि यह ब्रीच आफ प्रिवीलेज नहीं होता है।

श्री एम. जी. रेड्डीः वह कैसे? आज भी तीन सदस्यों ने नोटिस दिये हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः तीन चार सदस्यों ने कह दिया तो क्या ब्रीच आफ प्रिवीलेज हो जाता है, ऐसा नहीं होता है।

[अनुवाद]

कृपया पहले अपना स्थान ग्रहण करें। ये सांविधिक मामले हैं। हमें इनके बारे में बहुत सावधान रहना चाहिये। हो सकता है जो कुछ किया जा रहा है आप उससे सहमत न हों। हमें उसके बारे में शिकायतें हों। हम उन्हें ठीक और दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही, यदि आप सांविधिक प्राधिकरण के विरूद्ध विशेषाधिकार के हनन बारे में नोटिस देते हैं, तो इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी। संविधान के अन्तर्गत, यदि उसकी कार्यवाही के बारे में चर्चा करना चाहते है तो आपको इसके लिये संसद के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर करवाने पड़ेंगे और उसके बाद भी मुझे इसे समिति को सौंपना होगा और वह इस बारे में जांच करेगी। आपको, मुझे और सभा को इस प्रकार के मामले में इस प्रकार कार्यवाही करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। कृपया यह बात समझ लें। मैंने आपको उस समय इसलिये अनुमति दी क्योंकि आप तब बहुत उत्तेजित थे। यदि आप ऐसा प्रतिदिन करेंगे तो कैसे काम चलेगा। यह सम्भव नहीं है। कृपया समझ लें।

श्री एम. जी. रेड्डी : इस मामले में मुझे कहां से सहायता मिल सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में आप मेरे कक्ष में कोई बीच का रास्ता बतायें । मैं अच्छी प्रकार समझ सकूंगा । मेरी समझ सीमित है ।

[हिन्दी]

चुनाव सुधार

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्षजी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । अभी पूरे देश में उप–चुनाव हुए । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले पांच–सात दिनों से मैं सदन से गैर–हाजिर रहा । इस देश में एक बरस से चुनाव ही चल रहे हैं ।

इन उप-चुनावों के सिलसिले में मैंने उत्तर प्रदेश का दौरा किया। और अंतिम दिन सहसवान का उप-चुनाव मैंने अपनी आंखों से देखा। अध्यक्ष जी, मैं यहां खड़ा होकर यह महसूस करता हूं कि सरकार और इस सदन के हाथ में बहुत कुछ है। इस गड़बड़ और इस अव्यवस्था को सुधारने का कोई रास्ता निकल सकता है। मैं बदाऊं से कई बार चुनाव लड़ चुका हूं लेकिन बहुत सालों के बाद पोलिंग डे पर मैं सहसवान विधानसभा के उप-चुनाव में रहा हूं। मैंने कुछ दिन तक अखबारों में देखा कि इस देश में इस बात पर चर्चा हो रही है कि सारे देश में चुनाव सुधार हो रहा है। इस बारे में बहुत बार चर्चा हुई है क्योंकि यह देश का एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें कोई न कोई रास्ता निकाला जाये।

अध्यक्ष जी, सरकारी पार्टी की 80-85 गाड़ियां चल रही थी, मैंने देखा कि जिस विरोधी पार्टी की जितनी क्षमता थी, उसकी उतनी गाड़ियां दौड़ रही थी और मेरी पार्टी की जितनी गाड़ियां चलनी चाहिये थी, उससे ज्यादा ही चल रही थी। मैंने देखा कि पोस्टर्स और तमाम प्रचार में जबरदस्त काम हो रहा था जैसा कि भूटान आन्दोलन के समय हुआ कि पूरी जमीन बंट गयी। इस देश में चुनाव सुधार की नकली चर्चा चली हुई है। वहां के मुख्यमंत्री के छोटे भाई 12-13 गाड़ियों में 60 आदमियों को भरकर स्टेन गन और बन्दूक लेकर लीड कर रहे थे और हर जगह जाकर लोगों को उठा रहे थे। जब एस. पी. और कलेक्टर मुझसे मिले तो मैंने उनसे कहा। वे उस समय तरबूज खा रहे थे....।

कई माननीय सदस्य : बिहार का मामला भी उठाइये।

श्री शरद यादव : मैं आपसे मनाही नहीं कर रहा हूं। आप आन्ध्रा को उठा रहे हैं, वह उठाईये। मैंने खुद कहा कि मेरी पार्टी की ज्यादा गाड़ियां चल रहीं थीं मगर आप सुन नहीं पाये।.... (व्यवधान

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : शरद यादव जी, मैं नहीं समझता कि क्या मैं सदस्यों को अपना अपराध न स्वीकार करने के लिये सचेत करूं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं उस बात को छोड़े देता हूं। लेकिन अंतिम दिन जब मुझे पता चला कि वहां के डी. एस., एस. पी. थाने में बैठे हुये हैं तो मैं वहां गया और देखा कि वे तरबूज खा रहे हैं और मैंने कहा कि इस तरह की लूटपाट हो रही है, पत्रकार लोग आये हैं तो उन्होंने कहा कि कोई गड़बड़ नहीं है, सब जगह अच्छा है तो मेरे सामने काजू रख दिये। जब मैंने फिर कहा कि सब गड़बड़ हो रही है और मुझे पता है तो बोले नहीं, सब ठीक ठाक है और जब दो गाड़ी भरकर उस समय पत्रकार आये और अपने साथ फोटोग्राफ्स तथा टेप रिकार्ड लाये कि यह सब हो रहा है तो वे बोले कि हमें पहले से ही पहुंचा दिया है। तो मैंने कहा कि आप गलत कह रहे हैं और जब मैंने आपसे पहले कहा कि जब आपको पता था कि सब गड़बड़ हो रहा है तो उसके बाद भी आप मुझसे गड़बड़ कह रहे हैं। अध्यक्ष जी, उसके बाद जहां-जहां मुझे शिकायत मिली, मैं वहां-वहां गया। मलिक बिचोला और भक्त नगला गया, वहां लोग लूटपाट करके भाग गये थे। मैंने सैक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, एस. पी. और डी. एस. पी. से उनको पकड़ने के लिये कहा लेकिन वे इतने मजबूर दिख रहे थे कि क्या कहा जाये ? सब तरफ गाड़ियां दौड़ रही थीं, सब तरफ लूटपाट हो रही थी। तो इस प्रकार जो चुनाव सुधार की बात चली हुई है, उसके तहत यह सब हो रहा है। कोई व्यवस्था नहीं थी। चुनाव पर्यवेक्षक भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। अब सरकारी पार्टी के चलते दूसरी किसी भी पार्टी के जीतने की संभावना खत्म हो गयी है। मैंने देखा है कि प्रशासन एक जगह पर एक बात को पकड़ने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। लोगों ने विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं से लिखवाकर प्रीजाईडिंग आफिसर को लिखकर दे दिया है कि वहां पर बूथ कैपचरिंग हुई है। अब उन्होंने कह दिया है कि वहां कुछ नहीं हुआ है।

जो चुनाव सुधार का मामला है, उस बारे में मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव सुधार के लिए इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है कि यह एक व्यक्ति के हित का सवाल नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि चुनाव में जब लूटपाट होगी और मतदान नहीं होगा तो आपका और हमारा सबका अन्त निश्चित है। यह भारत राष्ट्र बहुत सालों के बाद आजाद हुआ है और इसमें गरीब आदमी के हाथ में अगर कोई ताकत है तो वह मतदान की ताकत है। इसलिए हम सब लोग इस बारे में चिन्ता करते हैं। बिना चिन्ता हुए भी हमें चिन्ता करनी पड़ती है। यदि गरीब के मतदान को इस तरह से लूटा जाएगा तो मैं मानता हूं कि देश के गरीब आदमी के लिए जितनी दिक्कत और तकलीफ इस मामले में है, उतनी शायद किसी मामले में नहीं है। यह गंभीर मामला है और पूरे उपचुनाव में लूट हुई है-सरवरखेड़ा से लेकर उन्नाव और कटरा बाजार तक। यानी सरकारी पार्टी का रिजल्ट आज भी कायम है और इलैक्शन कमीशन के पास सारी चीजों को रखने के बाद भी कोई बात सुनने वाला नहीं है, कोई फोन उठाने वाला नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 10 लाख लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि के फोन को भी रिसीव न करें। कांस्टीट्यूशनल हैड ऐसा हो जाए कि जिसको कोई चीज़ न दिखे, आदमी आदमी न दिखे, लोक सभा का सदस्य सदस्य न दिखे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शरद जी, आप कहें तो मैं उनके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज दे दूं।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं आपको भी कुछ कह ही नहीं सकता। मैं अपनी वेदना बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अच्छे ढंग से बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपको रोक नहीं रहा हूं।

श्री शरद यादव : मेरा कहना है कि यह बात इतनी बेकार हो गई है कि सरकार इसमें कुछ करे, यह कहना भी मेरे लिए अफसोसनाक हो गया है। संपूर्ण राजनीतिक दलों और सरकार से मेरी विनती है कि यह चुनाव सुधार का मामला एक व्यक्ति का नहीं है। यह सबके मेल से हो सकता है। इस लूटपाट के चलते यह लोकतंत्र खतरे में है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री राजवीरसिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, शरद जी ने जो बातें कही हैं, मैं उसमें कुछ बातें जोड़ना चाहता हूं। इस सदन में बार-बार चुनाव-सुधारों की चर्चा होती रही है और चुनाव सुधारों की हालत यह हो गई है कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की।

यहां जितनी हमने चुनाव सुधार की बात की है, क्षेत्र में उससे ज्यादा ही हो रहा है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 26 तारीख को प्रातःकाल सहसवान में ऑब्जर्वर को मिला। शरद जी सुन लीजिए, जो आपको नहीं मालूम, मैं आपको बताना चाहता हूं । मैं ऑब्जर्वर से सवेरे 7 बजे उनके गैस्ट हाउस में मिला और मैंने ये सारी घटनाएं उनको लिख कर दीं 'कि कल 27 तारीख को ये सब होने वाला है । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस बारे में व्यवस्था करें ।' मेरे पास उनके हस्ताक्षर के रिसीव्ड लेटर भी हैं । मैंने उनको बताया 'कि योजना बन गई है । कलेक्टर और एस. पी. मजबूर हैं, वह मुख्य मंत्री के दबाव में हैं । मुख्य मंत्री का भाई (व्यवधान)...।*

वहां चुनाव का इंचार्ज है ।

मुख्य मंत्री ने वहां आकर अपने भाषण में कहा कि 11 बजे के बाद ऐसा तूफान आएगा कि आप लोग देखते रह जाएंगे । वह तूफान आया । मुख्य मंत्री का छोटा भाई (व्यवधान)...*

गाड़ियों के साथ, दर्जनों राइफलों के साथ आया ।

अध्यक्ष महोदयः नाम रिकार्ड पर नहीं जाएगा ।

श्री राजवीर सिंहः नाम रहने दीजिए, नाम से क्या होता है ? अध्यक्ष जी, विडम्बना यह है कि हम राजनीतिक दलों के लोगों को दो जीपों का परमिट मिलता है ।*

अध्यक्ष महोदयः देखिये, पहले भी मैंने कह दिया था कि ये बातें यहां पर इस प्रकार से नहीं रखी जाएं । इलैक्शन में कोई रिफॉर्म करने की बात आप कह रहे हैं तो हम सुनेंगे। अब एक एक घटना को लेकर चलेंगे, तो हमें उस पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है ।

श्री राजवीर सिंह : मुझे मौका दें तो मैं उसी पर आ रहा हूं । चुनाव आयोग के लिए सुधार करने की बात है ।

अध्यक्ष महोदय : चुनाव में सुधार करने की बात अगर कहने जा रहे हैं तो हम सब लोग सुनेंगे । वह चीज़ ध्यान में रखकर भी कह सकते हैं, मगर उसके ऊपर अगर कोई दवा सदन से चाहते हैं, तो कुछ देने का इंतजाम तो नहीं है ।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, जब तक हम अपना मर्ज़ नहीं बताएंगे, तब तक आप दवा कैसे रैकमंड करेंगे ? हमारा मर्ज तो सुन लीजिए, हमारा दर्द तो सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जैसा शरद जी ने कहा, थोड़ी सी बात कहकर इलैक्शन रिफोर्म की तरफ आयें ।

श्री राजवीर सिंह : मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा । अन्य दलों के लोगों को दो–दो परमिट मिले थे, एक इलैक्शन एजेन्ट को और एक कंडीडेट को । हम लोगों ने इलैक्शन कमीशन के नियम का हृदय से पालन किया । अब यह बात अलग है कि शरद जी ने किया या नहीं किया, यह तो वे बता रहे थे कि नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने किया और उसका परिणाम यह भुगता कि वहां पर बूथ कैप्चर होते रहे तथा हम कुछ नहीं कर पाए, हम जा भी नहीं पाए । हमने उसी वक्त इलैक्शन ऑब्जर्वर को कहा, हमने इलैक्शन कमीशन को फोन किया तो पता लगा कि....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : मुख्य निर्वाचन आयुक्त कश्मीर गए हुए थे । हमने उनसे नीचे के लोगों को फोन किया लेकिन वे भी नहीं थे । हालत यह थी कि चुनाव के बूथ लूटे जा रहे थे । वे लोग जाते थे, राइफल लेकर चलते थे, एक आदमी जाता था और कहता था कि मुख्यमंत्री के भाई साहब आए हैं, आपको बुलाया है । सारे अफसर वहीं आकर खड़े हो जाते और बैलेट पेपर लुटते थे, उस पर मोहर छपते थे और डाल देते थे । अध्यक्ष जी, यह तो हो सकता है कि जो बैलेट पेपर विदआउट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर के डले हुए हैं वे तो रद्द किए जा सकते हैं । हालत यह हो गई है कि अब चुनाव पर से लोगों का विश्वास खत्म हो गया है । चुनाव की कोई जरूरत नहीं रही । अब वैसे ही सरकारी पार्टियों को कह देना चाहिए कि वे नोमिनेट कर दें । वहां महिलाएं, पुरुष मतदाता धूप में खड़े रहे और उनको राइफलों की गोलियां दिखाकर भगा दिया गया । विरोधी दलों के जिन कार्यकर्त्ताओं या पोलिंग एजेन्टों ने रोकने का प्रयास किया उनको बटों से पीटा गया और एक अभिकर्ता को तो गाड़ी में डालकर अपहरण करके ले गए । बड़ी मुश्किल से बाद में छुड़ाया गया । यह स्थिति श्रवणखेड़ा की है, यही स्थिति कटरा बाजार की है, यही स्थिति उन्नाव की है, सहसवां में तो मैं मौजूद था इसलिए मैंने अपनी आँखों से देखा है ।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो क्या होगा ? उसमें हमारे ही लोगों के साथ नहीं हुआ, कांग्रेस का जो कैंडीडेट खड़ा था उसकी भी पिटाई हुई, उसके लोगों को मारकर भगा दिया गया, मगर दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के लोग तो यह सब बर्दाश्त करने के आदी हो गए हैं, क्योंकि मुलायम सिंह सरकार के पक्ष में ये लोग हैं, इनकी समर्थित सरकार है इसलिए ये तो कुछ नहीं कर पायेंगे । मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूं, पूरे सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस गंभीर मामले पर ध्यान देने का समय आ गया है। आगे लोक सभा के चुनाव आयेंगे और यही स्थिति रही तो एक भी एम. पी. विरोधी दलों का जीतकर नहीं आएगा । उनको वोट नहीं डालने दिए जाएंगे, बंदूक की नोक पर वोट डाले जाएंगे ।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स (मैसूर): अध्यक्ष महोदय, आपने व्यस्क मताधिकार को अनिवार्य कर दिया है । कृपया इसमें सुधार करें ।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बोलने का अवसर दूंगा ।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : यह चिंता का विषय है । अगर इस देश में गुण्डा तंत्र लोकतंत्र पर हावी होता चला गया तो लोकतंत्र की मृत्यु हो जाएगी । मैं कहना चाहता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए ।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो सवाल शरद जी ने उठाया, उससे जुड़ा हुआ चुनाव सुधार है, उस संबंध में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं । क्योंकि यह बात तो उन्होंने खुद ही कह दी है कि जहां आज रूलिंग पार्टी है वह जो चाहे मनमानी कर ले । अब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के समर्थन यहां नहीं के बराबर हैं इसलिए सारी बात शांति से सुनी जा रही है लेकिन जिस मुख्य मंत्री के समर्थक यहां हों उसकी बात कहना मुश्किल हो जाता है । अगर हम उस पर आगे चर्चा को ले जाएं तो अपनी बात को कह ही नहीं पायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, चुनाव के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है उस सम्बन्ध में मैं सबसे पहले बिहार की वेदना आपके सामने रखना चाहता हूं । वहां चुनाव हुए आज 50 दिन से अधिक हो गए लेकिन अभी भी 324 रीजल्ट चीफ इलेक्ट्रॉल ऑफिसर के पास नहीं आए । 45 दिन में इलेक्शन पिटीशन दायर करनी होती है । उसके लिए सर्टिफाइड कॉपी लेनी होती है लेकिन सर्टिफाइड कॉपी वे प्राप्त नहीं कर सके । उसके चलते इलेक्शन पिटीशन दायर नहीं कर सके ।

अध्यक्ष महोदय, फार्म 16 का अकाउंट पोलिंग बूथ पर मिलता है लेकिन कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर देता नहीं है । रूल के मुताबिक यह उनकी ड्यूटी है कि फार्म 16 उनको देना है । अगर कोई न ले तो लिखना होगा कि उन्होंने नहीं लिया । किसी को फार्म 16 नहीं मिला । फार्म 16 और फार्म 21 दोनों के बीच में 30–30, 40–40 हजार का फासला है और रीजल्ट घोषित हो गया । पोपुलर मेंडेट का प्रोजेक्शन भी हो गया । अब इसमें बहस में जाने की कोई जरूरत नहीं कि काउंटिंग किस प्रकार हुई ।

अध्यक्ष महोदय, चुनाव सुधार के नाम पर खर्च की सीमा है । चुनाव की तारीखें बढ़ती चली जाती हैं, लोगों को दो–दो रजिस्टर मैंटेन करने हैं, इलेक्शन एक्सपैंडिचर ऑब्जर्वर घूमते रहते हैं, तारीखें बढ़ जाती हैं, आखिर एक्सपैंडिचर कहां दर्ज करें ।

अब जहां तक काउन्टिंग की स्थिति का सवाल है, अगर यही काउन्टिंग प्रोसीजर रहेगा जो पिछले विधान सभा चुनावों में अपनाया गया तो किसी भी इलैक्शन लड़ने वाले कैंडीडेट को काउन्टिंग एजेंट मिलना मुश्किल हो जायेगा क्योंकि 72–72 और 80–80 घंटे तक काउन्टिग चलती है और कोई सब्सटीट्यूट अंदर जा नहीं सकता । जो भी वहां रिटर्निंग ऑफिसर बैठा हो, अगर किसी को पेशाब के लिये, नेचुरल काल के लिये बाहर जाना हो, एक बार यदि बाहर गया तो फिर उसकी अंदर एन्ट्री नहीं हो सकती । उसके खाने पीने के लिये कोई सामान नहीं भेजा जा सकता, यदि भेजेंगे तो रास्ते में उसे लूट लिया जायेगा, अंदर जा नहीं सकता । हर काउन्टिंग हॉल में एक जाली लगा दी जाती है । उसमें काफी दूर बीच में टेबल लगी होती है, कोई देख नहीं पाता कि किस निशान पर मुहर लगी हुई है । यदि उस पर किसी ने एतराज किया तो सी. आर. पी. और बी. एस. एफ. के जवान अंदर भरे हुये हैं, उन्हें कहा जाता है कि इसे मारो और उसकी लाठियों से पिटाई हो जाती है । आपको आश्चर्य होगा, मैं यहां अपनी पार्टी के बारे में क्या बताऊं, ये लोग बैठे हुये हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे व्यक्ति, मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो मिनिस्टर भी रहे, स्पीकर भी रहे बिहार विधान सभा में, अभी वे माइनौरिटी फाइनैन्शियल कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्हें भी काउन्टिंग हाल में नहीं घुसने दिया गया ।

इस तरह के एक नहीं, अनेकों उदाहरण हैं । यदि हाल से कोई कैंडीडेट निकल कर बाहर जाना चाहता है तो एक बार बाहर निकलने के बाद उसे अंदर नहीं घुसने दिया जाता और यदि उसने किसी प्रकार का प्रोटैस्ट किया तो उसकी जमकर पिटाई की गयी है । ऐसी स्थिति में रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं । फार्म 16 का एकाउंट आज तक नहीं है । काउन्टिंग हाल में जाली लगाने के बाद जानवरों से भी बदतर काउन्टिंग एजेन्ट की स्थिति हो जाती है । मैं स्वयं बिहार में चुनाव लड़ रहा था और जब मैं सर्टिफिकेट के वक्त काउन्टिंग हाल में गया तो मैं सारी हालत देखकर द्रवित हो गया और किसी को अगली बार काउन्टिंग एजेन्ट बनाकर वहां नहीं भेजना चाहूंगा । यदि 80–80 घंटे तक ऐसी अमानवीय स्थिति में लोग रहें, बिना कुछ खाये, बगैर नेचुरल काल को मीट किये हुये, तो उस स्थिति में और क्या हो सकता है ।

एक बार सब बूथों के बक्से मिला दिये जाते हैं और उन्हें दूर किसी कॉर्नर में मिलाया जाता है । कोई उसे देख नहीं सकता । बक्से जब खोले जा रहे हों तो कोई उनको देख नहीं सकता कि उन पर सील लगी हुई है या नहीं, पेपर सील हैं या नहीं । इसे कोई देखने वाला नहीं है । यदि कोई प्रोटैस्ट करता है तो लाठियों से मारकर उसे बाहर कर दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं पहले एकाध जगह कभी होती थीं तो पूरे देश में बावेला मच जाता था लेकिन आज तो हर कांस्टीटूएंसी की यही कहानी है । यदि आप रूलिंग पार्टी के समर्थक हैं तो आप कुछ बोल नहीं पायेंगे, अगर समर्थक नहीं हैं तो पूरी घटना का बयान कांस्टीटूएंसी में कर दीजिये कि क्या–क्या घटनाएं घटी, सारी डिटेल बयान कर दीजिये बाकी कुछ नहीं हो सकता ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विस्तृत इलैक्टोरल रिफॉर्म्स जब करना हो, हकूमत जब प्रस्ताव लाये तब करें, लेकिन काउन्टिंग के बारे में जो वर्तमान तरीका अपनाया गया है, ऐसी काउन्टिंग फार्स है, इस काउन्टिंग का कोई मतलब नहीं है । मैं चाहता हूं कि काउन्टिंग की जो पुरानी प्रक्रिया है, उसे फिर से अपनाया जाये, कम से कम 36 घंटे में रिजल्ट तो सामने आ जाये । आज जो स्थिति हैं, उसमें कोई रिजल्ट 72 या 80 घंटे से पहले निकल नहीं सकता । एक तरफ उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती जा रही है, बैलट पेपर लम्बे हैं, जिसमें घपलेबाजी की पूरी संभावना है । वैसे ऑब्जर्वर बैठे रहते हैं, लेकिन जब उनके सामने कोई शिकायत की जाती है तो आब्जर्वर कहते हैं :

[अनुवाद]

मैं यहां पर्यवेक्षण के लिये हूं । मैं सब बातों का पर्यवेक्षण कर रहा हूं और मैं चुनाव आयोग को इसकी सूचना दूंगा ।

[हिन्दी]

जब इलैक्शन कमीशन को शिकायत की जाती है तो फैक्स की सुविधा है, ऐसा बयान दिया जाता है लेकिन फैक्स करने के लिये यदि कोई बाहर निकले तो फिर वह दोबारा अंदर प्रवेश नहीं कर सकता यानी काउन्टिंग हाल से कोई बाहर निकल नहीं सकता ।

इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा और पूरा सदन इस मामले में पहल करे कि काउन्टिंग की पुरानी प्रक्रिया को फिर से बहाल किया जाये । टेबल के पास काउन्टिंग एजेन्ट बैठे देखते रहें कि 100 परसेंट की जगह 120 परसेंट पोलिंग हुई है, फिर भी काउन्टिंग हो रही है क्योंकि सब बॉक्सेज को पहले ही मिला दिया गया है । यदि किसी ने कहने की कोशिश की तो कहा जाता है कि आप कैसे जानते है किस बूथ पर क्या हुआ । लोग सब कुछ जानते हैं, देख रहे हैं कि बैलट पेपर्स को ड्रम में डाला जा रहा है, कौन सा बक्सा कब ड्रम में डाला गया, पहले किस को डाला गया, जो काउन्टिंग एक्सपर्ट्स हैं, वे सब कुछ जानते हैं कि अब किस किस बूथ के पेपर निकल रहें हैं । इन सब चीजों का अब कोई मतलब नहीं रह गया है और यह सारी प्रक्रिया फार्स बनकर रह गयी है ।

हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इलैक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में विस्तृत रूप से जब आपको कुछ करना हो तो करें लेकिन पार्लियामेंट के इलैक्शन आने वाले हैं, आप काउन्टिंग की पुरानी प्रक्रिया को फिर से तत्काल बहाल कर दीजिये, तभी लोगों को न्याय मिल सकेगा वर्ना इससे बेहतर यही होगा कि कोई कैन्डीडेट काउन्टिंग हाल में जाये ही नहीं, जो कुछ करना है, जो मर्जी में आये, वह करें । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यही स्थिति हर जगह है, यही वेदना है....(व्यवधान) मेरे कहने का मतलब है कि बूथ–वाइज काउन्टिंग की व्यवस्था फिर से शुरू करानी चाहिये ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, इस सत्र का अंतिम सप्ताह है और मुझे प्रसन्नता है कि शरद यादव जी ने यहां ऐसा सवाल उठाया है जो लोकतंत्र के लिये बुनियादी सवाल है । यह केवल सहसवां की एक कांस्टीटूएंसी तक ही सीमित नहीं है लेकिन कुल मिलाकर शरद जी और नीतीश जी ने यहां जिन दो प्रदेशों का उल्लेख किया है, इन दोनों प्रदेशों में व्यापक रूप से, बहुत बड़े स्तर पर चुनाव हुए हैं । इस देश के ये दोनों सबसे बड़े प्रदेश हैं ।

अध्यक्ष महोदय, चुनाव व्यवस्था वहां पर कसौटी पर थी । हमारी चुनाव व्यवस्था और हमारा लोकतंत्र कितना परिष्कृत है, कितना शुद्ध है, यह कसौटी पर कसा जा रहा था । इसमें कोई शक नहीं है कि जिस एकाध घटना का वर्णन हुआ है, उसका दर्शन व्यापक रूप से दोनों प्रदेशों में हुआ । उसका जो इलाज होगा, वह तो होगा । उसमें से एक कन्क्रीट बात आई है कि जैसे पहले मतगणना हुआ करती थी, पोलिंग स्टेशन वाइज और जिसमें बीच में परिवर्तन किया गया, तो सभी पर्टियों की ओर से आग्रह किया गया कि नहीं, मतगणना पोलिंग स्टेशन वाइज ही होनी चाहिए और उसे वापस किया गया, रिवर्ट किया गया । मिक्सिंग का जो प्रपोजल था वह पहले आया था और इलेक्शन कमीशन ने निर्णय ले लिया था तथा मिक्सिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन जब इलैक्शन कमीशन के सामने सारी पार्टियों के लोग गए और कहा कि नहीं, हमें पता लगना चाहिए कि कहां पर बूथ्स कैप्चर हुआ है और 100 प्रतिशत की बजाय 110 प्रतिशत वोटिंग हो गई ? यह पता तब तक नहीं लगेगा जब तक कि अलग–अलग पोलिंग बूथ की अलग–अलग काउंटिंग नहीं होगी । मिक्सिंग करेंगे, तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि किस बूथ पर कितनी काउंटिंग हुई ।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ प्रदेशों में बहुत व्यापक तौर पर एडीशनल बैलट पेपर्स डाले गए और मिक्सिंग होने के कारण कुछ पता नहीं लगा, लेकिन मुझे याद आता है कि इस दसवीं लोक सभा के आरंभिक दिन, जो पहला–पहला प्रश्न था वह वाजपेयी जी और मेरे नाम से था और वह चुनाव सुधार के बारे में था और उस समय जो कानून मंत्री जी विजय भास्कर रेड्डी और उनके सहायक थे श्री पी. आर. कुमारमंगलम, दोनों इस समय मंत्रिमंडल में नहीं हैं, लेकिन दोनों ने बड़े जोरदार ढंग से कहा कि यह सरकार कमिटिड है, इलैक्टोरल रिफार्म्स हम निश्चित रूप से करेंगे । जितनी भी दिनेश गोस्वामी कमेटी की सिफारिशें हैं, हम उनको सबको इम्पलीमेंट करेंगे । हम डीलिमिटेशन भी करेंगे । दुनियाभर के उन्होंने सारे वायदे किए और आज यह दसवीं लोक सभा का अन्त होने को आया है । अब कितने दिन चलेगी, यह मालूम नहीं । कोई कहता है कि मानसून सत्र भी नहीं होगा । फिर कंट्राडिक्शन आता है कि नहीं, मानसून सत्र भी होगा और विंटर सैशन भी होगा और उसके बाद चुनाव होंगे । कुछ भी हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह इस सत्र का अन्तिम वर्ष है ।

[अनुवाद]

मैं चाहूंगा यह सत्र समाप्त होने से पहले सरकार चुनाव सुधारों के बारे में विस्तृत और स्पष्ट वक्तव्य दे । सरकार का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है ? सरकार की पहचान पत्र के बारे में क्या राय है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार इस सदन में कह चुका हूं कि इलैक्शन कमीशन की चर्चा बहुत होती है । श्री टी. एन. शेषन की चर्चा बहुत होती है और उसमें कोई इस तरफ होता है और कोई उस तरफ और हम यह मानकर चलते हैं कि जैसे मानों टी. एन. शेषन सब कुछ ठीक कर सकेगा । कोई ठीक नहीं कर सकेगा।

[अनुवाद]

यह ऐसी संस्था है जिसके बारे में हमें चिन्तित होना चाहिये और यह मुख्यता सरकार और संसद का दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें कि वह लोकतांत्रिक संस्था सुचारू रूप से कार्य करे और उसके सुचारू रूप से कार्य करने के लिये चुनाव सम्बन्धी सुधार बहुत आवश्यक हैं ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, 1971 में श्री वाजपेयी जी के इनीशियेटिव पर एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी । मैं भी उसमें था । सोमनाथ जी भी उसमें थे । उसके बाद कितनी कमेटियां बनीं । कमेटियों ने अपनी लम्बी–लम्बी रिपोर्टें दीं, लेकिन हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके । हम एक कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं हैं । इसमें किसका दोष है ?

इस हाउस में डीलिमिटेशन बिल आया। सारा हाउस यूनेनीमस था। हमने कहा विदड्रा मत करो क्योंकि जो आप दूसरा बिल लाने वाले हैं, उस पर मतभेद हैं, लेकिन सरकार नहीं मानी। उसके बाद यह भी नहीं कि फिर डीलिमिटेशन शुरू कर दी हो।

[अनुवाद]

सरकार न तो परिसीमन और न ही पहचान पत्रों के बारे में कुछ भी करने की इच्छुक है और अब एक और नया मुद्दा खड़ा हुआ है और वह यह कि मतों की गणना किस प्रकार की जाये।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि इस मामले में आप इलैक्शन कमीशन को अलग रख दीजिए। उसको छोड़ दीजिए। हमने जितने सारे निर्णय किए हैं, उन निर्णयों को इम्पलीमेंट करने की ताकत इस हाउस में है। इसको कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन इनीशियेटिव सरकार की ओर से होना चाहिए। अगर सरकार सब रिपोर्टों पर बैठी रहेगी और उनको रद्दी की टोकरी में डाल देगी, तो इसमें कोई प्रगति नहीं होगी और अगर चुनाव सुधार के बारे में अर्जेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ और प्रामाणिकता के साथ नहीं जुड़ते, तो लगातार इसी प्रकार से कहीं कैसा होगा और कहीं कैसा होगा और यहां तक अभी हमारे एक साथी ने कह दिया कि यदि इस प्रकार से चलेगा, तो चुनाव ही नहीं होंगे। यह तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की 48 वर्ष की आजादी के बाद एक विषय तो ऐसा है कि जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। हम चाहे गरीबी को नहीं मिटा सके हैं, हम चाहे अशिक्षा को नहीं मिटा सके हैं, हम चाहे अज्ञान को नहीं मिटा सके हैं, लेकिन कम से कम सब दिक्कतों के होते हुए भी लोकतंत्र को हमने कुछ मात्रा में ठीक प्रकार से चलाने की कोशिश की है, ईमानदारी से चलाने की कोशिश की है। उसमें कुछ सफलता भी पाई है।

लेकिन उसमें जो कमियां हैं, वे कमियां प्रमुख रूप से इसलिए हैं कि कुछ राजनेताओं का, कुछ पार्टियों का, आज की व्यवस्था में जो कमजोरियां हैं, उसमें एक निहित स्वार्थ पैदा हो गया है। यह ठीक है कि पैसे के बल–बूते पर, मसल के बल–बूते पर, गवर्नमेंटल पावर के बल–बूते पर अगर हम कर सकते हैं तो हम काहे के लिए वहां सुधार करवायें। बन्दूकें लेकर जीपों में कोई इस प्रकार से घूमे और उसके बावजूद भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो तो हमको सोचना पड़ता है कि सरकारी शक्ति का दुरुपयोग सबसे बड़ा दुरुपयोग है।

जरूरत हो तो हम सब पार्टियां इस बात के लिए सहमत हो जायें कि सभी प्रदेशों में निर्बाध रूप से, जहां पर भी चुनाव होने वाला है वहां पर राष्ट्रपति शासन कायम हो जाये। यह भी ठीक है कि राष्ट्रपति शासन का मतलब होगा कि केन्द्र में जो पार्टी हो, वहां उसका शासन होगा, लेकिन इस प्रकार की एक एक्स्ट्रीम रैमेडीज़ भी हम सोचने को तैयार हैं, मुझे याद है श्री जय प्रकाश नारायण ने एक कमेटी बनाई थी, उसमें इस पर विचार हुआ था और एक आम सहमति बनी थी कि चाहे राष्ट्रपति शासन न लागू किया जाये लेकिन मोटे तौर पर ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी की सरकार के रूप में काम न करें। यह एक सिफारिश की गयी थी।

मेरी आपसे एक सेप्सेफिक मांग है कि इस सप्ताह का अंत होने से पहले, सत्रावसान होने से पहले, सरकार की ओर से इसके बारे में विस्तृत और अधिकृत बयान आये कि चुनाव सुधार के अलग–अलग पहलुओं पर सरकार की क्या नीति है क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगले लोकसभा के चुनाव होने से पहले चुनाव सुधार परमावश्यक है।

[अनुवाद]

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के सदस्य, श्री आडवाणी जी ने कहा है कि हमें चुनाव सुधार सम्बन्धी विधेयक पर बहुत पहले ही चर्चा करनी थी। मैं यहां इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि स्वतन्त्रता के बाद, वर्ष 1947 के बाद से हमने लोकतांत्रिक ढांचे वाला अपना संविधान स्वीकार किया है जिसमें मताधिकार का अधिकार सांविधिक अधिकार माना गया है। कुछ सुधार जैसे पहचान पत्र जारी करना आदि ऐसे सुधार हैं जो चलते रहते हैं। कुछ राज्यों में इस सम्बन्ध में कार्यवाही पूरी हो चुकी है; कुछ राज्यों में इस सम्बन्ध में कार्यवाही जारी है। कुछ राज्यों में कार्यवाही चल रही है और कुछ राज्यों में इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, लोकतन्त्र की पवित्रता को बनाये रखने के लिये कुछ प्रभावकारी कदम उठाये जाने चाहियें ताकि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ कर सकें और हम मताधिकार का प्रयोग कर लोगों को चुन सकें। मेरे विचार से चुनावों में सुधार के बारे में काफी विचार करना होगा।

कर्नाटक में एक उप–चुनाव में, मुश्किल से 39 प्रतिशत मतदान हुआ। मतदाताओं को कोई भी पार्टी चुननी हो। मतदाताओं द्वारा मताधिकार का उपयोग करवाना बहुत ही कठिन समस्या है। शराब के अधिक धन और बल का प्रयोग किया जाता है। हमने यह देखा है कि जो कोई अधिक शराब पिलाता है वह अधिक मत प्राप्त करता है। यह सब बातें न केवल पंचायत चुनावों, विधान सभा चुनावों बल्कि संसद के चुनावों पर भी लागू होती हैं। इन सब बातों को व्यवहारिक तथा वास्तविक रूप से रोकना बहुत कठिन है। ऐसा कहने का कोई अर्थ नहीं है कि हम लोकतांत्रिक सरकार अथवा लोकतांत्रिक पद्धति से हम निर्वाचित प्रतिनिधि चुन रहे हैं। अब यह कहने का कोई औचित्य नहीं है कि "जनता के लिये सरकार है जनता द्वारा सरकार है और जनता की सरकार है" क्योंकि लोग मतदान केन्द्रों पर मत डालने नहीं आते। वास्तव में मतदान के बारे में कुछ बाधाएं अथवा कुछ आशंकाएं हैं। इसमें मारपीट हो सकती है, कुछ साम्प्रदायिक संघर्ष हो सकते हैं अथवा असुरक्षा की भावना हो सकती है। लेकिन कभी कभी मतदाताओं में अनिच्छा होती है। जब मुश्किल से 39 प्रतिशत मतदान होता है तो इसका यह अभिप्राय हुआ कि चुना हुआ प्रतिनिधि शेष 61 प्रतिशत मतदाताओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। तब लोकतांत्रिक ढांचे का कोई महत्व नहीं रह जाता। अतः अब समय आ गया है जब सब पार्टियों, लोक सभा में पार्टियों के सब नेताओं, जैसाकि हमारे विपक्ष के माननीय नेता ने कहा है कि दसवीं लोक सभा की समाप्ति से पूर्व हमें चुनाव सम्बन्धी सुधार करने चाहियें। मताधिकार का उपयोग भी अनिवार्य किया जाना चाहिये। ऐसे मामलों में जब कोई मताधिकार का उपयोग करने में असमर्थ हो तो उसे डाक्टर का प्रमाण पत्र देना आवश्यक होना चाहिये। अन्यथा ये सब बातें चलती रहेंगी और लोकतंत्र का कोई उचित अभिप्राय नहीं रह जायेगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, जहां तक इलैक्टोरल रिफार्म का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर पार्टी के लोग यह मांग करते हैं कि इलैक्टोरल रिफार्म होना चाहिए। हमने उस दिन भी कहा था कि डैमोक्रेसी की आत्मा चुनाव है और यदि निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तो डैमोक्रेसी का पौधा आगे नहीं बढ़ सकता। मैं यह नहीं मानता कि इस देश में डैमोक्रेसी बिल्कुल समाप्त हो गई है। मैं बार–बार कहता हूं, यदि हमारी पॉलिसी को एक स्तर से लागू किया जाए तो कोई कारण नहीं है कि वर्तमान पद्धति के तहत सुधार न हो। लेकिन यदि पॉलिसी रंदे के समान न रहकर बर्मी के समान घूमती है तो उसमें खामी होने लगती है।

हमारे साथियों ने चर्चा की कि बिहार में यह हुआ, वह हुआ और बाय–इलैक्शन में कहीं ठीक से चुनाव नहीं हो रहा है। यहां लवली आनंद जी बैठी हुई हैं, वह एक बाय–इलैक्शन में ही बिहार से चुनकर आई हैं। उस दिन विदर्भ की चर्चा चली जहां चुनाव पोस्टपोन हो गया, कश्मीर का रोज हो रहा है, उत्तर प्रदेश की चर्चा अभी हमारे साथियों ने की। लेकिन उसी चुनाव कमिशन के तहत, उसी चुनाव संहिता के तहत और उसी लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में लोक सभा का चुनाव हुआ और उसमें औपोजीशन के उम्मीदवार हजारों वोटों से जीतकर यहां आए। (व्यवधान)....*

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

श्री राम विलास पासवान : मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, मैं इलैक्शन कमिशन का रोल कह रहा हूं। मैं इलैक्शन कमीशन कह रहा हूं, इलैक्शन कमिश्नर नहीं कह रहा। इलैक्शन कमिशन और इलैक्शन कमिश्नर में अन्तर है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : जहां तक काउंटिंग का सवाल है, मैंने इसी सदन में उठाया था कि जब एक स्टेट में 3–3 महीने तक चुनाव चलेगा तो पार्लियामैंट का चुनाव तो डेढ़ साल तक चलेगा। लेकिन जब तीन महीने का चुनाव नीतीश जी के लिए सूट कर रहा था या वाजपेयी जी के लिए सूट करता होगा तो लोगों ने मुंह बन्द किए हुए थे कि किसी तरीके से तीन महीने भी हो जाएं...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष जी, पासवान जी हमारा रैफरैंस दे रहे हैं। ये सब रैफरैंस ऐवॉयड करने चाहिएं नहीं तो हमको जवाब देने का मौका मिल सकता है।

श्री राम विलास पासवान : मैं यह कह सकता हूं कि मैं 3–4 बार अकेला....(व्यवधान)

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री: (श्रीमती कृष्णा साही) : अध्यक्ष जी, पासवान जी जो कह रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि सबने ऐट्रॉसिटीज ऑन वूमैन की चर्चा तो बहुत गहराई से की लेकिन ऐट्रॉसिटीज ऑन ए वूमैन कौन उम्मीदवार था, उस पर क्या हुआ? यदि एक दिन आप उसकी चर्चा की अनुमति दें तो मैं भी कहूंगी।

अध्यक्ष महोदय : उसके बारे में मैं आपको अभी बोलने की अनुमति दे दूंगा।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने चेयर की तरफ से इलैक्टोरल रिफार्म के बारे में कहा। मैंने सदन में 3–4 बार इस मुद्दे को उठाया था कि जब इलैक्शन कमिशन एम. एल. ए. के लिए एक लाख पैंतीस हजार रूपये तय करता है और जो चुनाव 22 दिन में खत्म होना चाहिए, वह 3–3 महीने तक उतने ही पैसे में चलता है तो वह निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकता है। लेकिन मैं यह भी कहता हूं कि विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं को इसे गंभीरता से लेना चाहिए था। तीन महीने तक जो इलैक्शन प्रोसस बढ़ता रहा, उसे गंभीरता से लेना चाहिए था। तीन महीनें तक जो इलैक्शन प्रोसैस बढ़ता रहा, उसे गंभीरता से लेने का काम नहीं किया गया। हो सकता है कि तीन महीने बढ़ने के बाद भी यदि वहां जनता दल की सरकार हार जाती है तो इनको बड़ी राहत मिलेगी। उसमें यह उम्मीद हो सकती है।

मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो काउंटिंग वाला मामला है, यह बिल्कुल सही है कि उसमें 80–80 घंटे तक किसी उम्मीदवार को बाहर नहीं निकलने दिया गया। जो लोग भीतर गए, उनको बन्द कर दिया गया। लेकिन ट्रैजरी बैंच और औपोजीशन का मामला नहीं था। हमारा छोटा भाई चुनाव लड़ रहा था। उसे तीन दिन तक निकलने नहीं दिया। उस समय कोई बिहार की सरकार नहीं थी बल्कि प्रेजीडैन्ट रूल था। चाहे कांग्रेस का व्यक्ति हो, जनता दल का हो, समता दल का हो या किसी भी पार्टी का हो, जितने भी लोग चुनाव में वहां गए, उसमें यह नहीं था कि जनता दल के लोगों को कहीं छूट दी गई और औपोजीशन के लोगों पर कहीं रोक लगाई गई। बी. एस. एफ. के माध्यम से जिस तरह से लोगों की, काउंटिंग एजेंट्स और उम्मीदवारों की तबाही हुई, निश्चित रूप से वह उचित नहीं था। इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि जब कोई मामला उठे तो उसे डाईलूट करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।

अभी शरद जी ने एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया। बी. जे. पी. के साथियों ने भी उस मुद्दे को इसमें जोड़ने का काम किया। जब एक डैफोनेट मुद्दा सामने आता है, जैसे मानसिंह यादव जो हमारे जनरल सैक्रेटरी है, अस्पताल में घायल पड़े हैं, पुलिस की गोली से नहीं, क्रिमिनल की गोली लगने से घायल पड़े हैं। इसलिए ऐसे मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए।

मैं कल जम्मू से तीन दिन का दौरा करके आया हूं। पहले जम्मू कश्मीर में 78 सीटें थी। 78 सीटों से बढ़ाकर 98 कर दी गई, 10 सीटें बढ़ गई। लेकिन उसमें शैडयूल ट्राईब की एक भी सीट नहीं बढ़ाई गई जबकि अकेले जम्मू में शैडयूल ट्राईब्स की पॉपुलेशन कम से कम 15 से 20 प्रतिशत है। शैडयूल कास्ट के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं की गई। चन्द्र शेखर जी यहां बैठे हुए हैं। इन्होंने अपने समय में उसमे बूचर, बकरवाल को जोड़ने का काम किया और बहुत अच्छा किया। जो संवैधानिक प्रावधान है, उसे भी लागू करने का काम नहीं किया जाता है। इसलिए इन सारे मुद्दों पर, चुनाव सुधार कैसे हो, इलैक्शन कमिशन का क्या रोल है, क्या पावर है, इलैक्शन कमिशन अपनी पावर से कितना

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आगे बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मैं आग्रह करूंगा कि सदन उठने से पहले विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। मैने उस दिन भी कहा था कि यदि बिना कुछ कहे कुछ हुआ तो लोक सभा का जो अगला चुनाव सबके माथे पर आने वाला है, उसमें तबाही, परेशानी और लोकतंत्र पर जो खतरा उत्पन्न होने वाला है, मैं उसकी आशंका अनुभव कर रहा हूं कि वह चुनाव 2–4–5 साल में भी कम्प्लीट हो पाएगा या नहीं, यह कहना मुश्किल है।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगत सिंह पुर) : मेरे विचार से इस सारे सत्र में इसी समस्या पर चर्चा होती रही है इस अधिवेशन के अधिकांश भाग में चुनावों के बारे में चर्चा होती रही है। हमारी चुनाव पद्धति में कुछ त्रुटियां आ गई हैं। श्री आडवाणी जी ने कहा है कि चुनाव सम्बन्धी सुधार होने चाहियें। न तो सरकार ही इस स्थिति में है कि वह इस बारे में कुछ पहल करे और न ही राजनीतिक दल स्वयं इस बारे में कुछ करने को दृढ़ हैं। इस बारे में क्या त्रुटि है ? चुनाव सम्बन्धी सुधार, मात्र उसका एक हिस्सा है। आज अनेक लोग यह सोच रहे हैं कि इस देश के भविष्य का क्या होगा। क्या देश में संसदीय लोकतंत्र होगा अथवा राष्ट्रपति प्रणाली। सब बातों पर विचार किया जाना चाहिये। जब तक आप सब बातों पर विचार नहीं करेंगे, यहां–वहां सुधार करने से कार्य नहीं चलेगा। उदाहरणार्थ, कोई भी राजनीतिक दल लीजिये। वे कुछ बात कहते हैं जब दूसरे दल कुछ कार्य करते हैं और जब उनकी बारी आती है तो वो भी वही करते हैं। इसके कारण का पता लगाया जाना चाहिये। चूंकि अनेक लोग यह कह रहे हैं कि देश अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है, अनेक लोग अनेक बातें कर रहे हैं। आप इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि यदि आपको आज संसदीय लोकतंत्र की रक्षा करनी है, आज जो स्थिति है उसे ध्यान में रखते हुए, यदि आप संसदीय लोकतंत्र को बचाने के प्रति ईमानदार हैं, तो आपको इस सम्बन्ध में शीघ्र कोई उपाय करने होंगे। जब तक आप कोई कार्यवाही शीघ्र नहीं करेंगे, विभिन्न सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई यह आशंकाएं कि चुनाव 10 महीने तक जारी रहेंगे, से इंकार नहीं कर सकते। मैं सभी पार्टियों से अनुरोध करता हूं कि आज जो आवश्यक है वह किया जाना चाहिये। संसदीय प्रणाली का मुख्य आधार पार्टी प्रणाली है। यदि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक नहीं हैं, यदि राजनीतिक दल उचित रूप से कार्य नहीं करते हैं, तो संसदीय लोकतंत्र की जड़ ही हिल जायेगी। ऐसा केवल चुनाव सुधार सम्बन्धी कानून बनाकर किया जा सकता है। इस बीच, अब प्रत्येक पार्टी में विद्रोही उम्मीदवार हैं, और स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, चुनाव प्रक्रिया में उनका बहुत महत्त्व हो गया है। अतः शीघ्र ही चुनाव सम्बन्धी सुधार किये जाने चाहिएं। जिससे संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ किया जा सके। चुनाव सुधार में सब दलों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिये केवल जिसके माध्यम से आप अपनी संसदीय प्रणाली की रक्षा कर सकते हैं। हमने यह सर्वोत्तम प्रणाली स्वीकार की है। अतः अब उचित समय आ गया है जब सरकार को यह देखना चाहिये कि भारत का भविष्य न बिगड़े, चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक रूप से चलती रहे, सभा में पार्टियों का प्रतिनिधित्व उनकी देश में अनुपातिक संख्या के आधार पर हो। हम इस समस्या का इस प्रकार समाधान कर सकते हैं। अन्यथा हम समस्त देश को संकट में डाल देंगे।

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों ने भी बोलना है। कृपया अपनी बात संक्षिप्त में कहें।

श्री लोकनाथ चौधरी : हमे सम्पूर्ण प्रणाली से हटकर बात नहीं करनी चाहिये। यह प्रणाली का एक हिस्सा है और पूर्ण रूप से समस्त प्रणाली पर विचार किया जाना चाहिये। तभी हम स्थिति की रक्षा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सूर्य नारायण जी, आप इसी मुद्दे पर कुछ बोल रहे हैं ?...*(व्यवधान)*

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा अपना जो अनुभव है, मैं उसको भी बताना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, हमको कहानियां नहीं सुननी हैं।

श्री सूर्य नारायण यादव : हम कुछ नहीं बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय : सब के अनुभव हैं, उसमें बहुत टाइम लगेगा।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं तो ज्यादा बोलता ही नहीं हूं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : दलबदल कानून में संशोधन करना चाहिए।

श्री सूर्य नारायण यादव : दलबदल कानून ने तो सांसदों को बंधुआ मजदूर बना दिया। मैं तो उसका विरोधी हूं, उसमें भी संशोधन करना चाहिए। सांसदों को बंधुआ मजदूर मत बनने दो।

अध्यक्ष महोदय, मैंने छह चुनाव लड़े और सातवां चुनाव मैंने आंखों से देखा। उसमें यह देखा कि सी. आर. पी. एफ. गई, आर. पी. एफ. गई और आम जनता में, लोगों में एक माहौल बना, जिससे इस बार चुनाव में लगा कि कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, कोई हिल नहीं सकता और आम जनता मतदान करेगी। लेकिन देखा यह कि सी. आर. पी. एफ. शहर में चली गई और सारे शहर के लोग देहात में चले गये। किसी बूथ पर तो सी. आर. पी. एफ. भरी हुई है और कहीं चौकीदार भी नहीं है। जहां कोई चौकीदार नहीं है, वहां जिसका मन हो वह बूथ लूट ले जाय, लूटता जाय, लूटता जाय। बूथ लुटे। यहां से कमीशन की ओर से पर्यवेक्षक महोदय गये थे। पर्यवेक्षकों को एक बार नहीं, सौ–सौ बार लिखकर दिया गया। हर एक दल के उम्मीदवार ने, मैं कोई दलगत बात नहीं करता, जिस भी दल की जहां पर....

श्री शरद यादव : इसका क्या वास्ता है, आप सवाल पर आइये न।

श्री सूर्य नारायण यादव : मैं उसी पर आता हूं। शरद जी, मैं तो आपको कभी टोकता नहीं हूं। मैं उसी सवाल पर आता हूं।

अध्यक्ष जी, सारे चुनाव में गड़बड़ियां होती रहीं। पर्यवेक्षक ने भी कोई रिपोर्ट, कोई प्रतिवेदन किसी को नहीं भेजा। अभी राम विलास जी ने ठीक ही कहा....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अन्य कार्य भी करने हैं । कृपया अपना भाषण शीघ्र समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : हमको तो सब टोक भी रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । आप उसको मजाक में मत ले जाइये ।

श्री सूर्य नारायण यादव : हम मजाक नहीं कर रहे हैं । अभी इन्होंने ठीक ही कहा कि वहां पर राष्ट्रपति शासन था, किसी की सरकार नहीं थी । मैं यह कहना चाहता हूं....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल जवाब नहीं है, एक प्रश्न है । उसका सोल्यूशन क्या होता है, वह देखना है । उन्होंने सवाल किया, आपने जवाब दिया, आपने सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया...

श्री सूर्य नारायण यादव : मैं बस तीन पाइण्ट्स बोलूंगा, चौथा पाइण्ट नहीं बोलूंगा। ....(व्यवधान) एक यह कहावत है कि जिसकी लाठी, उसकी भैंस....

अध्यक्ष महोदय : यह आपका पाइण्ट नहीं है ।

श्री सूर्य नारायण यादव : वहां जो राज्य सरकार है, वह जैसा चुनाव कराना चाहे, वह वैसा चुनाव करा लेती है, इसमें सुधार होना चाहिए–पहला पाइण्ट ।...(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव : वहां बहुत लम्बी काउंटिंग हुई । उम्मीदवारों को काउंटिंग हॉल में नहीं जाने दिया गया । अगर ऐसे चुनाव दो और हो गये तो हिन्दुस्तान के लोग चुनाव लड़ना बंद कर देंगे । बिहार में बहुत भयावह स्थिति थी । वहां बैरिअर्स लगाये हुए थे । बैरिअर के बाहर से देखने की इजाजत मिली हुई थी....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी हां, कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, हम इसके भुक्तभोगी हैं और डंका खाये हुए हैं । आज आपने बोलने का मौका दिया, इसलिये बोल रहे हैं । केन्द्र में हमारी सरकार है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह गम्भीरतापूर्वक चुनाव सुधार के बारे में विचार करे और चुनाव सुधार करे । अभी आडवाणी जी ने कहा कि किसी मुख्यमंत्री के रहते हुए चुनाव न हों । मैं इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहता हूं कि कोई भी मुख्यमंत्री चुनावों से एक बरस पूर्व जिला पदाधिकारी और एस. पी. की पोस्टिंग अपने अनुकूल न करे । अगर ऐसा चलता रहा तो चाहे राष्ट्रपति चुनाव कराये, चाहे प्रधानमंत्री चुनाव कराये और चाहे इलैक्शन कमीशन चुनाव कराये, चुंनाव निष्पक्ष हो नहीं सकते हैं ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम पहली बार इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं । इस संबंध में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यद्यपि इस बारे में विभिन्न रिपोर्टों के रूप में काफी बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए हैं, जहां सब पार्टियों ने सम्पर्क किया, जिसमें अद्यतन रिपोर्ट भी शामिल है, लेकिन इस मामले में जो कमी है वह है राजनीतिक इच्छा । आज हम पाते हैं कि यह सरकार पूर्णतया किसी और की सहायता से चलाई जा रही है.....(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : कौन सी सरकार ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सरकार, जिस सरकार की हम बात कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : कहां ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : दिल्ली में । जो कुछ भी है, किसी को कुछ कार्यवाही करनी होगी । भारत सरकार आश्वासन देती है, अपनी इच्छा व्यक्त करती है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, स्थिति आज यह है कि अधिक से अधिक शक्तियां प्राप्त की जा रही हैं, अधिक से अधिक शक्तियां केन्द्रित की जा रही हैं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि देश में सुधार लाने के लिए केवल एक निकाय अथवा व्यक्ति है । मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं । उसका नाम लेना आवश्यक नहीं है । आज हम देखते हैं कि यहां तक कि जो सुझाव भी प्राप्त हो रहे हैं उनमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक राज्य में राष्ट्रपति शासन होना चाहिये। मैं नहीं कह सकता कि भारत में संसद के सामान्य चुनाव होने के बाद दिल्ली की क्या स्थिति होगी....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कोई भी समस्या नहीं है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह कोई समाधान नहीं है और यह एक मात्र समाधान नहीं है । हम संसदीय लोकतंत्र की बात कर रहे हैं । इससे तो संसदीय लोकतंत्र का अन्त हो जायेगा । हमे क्या करना चाहिये ? कुछ मामले ऐसे हैं जो अधिक विवादास्पद नहीं हैं । पार्टियां अनेक मामलों पर सहमत हैं । यह ऐसा ही है कि कानून को एक आदर्श आचार संहिता का रूप दे दिया गया हो और अन्य बातें लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है और किसी को उच्च शक्ति के रूप में खड़ा कर देते हो और कहते हो यही हमारा प्रतिरूप है और आज सारी देशभक्ति एक ही व्यक्ति में निहित है ।

यह बहुत गम्भीर स्थिति है । अतः सरकार सुधार सम्बन्धी कोई प्रस्ताव लाने का साहस नहीं करती । इस प्रकार का कार्यकरण देश के संसदीय लोकतंत्र के अथवा राज्य व्यवस्था के हित में कार्य नहीं कर रहा है । एक बात बहुत स्पष्ट है कि विभिन्न राजनीतिक दलों

को विभिन्न राज्यों में यही अनुभव रहा है। समस्त देश में स्थिति असन्तोषजनक है । आज स्थिति बदल गई है, उन्होंने ठीक ही कहा है। क्या यह बदल गई है? सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है और संसद मूक दर्शक बनी हुई है । अनेक मामलों पर जब हमें बल देना चाहिये, हम केवल अपने विचार व्यक्त कर रह जाते हैं । कभी-कभी यह भी दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि हम एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अविवादास्पद मामलों में भी एक नहीं हो पाते । आज यह देश में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है । इसका लाभ उठाया जाता है । सरकार आज कमजोर होती जा रही है और कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । कोई कहता है कि वह आज देश में 'सबसे अधिक शक्तिशाली' है । आज जो देश में हो रहा है उसके बारे में कोई नहीं पूछ सकता ।

1.00 म. प.

आज लोग, यहां तक कि संसद सदस्य भी अपनी कठिनाइयों को सम्बद्ध अधिकारी की जानकारी में नहीं ला सकते । यह बहुत गम्भीर स्थिति है। सब समस्याओं को टालने की कोशिश की जा रही है ।

हमारे आदर्श विधेयक भी हैं । यह मैं अपने दिमाग पर जोर डालूं तो वर्ष 1971 में मैंने मतगणना के बारे में विमत्ति पत्र दिया था । मैंने कहा था कि मतगणना मतदान केन्द्रों के अनुसार की जानी चाहिये । उस समय सब मतपत्रों को मिलाकर मतगणना की जाती थी । इसके बाद पार्टियों द्वारा इस मामलों पर पुनः विचार किया गया और, आडवाणी जी सही हैं, क्योंकि अनुभव के आधार पर यह महसूस किया गया कि मतदान केन्द्रवार मतगणना अधिक उचित है । फिर इसे पहले की तरह कर दिया गया । फिर किसी के दिमाग में आया और बिना किसी पार्टी को विश्वास में लिये बगैर इस पद्धति को पुनः बदल दिया गया । आज देश में जंगल राज है संसदीय लोकतंत्र नहीं । किसी भी व्यक्ति को 80 घंटे तक बिना खाना पीना दिये जेल में रखा जाता है । नितिश जी ने जो कुछ कहा है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है हमने इससे भी अधिक समय तक लोगों को जेल में बिना खाना पीना दिये रखे जाते देखा है । बिहार में आज संसदीय लोकतंत्र समाप्त हो गया है ।

मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं अनुरोध करूंगा कि आप नेतृत्व प्रदान करें । 1971 की समिति माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा नियुक्त की गई थी । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बारे में पहल करें । उच्चतम चुने हुए निकाय–संसद के पीठासीन अधिकारी होने के नाते माननीय अध्यक्ष महोदय इस बारे में प्रभावशाली पहल कर सकते हैं । सरकार कार्य नहीं कर रही है । यह सब के हित का प्रश्न है । हम शीघ्र ही एक विधेयक ला सकते हैं और उस पर चर्चा किये बिना हम उसको पारित कर सकते हैं । अतः मैं आपसे इस बारे में अनुरोध करता हूं । सरकार की ओर से इस मामले में कोई सुनने वाला नहीं है ।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): मैं यहां उपस्थित हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप यहां उपस्थित हैं, मैं आपके माध्यम से, यदि वह (सरकार) जागरूक है अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें । मुझे विश्वास है कि और अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिन पर हम सब मिलकर बातचीत कर सकते हैं और इसी सत्र में बिना चर्चा के ही विधेयक पारित कर सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन इस चर्चा के बाद कोई कदम उठाने की जरूरत है । चर्चा यहीं पर समाप्त हो जाए और चुनाव सुधार की गाड़ी एक इंच आगे बढ़ने से इन्कार कर दे, तो समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। पहले चुनाव–कमीशन सर्वदलीय समितियां, सर्वदलीय बैठकें बुलाता था और चुनाव के दौरान जो समस्यायें उत्पन्न होती थी, उनके बारे में चर्चा करता था, फैसला करता था । अब वे बैठकें बन्द हो गई हैं । सरकार की ओर से जो पहल होनी चाहिए, सरकार इस मामले में पहल करने में विफल रही है । इसीलिए यह आरोप लगता है कि शायद सत्तारूढ़ दल का वर्तमान व्यवस्था में निहित स्वार्थ है, जो व्यवस्था चुनाव में धान्धलियां करने की छूट देती है । मैं समझता हूं कि अब सत्ता पक्ष को भी यह दृष्टिकोण छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी देश में जो नई परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उसमें अगर वे कहीं धान्धलियों में भागीदार बनेंगे, तो उन्हें भी धान्धलियों का निशाना बनाया जाएगा, शिकार बनाया जाएगा । सब दलों के हित में है, लोकतन्त्र के हित में तो है ही, स्वतन्त्र चुनाव हों, निष्पक्ष चुनाव हों ।

हाउस–ऑफ–कॉमन्स में स्पीकर इलैक्ट्रोरल–रिफार्म्स के बारे में पहल किया करते हैं । आप बहुत से मामलों में पहल कर रहे हैं, लेकिन यह मामला है, जिस पर आप पहल करेंगे, तो टीका–टिप्पणी नहीं होगी, क्योंकि सारे सदन की यही राय है कि चुनाव सुधार के मामले में कदम बढ़ाना चाहिए । आप सरकार को प्रेरित कर सकते हैं । हम लोगों से विचार–विनिमय कर सकते हैं और यह काम लोकसभा के चुनाव के पहले होना चाहिए। यह काम ऐसा है, जो रुक नहीं सकता है ।

अब इसका दूसरा आयाम, जिसकी शरद जी ने चर्चा की है और हमारे बरेली के सदस्य ने चर्चा की है, अगर कोई प्रदेश सरकार स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में सहायक होना तो अलग रहा, चुनाव में धान्धली कराने में भागीदार बनती है, उसके इशारे पर धान्धली होती है, तो उस सरकार का क्या किया जाए ।

क्या यह मान कर चला जाए कि वह सरकार संविधान की धाराओं के अनुसार चल रही है ? चुनाव लोकतंत्र की धड़कन, लोकतंत्र की जड़ है, मगर जड़ पर कुठाराघात हो रहा है और जिस चुनी हुई सरकार को हट जाना चाहिए था वह अगर धांधली कर रही है तो संसद क्या करे ? आपको याद होगा, मैंने उस दिन पूछा था कि अगर किसी प्रदेश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं होते तो हम क्या करें ? क्या चुनाव कमिशन के भरोसे रहें ? चुनाव कमिशन के काबू से भी बात निकल जाएगी । इलैक्शन पिटीशन करें तो वह भी बरसों तक चलती है । चुनावों में धांधली हो रही है और लोगों की आस्था कम हो रही है । अब चार दिन बाकी रह गए हैं इसलिए मै समझता हूं कि इतने दिनों में हम कुछ काम की बातें करें । उसमें चुनाव सुधार का मामला सबसे प्रमुख मामला है । आप सरकार से कह सकते हैं कि जो गोस्वामी कमेटी की सिफारिशें हैं, उसकी सर्वसम्मत रिपोर्ट थी, उसके बारे में सरकार की क्या राय है ? सरकार विधेयक ला सकती है, जैसे कि अभी सोमनाथ जी ने कहा कि उस विधेयक को सब लोग जल्दी से चर्चा करके पास कर सकते हैं । मगर यह काम पहले से होना चाहिए और इच्छाशक्ति से होना चाहिए । मैं समझता हूं कि इस संबंध में आपका भी कुछ निर्देश प्राप्त होगा । धन्यवाद ।

श्री सूरज मण्डल (गौड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जब–जब इलैक्शन आता है तब–तब हर बार चुनावों में गड़बड़ी के नये–नये तरीके निकलते हैं । इसमें पूरे देश के लोगों को बदनाम नहीं किया जा सकता है । चुनाव में धांधली मुख्यतः कुछ राज्यों में कई तरीके से होती है । कई लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए । पहले लोकसभा और विधानसभा का चुनाव प्रायः एक ही समय होता था, इससे देश का पैसा भी बच जाता था। राष्ट्रपति शासन स्टेट्स में लगा करके चुनाव होने चाहिएं और लोकसभा के चुनाव के साथ होने चाहिएं । इलैक्शन के दौरान कलेक्टरऑबजर्वर को गाड़ी और पुलिस देता है । अभी बिहार में हुए चुनावों के दौरान कलेक्टर ने ऑबजर्वर को पूर्व की ओर भेज दिया, पश्चिम की ओर क्या हो रहा था, यह ऑबजर्वर को मालूम ही नहीं था । अभी नीतीश जी ने कुछ बातों को छोड़ दिया । मैं कई निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में बता सकता हूं कि जहां पोलिंग 1 लाख 3 हजार हुआ और काउंटिंग में 1 लाख 23 हजार निकला । जिस स्ट्रांग रूम में बक्सा रखा गया, वहां बूथ पर एजेंट तो थे लेकिन पुलिस फोर्स दूसरी जगह पर थी । ऑबजर्वर को फील्ड में भेज दिया और स्ट्रांग रूम में पहले से बक्सा रख दिया । वहां तीन बूथों से एक पैट्रोलिंग गाड़ी ने बक्सों को कलेक्ट किया । वहां तीन आदमी पहले से उस बूथ का नं. लगा कर चले गए । बाकी बूथों का कलेक्ट हो रहा है । वहां तीन बक्से दिये गये और दो गाड़ी में भर कर ले गए, लेकिन स्टांग रूम में 6 मिला कर पूरे किए । स्टांग रूम में बहुत जगह पर ताले नहीं लगाने दिये गये, सील नहीं करने दी गयी । चुनाव में हर बार नये तरीके निकाल कर गड़बड़ी की जाती है । जहां तक चुनाव सुधार की बात है, डिलिमिटेशन कमेटी की बात है उसमें सलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई । आज देश के अंदर एक असेम्बली में 3 लाख 60 हजार वोटर्स हैं । बोकारो, रांची, जमशेदपुर, धनबाद में 3 लाख 60 हजार हैं और कहीं पर साढ़े 4 लाख हैं तथा कहीं पर 1 लाख 25 हजार हैं ।...(व्यवधान) ऐसी चुनाव प्रणाली के चलते अगर चुनाव होंगे तो वहां जो भी सरकार होगी वह निश्चित रूप से बेईमानी करेगी ।

इसलिए यदि इस देश में लोकतंत्र को बचाना है तो लोकसभा के साथ ही सारे देश की विधान–सभाओं के भी चुनाव कराए जाने चाहिएं और उससे पहले राज्य सरकारों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए । इस तरह से निष्पक्ष चुनाव हो सकेंगे ।

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी ने और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने आपकी तरफ इशारा किया कि इस संबंध में अध्यक्ष महोदय की भी काफी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं जब देखता हूं तो लगता है कि सारी पोलीटिकल पार्टीज को लकवा मार गया है । मैं सबसे पहले उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष के चुनाव में किसी दूसरी पोलीटिकल पार्टी को अपना कैंडीडेट खड़ा नहीं करना चाहिए । अध्यक्ष महोदय खुद ईमानदारी से काम करें । कभी कभी आदमी झुक जाता है, आप क्यों परेशान होते हैं। आज हर पोलीटिकल पार्टी टैस्ट पर है, सबको ऐलान करना चाहिए, उसी पोलीटिकल रेफार्म्स में कि कोई भी राजनीतिक दल अध्यक्ष के चुनाव में कैंडीडेट खड़ा नहीं करेगा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि लीडर ऑफ दी अपोजीशन के खिलाफ भी कैंडीडेट खड़ा नहीं करना चाहिए । .

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : लीडर ऑफ दी अपोजीशन के खिलाफ हमने कभी कैंडीडेट खड़ा नहीं किया ।...(व्यवधान)

श्री अब्दुल गफूर : प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो जरूर कैंडीडेट खड़ा करना चाहिए, लेकिन लीडर ऑफ दी अपोजीशन के साथ–साथ यदि कोई फार्चुनेट आदमी, जिसको सभी चाचा कहते हों, तो उसके खिलाफ भी केंडीडेट खड़ा नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इलैक्टोरल रेफार्म्स के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत कैसे हुई । मेरी हिम्मत ऐसे हुई कि आज मैं शरद यादव जी को दिल से मुबारकवाद देना चाहता था, जिस तरह से उन्होंने अपने विचार प्रकट किए और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ईमानदारी के साथ यहां पर बताए । सोमनाथ जी को सुनकर मुझे उतनी खुशी नहीं हुई, क्योंकि इनकी पार्टी के एक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि साइंटिफिक रिगिंग, आप लोग परेशान मत होइए, इसका मतलब यह नहीं है कि इन लोगों ने साइंटिफिक रिगिंग किया है, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है ।

इस विषय में जहां तक कांग्रेस का सवाल है, असल में कांग्रेस कोई पोलीटिकल पार्टी रही ही नहीं, यह मेरा अपना ख्याल है । क्योंकि इसमें अब यह कोशिश हो रही कि फिर से लोगों को वापिस बुलाया जाए, इलेक्शन के पहले पहले सब लोग वापिस आ जाएं, तब इलेक्शन होगा । इसलिए यदि आप लोग सोचते हैं कि कोई इलेक्शन रेफार्म्स होंगे, माफ कीजिए कि मुझे इसमें जरा सा भी यकीन नहीं है, क्योंकि आज तो कोई गवर्नमेंट ही नहीं है । कभी आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं और उनकी पार्टी के एमपीज किसी एक रास्ते पर जाकर किसी से मिलते हैं । मैं कहता हूं कि यह उन एमपीज के लिए भी शर्म की बात है, जो मिलने जाते हैं । कोई–कोई मिनिस्टर कहते हैं कि यह बिल पास नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा ।...(व्यवधान)

आप लोग इशारा मत कीजिए, आप लोग इस तरह से हर चीज खराब कर देते हैं। यह कोई गवर्नमेंट है ? मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता तो कहता कि आप भी जाइए और आप भी जाइए, आप इस्तीफा दें, इससे पहले मैं आपको बरखास्त करता हूं । कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए । तो ये सारी चीजें हैं । आप किसी का दुख दर्द सुनिए ।

शरद यादव जी को मैं मुबारकवाद देना चाहता हूं । पासवान जी तो अपने अंदाज में बोले । सोमनाथ जी ने इन्साफ नहीं किया ।...(व्यवधान)

आडवाणी जी कुछ हद तक आगे बढ़े, लेकिन हम सबसे ज्यादा नंबर शरद यादव जी को देना चाहते हैं और स्पीकर साहब आपको । इसलिए कि आडवाणी जी ने कहा कि स्पीकर का भी इसमें कुछ महत्त्व है, आप प्रेसीडेंट हैं ।

आप हम लोगों के हर काम को देखते हैं । यह बात जरूर है कि दो प्रधान मंत्री नहीं रह सकते, दो स्पीकर नहीं रह सकते । एक प्रधान मंत्री रहे और एक स्पीकर रहे । आपने मेहनत की, कागजों को दुरुस्त किया कि किस तरह की हुकूमत होनी चाहिए । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर हमसे पूछ लेते तो इतनी दिक्कत आपको नहीं आती । क्योंकि ऐसी भी बातें हो रही हैं कि कहीं प्रधान मंत्री ने तो स्पीकर साहब को नहीं कहा कि आप यह करें । अगर हमें मालूम रहता कि स्पीकर साहब ने इतनी मेहनत की है और हम कहते कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और सब लोग उस पर चर्चा करते, लेकिन यह नहीं हुआ। आज यहां शरद यादव जी ने जो कहा, उस पर हम लोगों को यकीन हुआ । दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमारे यहां होता है, क्या आपने कभी देखा है कि 1 लाख 15 हजार वोट पड़े, गलत या सही तरीके से यह अलग मामला है, लेकिन जब गिनती

शुरू हुई तो 20 हजार वोट ज्यादा निकले। इसके लिए चुनाव आयोग क्या करे। पांच साल लग जाते हैं मुकद्दमा लड़ने में और वह आदमी जो जीत गया है, आराम से पड़ा रहता है। 1952 में जब हम लोगों ने चुनाव लड़ा था तो 80 मीटर तक लाल झंडी गाड़ दी जाती थी, उसके अंदर सिवाय वोटर के और कोई नहीं जा सकता था। फिर आया 1957 का चुनाव, वह भी ठीक रहा। लेकिन 1962 के चुनाव से बूथ कैप्चरिंग शुरू हो गई। अब तो कई नये तरीके अपना लिये गये हैं। एक जमाना था जब मोरारजी भाई बम्बई के मुख्य मंत्री थे, वे चुनाव हार गये। बहुत बड़ी बात थी। लेकिन क्या आज कोई यकीन कर सकता है कि आज के जमाने में कोई मुख्य मंत्री हार जाये। अब तो उसके भाई और साले का रिवाज हो गया है। लोग चीफ मिनिस्टर से इतना नहीं डरते जितना कि भाई या साले से डरते हैं। कहां तक उसे शरद जी रोकेंगे और बीजेपी वाले रोक पायेंगे।

श्री शरद यादव : बहस बड़ी गहरी हो गई है, अच्छा है। लेकिन लगता है चचा अपनी जगह से चोट खाये हुए हैं। जहां वह साले का जिक्र कर रहे हैं, वह तो अंदर बंद हो गया है। उसका मामला आया तो पूरे देश में शोर मचा था। अब तो उसको कोई पूछता भी नहीं, कोई टिकट भी नहीं मिलती है।

श्री अब्दुल गफूर : हो सकता है गलतफहमी हो गई हो।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरैना) : वह साला कौन है, किस का है, नाम बतायें।

श्री अब्दुल गफूर : आप भी किसी के साले होंगे, हम भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बीवी के भाई के मायने में लिया गया है इसलिए असंसदीय नहीं है।

श्री अब्दुल गफूर : चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, यह सब खटाई में है।

उस वक्त का बनाया हुआ है। वे कह रहे हैं कि कहीं 5 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं पर सवा लाख और कहीं पर एक लाख वोट कट गये हैं। सईद साहब तो ऐसे खुशकिस्मत हैं कि अपने यहां 5 हजार वोट कटवा दिये हैं। पहले 25 हजार थे, अब 20 हजार आ गये हैं। तो इस तरह से बात बहुत जरूरी है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : पांच हजार तो क्या, 5 भी नहीं कटवाये हैं।

श्री अब्दुल गफूर : अच्छी बात है, वे कह रहे थे कि 5 हजार कट गये हैं। खैर, आप बीस हजारिया हैं। अध्यक्ष महोदय, आज आपसे रुख्सत लेने का वक्त आ गया है और मैं समझता हूं कि लोग आपको याद करेंगे। आप कोई तरकीब निकालिये, कहीं कोई रूल रैगुलेशन हो तो करिये क्योंकि यह गवर्नमेंट इतनी सुस्त और काहिल है। बंगला देश में यही हो रहा है। चूंकि हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी तारीफ करते हैं और यदि आपकी तरफ से इलेक्शन्स रिफार्मस के लिये कुछ हो सकता है तो करेंगे और हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। मैं अपनी पार्टी की तरफ से यह ऐलान करता हूं कि स्पीकर के खिलाफ कोई भी कैंडीडेट खड़ा नहीं करेंगे बल्कि हम पार्टी के प्रेजीडेंट जार्ज साहब से कहेंगे कि आपके लिये दो दिन का वक्त देकर आपको चुनाव में जिताने की कोशिश करें। अब वाजपेयी जी, सोमनाथ जी क्या करेंगे, ये लोग जाने। अध्यक्ष महोदय, आप अपनी तरफ से अगर कहीं प्राइवेट फोन सी पी. एम. से बातचीत हो जाये तो आप इस काम को जरूर करवाईये नहीं तो कश्मीर में भी यही हो रहा था कि इलेक्शन कैसे होता था, हम सब लोग जानते हैं। लोग बोलते नहीं थे, वाजपेयी जी नहीं बोलते थे, हिन्दू नहीं बोलते थे और सब यही सोचते थे कि कश्मीर में नेशनलिस्ट्स की जीत हो रही है। जीत तो होती थी चोरी की। अब कैसे लोग आते थे और हम जो देख रहे हैं, समझे नहीं ? कोई प्रैस वाला नहीं बोलता था और अब देख लीजिये मुसीबत खड़ी हो रही है। अब हिन्दुस्तान में ऐसा वक्त आ गया है कि नौजवान लोगों ने गुस्सा करना शुरू कर दिया है। गुस्सा करने से जात–पांत छूट जाती है। जहानाबाद, चतरा और दूसरी जगहों पर यही हो रहा है। न बीजेपी रहता है, न सीपीएम और न कोई दूसरा रहता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कहना है ?

कई माननीय सदस्य : गवर्नमेंट है नहीं। गवर्नमेंट कहां है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के मौजूदा चुनाव के संबंध में मौजूदा विषय को श्री शरद जी ने उठाया है और उसमें प्रमुख पार्टी के लोगों ने हिस्सा लिया है। यह बात आज नहीं पहले से चल रही है। यह बात सही है कि इस पर चर्चा गंभीरता से होनी चाहिये। यहां पर जो विधिवत् लोग हो सकते थे, वे नहीं हैं। इस बात से उनको अवगत कराया जायेगा। मैं समझता हूं कि यह ऐसा विषय है जिस पर सब तरफ से विचार होना ही चाहिये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, सरकार जैसी है, उस पर कई टिप्पणियां हुई हैं और इस उत्तर ने उसको पुष्ट किया है। मैं तो निवेदन करूंगा कि इस सत्र के समाप्त होने से पहले सरकार को चुनाव सुधार के बारे में दृष्टिकोण रखना चाहिये और दिनेश गोस्वामी कमेटी की सिफरिशों के बारे में क्या दृष्टिकोण है, यदि और कुछ नहीं कर सकती है तो कम से कम इस पर बयान तो दे दे।

श्री गुलाम नबी आजाद : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि सभी नेताओं ने यहां इस प्रश्न को उठाया है कि जिस तरह से मुल्क के विभिन्न हिस्सों में इलेक्शन्स हो रहे हैं, यह वाकई बहुत ही चिन्ता का विषय है। आज ही कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। मैं आप सब की भावनाओं को कैबिनेट के सामने रखूंगा और मैं आपकी भावनाओं के साथ अपने आपको बराबर से समझता हूं।

क्योंकि जिस तरह का इलैक्शन हो रहा है, अगर इसी तरह के इलेक्शन आने वाले वक्त में हुए तो शायद किसी साधारण शरीफ इन्सान के लिए इलेक्शन लड़ना नामुमकिन होगा और वह इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता है। यह आपकी और हमारी भावना में कैबिनेट के सामने और प्रधान मंत्री के सामने रखूंगा।...(व्यवधान) डिसीज़न तो कैबिनेट का होगा, मेरा इनडिविजुअल का नहीं।...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी (केसरगंज) : वक्तव्य देने का निर्देश तो दें। ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः यह बहुत अच्छी चर्चा हुई है और सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा है कि इसके ऊपर सोचना चाहिए । हम सब लोग बैठकर देखेंगे कि यह किस प्रकार से हो सकता है ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी कहा भी गया, तो आप पहल करके एक बैठक क्यों नहीं बुलाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इन सारी चीजों को मैं ध्यान में रखूंगा ।

...(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने रामगंगा नदी के प्रदूषण का मामला उठाया था ।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में स्टेटमेंट आ गया है ।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, 30,000 बच्चों के बारे में मैं कहना चाहता हूं । वहां स्कूल बंद हो गए हैं ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चरार–ए–शरीफ के संबंध में आपने अच्छी चर्चा की थी और उसके बारे में सरकार को स्टेटमेंट देने के लिए कहा था ।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरकार वक्तव्य देने के लिये तैयार है । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे ।

13.26 1/2 म. प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

चरार–ए–शरीफ में राहत और पुनर्निर्माण

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु–ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) :

जैसा कि सम्माननीय सदन को पता है कि प्रधानमंत्री ने 15 मई, 1995 को एक वक्तव्य दिया था, जिसमें उन्होंने उग्रवादियों और भाड़े के विदेशी सैनिकों द्वारा 11 मई, 1995 को चरार–ए–शरीफ शहर में हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी की पवित्र दरगाह को जलाने और हजार से अधिक मकानों और अन्य भवनों को नष्ट करने की दुखद घटनाओं और परिस्थितियों का जिक्र किया था । संसद के एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने भी 20 मई, 1995 को चरार–ए–शरीफ का दौरा किया था और उसके बाद से इस मामले पर इस सदन में आगे चर्चा हुई है । हम, जतायी गयी चिन्ता और इस मांग से पूरी तरह सहमत हैं कि प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के पुनर्निर्माण के लिए अति तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे कि उनका पुनर्वास किया जा सके और उनका सामान्य जीवन और क्रियाकलाप बहाल हो सके ।

प्रभावित परिवारों को तत्कालिक राहत के तौर पर एक महीने का मुफ्त राशन दिया जा चुका है । इसके अलावा प्रत्येक परिवार को रु. 10,000/– की राशि दी जा रही है। 100 लाख रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है तथा 25 लाख रुपए की और राशि अगले कुछ दिनों में बांट दी जाएगी । इसके अलावा, 6,000 कम्बल और आपातकालीन राशन के रूप में भारतीय रैड क्रास सोसाइटी की मार्फत पाम आयल, कपड़ा और बर्तनों की राहत आपूर्ति भी की गई है ।

पानी की पूरी सप्लाई बहाल कर दी गई है और बिजली आंशिक रूप से चालू कर दी गई है। दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और चिकित्सा सहायता देने की भी व्यवस्था की गई है।

पुनर्निर्माण के दौरान जो परिवार शहर में रहना चाहते हैं उनकी मांग पर उन्हें 500 टैंट उपलब्ध कराए गए हैं । क्षति–ग्रस्त मकानों व दुकानों के पुनर्निर्माण के लिए एक लाख रुपए तक की अनुग्रह राहत राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है । इतनी ही राशि की राहत प्रधान मंत्री राहत कोष से भी दी जा रही है और 15 करोड़ रुपए का चैक प्रधान मंत्री राहत कोष से इस कार्य के लिए राज्य सरकार को भेजा जा चुका है । बीमा संबंधी दावों के फौरन निपटान के लिए संबंधित बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने क्षेत्र का दौरा कर लिया है और प्रारम्भिक सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया है । यह राहत न केवल प्रभावित व्यक्तियों तक पहुंचे बल्कि इसका समुचित एवं प्रभावी उपयोग बिना किसी विलम्ब के हो, यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सभी उपाए किए जा रहे हैं । ऐसे निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि मौके पर जाकर क्षति के आकलन में कोई देरी न की जाये ताकि दी जाने वाली अनुग्रह राशि तत्काल तय की जा सके । इमारती लकड़ी, जी. आई और टिन शीट, सीमेन्ट आदि निर्माण सामग्री की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं ताकि पुनर्निर्माण का काम तुरन्त शुरू हो सके । इमारती लकड़ी राज्य सरकार रियायती दरों पर देगी । राज्य के वन विभाग ने इसके लिये शहर में एक डिपो खोल दिया है । स्टील अथारिटी आफ इंडिया के माध्यम से जी. आई. शीटें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है, और इनकी सप्लाई पहले ही भेजी जा चुकी है ।

राज्य सरकार ने राहत और पुनर्वास उपायों की देख–रेख और उसकी मानीटरिंग के लिये वित्त आयुक्त के अधीन एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है । राज्य सरकार ने पुनर्निर्माण, जल–आपूर्ति, बिजली इत्यादि से सम्बद्ध विभिन्न गतिविधियों के प्रभारियों के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों की भी व्यवस्था की है जिनको कि शहर में ही तैनात किया

गया है ।

मैं इस सम्माननीय संसद के माध्यम से एक बार फिर यह बताना चाहूंगा कि जो लोग इस निर्मम कृत्य से प्रभावित हुए हैं, देश की जनता उनके दुख और क्रोध को महसूस करती है और हम उनके लिये वो सब कुछ करेंगे जो भी उन्हें उनके दुख से उबारने के लिये आवश्यक होगा । मैं इस सदन के माध्यम से यह अपील भी करना चाहूंगा कि हमें उन तत्वों से सावधान रहना होगा जो ऐसी संकट की घड़ी में भी दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं जिससे स्थिति केवल और खराब ही हो सकती है । मुझे विश्वास है कि समाज के सभी वर्ग इस स्थिति का एक जुट होकर बुद्धिमता से मुकाबला करेंगे ।

1.30 म. प

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत सरकार के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार–(1995 का संख्यांक 12)–(वाणिज्यिक)–एयर इंडिया लिमिटेड

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं भारत के संविधान 151 (1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन–संघ सरकार–(1995 का संख्यांक 12)–(वाणिज्यिक)–एयर इंडिया लिमिटेड, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 7769/95]

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :–

(1) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रकमहालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 7770/95)

भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार–(1995 का संख्यांक 10)–(वाणिज्यिक)–सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : मैं, श्री अजीत कुमार पांजा की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन–संघ सरकार–(1995 का संख्यांक 10)–(वाणिज्यिक)–सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 7771/95]

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचना

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सा. का. नि. 759 (अ), जो 19 अक्टूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है ।

(दो) सा. का. नि. 135 (अ), जो 15 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1995 का अनुमोदन किया गया है ।

(तीन) सा. का. नि. 136 (अ), जो 15 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात नियोजन की स्वीकृति) संशोधन विनियम, 1995 का अनुमोदन किया गया है ।

(चार) सा. का. नि. 362 (अ), जो 27 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन कर्मचारी शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति (संशोधन) विनियम, 1995 का अनुमोदन किया गया है ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल. टी. 7772/95]

(2) (एक) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष

1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 7773/95]

(4)(एक) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) के अंतर्गत दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 7774/95]

भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार–(1995 का संख्यांक 11) – (वाणिज्यिक) – भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन – संघ सरकार – (1995 का संख्यांक 11) – (वाणिज्यिक) – भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, (भिलाई इस्पात संयंत्र), की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 7775/95]

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : मैं श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 7776/95]

1.31 म.प.

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने 25 मई, 1995 को सभा में प्रस्तुत अपने नौवें प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने दर्शायी गई अवधि के लिये सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी है :–

(1)	श्रीमती दीपीका एच. टोपीवाला	14 मार्च से 31 मार्च, 1995, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल, 1995 और 1 मई से 8 मई, 1995
(2)	श्री लक्ष्मण सिंह	24 अप्रैल से 2 जून, 1995
(3)	श्री सैयद शहाबुद्दीन	2 मई से 17 मई, 1995
(4)	श्री कृष्ण मरन्डी	14 मार्च से 31 मार्च, 1995 और 24 अप्रैल, 1995
(5)	श्री के. मुरलीधरन	29 अप्रैल से 15 मई, 1995
(6)	श्री ई. अहमद	4 मई से 18 मई, 1995
(7)	श्री राजाराम शंकरराव माणे	24 अप्रैल से 2 जून, 1995
(8)	श्री राम निवास मिर्धा	16 मई से 2 जून, 1995

क्या सभा समिति द्वारा सिफारिश अनुपस्थिति की अनुमति देती है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : अनुपस्थिति की अनुमति दी जाती है। सदस्यों को तदानुसार सूचित कर दिया जायेगा।

1.32 म. प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

भारत की आकस्मिकता निधि में से राशि निकालना

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :

औद्योगिक विकास विभाग द्वारा केन्द्रीय निवेश राजसहायता के रूप में निम्नलिखित इकाइयों को उनके सामने उल्लिखित कुल 5,04,280/–रूपये (पांच लाख चार हजार दो सौ अस्सी रूपये मात्र) की राशि का भुगतान वित्तीय आयुक्त और सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग विभाग, चंडीगढ़ के माध्यम से किया जाता है:–

1.	मैसर्स गुप्ता आयल एंड जनरल मिल्स	2,39,800/–
2.	मैसर्स कपिल मुनि आयल मिल्स	59,780/–
3.	मैसर्स सूर्या प्लास्टिक्स	1,36,800/–
4.	मैसर्स रौकी इंटरनेशनल	67,900/–

1971 में शुरू की गई केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना 1.10.1988 को समाप्त कर दी गयी थी और इसलिए उक्त लेखे में इसके लिए कोई बजट प्रावधान नहीं है। किंतु, विभाग को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के दिनांक 4.8.93 और 4.5.95 के फैसले के अनुपालन में और उपर्युक्त प्रार्थियों द्वारा दायर अवमानना कार्यवाही से बचने के लिए उपर्युक्त पार्टियों को ऊपर बताई गई धनराशि अदा करनी है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष जी, पिछले दिनों एक सवाल उठाया था सऊदी अरब के बारे में। यह 30 हजार बच्चों की तालीम का मामला है। इस संबंध में मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे कि जो स्कूल बंद हो गए थे, जिनको नोटिसेज दिए गए थे, वे क्या वापस खुल गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : सऊदी अरब में जो स्कूल बंद हो गया था उसके बारे में सऊदी अरब गवर्नमेंट को अप्रोच किया था। वह स्कूल खुल गया है और उन्होंने इजाजत दे दी है।

1.35 म. प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बैंकों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर उच्च श्रेणियों में पदोन्नति दिये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर): सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों को उच्च श्रेणियों अर्थात् मैनेजर और इससे उच्च पदों पर बैंकों में पदोन्नति देने की व्यवस्था है और पदोन्नति केवल वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर दी जानी चाहिये। अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यकारी अधिकारियों को यह निदेश दिये गये हैं कि एक वेतनमान से दूसरे वेतन मान अथवा एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति केवल योग्यता के आधार पर दी जाये। यह भी निदेश दिये गये हैं कि बैंकों के बोर्ड वरिष्ठता पर कोई जोर नहीं देंगे। बैंकिंग सेवा में उच्च ग्रेडों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण केवल वरिष्ठता पर आधारित पदोन्नति पर लागू होती है, बशर्ते वे इस पद के लिये उपयुक्त हों। लेकिन सरकार के निदेशानुसार बैंकों को एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने से मना किया गया है।

अतः अप्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को बैंकिंग सेवाओं के उच्च ग्रेडों में पदोन्नति से वंचित रखा गया है। इससे बैंकिंग सेवाओं के उच्च ग्रेडों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी वांछित प्रतिनिधित्व से वंचित रह जायेंगे।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह शीघ्र ही इस सम्बन्ध में ध्यान दे ताकि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के आरक्षण के लिये वांछनीय प्रतिनिधित्व सम्बन्धी सांविधिक उपबन्ध निरर्थक सिद्ध न हो।

(दो) पलासा और कटक के बीच बरास्ता बरहामपुर तथा भुवनेश्वर चलने वाली डी. एम. यू. रेलगाड़ी में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने और ओखा एक्सप्रेस में अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : रेलवे बजट, 1995–96 में अनेक नई गाड़ियां चलाये जाने और अतिरिक्त सामान्य सुविधाएं देने के बावजूद दक्षिण उड़ीसा की यात्रा करने वाली जनता को इस वर्ष भी कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी गई हैं।

यह आश्चर्य की बात है कि पलासा और कटक के बीच बरास्ता बहरामपुर तथा भुवनेश्वर चलने वाली डी. एम. यू. रेलगाड़ी में शौचालय की सुविधा अचानक ही समाप्त कर दी गई है। लोग अपने परिवार के साथ उस सुविधाजनक शटल गाड़ी से यात्रा करते हैं और उनकी यात्रा अवधि लगभग छः घंटे होती है। अतः ऐसी गाड़ियों में शौचालय की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा के गंजम जिले के दो लाख से

अधिक लोग गुजरात में सूरत जिले में बस गये हैं । उड़ीसा से गुजरात जाने वाली ओखा साप्ताहिक गाड़ी में वर्तमान सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं । इससे बरहामपुर जैसे वाणिज्यिक केन्द्र और औद्योगिक रूप से विकसित सूरत के बीच भारी यातायात की आवश्यकता पूरी नहीं होती है ।

अतः मैं रेलवे मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि पलासा और कटक के बीच शौचालय की सुविधा तथा ओखा एक्सप्रेस में बरहामपुर के यात्रियों के लिये अतिरिक्त डिब्बों की व्यवस्था के लिये तुरन्त प्रभावी आदेश जारी करें ।

(तीन) हाथरस, उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. लाल बहादुर रावल (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देना चाहता हूं कि हाथरस नगर में कार्यरत दूरभाष केन्द्र की स्थिति काफी समय से खराब चल रही है । क्षेत्रीय नागरिकों/उपभोक्ताओं की प्रबल मांग थी कि हाथरस नगर के दूरभाष केन्द्र को इलैक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्र में परिवर्तित कर दिया जाये । दूरभाष उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुये, मैंने भी कई बार केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि उक्त दूरभाष केन्द्र को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में परिवर्तित कर दिया जाये, जिस पर केन्द्र सरकार ने एक्सचेंज में 2000 लाइनों के लिये नई मशीन स्वीकृत कर शीघ्र लगवाने का आश्वासन दिया था किन्तु काफी समय व्यतीत होने के उपरांत अभी तक नई मशीन को लगाये जाने की व्यवस्था नहीं की गयी है जिसके कारण क्षेत्रीय नागरिकों को दूरभाष की सरल व सुचारू रूप से सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है । उपभोक्ताओं में रोष व्याप्त हो गया है । इसके अतिरिक्त जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत कार्यरत दूरभाष केन्द्र जो कि सिकन्द्राराऊ, अतरौली, छर्रा और सासनी में हैं, उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। हमेशा उपभोक्ताओं को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि हाथरस नगर में कार्यरत दूरभाष केन्द्र में लगाई जाने वाली नई मशीन को शीघ्र लगवाने की व्यवस्था करायेंगे जिससे क्षेत्रीय नागरिकों को दूरभाष की सरल और अच्छी सुविधा मिल सके । साथ ही, अन्य दूरभाष केन्द्रों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिये आवश्यक आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को प्रदान करेंगे ।

(चार) बिहार के नवादा जिले में फुलवरिया जलाशय की मरम्मत और रखरखाव के लिये पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किये जाने का आवश्यकता

श्री प्रेम चन्द राम (नवादा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के नवादा जिले में केन्द्र सरकार के द्वारा फुलवरिया जलाशय का निर्माण कराया गया था । उसके रख–रखाव की तरफ समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण यह बांध तथा इससे निकलने वाली नहरों की हालत अत्यधिक खराब हो गई है और इस जलाशय का पानी जो किसानों को खेती के लिए दिया जाता है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नहरों के टूटे होने के कारण सारा पानी बेकार बह जाता है, जिससे किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है ।

अतः भारत सरकार से मैं यह मांग करता हूं कि नवादा जिला, बिहार में स्थित फुलवरिया जलाशय के रख–रखाव के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की जाए, जिससे नहरों तथा जलाशय का ठीक प्रकार से रख–रखाव हो सके और किसानों को जरूरत के मुताबिक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके ।

(पांच) आंध्र प्रदेश के पसारलापुडी में तेल के कुए में आग लगने से प्रभावित हुए लोगों के पुनर्वास के लिये पर्याप्त धनराशि दिये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जी. एम. सी. बालयोगी (अमालापुरम) : 8 जनवरी, 1995 से 10 मार्च, 1995 तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कुआ सं. 19 में पसारलापुडी में आग लगने से आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले के आस–पास रहने वाले लोगों की सम्पत्ति को भारी क्षति पहुंची और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को भी 100 करोड़ रुपये से अधिक की हानि हुई । आग लगने से 10,000 व्यक्ति प्रभावित हुए और 1,000 घर पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गये और 10,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया । आग के कारण 2,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में धान की फसल प्रभावित हुई और 5,000 नारियल के वृक्ष क्षतिग्रस्त हो गये। लगभग 200 परिवारों ने अमालापुरम में स्थापित राहत शिविरों में शरण ली । आग लगने के स्थान से 10 किलोमीटर के चारों ओर के क्षेत्र में किसानों की अनाज, नारियल और धान की फसल नष्ट हो गई। माननीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आयोग मंत्री तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों ने स्थल का अनेक बार दौरा किया ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अमालापुरम स्थित के. जी. परियोजना में ड्रिलिंग कार्य आरम्भ किये जाने के बाद से ही तेल और प्राकृतिक गैस आयोग भारी वाहनों के लिये स्थानीय सड़कों और पुलों का प्रयोग कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गये हैं । अमालापुरम के लोग इस क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता देने हेतु तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं । आंध्र प्रदेश सरकार भी भारत सरकार से समय समय पर अमालापुरम में कोसिना क्षेत्र के विकास के लिये धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध करती रही है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को आंध्र प्रदेश की के. जी. क्षेत्र परियोजना से अपरिष्कृत और प्राकृतिक गैस के रूप में करोड़ों रुपये की आय होती है । अभी भी वहां खोज के लिये भारी मात्रा में पेट्रोलियम भंडार हैं ।

अतः मैं माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आयोग मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि आग लगने के कारण प्रभावित हुए लोगों को सहायता के लिये शीघ्र ही आवश्यक

उपाय करें और क्षतिग्रस्त फसलों के लिये मुआवजा दें तथा सड़कों और पुलों के निर्माण के लिये धनराशि उपलब्ध करायें।

(छह) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में अरब सागर तट पर मत्स्यन पत्तन बनाये जाने की आवश्यकता

श्री एन. डेनिस (नागरकोइल) : कन्याकुमारी जिले में अरब सागर तट पर मत्स्यन पत्तन स्थापित किये जाने की आज अत्यधिक आवश्यकता है और अक्सर समुद्री कटाव और भारी वर्षा और ऊंची लहरों के कारण मत्स्ययानों के प्राकृतिक ठहरने के स्थान के पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने के कारण इस बात की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। इस प्रकार के समुद्र के भारी कटाव के कारण इस क्षेत्र के मछुआरों के अस्तित्व को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है। कन्याकुमारी जिले के तटवर्ती गांवों के अधिकांश निवासी मछुआरे हैं, जिनकी संख्या लगभग चार लाख है। वे पूर्णतया मत्स्यपालन पर निर्भर करते हैं और यही एक मात्र उनका कारोबार है। मत्स्ययानों के ठहरने की प्राकृतिक और संचालन सुविधाओं के क्षतिग्रस्त होने के कारण, मछुआरों को मछली पकड़ने के लिये केरल और देश के अन्य भागों में जाना पड़ता है जहां स्थानीय मछुआरों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है और उनके जीवन और सम्पत्ति को खतरा बना रहता है। देश के दक्षिण क्षेत्र के मछुआरों की मानसिक पीड़ा की ओर बहुत समय से ध्यान नहीं दिया गया है। अतः उन्हें इस गम्भीर स्थिति से बचाने के लिये केन्द्र सरकार को समुद्री कटाव रोकने के लिये शीघ्र एक दीवार बनानी चाहिये और प्रभावित स्थानों पर मत्स्य अवतरण केन्द्र स्थापित करने चाहियें तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के अरब सागर तट पर इराईमंथुराय और कोलाचेल में मत्स्यपत्तन बनाने के लिये शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

(सात) उड़ीसा के राऊरकेला में बेहतर रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

कुमारी फिड़ा तोपनो (सुन्दरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राऊरकेला का इस्पात नगर, आदिवासी क्षेत्र का हृदय मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। इस क्षेत्र के लोगों का देश के अन्य भागों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये रेल से जोड़ा जाना चाहिये। यद्यपि राऊरकेला हावड़ा–बम्बई मुख्य मार्ग पर स्थित है तथापि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाली कोई गाड़ी नहीं है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि सम्बलपुर–निजामुद्दीन 8301/8302 एक्सप्रेस गाड़ी को सप्ताह में चार दिन सम्बलपुर से निजामुद्दीन बरास्ता रांची–बोकारो, गया, वाराणसी–इलाहाबाद–कानपुर होकर चलाई जानी चाहिये। इससे पश्चिम उड़ीसा के लोगों को उत्तर भारत के किसी भी नगर में जाने की सुविधा होगी। राऊरकेला और टाटानगर, – दो इस्पात नगरों को डी. एम. यू. गाड़ी से जोड़ा जाना चाहिये। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय आदिवासियों को बाजार की सुविधा उपलब्ध होगी और इससे उनकी अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। दक्षिण भारत को जोड़ने के लिये तिरुपति–वाराणसी एक्सप्रेस बरास्ता विशाखापत्तनम,–विजयनगरम–रायगाड़ा–सम्बलपुर–राऊरकेला–रांची–बोकारो–गया और वाराणसी चलाई जानी चाहिये।

[हिन्दी]

(आठ) मध्य प्रदेश के धार जिले में खरगौन, बड़वानी और धामनोद में टेलीविजन रिले केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगौन) : उपाध्यक्ष महोदय, भोपाल दूरदर्शन केन्द्र के प्रसारण का कार्य आरम्भ हो गया है, किन्तु इसका लाभ केवल भोपाल के आसपास के सीमित क्षेत्र में ही निवास करने वालों को मिल पा रहा है। केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने इस केन्द्र का शुभारम्भ करते हुए यह आश्वासन दिया था कि भोपाल दूरदर्शन केन्द्र को उपग्रह से जोड़ने की कार्यवाही की जायेगी। म. प्र. की भौगोलिक सरंचना, विशाल आकार तथा पिछड़ेपन को देखते हुए यह आवश्यक है कि भोपाल दूरदर्शन केन्द्र को प्राथमिकता के आधार पर उपग्रह से जोड़ा जाये, जिससे इस केन्द्र का लाभ प्रदेश के अधिक से अधिक लोग उठा सकें।

भोपाल दूरदर्शन केन्द्र को केवल उपग्रह से जोड़ने से इस समस्या का पूरी तरह समाधान होना संभव नहीं है। प्रदेश के भोपाल, इन्दौर और रायपुर के अलावा अन्य क्षे में लगाए गए दूरदर्शन रिले केन्द्रों की क्षमता अत्यधिक कम है। अभी भी प्रदेश के सम्भागीय और 9 जिला मुख्यालय ऐसे हैं, जहां दूरदर्शन रिले केन्द्र नहीं हैं। प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 4.43 लाख वर्ग कि. मी. है। जबकि प्रदेश में स्थापित 53 रिले केन्द्रों का प्रसारण क्षेत्र इसकी तुलना में बहुत कम है, जिसके कारण प्रदेश की बहुत थोड़ी आबादी को दूरदर्शन कार्यक्रमों का लाभ मिल पाता है। खरगौन नगर जिले का मुख्यालय भी है परन्तु वहां दूरदर्शन रिले केन्द्र नहीं है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि खरगौन, बड़वानी एवं धामनोद जिला धार में एक–एक रिले केन्द्र खोला जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.50 म. प. पर पुन समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.50 म. प. तक के लिये स्थगित हुई।

3.00 म. प.

(2.50 बजे गणपूर्ति घंटी बजी। गणपूर्ति नहीं हुई। 2.53 बजे गणपूर्ति घंटी पुनः बजी और गणपूर्ति नहीं हुई। 2.56 बजे एक बार फिर गणपूर्ति घंटी पुनः बजी और गणपूर्ति नहीं हुई। इसके पश्चात् महासचिव ने निम्नलिखित घोषणा की)

3.01 म. प.

गणपूर्ति न होने के कारण लोकसभा की बैठक को 3.15 बजे तक के लिये स्थगित किये जाने के बारे में घोषणा

महासचिव : सभा में गणपूर्ति नहीं है । अतः सभा की बैठक नहीं हो सकती । हम सभा की बैठक तब तक आरम्भ नहीं कर सकते जब तक सभा में गणपूर्ति न हो । माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि लोकसभा 3.15 म. प. पर समवेत होगी ।

3.02 1/2 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा 3.15 म. प. बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

3.20 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.15 बजे म. प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

व्यापार चिन्ह विधेयक जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव बोल रहे थे । वह अपना भाषण जारी रखें ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को पेश करने में एक वर्ष से अधिक का समय लग गया । इसके विलंब का कारण मंत्री महोदय ने नहीं बताया है ।

इसी तरह से संसद की स्थायी समिति ने 18–19 बैठकें करके, मुंबई के व्यापारियों आदि से मिल कर तथा सारी छानबीन कर के कुछ सिफारिशें की थी, लेकिन उन सब सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया है। अब जब बिल संसद में पेश किया गया है तो मंत्री जी ने बहुत सारे संशोधन पेश कर दिए हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि संसद की स्थायी समिति की कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि उसकी सिफारिशों को अस्वीकार कर के बहुत से संशोधन रख दिए गए हैं । यदि इस तरह से संशोधन पेश करने थे तो इनको पहले संसदीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था और इन पर विचार–विमर्श होना चाहिए था, लेकिन यह काम नहीं किया गया । मेरा निवेदन है कि यदि सरकार चाहती है कि इन सारे संशोधनों पर विचार हो तो भले ही मंत्री जी इस बिल को पास करा लें, लेकिन इन सारे संशोधनों को स्थायी समिति में लाया जाए, स्थायी समिति में विचार विमर्श हो, उसके बाद इस बिल को सदन के पास भेजा जाए, मैं समझता हूं कि यही उपयुक्त होगा। मंत्री जी ने जल्दी में कल–परसों में अमेंडमेंट्स दे दिए तथा उनको सदन में पेश कर दिया गया, मैं समझता हूं कि यह संसदीय स्थायी समिति का अपमान है । समिति की सिफारिशों को न मानना और बीच में अमेंडमेंट्स लाना, यह उचित नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के संबंध में मेरा निवेदन यह है कि देशी तथा लघु उद्योगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चंगुल से बचाने का कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया है । इसका परिणाम यह होगा कि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में ट्रेड मार्क लेकर, व्यापार चिह्न लेकर यहां के देशी तथा लघु उद्योग पर अपना कब्जा जमा लेंगी, क्योंकि उन्होंने यहां पर ट्रेड मार्क पंजीकृत करा लिए हैं । ऐसी बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । जैसा कि कई पूर्व–वक्ताओं ने पेप्सी और मारुति/सुजुकी के बारे में बताया है । अब यदि मारुति का नाम सुजुकी से अलग कर दिया जाता है तो भारत सरकार केवल लेबल इकट्ठा करने का काम ही करेगी । भारत में जो मारुति बनती है, लेकिन उसमें नाम विदेशी कंपनी का ही चलेगा, केवल लेबल जुटाने का काम हमारा रह जाएगा । इस तरह से विदेशी कंपनियों का वर्चस्व हो जाएगा । इस तरह से मैं समझता हूं कि भारतीय उद्योगों को नुकसान होगा । पेप्सी और मारुती, ये आपके सामने दो उदाहरण हैं ।

3.25 म. प.

(श्रीमती सन्तोष चौधरी पीठासीन हुई)

इस सम्बन्ध में भी आप विचार करेंगे । भारत के उद्योग किस प्रकार से अपनी हिस्सेदारी ठीक प्रकार से रख सकते हैं, उनके हिस्से को ठीक प्रकार से मेनटेन करने के लिए आपने इस बिल में कोई प्रावधान नहीं किया है । इसका मतलब यह है कि आपने संशोधन लाकर ही अपना काम पूरा कर दिया है कि वह कोर्स बन जायेंगे । भारत सरकार को नहीं, रजिस्ट्रार को अधिकार हो जायेगा, मुकदमा ट्रिब्यूनल में चलेगा, ये एक सुहाने दृश्य हैं, लेकिन भारत के जो लघु और कुटीर उद्योग हैं उनको नुकसान होगा और विदेशी कम्पनीज अपने आप को पंजीकृत कराकर भारतीय उद्योगों पर कब्जा जमायेंगी, उसको रोकने का प्रावधान नहीं किया है ।

धारा 19 में सेक्शन 8 और 9 में जो भारतवर्ष के कलाकार हैं, कारीगर हैं उनके हुनर के बारे में संसदीय समिति ने जो सुझाव दिये थे, उनको भी स्वीकार नहीं किया है । केवल बड़े लोगों के हितों को संरक्षण देने का काम इस बिल में किया गया है । उन कलाकारों के ट्रांसफरेबल राइट्स होते हैं, चाहे गाना–बजाने वाला हो, साहित्यकार हो, इन अधिकारों को, सिनेमा के उद्योग को ये बाहर के उद्योग वाले खरीद लेंगे, इसी के साथ वे उनकी कमाई भी खरीद लेंगे और सारी रायल्टी वे खुद खायेंगे । इससे भारतीय कलाकारों को नुकसान होगा । संसदीय समिति ने जो इस सम्बन्ध में सिफारिशें की थीं उनको आपको गम्भीरता से लेना चाहिए और फिर यहां एक पूरा बिल लायें तो वह ठीक प्रकार का काम होगा ।

पंजीकृत ट्रेड मार्क के आधार पर मान लो वह उद्योग पंजीकृत नहीं है, उसकी मान्यता समाप्त हो गई है, यदि दूसरा व्यक्ति उस ट्रेड मार्क को लेता है तो उसे उसी ट्रेड मार्क को जारी रखने से रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं है । यदि पुराना ट्रेड मार्क चल रहा है तो लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि किसी और ने वह ले लिया है, वे उसी चीज को खरीदते रहते हैं । जैसे भारत में सनलाइट, लाइफबाय साबुन हैं, इनमें से यदि कोई एक अक्षर हटाकर उसी नाम से बेचा जाये तो लोग वही खरीदते रहेंगे । मुझे उम्मीद है कि आप इस सम्बन्ध

में भी विचार करेंगी। ट्रेड मार्क में अपमानजनक और अश्लील सामग्री नहीं होनी चाहिए, यह बात संसदीय कमेटी ने कही थी। आपके बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ट्रेड मार्क में अपमानजनक बात हो या अश्लील सामग्री हो, तो उनको कैसे रोकेंगे। यदि जनता की किसी विशेष श्रेणी के लोगों की भावना को ठेस पहुंचती है तो उस सम्बन्ध में भी रोक की बात नहीं कही है। मैंने शुक्रवार को भी कहा था कि व्यापार चिन्ह के रूप में पंजीकरण के लिए मापदंड होना चाहिए जिससे किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। आज देखने में आता है कि उपभोक्ता सामग्री में पैकेट या डिब्बों पर देवी–देवताओं के चित्र लगे होते हैं। उनका नाम भले ही चल जाये, जैसे आपका नाम कृष्णा साही तो इस नाम से उत्पाद बिके हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर हनुमानजी का या देवी का फोटो लगाकर कोई उत्पाद बेचा जाता है तो वह गलत है और अपमानजनक बात है। लाटरी में गांधीजी का फोटो लगा देते थे। जब ये उत्पाद के डिब्बे या लेबल हम कूड़े में पड़े देखते हैं तो इससे जनता के वर्ग विशेष की भावना को ठेस लगती है। उनका नाम हो सकता है, लेकिन उनके चित्रों के उपयोग करने पर मैं समझता हूं आपको पाबन्दी लगानी चाहिए। क्योंकि जब भी हमें या आपको भी कोई ऐसा लेबल या वस्तु सड़क पर दिखाई दे जाये जिस पर भगवान का फोटो है तो हम उसे उठा लेते हैं और कोने में रख देते हैं। इसलिए आप नाम को भले ही रहने दें, लेकिन चित्रों का उपयोग करने पर पाबन्दी लगा दें।

सभापति महोदया, मैं दो–चार बातें और कहूंगा। एक तो यह है कि ट्रांस्फर ऑफ टैक्नॉलॉजी पर किस प्रकार रोक लगायी जाये ? भारत के गरीब मजदूर, कलाकार, संगीतकार एक चीज को पैदा करता है लेकिन बड़े बड़े प्रोफैसर्स उस टैक्नालाजी को बेच देते हैं और दूसरे लोग उसका लाभ उठाते हैं। एक गरीब आदमी ने उद्यम किया, उसे नुकसान हो रहा है और लाभ कोई उठा रहा है। मैं समझता हूं कि इस संबंध में कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिये। आप इस बात पर जरूर विचार करें कि मूल व्यक्ति को ही लाभ मिले। देश में विदेशी कम्पनियों को बुलाने से यहां पर व्यापार और उद्योग कुंठित हो गया है। मेरा कहना है कि 'गैट' समझौते पर उस समय हस्ताक्षर हो गये होते जब समिति ने आपको सारे सुझाव दिये थे तो और बात होती। ऐसा न हो कि गरीब मजदूर, कलाकारों की मेहनत पर और छोटे और कुटीर उद्योगों पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कब्जा कर लें। भारत के ट्रेड मार्क को पंजीकृत कर दें ताकि भारत के व्यापार को नुकसान न हो। इस पर जरूर विचार करें। गैट समझौता करके भारत के हितों को जो नुकसान पहुंचा है, उस पर भी विचार करना चाहिए।

सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी बिल तो ठीक भावना से लायी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हैं लेकिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारत में आ जाने के बाद इस बिल को लाने से देश के हितों को नुकसान होगा। मैं समझता हूं कि सारे संशोधनों को आप समिति में भेजेंगी। जैसा कि आपके नाम कृष्णा साही से मालूम होता है कि आप कोई भगवान का अवतार स्वंय को मान रही हैं तो इस देश के मजदूरों, व्यापारियों, बेरोजगारों को इस कृष्ण, राम और रहीम के देश में नुकसान न उठाना पड़े और भारत में व्यापार पर प्रतिकूल असर न पड़े इस संबंध में इस बिल पर पुनः विचार करेंगी। कहीं ऐसा न हो कि आपका अपमान हो जाये। चूंकि आप मंत्री बन गयी हैं और यह समझती हैं कि इसको पास कराना है और आप 'गैट' या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में लायी हैं तो मुझे उम्मीद है कि स्थायी समिति के 45 सदस्यों ने जो अपनी सिफारिशें दी हैं और उसने 18–19 मिटिंग की हैं, बम्बई भी समिति दौरे पर गयी थीं, वहां व्यापारियों और योग्य लोगों से मिली हैं, उनका ध्यान रखेंगी और इसको पास करवाने के लिये जोर नहीं डालेंगी। देश हित में नहीं होगा। इसी बात को ध्यान में रखेंगी। और अंत में यही कहूंगा कि 19 मई से आपको थोड़ा वरदान मिल गया है और आप 4–5 महीने और रह पायेंगी तो उस वरदान का लाभ उठाकर इस बिल में संशोधन लाकर फिर लायें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़): पीठासीन महोदया, मैं नया व्यापार चिन्ह विधेयक, 1993 का समर्थन करता हूं। वास्तव में इस विधेयक के बारे में कोई विरोध नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है। लेकिन सभा में प्रस्तुत नए विधेयक की भावना का लगभग सभी सदस्यों ने समर्थन किया है। विधेयक पारित होने और इसके कानून बन जाने पर यह वर्तमान व्यापार और पण्य चिन्ह, अधिनियम, 1958 का स्थान ले लेगा जो वर्ष 1958 में लागू किया गया था। यह विधेयक नये कानून का स्थान ले लेगा।

मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कानून बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। लेकिन गत तीन दशक से अधिक समय से वर्ष 1958 से विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधियों में व्यापार और वाणिज्य भी शामिल है और विशेष रूप से व्यापार और वाणिज्यिक क्षेत्र में गत तीन–चार वर्षों में क्रान्तिकारी परिवर्तन आये हैं। 'गैट' पर भारत समेत विश्व के 117 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किये हैं। परिवर्तन विश्वव्यापी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब इस कानून की व्यापक समीक्षा की गई तो इसमें कई अर्थों में कमी पाई गई। इस बीच व्यापार चिन्ह सम्बन्धी कुछ विनियमन, कानूनों की जांच अथवा कानूनी जांच की गई। अनेक न्यायिक प्राधिकरणों अथवा न्यायालयों ने कुछ बहुमूल्य निर्णय दिये जिन्हें भी अधिनियम में शामिल करने की आवश्यकता है। अतः स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने यह अनुभव किया कि विधेयक में इतने अधिक संशोधन शामिल किये जाने की बजाय यह उपयुक्त होगा नया कानून बनाया जाये और इस प्रकार यह विधेयक सभा में प्रस्तुत किया गया।

विधेयक 1993 में पुनः स्थापित किया गया था। इसकी पुरःस्थापना के बाद सरकार ने मांगों को ध्यान में रखते हुए तथा नई गठित स्थायी समितियों के उपबन्धों के अनुसार इसे सम्बद्ध उद्योग सम्बन्धी स्थायी समिति को सौंप दिया। उसने इसकी विस्तार से जांच की। उसने अगस्त, 1993 के दो तीन महीने बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अब समिति को रिपोर्ट दिये दो वर्ष से अधिक समय हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि स्थायी समिति द्वारा जांच किये जाने के बाद इतनी अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं। सभा को रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद इस बारे में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिये विशेषकर जबकि मामला इस प्रकार का है जिसका व्यापार और वाणिज्य से सम्बन्ध है, जिससे हमारा वर्तमान कानून अद्यतन होता है, जिससे हम अन्तरराष्ट्रीय स्तर और विशिष्टियों के मामले में समान स्तर पर आते हैं।

इस सम्बन्ध में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये और इसे शीघ्र पारित किया जाना चाहिये। मुझे यह समझ में नहीं आया कि माननीय श्री भार्गव को यह कैसे आभास हुआ कि स्थायी समिति के इस मामले में विभिन्न मत हैं। कुल मिलाकर सरकार ने स्थायी समिति

द्वारा व्यक्त विचारों को स्वीकार कर लिया है । अतः इस विधेयक पर अब और अधिक बोलना आवश्यक नहीं होगा । यह प्रस्तावित विधेयक द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के समकक्ष कानून बनाने का प्रयास किया गया है और यह निश्चित रूप से एक सुधार है । इसका उद्देश्य प्रक्रिया में सुधार करना है । यह न केवल व्यापारियों के वास्तविक हितों बल्कि उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण देने की दिशा में उचित कदम है ।

जैसाकि मैंने पहले बताया था कि इस परिवर्तन का अनुमान भारत ने 'गैट' तथा व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी करार पर अप्रैल, 1993 में हस्ताक्षर करने से बहुत पहले लगा लिया था । पहली बार इस विधेयक में कुछ नई बातों को शामिल किया गया है । इससे पूर्व व्यापार चिन्हों को संरक्षण दिया जाता था । लेकिन अब विधेयक में एक और नई व्यवस्था सेवाओं को संरक्षण देने की की गई है । सेवाओं को विधेयक में पहली बार शामिल किया गया है । यह विधेयक माल पर व्यापार चिन्ह के विरुद्ध सेवा चिन्ह को संरक्षण देता है । जिन सेवाओं के लिये व्यापार चिन्ह पंजीकृत किया जा सकता है उनमें विज्ञापन और व्यापार, बीमा और वित्त निर्माण और मरम्मत, परिवहन और गोदाम सामग्री कार्यक्रम, भोजन और आवास, शिक्षा, मनोरंजन आदि शामिल हैं । चर्चा अधीन विधेयक में व्यापार चिन्ह की परिभाषा क्षेत्र का विस्तार किया गया है और इसमें ग्राफीय विधि जैसे पैकेजींग और रंगों के मेल और माल और सेवाओं दोनों को शामिल किया गया है । अन्तरराष्ट्रीय प्रक्रिया के समान अन्य फर्मों जैसे संग्रह चिन्ह, पंजीकृत व्यापार चिन्ह के प्रयोग तथा विस्तार की अनुमति दी गई है । अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन से न्यायालय का क्षेधाधिकार भी प्रभावित होगा । न्यायालयों में मामलों के लम्बित रहने की प्रवृत्ति रही है। अपीलीय बोर्ड के गठन के बाद उच्च न्यायालय से ऐसे बोर्डों को मामले अन्तरित कर दिये जायेंगे । निश्चित रूप से यह सुधार हुआ है ।

विधेयक में व्यापार चिन्हों के पंजीकरण की प्रक्रिया का भी प्रस्ताव है । पहले भी इसके लिये दो अदालतें थी । अब यह कार्य एक अदालत और एक प्राधिकरण के अन्तर्गत किया जा सकेगा । इस प्रयोजन के लिये रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जायेगी और सरकार के सम्मुख प्रस्तुत होने की बजाय पार्टियां रजिस्ट्रार के सम्मुख पेश होंगी ।

विधेयक में अनेक स्वागत योग्य बातें हैं । यह हमारे कानून को इस विशेष क्षेत्र में परिवर्तित परिस्थितियों अथवा विकास के अनुरूप रखता है । विपक्ष के दिमाग में व्यापार चिन्हों के बारे में भारी आशंकाएं हैं । इस क्षेत्र में भी हमें कुछ कम्पनियों, व्यापारियों और कृषि क्षेत्रों द्वारा प्रयोग किये जा रहे नकली व्यापार चिन्हों का पता लगा है । इनका सख्ती से मुकाबला किया जाना चाहिये । नये विधेयक में इस बारे में सख्त व्यवस्था जैसे दो वर्ष का कारावास आदि की गई है, जो स्वागत योग्य है । अभी यह स्वेच्छिक है । व्यापारियों अथवा फर्मों के लिये पंजीकरण अनिवार्य है । निश्चित रूप से जो लोग पंजीकरण करायेंगे उन्हें कुल लाभ, क्षतिपूर्ति आदि का अधिकार प्राप्त होगा । वे इनका उल्लंघन करने पर मुकदमा कर सकते हैं । कोई भी अच्छी अथवा विख्यात फर्म हमेशा व्यापार चिन्ह के अन्तर्गत कार्य अथवा संचालन कर सकती है । जैसा कि आप जानते हैं कि यह व्यापार चिन्ह साख का द्योतक है । यह उपभोक्ता को इस बात का आश्वासन देता है कि जब वह व्यापार चिन्ह वाली एक विशेष वस्तु खरीद रहा है तो वह वही वस्तु खरीद रहा है जिसके गुण, बनावट आदि का आश्वासन दिया गया है । व्यापारी, फर्मों आदि की वस्तुओं की नकल करने की अक्सर प्रवृत्ति रही है, इस बारे में सख्ती करनी होगी । एक व्यापार चिन्ह एक विशेष उत्पाद की साख अथवा ख्याति प्रतिबिम्बित करती है । जैसाकि मैंने पहले उल्लेख किया है कुछ मामलों में व्यापार का विश्व विस्तार अल्प–परिवर्तन को त्रुटि की दृष्टि से देखा जाता है। हमें ऐसे नकली माल के प्रति बहुत सचेत रहना चाहिये जिससे हमारे देश को बुराई मिलती है अथवा देश की ख्याति बिगड़ती है ।

यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय हम पिन अथवा ब्लिेड तक बनाने में असमर्थ थे लेकिन अब चार अथवा पांच दशक बाद हमारे देश को विश्व के सबसे अधिक औद्योगिक रूप में विकसित 15 देशों में से एक होने का गौरव प्राप्त है । यह कोई मजाक नहीं है । यह कोई कम उपलब्धि नहीं है । इसके साथ–साथ अब चूंकि हमारे माल का विश्व में तीव्र गति से विस्तार हो रहा है, हमें स्पर्धी होना है, हमारा उद्योग ऐसा होना चाहिये जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके । इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अपना निश्चित स्तर बनाये रखना होगा । यदि स्तर में गिरावट आती है तो इससे हमारे तीव्र गति से विकास कर रहे देश की छवि बिगड़ेगी ।

जहां तक रजिस्ट्रार का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहूंगा कि नये विधेयक के अन्तर्गत उसे पर्याप्त शक्तियां प्राप्त होंगी । लेकिन मुझे आशंका है कि जब तक उसे उचित समर्थन, आवश्यक स्टाफ और अन्य सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी, विलम्ब की सम्भावना है । स्थायी समिति ने बहुत बारीकी और विस्तार से जांच की है और समिति की सिफारिशों को सरकार ने कुल मिलाकर स्वीकार कर लिया है । मार्ग में जो कठिनाइयां आयेंगी उनकी ओर ध्यान देना होगा ।

मैं इस बारे में एक सुझाव देना चाहूंगा । यह सुझाव न केवल व्यापार और वाणिज्य के बारे में है बल्कि उन विभिन्न क्षेत्रों के बारे में है जिनके बारे में कानून बन चुके हैं । यह कानून पुराने पड़ गये हैं, समयानुसार खरे नहीं उतरते हैं और समय में परिवर्तन के साथ हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर रहे हैं । हमें इन सब कानूनों की समीक्षा करनी होगी और उन्हें नवीनतम बनाना होगा । हमारी दण्ड प्रक्रिया संहिता है जो वर्ष 1892 अथवा 1893 में लागू हुई थी । हालांकि हम जब कभी आवश्यक होता है उसमें संशोधन कर उसे नवीनतम बना रहे हैं । लेकिन इसके साथ–साथ निश्चित रूप से कुछ ऐसे कानून हैं जिनमें भारी परिवर्तन की आवश्यकता है । ऐसे मामलों के लिये भी इन कानूनों सम्बन्धी संसदीय समिति है । यह मुख्य कानून नहीं है । लेकिन ऐसे सब मामलों में भी समीक्षा की जानी चाहिये और अपने कानूनों को नवीनतम बनाने के प्रयास किये जाने चाहियें ।

बिना किसी विलम्ब के यह विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है और यहां पारित होने के पश्चात् राज्य सभा को भेजा जायेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

[हिन्दी]

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : माननीय सभापति महोदया, ट्रेड मार्क्स विधेयक, 1993 के माध्यम से ट्रेड और मर्चैनडाइस मार्क्स अधिनियम, 1958 में संशोधन का प्रस्ताव इस सम्मानित सदन में उपस्थापित है । मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करती हूं । सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है और विशेष रूप से जो समर्थन मिला है, उसके

लिए मैं बार–बार आभार व्यक्त करती हूं। 1958 से लागू यह अधिनियम संतोषप्रद तो रहा है परन्तु साढ़े तीन दशक पुराना भी हो चुका था। जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने अनुभव किया कि समय की नब्ज को पहचानते हुए इसमें परिवर्तन की जरूरत है और इसलिए यह आपके सामने उपस्थापित है। इस अवधि में आर्थिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक वातावरण में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में पूंजी निवेश और टैक्नोलौजी ट्रांसफर को प्रोत्साहित करने के लिए देश के ट्रेड मार्क मैनेजमैंट सिस्टम का सरलीकरण भी आवश्यक समझा गया। पुराने अधिनियम के संबंध में कोर्टस में कई आदेश भी पारित हुए जिनके अनुरूप भी संशोधन करना बहुत जरूरी था। इसलिए ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1993 के माध्यम से 1958 के अधिनियम को पूर्णरूपेण एवं समीक्षा के उपरांत ही संशोधित करने हेतु यह प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

किसी भी वस्तु एवं सेवा को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को ट्रेड मार्क कहते हैं। यह प्रदर्शन शब्द, अक्षर, अंक या तस्वीर इत्यादि के द्वारा किया जा सकता है। मुख्यतः ट्रेड मार्क के दो उद्देश्य हैं। परम्परा के अनुसार पहला उद्देश्य किसी भी वस्तु एवं सेवा को स्पष्ट अस्तित्व प्रदान करना है। उससे इसकी पहचान भी साफ–साफ जाहिर होती है और इसके उद्भव का भी पता लगता है। इसके अतिरिक्त ट्रेड मार्क के माध्यम से उपभोक्ता को संबंधित वस्तु, सर्विसेस, क्वालिटी इत्यादि के बारे में भी सूचना मिलती है। ट्रेड मार्क्स संबंधी कानून के माध्यम से ट्रेड मार्क के पंजीकरण और उसके दुरुपयोग को रोकने हेतु सुविधा प्राप्त होती है। आवश्यक है कि यह नियम आर्थिक, औद्योगिक और वाणिज्यिक वातावरण की मांग के अनुकूल ही हो। समय–समय पर ट्रेड मार्क संबंधी कानून में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई और इसलिए ट्रेड मार्क्स विधेयक, 1993 आपके सामने प्रस्तुत है।

ट्रेड मार्क्स विधेयक लोक सभा में 19 अप्रैल, 1993 को पेश किया गया था। उद्योग मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्टैंडिंग कमेटी ने इस विधेयक की पूर्णरूपेण समीक्षा की और 21 अप्रैल, 1994 को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की। समिति की रिपोर्ट में संशोधन संबंधी अनेक सुझाव आए हैं। सरकार ने उन सभी सुझावों को मान लिया है और प्रेषित विधेयक में उन्हें संशोधित करने का प्रस्ताव भी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि 17 क्लाजेस में कुल 29 अमैंडमैंट्स थे। स्टैंडिंग कमेटी ने जो चेंजेस सजैस्ट किए थे, उन सभी को सरकार ने मान लिया है। उन चेंजेस को इनकार्पोरेट करते हुए बिल आपके सामने विचार के लिए उपस्थापित है। जो सारा परिवर्तन हुआ है, वह कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही है।

केवल कहीं पाला बदल दिया गया है, कहीं क्रमांक बदल दिया गया है। जैसे किसी न कहा कि दो के बाद तीन को जोड़िए तो इसको जोड़ दिया गया, यह इसमें परिवर्तन करना पड़ा है, क्योंकि, काफी समय व्यतीत हुआ है, इसलिए क्रमांक वगैरह का परिवर्तन किया गया है। सुझाव सभी मान लिये गये हैं, जो स्टैंडिग कमेटी की रिपोर्ट में हैं, उसमें जो पैरा 13 है, उसमें सभी माननीय सदस्य देखेंगे कि विचार–विमर्श तो होते हैं, सुझाव दिये जाते हैं, लेकिन सम्पूर्ण रूप से मानकर जो रिपोर्ट इसमें आती है, वह सदन के सामने उपस्थापित है। संक्षेप में जो विधेयक है :

[अनुवाद]

इन प्रयोजनों को प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्तमान विधेयक में अन्य बातों के साथ सेवाओं के लिये व्यापार चिन्ह का पंजीकरण की व्यवस्था है। यह व्यवस्था उस माल के अतिरिक्त हैं, जो उन व्यापार चिन्हों के पंजीकरण को रोकते हैं जो प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह की नकल है। इससे खंड 9 और 11 में उल्लिखित पंजीकरण के इंकार करने के आधार विस्तृत होता है। इसमें विभिन्न वैध अधिकारों सहित भाग क और ख में व्यापार चिन्हों के पंजीकरण बनाये रखने की प्रणाली को समाप्त किया गया है और पंजीकरण की सरल प्रक्रिया और समान अधिकारों सहित केवल एक रजिस्टर रखने की व्यवस्था है। पंजीकृत उपभोक्ताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया सरल की गई है और स्वीकृत उपयोग के क्षेत्र का विस्तार किया गया है। एसोसिएशनों आदि को प्राप्त 'कलेक्टिव मार्क्स' के लिये व्यापार चिन्हों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इसमें, अपीलों के शीघ्र निपटान और ऐसे आवेदन–पत्रों की शुद्धि के लिये जो इस समय उच्च न्यायालय के विचाराधीन हैं और जिनमें व्यापार चिन्हों सम्बन्धी अपराधों के लिये सजा बढ़ाई गई है जिससे नकली सामान की बिक्री रोकी जा सके, किसी अन्य के व्यापार चिन्ह पर, निर्गमित नाम अथवा व्यापारिक फर्म के एक भाग के रूप में, प्रयोग पर रोक लगाई गई है, के लिये अपीलीय बोर्ड की स्थापना की व्यवस्था की गई है। इसमें 'व्यापार चिन्ह' की परिभाषा में संशोधन करने जैसे उपबन्ध शामिल किये गये हैं। एक से अधिक श्रेणी में पंजीकरण के लिये एक आवेदन पत्र भरने की व्यवस्था की गई है। पंजीकरण की अवधि बढ़ाने और नवीकरण की अवधि सात से बढ़ाकर दस वर्ष की गई आदि शामिल हैं....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

चर्चा के दौरान माननीय सांसदों ने विधेयक के सम्बन्ध में अपने बहुमूल्य सुझाव तो दिये हैं, साथ ही साथ अपनी कुछ शंकाऐं भी व्यक्त की हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि उन बिन्दुओं पर शंकाओं को दूर करने का प्रयास करूं।

हमारे माननीय सदस्य श्री भगवान शंकर रावत जी ने बहस का प्रारम्भ करते हुए कुछ मुद्दे उठाये हैं, जो मुद्दे और भी हमारे माननीय सदस्यों ने उठाये हैं, जैसे अभी गिरधारी लाल जी ने कहा है कि जो ट्रेड मार्क है, जिसका प्रयोग 15–20 वर्षों से किसी के द्वारा किया जा रहा है, यदि वह किसी कारणवश रिन्यू नहीं हो सका तो दूसरा कोई भी व्यक्ति उस ट्रेड मार्क को रजिस्टर्ड करा लेगा, इसमें पुराने ट्रेड मार्क होल्डर की कोई सुरक्षा नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहती हूं कि ट्रेड मार्क और मर्केण्टाइल एक्ट, 1958 की जो स्थिति है, अब नये बिल में यह प्रावधान किया जा रहा है कि वैल नोन मार्क यदि पंजीकृत न भी हो, तब भी उसका या उसके इम्मीटेशन का पंजीकरण नहीं किया जायेगा। जैसे मान लीजिए एयर इण्डिया का 'महाराजा' एक सिम्बल है, लेकिन वह सिम्बल वैल नोन है, सभी लोग उसको जानते हैं। इसी तरह यदि बैंक है, किसी बैंक का सिम्बल यदि 'चाबी' है, तो वह सिम्बल सब कोई जानता है, चाहे वह रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। अब इन बातों पर भी मुस्तैदी की जायेगी कि यदि वह रजिस्टर्ड न भी हो, तब भी उसका या उसके इम्मीटेशन का पंजीकरण नहीं किया जायेगा। सदस्यों द्वारा जो सुरक्षा की बात की जा रही है, वह प्रावधान भी तो इस बिल में है। यदि माननीय सदस्य इसे देखेंगे तो वह इसमें मिलेगा।

4.00 म.प.

दूसरा जो उन्होंने मुद्दा उठाया था, वह था कि कोई भी बात जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हो, या कोई अश्लील, अभद्र की बात सामने आती है, उसके बारे में मैं

स्पष्ट करना चाहती हूं कि

[अनुवाद]

सेक्शन 9(2) (ख) और (ग) इस पहलू की ओर ध्यान देंगे। इन सेक्शनों के अनुसार चिन्ह का पंजीकरण व्यापार चिन्ह के रूप में नहीं किया जायेगा, यदि इसमें कोई ऐसा मामला निहित अथवा शामिल होगा जिससे भारत के नागरिकों के किसी वर्ग अथवा सेक्शन की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो अथवा इसमें निन्दात्मक अथवा अश्लील मामला निहित अथवा शामिल हो।

[हिन्दी]

में समझती हूं कि शायद इससे आपकी बात की सफाई हो गई होगी। इस बात की चर्चा अन्य सांसदों ने भी की है जिसका क्लैरिफिकेशन मैंने दे दिया है।

साहित्यकारों और कलाकारों की भी चर्चा की गई। इनकी सुरक्षा का मुद्दा कापीराइट अधिनियम के अन्तर्गत आता है और यह हयूमन रिसोर्सिज डिपार्टमैंट से सम्बन्धित है जबकि अभी हम ट्रेड मार्क अधिनियम पर चर्चा कर रहे हैं।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन यहां नहीं हैं। इन्होंने बहुत अच्छे–अच्छे सुझाव समय पर दिये हैं और हमने उसे मान लिया है। माननीय सदस्य सुधीर राय जी यहां उपस्थित नहीं है। ....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

*ओह ! आप यहां हैं। मैं बंगाली में बोलूंगी। कृपया माफ करें यदि मेरी कोई गलती हो। आपने तीन मसले उठाये हैं। सर्व प्रथम आपने सुझाव दिया है कि विदेशी कम्पनियों को हमारे बाजार पर कब्जा करने से रोकने के लिये या तो व्यापार चिन्ह का पंजीकरण नहीं किया जाना चाहिये अथवा दोहरी नीति का पालन किया जाना चाहिये। आपका दूसरा सुझाव यह था कि व्यक्तियों के संघ को चिन्हों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये....**(व्यवधान)**

*आपने अपीलीय बोर्ड की बैंच स्थापित करने का भी सुझाव दिया था। मैं यह कहना चाहूंगी कि....मैं नहीं समझती कि क्या मैं बंगाली में बोलना जारी रखूं क्योंकि ऐसा करने पर कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। कृपया इसके लिये मुझे क्षमा करें।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): कृपया भाषण जारी रखें। आप बंगाली में बिल्कुल ठीक बोल रही हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : मैं यह कहना चाहूंगी कि व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1958 में कुछ सुविधाएं हैं, जैसे....

[हिन्दी]

कोई भी व्यक्ति जिसे ट्रेड मार्क मिलता है, उसके हितों की सुरक्षा के लिये विदेशी कम्पनियों के ट्रेड मार्क को पंजीकृत करके कोई नीति बनाई जायेगी और प्रावधान किया जायेगा।

[अनुवाद]

*मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देती हूं कि विदेशी कम्पनी के पंजीकरण के लिये कोई नया उपबन्ध नहीं लाया जायेगा।

[हिन्दी]

आज के इकोनामिक वातावरण में ग्लोबाइजेशन के समय हमारी पालिसी के विरुद्ध ऐसी पॉलिसी अपनाने पर हमारे एक्सपर्ट इत्यादि में इस प्रकार की ड्यूअल पालिसी का सामना करने में कठिनाई होगी।

[अनुवाद]

विधेयक में 'कलेक्टिव मार्क्स' का प्रावधान है। 'कलेक्टिव मार्क्स' की व्यवस्था संघों के समूह अथवा उद्यमियों के लिये की जाती है। इसका प्रयोग केवल समूह के सदस्यों के लिये आरक्षित है। यदि समूह और अधिक व्यक्ति चाहता है तो इसकी अनुमति दी जाती है। अपीलीय बोर्ड की बैंचों के गठन का सुझाव दिया गया है। अनेक सदस्यों ने इस बारे में सुझाव दिये हैं। विधेयक के सेक्शन 85 (2) के अन्तर्गत अपीलीय बोर्ड की बैंचों का पहले ही प्रावधान है।

श्री मुमताज अंसारी आज यहां नहीं हैं। लेकिन उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं। उन पर भी विचार किया गया है।

[हिन्दी]

श्री आर. के. यादव ने कहा कि क्या हम किसी के दबाव में आकर ऐसा परिवर्तन कर रहे हैं ? मेरा कहना यह है कि हम किसी के दबाव में आकर यह परिवर्तन नहीं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रस्तावित परिवर्तन भारतीय बाजार स्थल की व्यावहारिक वास्तविकताओं पर आधारित हैं और किसी विशेष देश अथवा संगठन के आदेश पर आधारित नहीं हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि विकसित उत्पादन का लाभ भारत में पंजीकृत सभी व्यापार चिन्हों को प्राप्त होगा। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि भारत में पंजीकृत अथवा आवेदन किये

*मूलतः बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

गये 80 प्रतिशत व्यापार चिन्ह भारतीयों के ही हैं। विधेयक में प्रक्रिया के सरलीकरण और युक्तियुक्तकरण तथा कागजी कार्यवाही कम करने की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

जिसको लालफीताशाही कहते हैं। कहते हैं कि प्रक्रिया बहुत पेचीदा है, उसको आसान करने के लिये यह बिल लाया गया है। हम चाहते हैं कि इसको इनकार्पोरेट करें, इकोनोमिक चेंजेज को, जुडिशियल डिसीजन्स को।

[अनुवाद]

विधेयक का यही मुख्य उद्देश्य है। व्यापार चिन्हों का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों को सख्त सजा दी जानी चाहिये। इस बारे में हमारे रावत जी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा है।

[अनुवाद]

विधेयक में भारी आर्थिक दण्ड की व्यवस्था है। कुछ अपराधों के लिये तीन वर्ष की सजा और दो लाख रुपये तक जुर्माने की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

माननीय सदस्य, रामाश्रय प्रसाद जी के सुझावों को भी ध्यान से सुना गया है। शाहबुद्दीन जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। शाहबुद्दीन जी और राम कापसे जी ने जो सुझाव दिए हैं और दूसरे माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, जो सुविधायें हम दे रहे हैं, वे सुविधायें अन्य देशों द्वारा भी रैसीप्रोकल आधार पर उपलब्ध कराई जाए। मैं आपका ध्यान सैक्शन 156 की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, जिसमें रैसीप्रोसीटी का प्रावधान है। दूसरा इशू है– स्थायी समिति के कुछ सुझाव स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ? यह बिन्दु राम कृपाल जी और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी उठाया है। मैं इतना ही कहना चाहती हूं, तो मैंने पहले ही कह दिया है, सब मुद्दों पर जो उन्होंने सुझाव दिए हैं, उनको हमने माना है। पैरा बदल जाता है और यह दूसरी बात है कि सैक्शन बदल गया है। स्थायी समिति की सब सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। रिपोर्ट में अनेक बिन्दु हैं, जिन पर जरूर विचार किया गया है, परन्तु अनुशंसा पैरा–13 में की गई है। इन सब अनुशंसाओं को मान लिया गया है। विदेशी माल और सेवाओं को अविवेकपूर्ण संरक्षण न दीजिये। यह भी कहा गया है कि विदेशी कम्पनीज की एन्ट्री पर रोक लगाई जाए। एक तरफ माननीय सदस्य कहते हैं कि रैसीप्रोकल बेसेज पर होना चाहिए और दूसरी तरफ कहते हैं कि रोक लगानी चाहिए। तो आज के जमाने में कौन ऐसा मूर्ख होगा, जो यह कहेगा कि तुम हमारा सामान ले लो और हम तुम्हारा सामान नहीं लेंगे। तुम को आने नहीं देंगे, लेकिन हम तुम्हारे यहां से लेकर आयेंगे। इसलिए यह सब आदान–प्रदान के ऊपर निर्भर है। यह सब राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जैसा मैंने पहले ही सैक्शन 156 की ओर आपका ध्यान खींचा, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जहां तक विदेशी कम्पनीज की एन्ट्री का प्रश्न है, यह इन्डस्ट्रियल पॉलिसी से नियन्त्रित होता है। इस संबंध में हमारी नीति इन्डस्ट्रीज को मजबूत बनाने की है, ताकि पूरे विश्व में जो हमारी प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा में हम शामिल हों। माननीय सदस्यों ने बहुत से मुद्दे उठाए हैं, जो उद्योग मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति की अनुशंसाओं से हैं, तो हमने उनको माना है और यह कोई बाहरी दबाव में आकर नहीं किया जा रहा है। ऐसी कोई डर की बात नहीं है। विदेशी कंपनियों के द्वारा प्राप्त किए ट्रेड–मार्क की संख्या अलग नहीं रखी गई है। परन्तु आंकड़े से स्पष्ट है कि कुल विदेशी ट्रेड मार्क गत वर्ष के पंजीकृत ट्रेड मार्क से दस प्रतिशत है। 30,266 पंजीकृत ट्रेड के विरुद्ध 3,074 ट्रेड मार्क विदेशों के हैं और बाकी सब अपने हैं। इसी प्रकार पाणिग्रही जी ने जो सुझाव दिया है, उनको भी हमने माना है।

अंत में, मैं गिरधारी लाल जी ने कहा है कि इसको स्टैंडिंग कमेटी को रैफर किया जाए, तो मैं कहना चाहती हूं कि इसको पुनः क्यों रैफर किया जाए, जब आपकी बात को हमने मान लिया है। वही अमैंडमेंट लाए हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी द्वारा उठाए गए हैं। लघु उद्योगों की सुरक्षा के लिए हमारी आर्थिक नीति की ट्रेड एंड टैरिफ पालिसी में प्रावधान है और काउन्टर–वेलिंग–ड्यूटीज का हम प्रावधान करते हैं। मोडवैट का विस्तार भी हमारी ट्रेड पालिसी के अन्तर्गत है। जिसमें इसका प्रावधान है और उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम्पीटिटिव होना चाहते हैं। यह बिल सिर्फ उत्पादित सामग्रियों को पंजीकृत करने से संबंधित है।

अंत में मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी, इस नये विधेयक का उद्देश्य यह है कि ट्रेड मार्क के पंजीकरण को कैसे सिम्पल, इफेक्टिव और तीव्रगामी बनाया जाए और इसके दुरुपयोग को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जाए। ऐसा करने पर हमें अधिकाधिक पंजीकरण के प्रस्ताव प्राप्त होंगे और जो वस्तु है तथा जो सेवा की गुणवत्ता है उसमें सुधार होगा। आशा है इन उद्देश्यों को सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त होगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि व्यापार चिन्हों से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने, माल और सेवाओं के लिए व्यापार चिन्हों का रजिस्ट्रीकरण और बेहतर संरक्षण करने और कपटपूर्ण चिन्हों के प्रयोग का निवारण करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे।

खंड 2– परिभाषाएं और निर्वचन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2 में, पंक्ति 18 से 20 तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये–

"(छ) "सामूहिक चिन्ह" से ऐसा व्यापार चिन्ह अभिप्रेत है जो व्यक्तियों

1932 का 9 के संगम के सदस्यों के (जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के

अर्थान्तर्गत कोई भागीदारी नहीं है), जो चिन्ह का स्वत्वधारी है, माल या सेवाओं को अन्यों से सुभिन्न करता है;" [3]

पृष्ठ 3 में

(i) पंक्ति 19 के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये–

"(ञ) "माल" से कोई ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो व्यापार या विनिर्माण की वस्तु हैं;

(ii) पंक्ति 25 में "(ञ)" के स्थान पर "(ट)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(iii) पंक्ति 28 में "(ट)" के स्थान पर "(ठ)" प्रतिस्थापित किया जाये । [4]

पृष्ठ 3, में

(i) पंक्ति 28 और 29 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :–

"(ड) "सदस्य" से अपील बोर्ड का कोई न्यायिक सदस्य या कोई तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष है;"

(ii) पंक्ति 30 में, "(ड)" के स्थान पर "(ढ)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(iii) पंक्ति 31 में, "(ढ)" के स्थान पर "(ण)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(iv) पंक्ति 33 में, "(ण)" के स्थान पर "(त)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(v) पंक्ति 36 में, "(त)" के स्थान पर "(थ)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

पृष्ठ 4

(vi) पंक्ति 18 में, "(थ)" के स्थान पर "(द)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(vii) पंक्ति 20 में, "(द)" के स्थान पर "(ध)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(viii) पंक्ति 22 में, "(ध)" के स्थान पर "(न)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(ix) पंक्ति 24 में, "(न)" के स्थान पर "(प)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(x) पंक्ति 27 में, "(प)" के स्थान पर "(फ)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(xi) पंक्ति 29 में, "(फ)" के स्थान पर "(ब)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(xii) पंक्ति 31 में, "(ब)" के स्थान पर "(भ)" प्रतिस्थापित किया जाये । [5]

पृष्ठ 4,–

(i) पंक्ति 33 से 39 तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये–

(म) "सेवा" से ऐसी किसी भी प्रकार की सेवा अभिप्रेत है जो किसी संभावी उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है और इसके अन्तर्गत बैंककारी, संचार, शिक्षा, वित्तपोषण, बीमा, चिटफंड, स्थावर संपदा, परिवहन, भंडारण, सामग्री अभिक्रिया, प्रसंस्करण, विद्युत या अन्य ऊर्जा का प्रदाय, बोर्डिंग, आवास, मनोरंजन, आमोद, सन्निर्माण, मरम्मत, समाचारों अथवा सूचना के प्रवहण और विज्ञापन, जैसे किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक विषयों के कारबार से संसक्त सेवाओं की व्यवस्था करना है;

(ii) पंक्ति 1 में, "(म)" के स्थान पर "(य)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

पृष्ठ 5,–

(iii) पंक्ति 33 में, "(य)" के स्थान पर "(यक)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(iv) पृष्ठ 6, पंक्ति 9 में, "(यक)" के स्थान पर "(यख)" प्रतिस्थापित किया जाये।

(v) पृष्ठ 6, पंक्ति 12 में, "(यख)" के स्थान पर "(यग)" प्रतिस्थापित किया जाये। [6]

सभापति महोदयः प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने "।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि खंड 3 से 5 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 से 5, विधेयक में, जोड़ दिये गये ।

खंड 6 व्यापार चिन्ह रजिस्टर

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 7, पंक्ति 38 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें–

"(5) इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान व्यापार चिन्ह रजिस्टर के भाग क और भाग ख दोनों, इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर में सम्मिलित किए जाएंगे और उसके भाग होंगे ।" [7]

(श्रीमती कृष्णा साही)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड–8 वर्णानुक्रम में अनुक्रमणिका का प्रकाशन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 8, पंक्ति 1 और 2 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये–**

"8. (1) रजिस्ट्रार, धारा 7 में निर्दिष्ट माल और सेवाओं के वर्गीकरण की वर्णानुक्रम में अनुक्रमणिका, विहित रीति में प्रकाशित कर सकेगा ।" [8]

पृष्ठ 8, पंक्ति 2 **के पश्चात्** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये–**

"(2) जहां उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित माल और सेवाओं की वर्णानुक्रम अनुक्रमणिका में कोई माल या सेवाएं विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं, वहां माल या सेवाओं के वर्गीकरण का अवधारण, रजिस्ट्रार द्वारा, धारा 7 की उपधारा (2) के अनुसार किया जाएगा।" [9]

(श्रीमती कृष्णा साही)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 9, रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने के लिये आत्यंतिक आधार

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 8, पंक्ति 4 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

"(क) जिनका कोई सुभिन्न स्वरूप नहीं है, अर्थात् जो किसी व्यक्ति की माल या सेवाओं का उनसे सुभेद करने में समर्थ नहीं है जो किसी अन्य व्यक्ति की है;" [10]

पृष्ठ 8, पंक्ति 14 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

"परिणामस्वरूप उसका एक सुभिन्न स्वरूप हो गया है या वह एक सुविख्यात व्यापार चिन्ह है ।" [11]

पृष्ठ 8, पंक्ति 30 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंतःस्थापित किया जाये–**

"स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसी सेवाओं की प्रकृति, जिसके संबंध में व्यापार चिन्ह प्रयुक्त हुआ है या प्रयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित है, रजिस्ट्रीकरण की इंकारी के लिए कोई आधार नहीं होगी ।" [12]

(श्रीमती कृष्णा साही)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि खंड 10, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 10, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड–11 रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने के लिये सापेक्ष आधार

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 9, पंक्ति 18 में, "**की भारत में ख्याति है**" **के स्थान पर** "भारत में एक सुविख्यात व्यापार चिन्ह है" **प्रतिस्थापित किया जाये ।** [13]

पृष्ठ 10, पंक्ति 1, में "यह अवधारित करने के लिए कि" **के स्थान पर** "इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यह अवधारित करने के लिए कि" **प्रतिस्थापित किया जाये।** [14]

(श्रीमती कृष्णा साही)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 12 सद्भाविक, समवर्ती उपयोग आदि की दशा में रजिस्ट्रीकरण

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 10, पंक्ति 9 से 19 तक **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये–**

"12. सद्भाविक समवर्ती उपयोग की दशा में या अन्य विशेष परिस्थितियों में जिनके कारण रजिस्ट्रार की राय में ऐसा करना उचित है, रजिस्ट्रार, उसी या समरूप माल या सेवाओं की बाबत एकाधिक स्वत्वधारी द्वारा ऐसे व्यापार चिन्हों का जो तद्रूप या समरूप हैं (चाहे ऐसा कोई व्यापार चिन्ह पहले से रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं) ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन, यदि कोई हों, जिन्हें रजिस्ट्रार अधिरोपित करना ठीक समझे, रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात कर सकेगा ।" [15]

(श्रीमती कृष्णा साही)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : **प्रश्न** यह है :–

"कि खंड 13 और 14 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 13 और 14 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड–15, व्यापार चिन्ह के भागों का और आवलि के रूप में व्यापार चिन्हों का रजिस्ट्रीकरण ।

पृष्ठ 11, पंक्ति 1 में, "जहां कोई व्यक्ति जो उसी" **के पश्चात्** "या समरूप" **अन्तःस्थापित किया जाये ।** [16]

(श्रीमती कृष्णा साही)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :–

"कि खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 16 से 21 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 16 से 21 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड–22 शुद्धि और संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 14, पंक्ति 21 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये–**

"परन्तु यदि धारा 18 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट एक ही आवेदन में कोई ऐसा संशोधन किया जाता है जिसमें ऐसे आवेदन का दो या अधिक आवेदनों में विभाजन अन्तर्ग्रस्त है, तो आरंभिक आवेदन करने की तारीख, इस प्रकार विभाजित किए गए विभक्त आवेदन करने की तारीख समझी जाएगी ।" [17]

(श्रीमती कृष्णा साही)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि खंड, 22 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 22, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि खंड 23 और 24, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 23 और 24 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड 25 रजिस्ट्रीकरण की अस्तित्वावधि, उसका नवीकरण, हटाया जाना और प्रत्यावर्तन

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 15, पंक्ति 29 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तः स्थापित किया जाये** :–

"परन्तु यदि व्यापार चिन्ह के अंतिम रजिस्ट्रीकरण के अवसान से छह मास के भीतर विहित प्रारूप में कोई आवेदन कर दिया जाता है और विहित फीस तथा अधिभार का संदाय कर दिया जाता है तो रजिस्ट्रार, रजिस्टर से व्यापार चिन्ह को नहीं हटाएगा और उपधारा (2) के अधीन दस वर्ष की अवधि के लिए व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करेगा ।" [18]

पृष्ठ 15

(i) पंक्ति 30 से 35 तक का **लोप किया जाये ।**

(ii) पंक्ति 36 में, "(5)" **के स्थान पर** "(4)" **प्रतिस्थापित किया जाये ।** [19]

पंक्ति 39 में, "और अधिभार" शब्दों का **लोप किया जाये ।** [20]

(श्रीमती कृष्णा साही)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि खंड 25, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 25 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि खंड 26 से 28 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 26 से 28 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड 29 रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह का अतिलंघन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 17, पंक्ति 30–31 में, "अपने कारबार समुत्थान के नाम के भागरूप करता है" शब्दों **के स्थान पर** "अपने उस कारबार के नाम के भागरूप करता है जो उस माल या सेवाओं की बाबत है जिनके संबंध में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रीकृत है ।" **शब्द प्रतिस्थापित किये जायें ।** [21]

(श्रीमती कृष्णा साही)

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः–

"कि खंड 29, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 29, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः–

"कि खंड 30 से 38, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 30 से 38 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 39 "अरजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह की **समनुदेशनीयता और पारेषणीयता**

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 22, पंक्ति 15 से 29 **के स्थान पर,**

"39 किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह को संबद्ध कारबार की गुडविल सहित या उसके बिना समनुदेशित या पारेषित किया जा सकेगा।" शब्द प्रतिस्थापित किये जायें। [22]

(श्रीमत कृष्णा साही)

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः–

"कि खंड 39, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खंड 39, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः–

"कि खंड 40 से 45 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 40 से 45 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड–46 निर्माण की जाने वाली कम्पनी द्वारा व्यापार चिन्ह का प्रस्तावित उपयोग।

संशोधन किया गयाः

पृष्ठ 25, पंक्ति 25 से 26–27 तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेः–

"(ख) स्वत्वधारी का व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रूप में उसका उपयोग किए जाने का आशय है।" [23]

(श्रीमती कृष्णासाही)

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः–

"कि खंड 46, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 46, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः–

"कि खंड 47 से 84, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 47 से 84 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड–85 अपील बोर्ड की संरचना

संशोधन किये गये।

(1) पृष्ठ 39, पंक्ति 16,17 में, "जो पांच से अधिक नहीं होंगे" शब्दों का लोप किया जाये। [24]

पृष्ठ 39, पंक्ति 21 से 23 तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेः–

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई न्यायपीठ एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य से मिलकर बनेगी और वह ऐसे स्थान पर अधिविष्ठ होगी जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना, द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष–

(क) उस न्यायपीठ के जिसमें उसे नियुक्त किया जाता है न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के कृत्यों के निर्वहन के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायपीठ के, यथास्थिति, न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के कृत्यों का भी निर्वहन कर सकेगा।

(ख) किसी सदस्य का एक न्यायपीठ से दूसरे न्यायपीठ में स्थानांतरण कर निपटारा प्रत्येक न्यायपीठ द्वारा किया जाएगा।

(ग) एक न्यायपीठ में नियुक्त न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य को किसी अन्य न्यायपीठ के, यथास्थिति, न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकेगा।

(4) जहां किसी न्यायपीठ का गठन किया जाता है वहां केन्द्रीय सरकार समय–समय पर अधिसूचना द्वारा न्यायपीठों में अपील बोर्ड के कारबार के वितरण से संबंधित उपबंध कर सकेगी और उन मामलों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनका निपटारा प्रत्येक न्यायपीठ द्वारा किया जाएगा।

(5) यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई मामला न्यायपीठ को आबंटित कार्य के अंतर्गत आता है या नहीं, तो अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण– शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि "मामला" पद के अन्तर्गत धारा 92 के अधीन कोई अपील भी है।

(6) यदि किसी मुद्दे पर किसी न्यायपीठ के सदस्यों के बीच मतभेद होता है तो

वह उस मुद्दे या उन मुद्दों जिन पर या जिनके संबंध में मतभेद हो, का उल्लेख करते हुए अध्यक्ष को निर्दिष्ट करेगा, जो मुद्दे या मुद्दों की या तो स्वयं सुनवाई करेगा या ऐसे, मुद्दे या मुद्दों की सुनवाई के लिए उसे एक या अन्य सदस्यों को निर्देशित करेगा और ऐसे मुद्दे या मुद्दों का विनिश्चय उन सदस्यों के बहुमत के अनुसार किया जाएगा जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, जिसके अन्तर्गत वे सदस्य भी हैं जिन्होंने उसकी पहली बार सुनवाई की थी।" [25]

(श्रीमती कृष्णा साही)

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः–

"कि खंड 85, संशोधित रूप में , विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 85, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 86, अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं

संशोधन किया गयाः

पृष्ठ 39

(i) पंक्ति 29 से 43 तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेः–

"(2) कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह –

(क) भारतीय विधिक सेवा का सदस्य रहा है और उस सेवा के ग्रेड–1 में कम से कम तीन वर्ष तक पद धारण कर चुका हो; या

(ख) कम से कम दस वर्ष तक कोई सिविल न्यायिक पद धारण करा हो।

(3) कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह

(क) कम से कम दस वर्ष तक इस अधिनियम और व्यापार या पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 के अधीन, या दोनों के अधीन 1958 का 43 अधिकरण के कृत्यों का निर्वहन कर चुका है और कम से कम पांच वर्ष तक कोई ऐसा पद धारण कर चुका हो जो संयुक्त रजिस्ट्रार के पद से निम्न पंक्ति का न हो; या

(ख) कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो जिसे व्यापार चिन्ह विधि में विशेष अनुभव हो।"

(ii) पंक्ति 44 में, "(3)" के स्थान पर "(4)" अंक और कोष्ठक रखें;

(iii) पंक्ति 44 में "उपधारा (4)" के स्थान पर "उपधारा (5)" प्रतिस्थापित किया जायेः–

(iv) पंक्ति 46 में, "(4)" के स्थान पर "(5)" रखें। [26]

(श्रीमती कृष्णा साही)

सभापति महोदयः प्रश्न यह है

"कि खंड 86, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 86, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः–

"कि खंड 87 से 111 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 87 से 111 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड–112 माल का समपहरण संशोधन किया गया।

पृष्ठ 47 पर,

पंक्ति 34 में, "खंड (क), (ख) और (ग)" के स्थान पर "खंड (क), खंड (ख) और (ग)" शब्द प्रतिस्थापित किये जायें। [27]

(श्रीमती कृष्णा साही)

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः–

"कि खंड 112, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 112, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः–

"कि खंड 113 से 115 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 113 से 115 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 116 कतिपय अपराधों का संज्ञान और पुलिस आफिसर की तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियां

संशोधन किया गयाः

पृष्ठ 49 पर, पंक्ति 13 में,

"(4) यदि किसी पुलिस आफिसर का, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है।", शब्दों के स्थान पर "(4) यदि किसी पुलिस आफिसर का, जो पुलिस उप अधीक्षक या समतुल्य की पंक्ति से नीचे का नहीं है" शब्द प्रतिस्थापित किये जायें। [28]

(श्रीमती कृष्णा साही)

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः–

"कि खंड 116, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 116, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः–

"कि खंड 117 से 160 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खंड 117 से 160 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची

संशोधन किया गयाः

पृष्ठ 64, "व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1993" शब्द और अंक जहां–जहां आते हैं, उनके स्थान पर "व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1995" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किये जायें [29]

(श्रीमती कृष्णा साही)

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः–

"कि अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड–1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

संशोधन किया गयाः

पृष्ठ 1, पंक्ति 5 में,
"1993" के स्थान पर "1995" प्रतिस्थापित किया जाये। [2]

(श्रीमती कृष्णा साही)

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः–

खंड–1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में,
"चवालीसवें" के स्थान पर "छियालीसवें" प्रतिस्थापित किया जाये। [1]

(श्रीमती कृष्णा साही)

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः–

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदयः प्रश्न यह हैः–

"कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदयः मंत्री महोदया अब विधेयक को संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।

श्रीमती कृष्णा साही: मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

सभापति महोदयः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।,

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): माननीय सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

सभापति महोदया: अब अंतिम स्टेज पर नहीं।

श्री गिरधारी लाल भार्गवः माननीय सभापति महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने आज अमेण्डमेण्ट लाने में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आज तक बिल में इस प्रकार के अमेण्डमेण्ट नहीं आये होंगे। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा था कि स्टैण्डिंग कमेटी के सामने अमेण्डमेण्ट नहीं थे। माननीय मंत्री जी ने अमेण्डमेण्ट मूव किये हैं मगर उनको भली प्रकार मालूम नहीं है कि क्या अमेण्डमेण्ट मूव किये हैं। इसलिए मेरा कहना है कि बिल की एक प्रकार से जान ही निकल गई है। पहले ये अमेण्डमेंट नहीं थे, ये अमेण्डमेंट बाद में लाये हैं। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि ऐसा करके इस बिल की जान निकाल दी। आपने एक रिकॉर्ड कायम कर लिया। इसलिए अच्छा है कि इस बिल को श्रद्धांजलि अर्पित कर दी जाय और दो मिनट का मौन रख दिया जाय।....(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदया: प्रश्न यह है:–

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.36 म. प.

बैंक और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक, 1994

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब हम मद संख्या 12– बैंक और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन), विधेयक, 1994 पर चर्चा करेंगे। इस विधेयक के लिये एक घंटे का समय निर्धारित किया गया है। श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं "कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 में संशोधन करने वाले विधयेक पर विचार किया जाये"।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 , 27 अगस्त, 1993 को लागू हुआ था। विधेयक में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के शोध्य ऋण की वसूली में तेजी लाने और अन्य सम्बन्धित मामलों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने की व्यवस्था है। इस कार्य को आरम्भ करने के लिए सरकार ने देश में विभिन्न भागों में न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया था जिससे जम्मू और कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत को इसके अन्तर्गत लाया जा सके। यह भी निर्णय लिया गया कि बम्बई में एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जाये जिसका क्षेत्राधिकार सभी न्यायाधिकरणों पर हो।

सरकार अभी तक पांच न्यायाधिकरण दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर, बंगलौर और अहमदाबाद में और एक अपीलीय न्यायाधिकरण बम्बई में स्थापित कर सकी है।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में मुकदमें दायर किये गये हैं जिनमें अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आफ इंडिया बनाम यू.ओ.आई. के मामले में 10 मार्च, 1995 में दिये गये अपने एक निर्णय में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 को असंवैधानिक और अवैध ठहराया था। यू.ओ.आई. ने विशेष छूट याचिका (स्पेशल लीव पिटीशन) भारत की उच्चतम न्यायलय में दायर की और उच्चतम न्यायालय ने अपने 21 अप्रैल, 1995 के आदेशानुसार स्पेशल लीव पेटीशन को स्वीकार कर लिया और इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

सरकार अभी तक शेष न्यायाधिकरणों की स्थापना नहीं कर पाई है। इसका मुख्य कारण न्यायाधिकरणों के लिये निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत पीठासीन पद के लिये उपयुक्त अधिकारियों का उपलब्ध न होना है। इन पदों के लिये सक्षम व्यक्तियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से ऋण वसूली न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी की सेवा निवृति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष और अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी की सेवानिवत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रस्ताव है।

अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक में जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 6 और 11 में संशोधन करने की व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों और ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु क्रमशः 60 से बढ़ाकर 62 और 62 से बढ़ाकर 65 करने की व्यवस्था है, उस पर विचार किया जाये।

सभापति महोदयः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:–

"कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 में संशोधन

करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर): मैं विधेयक का दो कारणों से विरोध करता हूं। यद्यपि विधेयक बहुत मामूली संशोधन करने का प्रस्ताव है लेकिन यह विधेयक सरकार के आशय पर प्रश्न चिन्ह हैं। वर्ष 1993 में एक अधिनियम जिसका शीर्षक "बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण की वसूली" का पारित किया जाना था इसके अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों मे न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण करने की व्यवस्था की जिससे बैंक बकाया राशि की शीघ्रता से वसूली कर सकें। एक और सरकार अनेक बार यह कहती रही है कि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा करोड़ों रूपये वसूल किये जाते हैं। यदि वास्तव में सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीर होती तो सरकार को गत दो वर्षों में न्यायाधिकरणों की स्थापना करने से किसने रोका था, जैसाकि इस अधिनियम में व्यवस्था है। मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि सरकार केवल अभी तक पांच न्यायाधिकरण ही स्थापित करने में समर्थ रही है। इसका स्पष्ट कारण यह बताया गया है कि वर्तमान न्यायाधीशों जिनकी इन न्यायाधिकरणों और अपीलीय न्यायाधिकरणों में पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की जानी थी, पीठासीन अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिये तैयार नहीं थे। मैं इस बारे में केवल यही कहूंगा कि यह मात्र हास्यप्रद है। यदि सेवा निवृत् आयु 60 वर्ष अथवा 62 वर्ष रहती है तो वर्तमान न्यायाधीश काम करने को तैयार नहीं हैं। यह बात समझ में नहीं आती कि सरकार इन न्यायाधिकरणों में ऐसे न्यायाधीशों को पीठासीन अधिकारियों के पदों पर नियुक्त करने में इतनी अधिक रूचि क्यों ले रही है जो सेवा निवृति के बहुत निकट हैं।

अब अधिनियम की धारा में यह व्यवस्था है कि "जो व्यक्ति जिलाधीश के पद का पात्र है उसकी नियुक्ति न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में की जा सकती है" कोई भी अधिवक्ता जिसने स्वयं को अधिवक्ता अधिनियम, के अन्तर्गत पंजीकृत कराया हो और जो 15 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, जिलाधीश नियुक्त होने के योग्य हैं। ऐसे व्यक्ति को इन न्यायाधिकरणों का पीठासीन अधिकारियों के पदों पर नियुक्ती करने से सरकार को कौन रोकता है सब कुछ लिखित होता है। ऋण पत्र न्यायाधिकरण को उपलब्ध होते हैं। ऋण लेने वाले का नाम, उसके द्वारा लिया गया ऋण, ऋण की स्वीकृत अवधि, ऋण पर ब्याज की दर आदि और अन्य सब दस्तावेज उपलब्ध होंगे। वास्तव में, पीठासीन अधिकारी पर इस मामले में न्यायसम्मत विचार करने के लिये कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। केवल यही कहना है कि इतनी धनराशि बकाया है और उसको उक्त राशि वसूल करने का अधिकार है। ऋण वसूली के तरीके का भी उल्लेख किया होता है। अतः किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे इतना न्यायिक ज्ञान हो पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है जो जिलाधीशों के रूप में कार्य कर रहे हैं और जिनकी अभी सेवावधि बहुत बची है। सेवारत न्यायाधीश भी सामान्यतया 35 से 40 वर्ष की आयु में जिलाधीश के पद पर नियक्ति के योग्य हो जाता है। अभी उसकी 15 से 20 वर्ष की सेवावधि बाकी होती है। यदि हम ऐसे व्यक्तियों को पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्ति करें तो स्वभावतया वे ऐसे पद पर कार्य करने के लिये तैयार होंगे। यदि आप ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे जो सेवानिवृति के बहुत निकट है, तो वह शायद इस पद पर कार्य न करने का इच्छुक हो अतः हमें यह देखना होगा कि क्या सरकार का इस उपबन्ध को लाने का आशय कुछ चुने हुए लोगों का पक्ष लेना है जिन्हें सेवानिवृत्ति की आयु के बाद इस प्रकार के न्यायाधिकरणों में नियुक्ति कर कुछ सान्तवना देना है।

अन्यथा, माननीय मंत्री के इस तर्क में कोई बल नहीं कि पीठासीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त करने के लिए योग्य व्यक्ति उपलब्ध न होने के कारण हम न्यायाधिकरणों का गठन नहीं कर सके। यह बात अपीलीय न्यायाधीकरण के गठन पर भी लागू होती है। एक व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के योग्य है, उसे अपीलीय न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार एक अधिवक्ता, जिसने उच्च न्यायालय में 15 वर्ष तक वकालत की हो, स्वतः ही उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य हो जाता है। हमारे पास ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं। ऐसे अधिवक्ताओं की भी कमी नहीं है। मुझे यह नहीं कहना चाहिये कि मैं भी वकालत करता रहा हूं (व्यवधान) लेकिन मैं उस पद पर नियुक्ति का इच्छुक नहीं हूं। मेरी चिन्ता केवल यह है कि यदि सरकार बकाया राशि वसूल करने में वास्तव में गम्भीर है तो इसके अनेक विकल्प हैं। आपको ऐसे उचित व्यक्ति मिल सकते हैं और आप उन्हें यह कार्य सौंप सकते हैं।

दूसरा पहलू यह है कि मैं यह जानना चाहता हूं क्या सरकार बकाया राशि वसूल करने के प्रति वास्तव में गम्भीर है। यह सरकार प्रतिभूति घोटाले के अन्तर्गत हजारों करोड़ रूपयों की वसूली करने के मामले में लम्बे समय तक सोती रही है। इस सम्बन्ध में कोई प्रभावकारी कार्यवाही नहीं की गई। सरकार ने इस संबंध में कोई सुझाव भी नहीं दिये हैं। क्या वह इस मामले में वास्तव में गम्भीर है? मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि सरकार में शामिल लोग उन लोगों को बचाने में अधिक रूचि रखते हैं जिन पर बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं की भारी मात्रा में धनराशि बकाया है न कि उन पर बकाया ऋण की वसूली में वे वास्तव में ऐसे लोगों के हितों की रक्षा कर रहे हैं जो प्रतिभूति घोटाले की राशि निगल गये हैं। अन्यथा इस सम्बन्ध में गम्भीर प्रयास किये गये होते तो शायद अब तक उसकी धनराशि वसूल हो गई होती।

अतः सरकार की मंशा पर शंका होती है। मंत्री महोदय स्वयं कह रहे थे कि सरकार इस विधेयक को लाना नहीं चाहती। दिल्ली उच्च न्यायालय इस अधिनियम को पहले ही अवैध घोषित कर चुकी है। इसलिये मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर रोक की अनुमति दी है। अतः यह देखना होगा कि उच्चतम न्यायालय वर्तमान अधिनियम को लागू करने की अनुमति देती है अथवा नहीं। तभी ही न्यायाधिकरणों के गठन का प्रश्न उठता है। (व्यवधान) अतः मंत्री महोदय को यह विधेयक वापिस ले लेना चाहिये।

दूसरे पहलू से भी यह पता लगता है कि सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीर नहीं है। अधिनियम 1993 का है। यह विधेयक 1994 का विधेयक सं. 101 है। यह विधेयक सभा में वर्ष 1994 में पुनस्थापित किया गया था और इस विधेयक में मामूली से संशोधन हैं। यदि सरकार इस सम्बंध में वास्तव में गम्भीर होती तो यह विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित किया जा सकता था। यदि माननीय मंत्री ने अनुरोध किया होता तो सभा इस विधेयक को पारित करने पर सहमत हो जाती। इसके पारित करने में कोई बाधा नहीं होती। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि सरकार इस सम्बन्ध में बिल्कुल भी गम्भीर नहीं है।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम): लेकिन आप विरोध कर रहे हैं।

श्री वी. धनंजय कुमारः मैं आपके इरादे का विरोध कर रहा हूं। आपका इरादा ठीक नहीं है। आपका इरादा केवल समय बरबाद करना है। ऐसे विधेयक पुरःस्थापित होते रहे हैं। जब सदस्यों ने विधेयक पर कुछ भी विचार व्यक्त नहीं किये और विधेयक पारित हो गया और अधिनियम बन गया। हम यह नहीं जानते कि अधिनियम जो वास्तव में प्रभावी नहीं है और जिस पर उच्चतम न्यायालय ने रोक की अनुमति दी है, प्रभावी रहेगा अथवा एक दिन फिर माननीय मंत्री को फिर सदन में नया विधेयक प्रस्तुत करना पड़ेगा जिसमें और अन्य उपबंध होंगे और हमें उस पर चर्चा करनी होगी।

मुझे इस बारे में पूरा संदेह है कि सरकार वास्तव में बकाया राशि वसूल करने के प्रति गम्भीर है।

अब मैं बैंकों की कार्य पद्धति के बारे में कुछ कहूंगा। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि कर्जदारों पर इतनी अधिक राशि की वसूली बकाया रहने के क्या कारण हैं? आखिरकार बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्ग निर्देशों के निर्देशित होते हैं। इन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इसके अतिरिक्त, उनसे दैनिक साप्ताहित, पाक्षिक, मासिक, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक और बाह्य लेखा परीक्षा की भी व्यवस्था है। वे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते......**(व्यवधान)**

सभापति महोदयः इस विधेयक के लिये एक घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

श्री वी. धनंजय कुमारः इसीलिये मैं कहता हूं कि सरकार इस विधेयक को पारित करने के प्रति गम्भीर नहीं है। मेरे विचार से इस विधेयक को पारित करने में कोई जल्दबाजी नहीं है।

सभापति महोदयः यह आप पहले कह चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गवः इतना बड़ा एमाउण्ट देश ने इकट्ठा करना है, एक घंटे में इतना एमाउंण्ट वसूल हो जायेगा। यह कहां की बात है, इनका इसको वसूल करने का कोई इरादा नहीं है ।

सभापति महोदयः यह अन्दर आपने फैसला कर रखा है न।

श्री वी. धनंजय कुमारः नहीं, वसूलने का कोई इरादा नहीं है। ऐसे ही है।

[अनुवाद]

मंत्री महोदय को यह बताना होगा कि क्या मार्ग निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। हजारों करोड़ बकाया राशि कैसे जमा हो गई? कुछ मामलों में कुछ हजार रुपये बकाया होने की बात समझ में आती है, जहां ऋण राशि बहुत अधिक हो। यह बकाया राशि, ऋणों को बट्टे खाते मे डालने, ऋण में कटौती करने, ब्याज में बहुत अधिक रियायत देने आदि आदि के बाद है। ऐसा करने के बाद भी इतनी बड़ी ऋण की राशि बकाया है और इस विधेयक के अन्तर्गत न्यायाधिकरणों को उक्त राशि को वसूल करने के आदेश जारी करने का भार सौंपा गया है।

अब मैं न्यायाधिकरण अथवा अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पास किये गये इन आदेशों के प्रभावी होने के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इस बारे में भी सरकार को विचार करना होगा। हमें दीवानी न्यायालयों की प्रक्रिया की जानकारी है। मुकदमे की लम्बी सुनवाई के बाद न्यायालय अन्ततः डिग्री पास कर देगी। इस बारे में मुझे अपने प्रोफेसर द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता का ज्ञान देते हुए इस बात का स्मरण हो जाता है कि डिग्री कैसे पास की जाती है। व्यवहार प्रक्रिया में यह व्यवस्था है कि मामले की पूरी सुनवाई करने के बाद डिग्री पास की जा सकती है। मेरे प्रोफेसर कहा करते थे "यह कागजी डिग्री है"। अतः यह न्यायालय द्वारा दी गई डिग्री है जो केवल एक कागज मात्र है। इसके बाद इसको लागू करने की प्रक्रिया आरम्भ होती है। इसके बाद कर्जदाता को न्यायालय द्वारा एक और अवसर आपत्तियां उठाने का दिया जाता है और उसके बाद ही पास की गई डिग्री को क्रियान्वित करने का आदेश दिया जाता है।

हम तभी बच सकते हैं जब न्यायाधिकरण अथवा अपीलीय न्यायाधीकरण अन्ततः निर्णय दें। बैंकों को भी इस कठिनाई से तभी बचाया जा सकता है और बैंक तभी बकाया राशि की वसूली तुरन्त कर सकते हैं जब अन्तिम आदेश उनके पास होंगे।

सभापति महोदयः कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री वी. धनंजय कुमारः मैं भाषण समाप्त कर रहा हूं हम यह नहीं कह सकते कि बैंक वसूली सम्बन्धी कार्यवाही के प्रति कब जागरूक होंगे। अनेक वर्ष बीत जाने पर जब जिस व्यक्ति ने ऋण लिया होता दिवालिया हो जाता है अथवा गायब हो जाता है अथवा जब बैंक के पक्ष में जमा उसका समान और आस्तियां नष्ट हो जाती है तब बैंक जागरूक होते हैं और न्यायालयों में इस प्रकार के न्यायाधीकरण के लिये डिग्री हेतु जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऋण की बकाया राशि को वसूल करने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है। सरकार की भी वास्तविक इच्छा नहीं है कि बैंकों द्वारा ऋण के रूप मे दी गई धनराशि वसूल की जाये।

उक्त धनराशि कहां से आती है, बैंकों द्वारा ऋण के रूप मे वितरित की जाने वाली राशि देश की जनता की और नागरिकों की होती है जो उन्होंने कड़े परिश्रम से कमाई होती है।

सभापति महोदयः कृपया अपना भाषण समाप्त करें। यह सब बातें काल्पनिक हैं, मैं जानता हूं।

श्री वी. धनंजय कुमारः मैं भाषण समाप्त कर रहा हूं इन लोगों ने बचत कर बैंकों में धनराशि जमा की है और उस धनराशि का उपयोग किया गया है । इस बात की गम्भीरता को समझा जाना चाहिये । एक बार इस प्रकार की धनराशि ऋण के रूप में दी जाती है और उसकी वसूली समय पर नहीं होती और सरकार भी उक्त ऋण राशि की वसूली के प्रति गम्भीर नहीं होती, तो हमें स्थिति को गम्भीरता से लेना चाहिये । इनके लिये ऐसे माम

कारण देना जो किसी भी व्यक्ति को प्रभावित न करें, बेकार हैं। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार इस मामले को घसीटना चाहती है। वह इन न्यायाधिकरणों के गठन को टालना चाहती है जिनके माध्यम से ऋण की वसूली शीघ्रता से हो सकती है।

अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि विधेयक को शीघ्र वापिस लें और अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरणों को गठित करने के लिये कार्यवाही करें और अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन के लिये भी शीघ्र कार्यवाही करें तथा बैंकों की बकाया राशि, जो वास्तव में देश के नागरिकों की है, को शीघ्र वसूल करने के लिये कार्यवाही करें।

श्री ए. चार्ल्स : मैं बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के शोध्य ऋण की वसूली (संशोधन) विधेयक, 1994 का समर्थन करता हूं, जो इस समय सभा के समक्ष है। मैं श्री धनंजय कुमार का भाषण बहुत ध्यान से सुन रहा था। दुर्भाग्यवश वह अब सदन से बाहर जा रहे हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि उनका भाषण 'असंगत' था लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह मूल अधिनियम में निहित वास्तविक तथ्यों की जानकारी के बिना कहा है। विधेयक का क्षेत्र बहुत सीमित है। इसमें न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी की अधिकतम आयु 60 वर्ष और अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी की अधिकतम आयु 62 वर्ष किए जाने की व्यवस्था है। मेरे माननीय मित्र ने यह कहने का भरसक प्रयास किया है कि न्यायाधिकरण के लिये अधिकारियों का मिलना बहुत आसान है। कोई भी अधिवक्ता जिसने 10 वर्ष तक वकालत की हो वह जिलाधीश की नियुक्ति के योग्य है और जिसने 15 वर्ष तक वकालत की हो वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिये योग्य है। उनका कहने का अभिप्राय यह है कि अत्यधिक प्रतिभावान और अनुभवी न्यायाधीश और जिन्हें जिम्मेवारी के पदों का अनुभव हो के स्थान पर कोई भी अधिवक्ता जिसने 10 अथवा 15 वर्ष वकालत की हो को इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिये नियुक्त किया जा सकता है।

5.00 म. प.

उनकी इस बात को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि इसके लिये न्यायिक अभिरुचि की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। अतः एक लोअर डिवीजन क्लर्क को भी इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। उसे सब बातों की विस्तृत जाँच करनी होगी क्योंकि रिकॉर्ड वहां उपलब्ध हैं। वह कर सकता है।

मूल अधिनियम में न्यायाधिकरण के लिये केवल एक व्यक्ति अपीलीय न्यायाधिकरण के लिये एक व्यक्ति की नियुक्ति की व्यवस्था है। उस व्यक्ति की जिम्मेवारी बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण होती है क्योंकि उसे एक बहुत महत्त्वपूर्ण काम सौंपा जाता है। अतः मेरे विचार से जहां तक सम्भव हो उन्हीं न्यायाधीशों को न्यायाधिकरण की जिम्मेवारी दी जानी चाहिये जिन्हें कुछ वर्ष सेवा का अनुभव हो। इसी बात को ध्यान में रखकर विधेयक मूलतः पास किया गया था।

दूसरी बात उन्होंने असाधारण विलम्ब के सम्बन्ध में कही है। हम सब जानते हैं कि जब किसी मुकदमें में न्यायालय में अपील की जाती है तो कानूनी कार्यवाही में अनेक वर्ष लग जाते हैं। विलम्ब को ध्यान में रखते हुए ही न्यायाधिकरण का गठन किया गया है ताकि संक्षिप्त प्रक्रिया अपना कर और निश्चित समय में अन्तिम निर्णय लिया जा सके। अतः मेरे विचार से इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह एक बहुत अच्छा संशोधन है जिसका हम सबको समर्थन करना चाहिये।

5.01 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मूल अधिनियम जब पास किया गया था तब भी मैंने एक अथवा दो मुद्दों पर अपनी चिन्ता व्यक्त की थी। मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है। यदि कोई व्यक्ति ऋण लेता है तो यह उसकी प्रमुख जिम्मेवारी है कि वह ऋण का भुगतान करे क्योंकि जब तक ऋण का भुगतान नहीं किया जायेगा सब प्रणाली व्यर्थ हो जायेगी। जिस किसी ने भी ऋण लिया हो उसे वापिस करना चाहिये क्योंकि यह तो निरन्तर चलती प्रक्रिया है और आगे भी किसी और व्यक्ति को ऋण दिया जाना है।

मेरे सहयोगी ने कहा है कि यह जनता का धन है और प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह ऋण को वापिस करे। लेकिन मूल अधिनियम के अनुसार जिस किसी भी व्यक्ति की बकाया राशि 10, लाख रुपये से ऊपर हो जाती है, वह इस अधिनियम के अन्तर्गत आ जाता है। इस बारे में मेरे अपने विचार हैं। यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है जिसने एक समय पर 10 लाख रुपये का ऋण लिया हो। ऐसे भी उदाहरण हैं जब किसी व्यक्ति ने अपने नियंत्रण से परे परिस्थितिवश स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 लाख रुपये का ऋण लिया हो तो ब्याज जमा हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं 70 प्रतिशत लघु उद्योग क्षेत्र रुग्ण हैं। ऐसा प्रबन्ध सम्बन्धी किसी समस्या के कारण नहीं है बल्कि अनेक कारणों से है और इन परिस्थितियों में भुगतान में विलम्ब के कारण कुछ समय बाद एक लाख की ऋण की राशि 10 लाख हो जाती है।

मेरी यह बात समझ में नहीं आती कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने किन कारणों के आधार पर अधिनियम को अवैध करार दे दिया। मैंने ऐसा पहली बार सुना है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उस व्यक्ति को जिसने दो लाख रुपये से कम का ऋण लिया हो उसे उसके अन्तर्गत न लाने की सम्भावना पर विचार करें। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि वह विधेयक की परिधि में आता है तो उसने जो ऋण लिया है उसकी राशि उससे पांच गुना अधिक होनी चाहिये। यह किसी भी व्यक्ति के प्रति बहुत अन्याय होगा यदि उसे लिये गये ऋण की राशि का पांच गुना अन्ततः लौटाना पड़े। इसमें कोई सामाजिक न्याय नहीं है।

स्वतन्त्रता से पूर्व, वर्ष 1937 में जब श्री राजगोपाल आचार्य मद्रास के मुख्य मंत्री थे, किसानों को संरक्षण देने के लिये एक विधेयक पारित किया गया जिसका नाम कृषि ऋण राहत अधिनियम था और उसमें इस बात की व्यवस्था थी कि कभी भी लिए गये ऋण से दुगनी राशि का भुगतान न किया जाये। मैंने लिये गये ऋण से पांच गुना तक की छूट देने का आग्रह किया है। उन लोगों से ऋण वसूल करने के तरीके हैं लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों में स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण लिया हो और वह समाज के निम्नतम स्तर का व्यक्ति हो, उनमें से कुछ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, तो उसे इस विधेयक की परिधि में लाया जाना अनुचित होगा।

एक अन्य खंड के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकरण का उपबन्ध है। बम्बई में केवल एक ही अपीलीय प्राधिकरण है। इस खंड के उपबन्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण के निर्णय के विरूद्ध अपील करना चाहता है तो उसे राशि का 75 प्रतिशत अपीलीय प्राधिकरण में जमा करना होगा। मेरे विचार से यह उचित कानून नहीं है। कोई भी विवेकशील न्यायालय इसे स्वीकार नहीं करेगी। मैं मंत्री महोदय से इस पर पुनः विचार करने का अनुरोध करूंगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में किसी व्यक्ति को 10 लाख रूपये देने का निर्णय दिया है और वह व्यक्ति न्यायालय में अपील करना चाहता है, तो 7.5 लाख रूपये जमा करने होंगे। सब कोई जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास 7.5 लाख रूपये अर्जित करने का साधन होता तो वह कभी भी ऋण नहीं लेता। मेरी समझ में यह बात नहीं आती की ऐसे विधेयक का प्रारूप कैसे तैयार किया गया। अतः मेरा अनुरोध है कि न्यायाधिकरण के निर्णय के विरूद्ध अपील करने के लिये अपीलीय प्राधिकरण में जमा की जाने वाली राशि को 75 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिये।

मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे इन दो मुद्दों पर विचार करें। मैं यह जानता हूं कि इस समय इस बारे में कोई सकारात्मक उत्तर देना उनके लिये सम्भव नहीं होगा। लेकिन उस बारे में विचार और पुनः जांच की जानी चाहिये। मेरा अनुरोध है कि इन दो हितों की रक्षा के लिये एक अन्य संशोधित विधेयक लाया जाना चाहिये।

मेरे माननीय मित्र ने विलम्ब के बारे में भी उल्लेख किया है क्योंकि यह विधेयक 1994 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें बहुत अधिक समय लगा। सभी सदस्य यह जानते हैं कि इस सम्बन्ध में विलम्ब गैर–महत्वपूर्ण विषयों पर समय बरबाद करने के कारण हुआ। लगातार 5 अथवा 6 दिन संसद का कार्य रूका रहा। मैं इसके लिये किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, चूंकि हम अक्सर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते रहते हैं, लोकतंत्र का दुरूपयोग करते हैं और अपने विशेषाधिकारों का दुरूपयोग करते हैं। लेकिन तथ्य यह कि सभा का बहुमूल्य समय गैर–महत्त्वपूर्ण अथवा बिना किसी विषय के बरबाद किया गया है अतः कार्य सूची नहीं ली गई। अभी भी अनेक विधेयक लम्बित हैं। संसद का अधिवेशन समाप्त होने में केवल कुछ ही दिन बाकी है। वे अपना कार्य कैसे पूरा करेंगे जब हम सब, मेरे सहित अनावश्यक और गैर–महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत करते हैं और उन पर चर्चा करते रहते हैं? समस्या यह है। अतः जो कुछ भी मेरे मित्र ने कहा है उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। यह विधेयक पारित किया जाना चाहिये और यह आवश्यक भी है । मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि मैंने जो दो मुद्दे उठाये हैं कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने दो लाख से कम राशि का ऋण लिया है इस विधेयक की परिधि से बाहर रखना चाहिये और अपील दायर करने के लिए राशि का केवल 10 प्रतिशत ही जमा किया जाना चाहिये। इस शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वी. धनंजय कुमारः हम समस्त सरकार का मुकाबला कर रहे हैं।

प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली में संशोधन करने सम्बन्धी अधिनियम, 1993 के बारे में है। जहां तक विधेयक प्रयोजन का सम्बन्ध है यह बहुत सीमित है। मूल विधेयक में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली और न्याय निर्णय तेज करने लिये न्यायाधिकरण का उपबन्ध था।

वर्तमान संशोधन में सरकार ने न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारियों की आयु बढ़ाने की अनुमति मांगी है। जब संसद में विधेयक पुरःस्थापित किया गया था तो मैंने इस पर चर्चा में भाग लिया था और अधिनियम में व्याप्त कुछ त्रुटियों की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था और यह चेतावनी दी थी कि इन त्रुटियों के कारण आपको न्यायालय में जाना पडेगा क्योंकि इनको चुनौती दी जायेगी। उन्होंने आश्वासन दिया था जब नियम बनाये जायेंगे तो इन सब बातों पर ध्यान दिया जायेगा।

अतः मेरी दायीं ओर के माननीय सदस्य द्वारा यह आरोप लगाया जाना कि सरकार इस मामले में गम्भीर नहीं है, न्यायोचित है। दूसरे, सरकार को पीठासीन अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के लिये पर्याप्त संख्या में अधिकारी नहीं मिले। अतः न्यायाधिकरण कार्य नहीं कर सकी। 27 अगस्त, 1993 से विधेयक लागू हुआ। उसके बाद काफी समय बीत गया। इस समय तक सैंकड़ों मामले न्यायाधिकरण प्रस्तुत किये जा सकते थे और करोड़ों रूपये वसूल किये जा सकते थे। सरकार इस मामले में असफल रही। हम देश के जिम्मेवार नागरिक और जनता के प्रतिनिधि होने के नाते दुख प्रकट करते हैं कि हम ऋण वसूली करने में असफल रहे। हम ऋण वसूली कर इसका समाज के लिये उपयोग कर सकते थे। हम अपने कर्त्तव्य का पालन करने में असफल रहे।

प्रश्न यह कि क्या न्यायाधिकरण ऋण वसूली का उद्देश्य पूरा कर सकेगी। इस बारे में सरकार को अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। मैं बैंकिंग डिवीजन पर वित्त संबंधी स्थायी समिति का सदस्य हूं। हमने अपनी रिपोर्ट पहले ही दे दी है। पिछली बार भी जब वित्त राज्य मंत्री सभा में उपस्थित थे हमने उनसे यह स्पष्ट करने को कहा था कि वित्त मंत्री अन्तर–शाखा लेखा समावेदन और बैंकों के लेखा–जोखा की समुचित लेखा परीक्षा के बारे में क्या कर रहे हैं। लेखा परीक्षा महालेखा परीक्षक द्वारा की जानी चाहिये किसी एकाउंटेंट द्वारा नहीं। मैं यह समझ सकता हूं कि वे इस बारे में क्यों हिचकते हैं और इसका कारण क्या है। सरकार द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं था। इसने कहा था कि 'इसका कोई उपबन्ध नहीं है' सरकार को इस बारे में उपबन्ध करना होगा। हमारे देश में ऐसी बाते क्यों होती है?

वास्तव में, इन बैंकों के कार्यकरण से ही देश की वित्तीय और आर्थिक स्थिति का बोध होता है। हमारी वित्तीय स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। इसकी स्थिति 'उस रोगी की तरह है जिसकी हड्डी टूट गई हो' हमें जख्मों पर मरहम लगाना है। हमें इसे स्वस्थ बनाना है और इसे स्वस्थ बनाने के लिये लेखा परीक्षा महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाना बहुत आवश्यक है। यह मेरा सुझाव था। मैं सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में गम्भीरता से विचार करे।

सरकार ने बेसली समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया है और राजकोष से काफी राशि पूंजी पर्याप्तता बनाये रखने के लिये आबंटित की है जो भारत जैसी सामाजिक बैंकिंग के लिये बिल्कुल आवश्यक नहीं थी। राष्ट्रीयकरण के बाद हमने कम पूंजी के आधार पर सामाजिक बैंकिंग का कार्य आरम्भ किया। इससे न केवल देश में स्थित बैंकों बल्कि विदेशी बैंकों ने भी अच्छा व्यापार किया। अतः इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने इसकी क्रियान्वति बहुत शीघ्रता से की परन्तु जब मैंने गोईपोरिया समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति की बात कही तो सरकार हिचकिचाई। अभी तक गोईपोरिया समिति की कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिशों की क्रियान्विति सरकार ने नहीं की है। माननीय मंत्री ने निश्चित रूप से घोष समिति की रिपोर्ट देखी होगी।

हमें यह अवश्य पता लगना चाहिये कि घोष समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की हैं।

'गोपनीय खंड' की पवित्रता क्या है? आप न्याय निर्णय के लिये, निर्णय और ऋणों की वसूली के न्यायाधिकरण गठित रहे हैं। हमने मांग की थी कि ऋणों का भुगतान न करने वालों की सूची प्रकाशित की जानी चाहिये। वो कौन लोग हैं जिनसे आपने ऋण वसूल करने हैं? मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं जिन मामलों में सरकार ने ऐसे लोगों से समझौता किया जिन्होंने बैंकों से भारी राशि के ऋण लिये थे। लेनिक जब शरणार्थी महिला जिसने 5 लाख रूपये का ऋण बैंक से लिया था और सब राशि का भुगतान कर दिया था, केवल ब्याज का भुगतान नहीं किया था, तो उसकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई। ऐसे बहुत से उदाहरण समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुके हैं। माननीय मंत्री इस बारे में जानते हैं। अब रिजर्व बैंक ने भी रिपोर्ट दे दी है। जब मैंने इस विधेयक पर 1993 में बहस में भाग लिया था तो मैंने कहा था कि निष्क्रय आस्तियां सरकारी तौर पर 20,000 करोड़ रूपये की थीं। अब रिजर्व बैंक ने 5729 व्यक्तियों की एक सूची प्रकाशित की है जिन पर 30,000 करोड़ रूपये से अधिक की ऋण राशि बकाया है। सूची प्रकाशित हो चुकी है। समाचार पत्रों में नाम प्रकाशित हो चुके हैं। यहां तक कि दूसरे सदन के एक माननीय सदस्य का नाम भी सूची में शामिल है। सरकार ने न तो रिपोर्ट के बारे में न तो कोई चुनौती दी है और न ही इंकार किया है। इससे संसद सदस्यों की ईमानदारी पर संदेह होता है। मैंने वर्ष 1993 में अधिनियम में कुछ त्रुटियों का उल्लेख किया था और कहा था कि इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि नियम बनाते समय इस बारे में ध्यान दिया जायेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति इसलिये उत्पन्न हुई है क्योंकि सरकार ने इस बारे में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। कुछ लोगों को इस बारे मे संदेह हो सकता है कि न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारियों की आयु बढ़ाने में आपका अपना हित है। शायद आपकी नजरों में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं। जिनके लिये आप आयु सीमा बढ़ा रहे हों। यह बातें सामान्य हैं। कुछ सार्वजनिक उपकरणों में आप अपनी इच्छानुसार व्यक्ति नियुक्त करते हैं और उद्योग को नष्ट कर देते हैं। मैं नहीं जानता कि उनके दिमाग में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वे नियुक्त करना चाहते हैं। अन्यथा रिक्तियों पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियां करने पर उन्हें क्या आपत्ति है जिन्हें पर्याप्त योग्यता और अनुभव प्राप्त है न्यायाधिकण के गठन के मामले में भी, यदि आप यह चाहते है कि ये न्यायाधिकरण शीघ्र कार्य करना आरम्भ कर दें तो आप ऐसे लोगों की नियुक्ति उन खाली पदों पर क्यों नहीं करते जिन्हें पर्याप्त अनभव है? आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने 5,000 से अधिक लोगों की सूची परिचालित की है इसमें वाणिज्यिक बैंकों के बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। मैं यह मांग करता हूं कि सरकार इन लोगों के नाम शीघ्र प्रकाशित करे। आप 'गोपनीय खंड' के अन्तर्गत भारत की जनता से सब बातें नहीं छिपा सकते। इन ऋणों की वसूली बहुत गम्भीर मामला है। कुछ लोग यह दलील देते हैं कि श्री वी.पी. सिंह के शासन काल में जब सरकार ने किसानों को ऋण देना आरम्भ किया था और उन लोगों के ऋणों को माफ कर दिया था और यह प्रक्रिया पुनः आरम्भ होगई थी। यह तथ्य नहीं है। ऐसा बहुत पहले आरम्भ हुआ था। यह जनार्दन पुजारी के 'ऋण मेला' से आरम्भ हुआ था। लोगों ने यह सोचना आरम्भ कर दिया था कि आप ऋण का राजनीतिक प्रयोजनों के लिये उपयोग कर रहे हैं। आपने इनका उपयोग मत प्राप्त करने और चुनाव प्रयोजनों के लिये किया। आपने बैंकों से ऋण लिये और आपने उनकी अदायगी की जरूरत नहीं समझी। यदि आप इस बात का पता करने का प्रयास करेंगे कि प्रधान मंत्री की रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाएं कैसे चल रही हैं तो आप वहां भी यह बात पायेंगे। इसका उद्देश्य न तो देश के लोगों की सेवा करना और न हीं आर्थिक हितों की रक्षा करना है। इसका उद्देश्य ऋणों की वसूली नहीं है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा है कि ...(व्यवधान) उनके आशय के प्रति संदेह है। यदि सरकार मामले में गम्भीर हो तो हम यथा सम्भव सहायता देने के लिये तैयार हैं।

प्रश्न यह है कि यदि पाकिस्तान दोषियों के नाम चुनाव से पूर्ण प्रकाशित कर सकता है, तो भारत जैसा महान देश ऐसा क्यों नहीं कर सकता? कृपया इन लोगों को संरक्षण न दें।

जहां तक न्यायाधिकरण का सम्बन्ध है, इससे सरकार के कार्यकरण का बोध होता है। जब कभी कोई समस्या उत्पन्न होती है वह एक समिति गठित कर देते हैं। जब कभी समस्या होती है सरकार न्यायाधिकरण का गठन कर देती है और जनता को बताती है कि वह न्यायाधिकरण का गठन कर रही है और वह सब बातों को देखेगी तथा शीघ्र निर्णय लेगी। इस प्रक्रिया द्वारा शीघ्र निर्णय लेने में विलम्ब किया जाता है। अतः रिक्त खाली स्थानों पर नियुक्ति किये जाने के बाद भी मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात पर ध्यान दें कि न्यायाधिकरण वास्तव में कार्य करें लेकिन न्यायाधिकरणों के कार्य करने के बावजूद आपको भी बहुत कुछ करना होगा। सरकार में कड़े राजनीतिक निर्णय लेने की कमी है। जबकि सरकार इन लोगों को संरक्षण देने के लिये राजनीतिक निर्णय लेती है।

इन शब्दों और सुझावों के साथ मैं वित्त राज्य मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह अन्तरशाखा समावेदन, गोईपोरिया समिति की रिपोर्ट और गोपनीय खंड के बारे में ध्यान दें। मुझे आशा है कि वह इस बात पर भी विचार करेंगे कि क्या खातों की महालेखा परीक्षक द्वारा जांच की जा सकती है।

श्री बोल्ला बुल्ली रामययाः (एलरू) उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम दृष्टि में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जहां तक ऋणां की वसूली का सम्बन्ध है, इस मामले में कोई कठिनाई नहीं है। मेरे विचार से समस्त देश में न्यायाधिकरणों की संख्या और अधिक होनी चाहिये। बम्बई में अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जा चुकी है। इसकी स्थापना और अन्य स्थानों पर भी की जानी चाहिये।

कुछ ऐसे बैंक और वित्तीय संस्थाएं हैं जिसका मुख्य उद्देश्य ऋण देना ही है। इसके साथ–साथ उन्हें ऋणों की वसूली भी करनी चाहिये। बकाया ऋणों की वसूली विभिन्न कारणों से रूकी रहती है। अनेक सदस्यों ने इस बारे मे उल्लेख किया है। यह उद्योग की रूग्णता और अन्य विभिन्न कारणों से हो सकती है। पहले भी यह उल्लेख किया जा चुका है। कि वित्त मंत्री को आयकर प्रावधानों जैसे प्रावधान के माध्यम से इस समस्या का समाधान करना चाहिये। आप उक्त प्रावधान से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। सरकार रूग्ण उद्योग को विलय सम्बन्धी विभिन्न प्रावधानों की अनुमति देकर पारस्परिक रूप से आपस में बकाया राशि के समायोजन को सुनिश्चित कर सकती है। इससे रूग्ण उद्योग तेजी से पुनः स्थापित हो सकते हैं। न्यायालयों में जाकर इस बारे में विलम्ब नहीं करनी चाहिये। इस प्रकार के न्यायाधिकरणों को बहुत अधिक मामले अपने हाथ में नहीं लेने चाहिये। हमारे पास धन कर सम्बन्धी मामले हैं। इनको निपटाने के लिये हमारे निपटान कार्यालय हैं। इसी प्रकार उन्हें कुछ व्यवस्था करनी चाहियें जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की बकाया भारी

ऋण राशि शीघ्रता से वसूल की जा सके। भारी ऋण राशि वसूल नहीं की गई है। इससे देश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री से पुनः अपील करता हूं कि वह कोई ऐसी पद्धति तैयार करें जिससे निपटान न्यायालयों की भांति इन ऋणों का भी शीघ्र निपटान किया जा सके। वे न्यायाधिकरणों और अपीलीय न्यायाधिकरणों में जाने वाले मुकदमों की संख्या कम कर सकते हैं।

मेरे विचार से न्यायाधीशों के लिये आयु सीमा कोई समस्या नहीं है। आयु सीमा को 60 से बढ़ाकर 62 और 62 से बढ़ाकर 65 करने का प्रस्ताव है। 60 वर्ष तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दक्षता रखते हैं, जो योग्य हैं और जो काम कर सकते हैं। यदि सरकार ऐसे लोगों का गम्भीरता से पता लगा सकती है तो इन मामलों को देखना बहुत आसान होगा और आप बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ऋणों के एक बड़े भाग की वसूली कर सकते हैं।

यदि आप ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि ऋण की बकाया राशि सैंकड़ों करोड़ में नहीं बल्कि हजारों करोड़ में है। वित्तीय संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह यथा सम्भव ऋणों का निपटान करने की कोशिश करें ताकि वे भी प्रगति करें और अन्य उद्योग भी प्रगति करें। यदि हम कोई तरीका निकालने में समर्थ होते हैं तो इससे इस प्रकार के भार में कमी आ सकती है। जैसाकि श्री चार्ल्स ने कहा कि छोटे मामलों में ऋण घटाकर 2 लाख रूपये के स्तर तक लाया जा सकता है। यह अलग उपबन्ध है और उन्हें मामलों का निपटारा, जहां कहीं सम्भव हो निपटान अधिकारी की सहायता से करना चाहिये। इससे मुकदमों के कानूनी पहलु में कमी आयेगी और ऋणों के निपटान में शीघ्रता आयेगी। आयकर कानून में ऐसा प्रावधान होना चाहिये कि इस प्रकार के मामलों का एकीकरण, विलय कुछ और पारस्परिक रूप से आपस में बकाया राशि के समायोजन द्वारा निपटाया जा सके। इससे ऋण की बकाया राशि की वसूली का भार कम होगा।

आयु सीमा कोई गम्भीर समस्या नहीं है। यदि सरकार इस बारे में गम्भीरता से विचार करे तो वह यह कर सकती है। मेरे विचार से सरकार को न्यायाधिकरणों और अपीलीय न्यायाधिकरणों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये ताकि बकाया राशि की वसूली शीघ्रता से की जा सके।

डा. मुमताज अंसारी (कोडरमा): वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की ऋण की बकाया राशि की वसूली भी विधेयक का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। लेकिन यह केवल न्यायाधिकरण के गठन अथवा न्यायाधिकरणों और अपीलीय न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों की सेवानिवृति की आयु बढ़ाने तक ही सीमित रह गया है।

जहां तक बकाया ऋण की वसूली का सम्बन्ध है, यह एक महत्त्वपूर्ण पहलु है। यदि आफ अनेक कानून बनाते हैं तो इससे समस्या का समाधान नहीं होगा क्योंकि मेरे विचार से वसूली सैल और वितरण सैल में समन्वय की कमी है। यदि आप एक बार बैंकिंग संस्थाओं और वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण की ओर ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि जो अधिकारी ऋण की मंजूरी देने वाले विभाग के अधिकारी हैं वे विभिन्न श्रेणी के लोगों को ऋणों की मंजूरी देने में अधिक रूचि लेते हैं। जहां तक ऋण वितरण का प्रश्न है, वे इसी स्तर पर रूचि रखते हैं। वे करोड़ों रूपये के ऋण देते हैं। जहां तक ऋण वसूली का सम्बंध है, वह प्रत्येक बैंक और वित्तीय संस्थाओं में बहुत सुस्त, बहुत धीमी है। अतः समस्त देश में ऋण वसूली बहुत कम है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा): नौ परसेंट रिकवरी बिहार में हुई है। आप अपने राज्य की आलोचना कर रहे हैं।

डा. मुमताज अंसारी: हम अपने राज्य की आलोचना नहीं कर रहे हैं। हम बैंक की बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: वे पूरे देश की बात कर रहे हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी: बैंक की ऋण वसूली 9 परसेंट है।

डा. मुमताज अंसारी: बैंक सेन्ट्रल आर्गनाइजेशन है।

[अनुवाद]

यह बिहार सरकार द्वारा नहीं चलाई जाती । वह बात सच नहीं कह रहे हैं। मैं देश की कुल मिलाकर स्थिति की चर्चा कर रहा हूं। जहां तक बिहार का सम्बन्ध है वह जमाराशि के अत्यन्त कम अनुपात से प्रभावित है। अतः आप बिहार को अकेले ही दोषी नहीं ठहरा सकते। इसके लिये पूर्णतया बैंकिंग सस्थाएं और वित्तीय संस्थाएं और सी.एम.डी. जैसे पदाधिकारी और चैयरमैन जिम्मेवार हैं। मुझे पता लगा है कि इन विभागों में समन्वय का पूर्णतया अभाव है। जब तक मंजूरी विभाग, वितरण विभाग और वसूली विभाग के बीच अन्तर विभागीय समन्वय नहीं होगा तब तक मामले का पूरी तरह समाधान नहीं होगा। आप कितने ही कानून बनायें, पीठासीन अधिकारी की आयु में परिवर्तन करें, अनेक न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करें, परन्तु जब तक आप गम्भीरता और ईमानदारी से कार्यवाही नहीं करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह मेरा सुझाव है। ऋणों की मंजूरी के लिये अन्तर्निहित शक्तियां हैं, अन्तर्निहित नियम और विनियमन है और निश्चित मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं।

लेकिन ऋण की मंजूरी देते समय, हमें यह पता लगता है कि जो अधिकारी ऋण देने के लिये जिम्मेवार हैं वे ऋण देने सम्बन्धी भूल आधारित सिद्धान्तों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहां तक ऋणों की लाभप्रदता, प्रतिभूति, सुरक्षा, जोखिम की विविधता और प्रतिभूति की विक्रेयता का सम्बन्ध है, ये मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं. यदि एक बार ऋण की मंजूरी देने सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की ओर ध्यान दिया जाये तो मैं नहीं समझता कि ऋण वसूली में कोई कमी आये अथवा ऋणों की वसूली न हो सके क्योंकि आप ऋण की मंजूरी केवल उन ही लोगों को देते हैं जिनकी बाजार में विश्वसनीयता है , जो प्रसिद्ध हैं और जिनकी बहुत अच्छी साख है।

सरकार द्वारा दिये गये वास्तविक आंकड़ों से यह पता लगता है कि बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति ऋणों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां तक छोटे किसान, लघु उद्योगपति, परिवहन संचालक, कम ऋण लेने वालों का सम्बन्ध

है, सरकार उनसे अपनी ऋण की सारी बकाया राशि जबरन वसूल कर लेती है। लेकिन जब सरकार का बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों और उच्च श्रेणी के लोगों से सामना पड़ता है तो उसका संकल्प कहां चला जाता है; उसकी कठोरता कहां चली जाती है; वह कार्यवाही करने में निष्क्रिय क्यों हो जाती है? इस मामले में ये भारी त्रुटियां हैं।

जब जनता दल सत्ता में थी तो हमने छोटे किसानों और निर्धनों की दयनीय स्थिति और समस्याओं पर ध्यान दिया था। इस मामले में हमने ऋण माफ करने सम्बन्धी योजना आरम्भ की थी। इस मामले में भी जो भी ऋण जनता सरकार द्वारा माफ किये गये थे, अधिकारी उनकी वसूली के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। अपने संकल्प से भी अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। हम कभी कभी हस्तक्षेप भी करते हैं कि इन ऋणों को लोकप्रिय जनता सरकार ने माफ कर दिया था और इन ऋणों की माफी को यहां भी स्वीकृति मिल गई थी, और यह सरकार इन छोटे ऋण लेने वालों से भी कुछ न कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। अतः आज देश में यह स्थिति और परिस्थितियां व्याप्त हैं।

अतः मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि आप इन सब न्यायाधिकरणों का गठन करें। न्यायाधिकरणों का गठन राज्य स्तर, क्षेत्रीय स्तर तथा विभिन्न स्तरों पर किया जाना चाहिये। अन्य न्यायाधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिये। आप आयु सीमा भी बढ़ा सकते हैं। हमें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार के सुझाव मेरे मित्रों ने भी दिये हैं। देश में बड़ी संख्या में योग्य व्यक्ति और योग्य अधिवक्ता मौजूद हैं। यदि आप इन खाली स्थानों को भरना चाहते हैं, यदि आप वित्तीय और बैंकिंग संस्थाओं के बकाया ऋण वसूल करने के प्रति ईमानदार हैं, तो कोई भी नियम और विनियमन आपको ऐसा करने से नहीं रोक सकता। आप ऐसा कर सकते हैं। आप ऋण की वसूली कर सकते हैं। बकाया ऋण की राशि बढ़ती जा रही है। छोटे किसानों, छोटे व्यापारियों, लघु उद्योगपतियों और व्यवसायों को ऋण देने के लिये धन की कमी है। उन्हें ऋण नहीं मिल रहे हैं।

इसके साथ-साथ एक महत्त्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है और जिसकी ओर माननीय वित्त मंत्री को अवश्य ध्यान देना चाहिये और वह यह है कि धनराशि का अन्य प्रयोजनों के लिये प्रयोग हो रहा है। आप किसी विशेष प्रयोजन के लिए ऋण की मंजूरी देते हैं और ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति ऋणों का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिये करते हैं। ऐसे मामले में ऋण देने का प्रयोजन पूरा नहीं हो रहा है और यह त्रुटि है। इसके परिणामस्वरूप अनेक उद्योगों को रुग्ण घोषित कर दिया गया है क्योंकि धनराशि का अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोग किया गया है। केवल छोटी मशीने और उपकरण स्थापित किये गये हैं, भूमि और भवनों का निर्माण किया गया है, लेकिन जहां तक चालू पूंजी और कार्यकारी पूंजी का सम्बंध है, एक बार जब इन उद्योगों के लिये ऋण जारी कर दिया जाता है तो उसका उन प्रयोजनों के लिये प्रयोग नहीं किया जाता जिन प्रयोजनों के लिये ऋणों को मंजूरी दी जाती है। इसीलिये में माननीय वित्त मंत्री को यह सुझाव देना चाहूंगा कि यदि आप बकाया ऋण की वसूली में पूरी तरह ईमानदार हैं तो आपको इस बारे में विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा। वे पहलु हैं ऋण मंजूरी पहलु, ऋण वितरण पहलु। एक बार आप जब कम राशि का ऋण लेने वाले व्यक्तियों को ऋण देते हैं तो ऐसे मामलों में कोई समस्या नहीं होती क्योंकि आप उनसे ऋण की बकाया राशि सख्ती से, अपने दृढ़ संकल्प से वसूल कर लेते हैं लेकिन जहां तक बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों और बड़े लोगों का प्रश्न है आप ऐसा नहीं कर सकते।

पड़ौसी देश में, यहां तक कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री का नाम भी उधार लेने वालों की सूची में दिखाया गया था। लेकिन हमारे देश में 'लुक्का-छुप्पी' का सिद्धान्त है।

लोगों के नामों की घोषणा कोई भी बहाना बनाकर नहीं की जाती। इसीलिये जब स्थानों पर, गांवों में, देश के दूरदराज क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थिति व्याप्त है। गरीब लोगों को ऋण देन के लिये धन उपलब्ध नहीं होता। लेकिन जहां तक बड़े लोगों को ऋण देने का प्रश्न है, धन का कभी अभाव नहीं होता। इस प्रकार ऋणों को मंजूरी दी जा रही है। ऐसे लोगों को ऋण दिये जा रहे हैं। बैंक अधिकारियों को इनकी वसूली के बारे में कोई चिन्ता नहीं है। इसीलिये मैंने कहा है कि आप जो भी न्यायाधिकरण का गठन करना चाहें कर सकते हैं। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप पीठासीन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारियों की आयु सीमा बढ़ाना चाहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इन बातों से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋणों की वसूली में सहायता नहीं मिलेगी। अतः राज्य वित्तीय अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत अनेक संस्थाओं की स्थापना की गई है। अनेक राज्य वित्तीय निगमों का स्थापना की गई है। लेकिन ये कार्य नहीं कर रहे हैं। वे किसी भी उधार मांगने वाले को उधार देने की मंजूरी देने की स्थिति में नहीं हैं। उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? धनराशि की कमी के कारण सारी धनराशि विभिन्न श्रेणी के लोगों को दे दी जाती है।

इसी प्रकार हर्षद मेहता का मामला हुआ, प्रतिभूति का मामला सामने आया, शूज घोटाला सामने आया, और कौन जानता है देश के सामने 'चप्पल' घोटाले का मामला भी आये। मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा। ये घोटाले क्यों होते हैं? इनका मुख्य कारण यह कि आप बेईमानी से ऐसी श्रेणी के लोगों को ऋण की मंजूरी देते रहते हो। लेकिन जिन लोगों को ऋण आवश्यकता होती है, जो लोग प्राथमिकता क्षेत्र में 40 प्रतिशत की श्रेणी में आते हैं आप उनकी ओर ध्यान नहीं देते। आप इन लोगों को कोई ऋण नहीं देते। मैं आपको यह बात याद दिलाना चाहूंगा कि आप कोई भी कानून बना दें, जब तक बैंक अधिकारी सत्यनिष्ठ और ईमानदार नहीं होंगे। आप कुछ भी करने में असमर्थ होंगे।

अनेक सिफारिशें लम्बित पड़ी हैं। गोईपुरिया समिति की सिफारिशे हैं। वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे और उन्होंने अनेक सिफारिशें की थी। उन्होंने 'क्या करना है और क्या नहीं करना है' इसकी व्याख्या की थी। लेकिन इनकी क्रियान्विति नहीं की गई। आप सम्माननीय सदन के सामने अनेक विधान लेकर आते हैं। हम आपको बिना शर्त हर प्रकार का अपना सहयोग देने के लिये तैयार हैं, यदि आप उधार लेने वाले बड़े बड़े लोगों से ऋण की वसूली के प्रति ईमानदार हैं। आप बड़े बड़े लोगों से ऋण की वसूली करने के मामले में की उपेक्षा क्यों करते हैं? आप केवल उधार लेने वाले छोटे लोगों की ओर ही ध्यान क्यों केन्द्रित करते हैं? यह मेरा सविनय प्रश्न है।

इन सिफारिशों के साथ, मैं कुछ हद तक विधेयक का समर्थन करता हूं, लेकिन पूरी तौर पर नहीं। जहां तक सेवा निवृति की आयु सीमा बढ़ाने का प्रश्न है, मैं इसका समर्थन करता हूं। जहां तक अधिकारियों के इरादे का सम्बन्ध है मैं इसको चुनौती देता हूं और मुझे उनकी ईमानदारी पर संदेह है। मंत्री महोदय भी मेरी राय से सहमत होंगे कि जब तक सरकार, अधिकारियों, बैंकिंग संस्थाओं और वित्तीय संस्थाओं के चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशकों का

इरादा साफ नहीं होगा, इस प्रकार की कार्यवाही का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। जहां तक विभिन्न विभागों मंजूरी विभाग, वितरण विभाग, वसूली विभाग के बीच समन्वय का प्रश्न है, यह एक आवश्यकता है। आन्तरिक उपबन्ध हैं, लेखा परीक्षा उपलब्ध हैं, अन्तर–शाखा समावेदन उपबन्ध है खातों का समावेदन उपबन्ध हैं। इस प्रकार के अनेक उपबन्ध हैं। और आप क्या चाहते हैं सरकार के इरादे, ईमानदारी, कर्त्तव्यनिष्ठा में कमी है। इसी कारण कोई परिणाम नहीं निकल रहे हैं। अन्यथा और अधिक उपबन्ध और कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री गुमान मल लोढा (पाली): मुझे कुछ मूलभूत और मौलिक सुझाव देने हैं। हम विभिन्न बकाया राशि,चाहे वह आयकर की बकाया राशि हो, चाहे बैंक की बकाया राशि हो, चाहे वित्तीय संस्थाओं की बकाया राशि हो और विभिन्न कराधान उपायों के कारण बकाया राशि हो, हम उनकी वसूली की पद्धति के मामले में असफल रहे हैं।

जब भी कोई विधान आता है, किसी न्यायाधिकरण की नियुक्ति कर दी जाती है। उन न्यायाधिकरणों का प्रबन्ध मुख्यतया सेवानिवृत अधिकारियों अथवा सेवानिवृत न्यायधीशों के हाथ में होता है। मैं यहां एक सुझाव देना चाहूंगा। हमें आई.ए.एस., आई.पी.एस.आई.एफ.एस. आदि के प्रतिरूप कोई एक न्यायिक सेवा आरम्भ करनी चहिये ताकि युवा, सर्जनशील और उत्साही व्यक्ति आगे आयें और उन्हें इस कार्य को सौंपा जा सके। लेकिन दुर्भाग्यवश आज जो हो रहा है, वह यह कि इस तथ्य को ध्यान में रखने के बावजूद कि हमारा युवा, प्रतिभाशाली वर्ग बेरोजगारी के कारण प्रभावित है देश में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या विद्यमान है– हम ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करने में प्राथमिकता दे रहे हैं जो सेवा निवृत्ति के निकट हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी व्यक्ति की तरफदारी की थी अथवा हम उनके कुछ पक्षपात की आशा रखते हैं। देश में यह क्या हो रहा है ? राजकोष का उपयोग लोगों को अनुग्रहीत करने के लिये किया जा रहा है। इसका कोई सर्जनात्मक परिणाम नहीं निकला है। अब उन्होंने पांच वर्ष की सेवावधि की योजना बनाई है। वे कहते हैं कि वे जिला न्यायालय न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संवर्ग के लोगों की नियुक्ति करना चाहते हैं। इस प्रकार के अनेक न्यायाधिकरण और विभिन्न विषयों सम्बन्धी अनेक मंच है। सब जगह समस्या वही है। जैसे जैसे सेवानिवृति की आयु निकट आती जाती है, उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय अथवा जिला न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश राजनीतिज्ञों के पास आने लगते हैं। अदला–बदली की भावना आती है। वह इस प्रकार कि जिस व्यक्ति ने उन्हें राजनीति में लाने के लिये पक्षपात किया था, उस पक्षपात के एवज में हम उनकी नियुक्ति कर उसका बदला उतारें। इसको पूर्णतया समाप्त किया जाना चाहिये। मैं यह ईमानदारी से कह सकता हूं कि यदि हम भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करें तो हमे बहुत उत्साही, योग्य युवा वर्ग मिल सकेंगे। वे इन सब न्यायाधिकरणों का कार्य भार संभाल सकते हैं। अतः मेरा पहला सुझाव यह कि भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाना चाहिये। मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में इसकी सिफारिश की गई थी विधि आयोग आयोग की रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की है और विभिन्न अन्य समितियों ने इसकी सिफारिश की है। लेकिन सरकार ने इन सिफारिशों की ओर ध्यान नहीं दिया और उनकी क्रियान्विति नहीं की है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि आई. पी. एस. अथवा आई. ए. एस. जैसी भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करें और इस सब कार्य को उनको सौंप दे और इनका कार्यकाल तीन से पांच वर्ष का रखें। अन्यथा उन्हीं लोगों का पक्षपात किया जायेगा जो उनके विश्वसनीय हैं।

दूसरे, उन्होंने मूल अधिनियम में यह उल्लेख किया है कि वो उन लोगों को नियुक्त करना पसन्द करेंगे जो या तो जिला न्यायालय न्यायाधीश हों अथवा जिन्हें जिला न्यायालय न्यायाधीश और उच्च न्यायालय न्यायाधीश की योग्यता प्राप्त हो। एक व्यक्ति सात से दस वर्ष तक वकालत करने के बाद जिला न्यायालय न्यायाधीश हो सकता है और एक व्यक्ति जिसे 15 या अधिक वर्ष की वकालत करने का अनुभव हो वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। मूल अधिनियम में अन्तर्ग्रस्त मूल योग्यता के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की संख्या सैंकड़ों, हजारों न होकर लाखों तक होगी। इस देश में बार में लाखों अधिवक्ता ह और उनमें से कुछ बहुत प्रतिभाशाली और योग्य हैं। उनकी नियुक्ति इन न्यायाधिकरणों में की जा सकती है। मेरी यह बात समझ में नहीं आती कि आपको इसके लिये जिला न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आवश्यकता क्यों है। क्या आपने इसके लिये कोशिश की है क्या आप इसमें असफल रहे हैं ? आप ऐसा नहीं कह सकते। उद्देश्य और कारण सम्बन्धी विवरण यह कहा गया है कि:–

"विभिन्न स्थानों पर अधिकरणों की स्थापना के लिए सरकारी प्रयास आसीन न्यायाधीशों की समुचित प्रतिक्रिया के अभाव में सफल नहीं हुए हैं। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि अधिकरण (धारा 6) और अपील अधिकरण (धारा 11) के पीठासीन अधिकारी की अधिवर्षिता की आयु क्रमशः साठ वर्ष और बासठ वर्ष है, जो जिला न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिवर्षिता की आयु भी है। सरकार यह आशा करती है कि यदि अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों की अधिकतम आयु साठ वर्ष से बढ़ा कर बासठ वर्ष और अपील अधिकरण की दशा में बासठ वर्ष से पैंसठ वर्ष कर दी जाती है तो स्थिति में सुधार हो सकता है।"

इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि उन्हें 'बार' से प्रतिभाशाली, योग्य अर्हता प्राप्त अनुभवी व्यक्ति प्राप्त नहीं हुए। आपने उन्हें नियुक्त करने की कोशिश क्यों नहीं की। आप क्यों केवल वर्तमान जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने पर कटिबध हैं ? 'बार' के सदस्य, जो समस्त देश में हैं, और जो कार्यभार संभालने के लिये तैयार भी हैं, यदि आप उन्हें लम्बी सेवावधि देने को तैयार हैं। अतः यह ऐसा विधान है जिसके द्वारा वह अपने पक्ष के उन लोगों को न्यायापालिका में लाना चाहते हैं जिन्हें वह सेवानिवृति के समय अनुग्रहीत करना चाहते हैं। यह स्पष्ट रूप से बहुत आपत्तिजनक है। देश में पक्षपाती अथवा वचनबद्ध न्यायपालिका की स्थापना कानून और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विरूद्ध है। अतः यह बहुत खतरनाक है। अतः मैं इस प्रकार के प्रयास जो न्यायपालिका में अपने पक्ष वाले लोगों की नियुक्ति के लिये चोरी छिपे किये जा रहे हैं, उनकी भर्त्सना करता हूं।

दूसरी बात जिस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा वह यह कि कोई भी कानून हो, चाहे वह बैंकिंग सम्बन्धी कानून हो अथवा वित्तीय संस्थाओं सम्बंधी कानून हो, जिनके द्वारा ऋण दिया जाता है, उसमें तुरन्त सम्पत्ति कुर्क करने का उपबंध होता है। आप उन उद्योगों को बन्द करने अथवा उनका अधिग्रहण करने जैसे उपायों का सहारा क्यों लेते हैं जब आपके पास इस सम्बन्ध में कानून मौजूद है ? आप लम्बी प्रक्रिया क्यों अपनाना चाहते हैं। न्यायाधिकरण की एक लम्बी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत उन बैंक खातों के बारे में पुनः न्यायनिर्णय लेना शामिल है, जिनके बारे में पहले ही न्याय निर्णय लिया जा चुका है ? आप उन उद्योगों अथवा उन एककों अथवा उन व्यापार गृहों की सम्पत्ति कुर्क क्यों नहीं

करते जिन पर लाखों और करोड़ों रूपया बकाया है और आप उन्हें बकाया राशि का भुगतान करने पर बाध्य क्यों नहीं करते?

अनेक वक्ताओं ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि आप दोषियों के नामों की सूची क्यों नहीं प्रकाशित करते। यदि आप दोषियों की सूची प्रकाशित करेंगे तो पता लगेगा कि कुछ बहुत प्रमुख उद्योग और व्यापार गृहों पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की करोड़ों रूपये की राशि बकाया है। वे वास्तव में जनता के धन का उपयोग कर रहे हैं। अतः यह राजनीतिक इच्छा, संकल्प, और सुदृढ़ नीति की कमी है। हर्षद मेहता का मामला सामने आने के बाद और संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद कितनी कितनी बकाया राशि की वसूली की गई? हमारे पर 'कार्यवाही की गई' और 'कार्यवाही नहीं की गई' के बारे में रिपोर्ट है। इस पर चर्चा भी हुई है। उस चर्चा का क्या परिणाम निकला उन्हें कितनी बकाया राशि वसूल की? मंत्री महोदय को सभा में यह बात स्पष्ट करनी चाहियें कि इस बारे में वास्तव में क्या कार्यवाही की गई।

ऋण देने की मुख्यतया आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र, जिसे 'ग्रामीण' कहा जाता है की है और बैंकों को 'ग्रामीण बैंक' अथवा 'रूरल बैंक' कहा जाता है। ग्रामीण बैंकों को छोटे किसानों को ऋण देना चाहिए। उन बड़े किसानों को नहीं जो 'बेनामी' व्यापार करते हैं और जिनके बड़े-बड़े फार्म विभिन्न व्यक्तियों सहित पशुओं के नाम पर हैं।

उनके फार्म पशुओं के नाम पर हैं ताकि वे भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत न आ जायें। हमें ऐसे अनेक व्यक्तियों की जानकारी है जिनकी भूमि कुत्ते, भेड़, विभिन्न पशुओं के नाम पर है जिन्हें वे पालते हैं ताकि वे भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत न आ जायें। ऐसा हो रहा है। जब मैं 1972 में राजस्थान विधान सभा का सदस्य था तब मैंने ऐसे व्यक्तियों के नाम दिये थे जिनसे पता लगता है कि कैसे कुछ बड़े व्यक्ति जो वहां उस समय मंत्री थे उनके पास 'बेनामी' भूमि के अतिरिक्त अनेक व्यक्तियों के नाम पर भूमि थी। हम उन व्यक्तियों को अनुग्रहीत नहीं करना चाहते। लेकिन हम चाहते है कि गरीब किसान, एक छोटा किसान, एक सीमान्त किसान को, जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है, ऋण अवश्य दिया जाना चाहिये। गांवों में दस्तकार भूखे मर रहे हैं और वो धन के अभाव में खेती करने में असमर्थ हैं, उनके पास बड़े ट्रेक्टर और मशीनें नहीं हैं, उनके लिये ग्रामीण बैंकों का गठन किया जाना चाहिये।

हम अनेक बार वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री से अनुरोध कर चुके हैं कि एक अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया जाना चाहिये ताकि सब धनराशि उसमें जमा हो। वित्त मंत्री एक बार इस सम्बन्ध में सहमत हो गये थे लेकिन बाद में उन्होंने विचार बदल दिया **(व्यवधान)** अतः हमें ग्रामीण बैंक अर्थव्यवस्था पर बल देना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो वह ऐसा अपने जोखिम पर कर रहे हैं। लोग उनको क्षमा नहीं करेंगे, किसान उन्हें अब क्षमा नहीं करेंगे। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक, एक फेडरेशन बैंक, एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करें। इस पर वित्त मंत्रालय ने तीन वर्ष तक कार्य किया और इस बारे में वित्त मंत्रालय के वित्तीय विभाग की मंत्रणा समिति ने सलाह दी थी। लेकिन इस मामले में बाद में अनेक बाधाएं डाली गई और सब मामला उल्टा हो गया।

आज इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है। आयु सीमा 60 से 62 और 62 से 65 बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। देश के करोड़ों लोग आज आधाभूत परिवर्तन चाहते हैं। आज देश की समस्याओं के समाधान के लिये 'अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक' और 'अखिल भारतीय न्यायिक सेवा' की आवश्यकता है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें और 'अदला-बदली' जैसाकि मैंने पहले बताया की ओर ध्यान न दें। यह बहुत खतरनाक है, और विशेष रूप से यदि यह न्यायिक व्यवस्था में लागू होती है क्योंकि केवल पवित्र न्यायिक प्रणाली पर ही लोगों की आशा लगी है।

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री गुमान मल लोढाः मैं अपना भाषण पूरा कर रहा हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया नहीं । आप उन्हें केवल सलाह दे सकते हैं।

श्री गुमान मल लोढाः मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री गांव के गरीब किसानों की ओर ध्यान दें। देश के 55 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। उनकी स्थिति क्या है? कवि की नजरों में:-

[हिन्दी]

"जो जग को अन्न प्रदान करे, जग उसको ही ठुकराता है,
उसकी हड्डी को नोंच-नोंच, जग वैभव भवन बनाता है।
जग की झूठन के थाल भरे, बेकार भले ही यों जाते,
रोटी की खातिर रिब-रिब कर, उसके बच्चे हैं मर जाते ॥
उसकी खटिया, उसके कपड़े, उसके छप्पर बेचे जाते,
कौड़ी-कौड़ी के सूद अरे, अंतड़ियों से खींचे जाते।
जो जग को अन्न प्रदान करे,

[अनुवाद]

इसका अर्थ यह है कि जो समस्त देश के लिये वास्तव में अन्नदाता हैं, जो पसीना बहाकर और भारी श्रम कर अन्न पैदा करता है, जो गर्मी के अन्दर, सर्दी में, बरसात में, सब समय में, जाकर खेत में खड़ा रहता है।

[हिन्दी]

वह अपने खून पसीने से धान उगाता है। जब धान उग जाता है तब यह स्थिति बनती है कि कोड़ी-कोड़ी का सूद अरे अंतड़ियों से खींचा जाता है, जो जग को अन्न प्रदान करे, जग उसको ही ठुकराता है। उसकी हड्डी को नोच-नोच कर जग वैभव भवन बनाता है।

आज किसानों की जो वास्तविक स्थिति है, उसके बारे में बहुत बड़े कवि सोहन लाल द्विवेदी जी ने कहा था किः

"तेरी मेहनत पर किसान, तो तेरी हिम्मत पर किसान, वो तेरी कीमत पर किसान,
यमुना के तट पर ताजमहल हो खड़ा देख मुमताजमहल, वह तेरी कीमत पर किसान,
तेरी आंतों पर किसान, आंतों की तांतों पर किसान, वो तेरी मेहनत पर किसान,
वो तेरी कीमत पर किसान।" ......**(व्यवधान)**

आप अपने मंत्री महोदय से कहें कि इस प्रकार के छोटे-मोटे कानून आप ऊपर

नीचे करके मत लायें जिस में किसी को काट दिया, किसी को बढ़ा दिया। 60 को 62 कर दिया, 62 को 65 कर दिया। इससे गरीबों को न्याय नहीं मिलता है सामाजिक न्याय नहीं मिलता है। इसके लिये जरूरी है कि आप मौलिक समस्याओं की तरफ जायें और अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक का निर्माण करें, आल इंडिया जुडिशिअल सर्विस का निर्माण करें। आप बड़े–बड़े मगरमच्छों को पकड़िये। छोटी–छोटी मछलियों को पकड़ कर मगरमच्छों को छोड़ देते हैं। आप मगरमच्छ के आंसू बहाना छोड़ दें। लोग कभी आपको माफ नहीं करेंगे।

आपके जाने का समय आ गया है। जाते–जाते पुण्य करिये ताकि ऊपर से पुण्य मिले, नहीं तो यहां भी पाप और वहां भी पाप और आपका हो जायेगा पत्ता साफ ।

[अनुवाद]

श्री एस. एस. आर. राजेन्द्रकुमार (चिंगलपट्टू): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी ए. आई. ए. डी. एम. के. की ओर से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक पर बोलने के लिये उठा हूं। विधेयक में न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारियों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष और अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारियों की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की व्यवस्था है। आशा की जाती है कि अधिनियम में इस उपबंध से न्यायाधिकरणों के विचाराधीन मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा सकेगा।

इस सम्बन्ध में मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि न्यायाधिकरणों के विचाराधीन कितने मामले हैं, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को कुल कितनी राशि देय है और राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को किन–किन व्यक्तियों और फर्मों तथा संगठनों ने उक्त बकाया राशि का भुगतान करना है। कृपया इस बारे में मुझे तमिलनाडु से सम्बन्धित विवरण बतायें।

1982–83 में, उस समय केन्द्र स्थित सरकार ने 'ऋण मेलों' के अन्तर्गत लोगों को भारी मात्रा में ऋण दिये थे और ऋण वापिस नहीं किये गये थे और उन्हें माफ किया जाना था। इसके बाद, केन्द्र शासित कांग्रेस पार्टी–आई ने छोटे किसानों को दिये गये 10,000 रूपये तक के ऋण माफ कर दिये थे। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बैंकों को देय राशि उन ऋणों के अतिरिक्त है जो सामाजिक प्रयोजनों के लिये दिये गये थे।

वर्ष 1985 के बाद विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती पर रोक लगा दी गई थी लेकिन बैंकों की शाखाओं में इन वर्षों में वृद्धि हुई है और अनेक शाखाओं में कर्मचारियों की कमी है। मुझे पता लगा है कि कर्मचारियों, बही–खातों और मिलान की कमी के कारण बैंकों का बकाया और मिलान की राशि जो लगभग 2.5 लाख करोड़ रूपये है, लम्बित पड़ी है। बैंकिंग व्यवसाय में यह बहुत अस्वस्थ प्रक्रिया है। सरकार को इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

मद्रास, तिरूची, मदुराई और कोयम्बतूर में न्यायाधिकण और अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित किये जाने चाहियें। यदि न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण में दो और पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाती है तो कार्य सरल हो जायेगा और इसकी आलोचना नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदयः अभी चार सदस्यों श्री चित्त बसु, श्री पी.सी. थामस, श्री गिरधारी लाल भार्गव और श्री राम कृपाल ने बोलना है। हमारे पास एक मिनट शेष बचा है। श्री चित्त बसु अपना भाषण आरम्भ कर सकते हैं और अपना भाषण कल जारी रखेंगे। ..... **(व्यवधान)**

6.00 म.प.

उपाध्यक्ष महोदयः अब मैं श्री चित्त बसु का नाम पुकारता हूं।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसाट): अधिनियम सम्बन्धी वर्तमान संशोधन अनपकारी और बहुत सीमित है। विधेयक का क्षेत्र भी बहुत सीमित है। यह केवल ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्यों में यह पूछना चाहूंगा कि यदि वे 10 अथवा 15 मिनट और बैठे तो दो या तीन सदस्य अपना भाषण दे सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः मैं यह मामला माननीय सदस्यों पर छोड़ता हूं। एक अथवा दो सदस्य अपना भाषण पूरा कर सकते हैं। कल बहुत अधिक भार होगा और प्रत्येक सदस्य को दो या तीन मिनट देना अच्छा नहीं लगता। यदि आप आज कुछ समय और बैठने को तैयार हैं तो दो या तीन सदस्य अपना भाषण दे सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः ठीक है, श्री चित्त बसु, आप अपना भाषण कल जारी रखें।

श्री चित्त बसुः मैं अपना भाषण कल जारी रखूंगा।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): आप कृपया कल अपना भाषण जारी रखें।

उपाध्यक्ष महोदयः अब सभा कल 11 म.पू. तक के लिये स्थगित होती है।

6.01 म. प.

(तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 30 मई, 1995, 9 ज्येष्ठ, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)